लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No. 57(1)
Acc. No. 8.12.67
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 5/1/84
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक--26-मंगलवार, 26 अगस्त, 1969/ 4 भाद्र, 1891 (शक)

No. 26, Tuesday, August 26, 1969/Bhadra 4, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO *QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
751. अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों के प्रतिवेदन	Governors' Reports on Administration of Scheduled Tribes Areas	1—3
752. दिल्ली के होटलों में अनैतिक कार्य के लिए लड़कियाँ सप्लाई करने वालों का गिरोह	Call Girls Racket in Delhi Hotels	4—7
753. पुरानी और जटिल विधियों को सरल बनाना	Simplification of Out-dated and complicated Laws	7—11
755. पश्चिम बंगाल विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए विधेयक	Bill for Abolition of West Bengal Legislative Council	11—14
756. ईरान और बर्मा की रेलों को इस्पात की वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Steel Items to Iranian and Burmese Railways	15—16
759. दिल्ली में हरिजनों के कल्याण के लिए धनराशि	Funds for Harijan Welfare in Delhi	16—18
760. केरल के उद्योग मंत्री की जापान यात्रा	Visit by Kerala Industries Minister to Japan	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अल्प-सूचना प्रश्न

S.N.Q.No.

10. केलेघई नदी के तटबन्ध में दरार पड़ना	Breaches in the Embankment of Keleghye River	19—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर WIRTEEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

754. शराब की खपत	Consumption of Liquor	23
757. एक्सरे फिल्मों की कमी	Shortage of X-ray films	23—24
758. बोकारो इस्पात कारखाने को मशीनों की सप्लाई	Supply of Machinery to Bokaro Steel Plant	24
761. सीमेन्ट का समान मूल्य	Uniform Cement Price	24—25
762. इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts in Steel Plants	25—26
763. सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण हटाया जाना	Withdrawal of Control on Prices and distribution of Cement	26—27
764. 8–अश्व–शक्ति ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of 8-H.P. Tractor	28
765. रेलवे के माल–डिब्बों में से रेलवे के माल की हानि	Loss of Railway Goods from Railway Wagons	28—29
766. वकीलों की फीस	Fees of Lawyers	29
767. चुनावों के दौरान मद्य-निषेध	Prohibition during Elections	29—30
768. भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, राँची द्वारा बाहर की एजेंसियों से माल का निर्माण करवाना	Off-loading of items in Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi to Outside Agencies	30—31
769. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Ltd.	31
770. हैदराबाद में केबल फैक्टरी की स्थापना	Establishment of Cable Factory at Hyderabad	31—32
771. मैसर्स हिन्द गौलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	32

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
772.	दिल्ली में रेलवे फाटकों पर उपरि पुरल	Over-bridges on Railway Level Crossings in Delhi	32—33
773.	शराब तथा अन्य मादक वस्तुओं के कुप्रभावों को बारे में चलचित्र	Films on ill effects of Liquor and other Intoxicants	33
774.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors	33—34
775.	व्यापार में एकाधिकार समाप्त करने हेतु अपनाए गए उपाय	Measures taken to end Monopolies in Trade	34—35
776.	संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme in Union Territory of Delhi	35
777.	चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Collaboration with M/s Motokov of Czechoslovakia	35—36
778.	सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखाने	Cement Factories in Public Sector	36
779.	रेलवे में कोला-कोला का अधिक लिया जाना	Charging of Higher Rates of Coca-Cola by Railways	36
780.	नमक पर से उप-कर को हटाना	Abolition of Cess on Salt	36—37
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4899.	अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों की संख्या	Number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	37—38
4900.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Tractor Production	38—40
4901.	लघु उद्योग थापित करने के लिए इंजीनियरों को सहायता	Assistance to engineers for setting pu Small scale Industries	40—42
4902.	गया जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना	Stoppage of Rajdhani Express at Gaya Junction	42

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4903.	जहानाबाद स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर पीने का पानी	Drinking water at Jahanabad station (Eastern Rly.)	42
4904.	पटना तथा गया के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करना	Doubling of Railway Line between Patna and Gaya	43
4905.	गुजरात में कृषि उद्योग	Agro-Indnstries in Gujarat	43
4906.	रेल भाड़े का पुनरीक्षण	Revision of Railway freight	43—44
4907.	लकड़ी, लाख तथा अन्य मदों के लिए रेलवे की मागें	Demand of Railways for Timber Sealing Wax and other items	44
4908.	मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों के निकास तथा आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी योजना	Scheme for Development of Tribal area and for Tribal Welfare in M.P.	44—45
4909.	कुमाऊँ (उत्तर प्रदेश) में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Kumaun (U.P.)	45
4910.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सरकारी क्षेत्र के अधीन उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Public Sector in Hill Districts of U. P.	45—46
4911.	दुर्घटनायें तथा रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	Accidents and derailments	46—47
4912.	लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए पश्चिमी बंगाल की फर्म मेसर्स गुहा एण्ड कम्पनी तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच करार	Agreement between M/s Guha and Co. of West Bengal and South Eastern Railway for supply of wooden sleepers to Railways	47—48
4913.	कैपेसिटरों का आयात	Import of Capacitors	48—49
4914.	क्षेत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लिये गए लिपिक	Clerks drafted to Railways Boards' office from zonal railways	49
4915.	क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में बुलाये गए लिपिकों के वेतनों का निर्धारण	Fixation of Pay of clerks drafted to Railways Board's office from zonal railways	50
4916.	गुजरात में औद्योगिक विकास के लिए ऋण	Loan for industrial development in Gujarat	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4917.	जी० ई० सी० का ए० ई० आई० के साथ विलय	Merger of C.E.C. with A.E.I.	50—51
4918.	जहानाबाद रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर प्रतीक्षालय	Waiting room at Jahanabad station (Eastern Rly.)	51—52
4919.	देश में मधुमक्खी पालन	Bee-keeping in country	52
4920.	औद्योगिक वस्तुओं की माँग	Demand for industrial goods	52—53
4921.	फैजाबाद में हुई औद्योगिक गोष्ठी	Industrial seminar held at Faizabad	53
4922.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Durgapur steel Plant	53—54
4923.	रेलवे संघों को मान्यता देना	Recognition of Railway Unions	ç4
4924.	दिल्ली की किशनगंज रेलवे बस्ती में क्वार्टर	Quarters in Kishenganj Railway Colony, Delhi	54—55
4925.	मैसर्स हिन्द गैलवेनाइज़िंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd., Calcutta	55
4926.	रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई	Transportation of Foodgrains by Rails	55—56
4927.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात उत्पादों का मूल्य	Price of steel products H.S.L.	56—57
4928.	पश्चिम और मध्य रेलवे द्वारा समान दूरी के लिए अलग अलग किराया लिया जाना	Charging of different fares by Western and Central Railways	57
4929.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. Bombay	57—68
4930.	रेलवे विद्युतीकरण, कानपुर के अधिकारियों द्वारा सरकारी जीपों का दुरुपयोग	Misuse of Office Jeep by Officers of Railways Electrification, Kanpur	58—59
4931.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation Durgapur	59—60

अता० प्र० संख्या
U. S- Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4932.	मोदी उद्योग समूह	Modi Group of Industries/Firms	60—61
4933.	उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिए समाज-कल्याण योजनायें	Social Welfare Scheme for Harijans in U.P.	61
4934.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	S.C. and S.T. officers in Ministry of I.D., I.T. and C.A.	61
4935.	चुनावों से पहले मंत्रियों द्वारा पद का त्यागना	Laying down of Office by Ministers before Elections	61—62
4936.	रेलवे सुरक्षा बल	Railways Protection Force	62
4937.	केरल में उद्योग	New industries in Kerala	62—63
4938.	दिल्ली क्षेत्र में नए स्टेशनों की स्थापना	Opening of new stations in Delhi Area	63
4939.	बिहार में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना	Setting up of Railway Service Commission in Bihar	63
4940.	रेलों में लाने ले जाने में खाद्यान्न की हानि	Loss of Foodgrains during Transit on Railway	63—64
4941.	कारों की किस्म	Quality of Cars	64—65
4942.	इस्पात की बिना जोड़ की ट्यूबों के लिए नए संयंत्र की स्थापना	Setting up of a New Plant Seamless Steel Tubes	65—66
4943.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची में उत्पादन	Production in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	66
4944.	छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों में नियोजन के अवसर	Employment Potentialities in Small Scale Industries	66—67
4945.	एक सेवा-निवृत्त रेलवे मुख्य इंजीनियर की भविष्य निधि में विशेष अंशदान की राशि को रोक लेना	Withholding of amount of Special Contribution to Provident Fund of a Retired Railway Chief Engineer	67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4946.	कन्डक्टर–गार्डों के वेतन तथा भत्तों का बढ़ाना	Raising of Salary and Allowances of Conductor/Guards	67
4947.	मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में नई कम्पनियाँ	New Companies in Mysore and U. P.	68
4948.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित मशीनरी के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Prices of Machinery Manufacture by Heavy Engineering corporation	68—69
4949.	इस्पात का निर्यात	Export of steel	69
4950.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम	Working results of National Instruments Ltd.	69—71
4951.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यकरण के परिणाम	Working results of Mining and Allied Machinery Corporation	71—72
4952.	मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम	Working results of Machine tool Corporation of India (Private) Ltd.	72—74
4953.	कालका रेलवे स्टेशन	Kalka Railway station	74
4954.	राज्य समाज–कल्याण बोर्ड, दिल्ली	State Social Welfare Board, Delhi	74—75
4955.	लाल भाई ग्रुप उद्योग समूह	Lal Bhai Group of Industries	75
4956.	भाखड़ा नंगल रेलवे लाइन को अधिकार में लेना	Taking over of Nangal Bhakra Railway Line	75
4957.	टैनिस बाल के निर्माण और वितरण में भ्रष्टाचार	Abuses in Manufacture and distribution of Tennis Balls	76—77
4958.	दिल्ली में मद्य निषेध	Prohibition in Delhi	77
4959.	भारतीय कल्याण परिषद् द्वारा बाल मेले का आयोजन	Childrens' Fair by Indian Council for Child Welfare	77—78
4960.	आसाम में गौहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार	Extenison of Broad Gauge Line in Assam upto Gauhati	78
4961.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से उपकरणों की खरीद	Purchase of Equipment for Bokaro Steel Plant from Heavy Engineering Corporation	78

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4962.	कोटा में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना	Precision Instruments Factory at Kota	79
4963.	उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in Industries	79—80
4964.	आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा अनसूचित जाति / अनसूचित आदिम जाति के कल्याण कार्यों के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Boards in development of Tribal areas and for Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes	80
4965.	विदेशी सिगरेट कम्पनियाँ	Foreign Cigarette Companies	80—81
4966.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta	81
4967.	जी० एम० सी० यार्ड, कानपुर में सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता	Seniority of A.S Ms. in G.M.C. Yard, Kanpur	81—82
4968.	जी० एम० सी०, यार्ड कानपुर में सहायक स्टेशन मास्टर	A.S.Ms. in G.M.C. Yard, Kanpur	82
4969.	गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति	Retired Chief Justice of Supreme Court Joining Private Sector Concerns	82—83
4970.	स्टेनलस स्टील का निर्माण	Manufacture of Stainless Steel	83
4971.	मध्य प्रदेश में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Grant of Scholarships to Post-Matric S.C.S/.T. Students in M.P.	83—84
4972.	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी परियोजनाएँ	Public Projects in M.P. during Fourth Plan	84
4973.	मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Lines in M. P.	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4974.	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस	Licence for setting up of Industries in M.P.	84—85
4975.	मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास	Development of medium Industries in M.P.	85
4976.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	85—86
4977.	अशोक पेपर मिल्ज, दरभंगा	Ashok Paper Mills, Darbhanga	86
4978.	भाड़े की दरों तथा यात्रा किराये में वृद्धि करना	Raising of Freight and Passenger Rates	86
4979.	कच्चे लोहे की कमी	Shortage of Pig Iron	86—87
4980.	इन्दौर और उज्जैन में सामाजिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Social Institutions in Indore and Ujjain	87
4981.	इन्दौर स्टेशन पर महिला प्रतीक्षा-कक्ष का निर्माण	Construction of Ladies' Waiting Room at Indore Station	87
4982.	सूरतगढ़ स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था	Cold drinking Water at Suratgarh Station (Northern Rly.)	88
4983.	लघु उद्योग सेवा संस्था, कलकत्ता	Small Industries Service Institute, Calcutta	88
4984.	रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी, प्रतीक्षालयों तथा शौचालयों की व्यवस्था	Arrangements for Drinking water, Waiting Rooms and Latrine at Rly. Stations	88
4935.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक अशान्ति	Industrial unrest in West Bengal	89
4986.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	89—90
4987.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड को कोरवा एल्यूमीना प्लांट के डाइजेशन तथा डिसलीकेशन प्लांट के लिए क्रयादेश	Placing of order for Digestion and Desilication Plant for Korba Alumina Plant with Bharat Heavy Plate and Vesles Ltd.	90
4988.	रेलवे के किराये/भाड़े में वृद्धि	Increase in Railway Frre/Freight	90—91

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4989.	मंत्रियों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानकूलित डिब्बों में यात्रा	Travelling in A.C.C. by Ministers and Railways Officers	91—92
4990.	कृषि औजारों का निर्माण	Production of Agricultural Implements	92
4991.	सरकारी खर्चे पर मंत्रियों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानकूलित तथा पहले दर्जे के डिब्बों का प्रयोग	Use of A.C. and 1st Class Bogies by Ministers and Railway Officers on Government Expenses	92
4992.	आँध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel in Andhra Pradesh and Mysore State	92—93
4993.	सुकमा—वराह / पोलावरम के लिए इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण और गुंटाकल से धर्मावरम तक बड़ी रेल लाइन	Engineering and Traffic Surveys for Sukma-Varaha/Polawaram and Broad Gauge Line from Gantakal to Dharmavaram	93
4994.	जीवन बीमा पंजी योजना	Life Insurance Pay-roll Scheme	93—94
4995.	भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों के लिए आवास	Residential accomodation to Stenographers in Indian Railways	94
4996.	दक्षिण-मध्य तथा दक्षिण रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel on South Central and Southern Rly.	94—95
4997.	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिए तकनीकी सहायता	Technical Assistance for Rourkela Steel Plant	95
4998.	राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन	Incentive to set up Industries in States	95—96
4999.	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	State Road Transport Undertaking	96
5001.	दानापुर मुख्यालय से डेहरी-आन-सोन तक नहर के किनारे के साथ रेलवे लाइन	Railway Line along Bank of Canal from Danapur Headquarters to Dehri-on-Sone	96—97
5002.	साहिबगंज लूप लाइन (पूर्वी रेलवे पर) एक नई रेलगाड़ी चलाना	Introduction of New Train on Sahibganj Loop Line (Eastern Rly.)	97
5003.	कियूल और साहिबगंज (पूर्वी रेलवे) में हावड़ा-दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना	Halt of Howrah-Delhi A.C. Express at Kiul and Sahibganj (Eastern Rly.)	97—98

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5004.	सोनपुर (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में रेलवे भवन का उपयोग	Use of Railway Buildings at Sonpur (N. E. Railway)	98
5005.	पहेलेजा घाट पर बुकिंग	Booking at Pehleza Ghat	98—99
5006.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में लाभ	Profitability in Rourekala Steel Plant	99—100
5007.	दिल्ली के लघु उद्योगों द्वारा प्रतिरक्षा विभाग को माल की सप्लाई	Supply to Defence by Delhi Small Scale Industries	100
5008.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Khadi Gramodyog Board	100—101
5009.	रेलवे में संगणक लगाना	Installation of Computers on Railways	101
5010.	सरकारी उपक्रमों के लिए सार्थ-संघ	Consortium for Public Sector Undertakings	101—102
5011.	बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे के मंडलीय कार्यालय का स्थान	Location of Divisional Officer of North-Eastern Railway in Bihar	103
5012.	तेलंगाना आन्दोलनकारियों द्वारा हसनपारती और काजीपेट (दक्षिण रेलवे) रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाना	Looting of rails by Telengana agitation between Hasanparti Road and Kazipet stations (South Central Rly.)	103
5013.	हिन्दुतान स्टील लिमिटेड द्वारा पुनर्निमत दोषपूर्ण मशीनरी का आयात	Import of Reconditioned defective machinery by Hindustan Steel Ltd.	103—104
5014.	संयुक्त उद्यम के लिए मशीनों के आयात करने संबंधी लाइसेंस	Licences for Import of Machinery for Joint Venture	104
5015.	बिहार के आदिवासियों का विकास	Development of Bihar Adivasis	105
5016.	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पार्सल क्लर्कों का तवादला	Transfer of Parcel Clerks from Delhi Station	105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5017.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच समझौता	Agreement between Employees and Management of Hindustan Steel Ltd.	105—106
5018.	कुमेदपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर गलत रेलगाड़ी के साथ डिब्बों को लगाना	Attachment of bogies to a wrong train at Kumedpur Station (North-east Frontier Rly.)	106
5019.	तेल शोधन शालाओं के लिए अधिक दबाव वाले पम्प तथा कम्प्रेसर बनाने का कारखाना	Plant for High Pressure Pumps and Compressors for Oil Refining Units	107
5020.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा निर्मित 20-अश्व-शक्ति वाले ट्रैक्टर	20-H. P. Tractor Manufactured by Mining and Allied Machinery Corporation Ltd., Durgapur	107—108
5021.	दिल्ली और मद्रास के बीच जी० टी० एक्सप्रैस रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना	Late Running of G.T. Express between New Delhi and Madras	108
5022.	केरल के स्कूलों को केन्द्रीय अनुदान	Central grants to Kerala Schools	108—109
5023.	रेलवे कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा	Ticketless travel by Railway Employees	109
5024.	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	110
5025.	दिल्ली डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति और नियुक्ति	Promotion and posting of A.S.Ms. of Delhi Division	110
5026.	औद्योगिक कम्पनियों के राजनीतिक संबंधों की जाँच	Probe into Political Affiliations of Industrial Houses	111
5027.	मुद्रक और प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव पोस्टरों का मुद्रण	Printing of Election Posters without the name of Printers and Publishers	111—112
5028.	एस० एस० लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर	S.S. Light Railway Co. Ltd. Saharanpur	112

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5029.	नेपा मिल्स, नेपा नगर के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच	C.B.I. Inquiry against Former Managing Director of Nepa Mills, Nepanagar	112—113
5030.	मैसूर राज्य में नई रेल लाइनें	New Railway Lines in Mysore State	113
5031.	मैसूर राज्य में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों म बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines into B.G. Lines in Mysore	113
5032.	जमशेदपुर से दारू भट्टी बाहर ले जाना	Shifting of Daru Bhatti outside Jamshedpur	113—114
5033.	महानगरों मे भिखारी समस्या	Beggar Problem in Metropalitan Cities	114
5034.	खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं की अनियमित ढंग से समाप्ति	Irregular Termination of Services of Railway Staff in Khurda Road Division (S.E. Rly.)	114—115
5035.	झुनझुनवाला फर्म समूह	Jhunjhunwala Group of Firms	115
5036.	आयातित माल के लिए देशी स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Indigenous Substitutes of Imported Goods	115—116
5037.	दिल्ली / नई दिल्ली में रेलवे क्वाटरों का बिना पारी के दिया जाना	Allotment of Railway Quarters on Out-of-Turn basis in Delhi/N. Delhi	116
3038.	रेल की पटरियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल की निरीक्षण चौकियाँ	Railway Protection Force Check Post for Security of Railway Track	116—117
5039.	भाटपार रानी स्टेशन पर डिब्बों से खाद्यान्नों की चोरी	Theft of Foodgrains from Wagons at Bhatpar Rani Station	117
5040.	उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना	Delicensing of Industries	117
5041.	बिड़ला उद्योग समूह द्वारा मैसूर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries by Birlas in Mysore	118

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5042.	भारी इंजीनियरिंग सामान का आयात	Import of Heavy Engineering Goods	118
5043.	कान्ति तथा मोतीपुर स्टेशनों के मध्य हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)	Halt Station between Kanti and Motipur Station (N.E. Rly.)	119
5044.	गोरखपुर और मुजफ्फरपुर में रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल	Railway Employees Training School at Gorakhpur and Muzaffarpur	119
5045.	शिक्षित बहरे और अंधे व्यक्तियों को रोजगार	Employment to educated Deaf and Blind Persons	119—120
5046.	मनीपुर के लिए निम्न आय वर्ग की छात्रवृत्तियाँ की राशि का बन्द करना	Slashing down of lower Income Group Scholarships for Manipur	120 120—121
5047.	समस्तीपुर में डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट का कार्यालय	Divisional Superintendent,s office at Samastipur	121
5048.	रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण	Training at Railway Training Schools	122
5049.	रेलवे सुरक्षा अधिकारियों तथा सतर्कता निरीक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन	Advertisements of Posts of Railway Security Officers and Vigilance Inspectors	
5050.	विदेशी सहयोग समझौते	Foreign Collaboration Agreements	122—123
5051.	वैस्टिंग हाउस सक्सबाई फार्म (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	Westinghouse Saxby Farmer (P) Ltd, Calcutta	123
5052.	रूपसा बेंगरीपोसी छोटी लाइन	Rupsa-Bangriposi N.G. Line	123—124
5053.	भारत-ब्रिटेन उद्यम	Indo-British Venture	124—125
5054.	रेलवे अधिकारियों के यात्रा भत्ते में कमी करना	Reduction in Travelling Allowance of Railway Officers	125
5055.	तीसरी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Class III Railway Staff	125
5056.	रेलवे कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के यात्रा पास	First Class Passes to Railway Employees	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5057.	हरियाणा राज्य परिवहन में रेलवे द्वारा अंश खरीदना	Purchase of shares by Railways in Haryana State Transport	126
5058.	सहयोग समझौते	Collaboration agreements	126—127
5059.	विशेष कोचों को रोकने के भाड़े में वृद्धि	Increase in Detention Charge for Special Coaches	127
5060.	गाँधी नगर (पश्चिम रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइनों का बिछाना	Laying of B.G. Railway Line upto Gandhi-nagar (Western Railway)	127
5061.	अस्पृश्यता का उन्मूलन और बेकार भूमि का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों में आवंटन	Eradication of Untouchability and Allot-ment of waste land to S.C./S.T. People	127—128
5062.	दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास	Accommodation for Railway Employees in Delhi and New Delhi Areas	128—129
5063.	बाँदा जंक्शन में गाड़ियों के साथ सीधे डिब्बे लगाना	Attaching of through Bogies with Trains at Banda Junction	129—130
5064.	मध्य रेलवे पर एक्सप्रैस/सवारी गाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Express/Passenger Trains on Central Railway	130
5065.	नमक पर उपकर	Cess on Salt	130—131
5066.	मध्य रेलवे की उपनगरीय हार्बर शाखा पर कुरला और वाडाला स्टेशनों पर एक मालगाड़ी से चुराया गया सैनिक सामान	Military Stores stolen from a Goods Train on Kurla-Wadala Stations (Harbour Branch of Central Rly.)	131
5067.	भिखारियों की अन्तर्राज्यीय अदला बदली	Inter-State Exchange of Beggars	131—132
5068.	भारत दर्शन टिकट जारी करना	Issue of Bharat Darshan Ticket	132
5069.	तलचेर-बिमलगढ़ रेलवे सम्पर्क (दक्षिण पूर्व रेलवे)	Talcher-Bimalagarh Rail Link (South Eastern Railway)	132

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5070.	गोरखपुर में रेलवे अधिकारियों द्वारा बंगलों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of bungalows at Gorakhpur by Rly. Officers	132—133
5071.	भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign Capital investment in India	133
5072.	रूपसा बंगरीपोसी (दक्षिण रेलवे) छोटी लाइन पर बिना टिकट यात्रा	Tiketless travel on Rupsa Bangriposi Narrow Gauge Line (South Eastern Rly.)	133
5073.	रूपसा से बंगरीपौसी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Narrow Gauge Railway line from Rupsa to Bangriposi into Broad Gauge	134
5074.	रेलवे इंजीनियरिंग राजपत्रित कर्मचारी	Railway Engineering Gazetted Staff	134
5075.	पूर्वोत्तर रेलवे के मुरैठा तथा कौराहिया स्टेशनों पर हाल्ट स्टेशन बनाना	Opening of halts at Muraitha and Korahia on North-Eastern Rly.	134—135
5076.	मनहेरू और भिवानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के मध्य धाना पर रेलवे हाल्ट	Railway halt at Dhana between Manheru and Bhiwani Stations (Northern Rly.)	135
5077.	गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाया जाना	Electricity at Railway Stations in Gujarat	135
5078.	गुजरात में सीमेंट कारखाने	Cement Factories in Gujarat	136
5079.	मध्य प्रदेश में बस्तर के आदिम जातियों का विकास	Development of Tribal Region of Bastar in M. P.	136—137
5080.	आन्ध्र प्रदेश में तूफान-पीड़ित क्षेत्रों में पीड़ित यात्रियों को सहायता	Assistance to Standard Passengers who suffered in Cyclone-affected areas in Andhra Pradesh	137—139
5081.	रेल डिब्बों की कमी	Shortage of Railway Wagons	139—140
5082.	नैपथेलीन का अधिक मूल्य	High Price of Naphthalene	140—141
5083.	सेना कर्मचारियों के लिए पहले तथा दूसरे दर्जे में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in first and second class for service Personnel	141

अता० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5084. बासर रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) का विकास	Improvement of Basar Railway Station (South Central Rly.)	141
5085. बिहार और उत्तर प्रदेश में आटे की चक्कियाँ	Atta Chakkis in Bihar and U. P.	141—142
5086. सोनपुर के प्रभागीय यातायात अधीक्षक कार्यालय को प्रभागीय अधीक्षक कार्यालय में परिवर्तित करने के लिये प्रदर्शन	Demonstration for converting D. T. S. Office, Sonpur into D. S. Office	142
5087. मलगाड़ी के गार्डों के लिए संगचल भत्ता संबंधी नियम	Running allowance Rules for Goods Trains Guards	143
5088. बान्दी कुई (पश्चिम रेलवे) मुख्यालय के रेलवे गार्ड	Railway Guards headquarterred at Bandikui (Western Rly.)	143—144
5089. बिना टिकट यात्रा करने वालों का पीछा करते समय टी०टी० ई० के साथ दुर्घटना	Accident to T. T. E. while chasing a Ticketless Traveller	144
5090. पेपर इन्सुलेटेड लैड कवर का निर्माण	Manufacture of paper insulated lead Cover	144—145
5091. दक्षिण रेलवे की मद्रास डिवीजनल परसोनल ब्रांच का पुनर्गठन	Recorganisation of Madras Divisional Personnel Branch (Southern Rly.)	145—146
5092. रेलवे के औषध कारकों (फार्मासिस्ट) के वेतनमानों में वृद्धि	Upward Revision of Pay Scales of Railway Pharmacists	146—147
5093. पालघाट में मशीनी औजार बनाने का कारखाना	Mechanical Instruments plant at Palghat	147
5094. रेल कर्मचारियों का समय-समय पर तबादला	Periodical transfer of Railway employees	147—148
5095. ईदगाह स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में कम वसूल की गई बकाया राशि	Undercharge outstanding against Idgah station (W. Rly.)	148—149

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5096. उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ	Scholarships to low Income Group Students in U. P.	149—150
5097. मद्रास रबड़ फैक्टरी लिमिटेड मद्रास को ऋण	Loan to Madras Rubber Factory Ltd. Madras	150—151
5098. अस्पृश्यता अधिनियम का उल्लंघन	Violations of the Untouchability Act	151
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	151—153
यरूशलम में अलअक्सा मस्जिद जलाया जाना	Burning of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem	
व्यवस्था का प्रश्न	Point of Order	153
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	153—157
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	157
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	157
तरेपनवां प्रतिवेदन	Fifty-third Report	
ट्रैक्टरो के निर्माण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 331, 345 तथा 357 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. Nos. 331, 345 & 357 Re: Manufacture of Tractors	158
विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक 1969	Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1969	158
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	158
खण्ड 2, 3, और 1	Clauses 2, 3 and 1	158
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	159
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1969	Appropriation (No. 4) Bill, 1969	159—161
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	159
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	159
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	159
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	160

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	160
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	160
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	161
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	161
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	Shri Jagannath Pahadia	161
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	162
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	162
उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटना के	Re. Incident in U.P. Legislative Assembly	162—164
बारे में प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re. disapproval of Press Council (Amendment) Bill Ordinance and Prress Council (Amendment) Bill	164—181
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	164
श्री इ० कु० गुजराल	Shri I. K. Gujaral	164
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	165
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	166
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	166
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	167
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	168
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	169
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	169
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Pal choudhari	170
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	171
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	172
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	173
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	174
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	175
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	176
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	176
श्री वि० प्र० मण्डल	Shri B.P. Mandal	177
केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में चर्चा	Discussion Re: Action Against Central Government Employees	181—195
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	181

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	184
श्री म० ला० सोंधी	Shri M.L. Sondhi	184
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	185
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	186
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	187
श्री उमानाथ	Shri Umanath	187
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	188
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	189
श्री जार्ज फरनेन्डीज़	Shri George Fernandes	191
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	192
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	195
बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Bill	195
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	195

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 अगस्त, 1969/ 4 भाद्र, 1891 (शक)

Tuesday, August 26, 1969 / Bhadra 4, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Governors' Reports on Administration of Scheduled Tribes Areas

\+
*751. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Samar Guha :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Governors of various States had not submitted the details pertaining to 1967-68 regarding the administration of the Scheduled Tribes Areas to the President by January, 1969, although it was essential to do so by June, 1968 under the provisions of the Constitution; and

(b) if so, the preventive measure taken in this regards?

विधि मंत्रालय तथा समाज–कल्याण विभाग में उप–मंत्री (श्री भुत्याल राव) :

(क) संविधान में ऐसी कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यपालों को अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजने होते हैं। तथापि अप्रैल, 1959

में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इन प्रतिवेदनों को प्रतिवर्ष जून के महीने में भेजा करें। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के राज्यपालों से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 1967–68 के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इन प्रतिवेदनों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान इन प्रतिवेदनों को देर से प्रस्तुत किए जाने की ओर दिलाया गया है।

Shri Suraj Bhan: The hon'ble Minister has stated that the Constitution does not prescribe any time-limit within which the concerned State Governments are to submit their annual Report to the President. In this connection I want to invite his attention to the Fifth Schedule para 3 of the Constitution which states: "The Governor of each State having Scheduled Areas therein shall annually or whenever so required by the President, make a report to the President...." I want the hon'ble Minister to clarify this point.

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : माननीय सदस्य ने पूछा है कि "यद्यपि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उनके लिए जून 1968 तक ऐसा करना आवश्यक था।" माननीय सदस्य ने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसलिये उत्तर दिया गया है कि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिये। अब मूल बात यह है कि मंत्री महोदय के कथनानुसार वर्ष 1967–68 का प्रतिवेदन कुछ राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है। अब वर्ष 1969 चल रहा है। फिर अब तक वार्षिक प्रतिवेदन क्यों प्राप्त नहीं हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री बूटा सिंह : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं, बल्कि स्पष्टीकरण है।

Shri Suraj Bhan : Sir, it has not happened with the report of 1967-68 only. The report for the year 1966-67 has also not yet been received from some States. Here are few lines from the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Csates and Scheduled Tribes in the year 1964-65:—"There has been regrettable negligance by most of the States in not submitting their reports even after four or five years. There will be no meaning in having constitutional provision requsting the Governors to submit these reports to the President if it cannot be properly respected. It is, therefore, requested that the matter may be brought to the personal notice of the Governors concerned."

Now I want to know whether this recommendation has been implemented and if not who is responsible for this lapse, the action taken against him and if not, what action is proposed to be taken?

श्री गोविन्द मेनन: जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में बताया गया है बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये वे राज्य तथा राज्य सरकारें उन प्रतिवेदनों को भेजने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल रही हैं। इन राज्यों को हम समय-समय पर स्मरणपत्र भेजते रहे हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान सरकार को 23-12-68 22-1-69 तथा 9-6-69 को स्मरणपत्र भेजे गए हैं।

Shri Suraj Bhan: He has not answered my supplementary. I have asked whether it has been brought to the personal notice of Governors and if not, who is responsible for it and action taken against him?

श्री गोविन्द मेनन: ये स्मरण-पत्र भेजे गए हैं.....

श्री एस० कन्डप्पन: इनको भेजने के बाद क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कवंर लाल गुप्त: राज्यपालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उमानाथ: उन्हें बर्खास्त कर दिया जाये।

श्री गोविन्द मेनन: यदि मेरा उत्तर पूरा होने से पहले ही माननीय सदस्य कुछ कहने लगेंगे तो मेरे लिए उत्तर देना कठिन होगा। मैं यह कह रहा था कि उनको स्मरणपत्र भेजे गए हैं। परन्तु यह सच है कि ये स्मरणपत्र सरकार को भेजे गए थे, राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप में नहीं।

Shri Suraj Bhan: My simple question was whether it has been brought to the notice of the Governor or not?

अध्यक्ष महोदय: एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर कई बार पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

Shri Suraj Bhan: My second supplementary is that when the Governor takes oath he says:—To the best of my ability I shall preserve, protecst and defend the Constitution." I want to know that whether the Governor is not going against the oath by not submiting this report.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न असंगत है।

Shri Ranjit Singh: I want to know whether Central Government would pass any legislation on the lines of the one passed by Orissa and Madhya Pradesh Governments so that foreign missionaries may not misuse their influence in these areas and get the inhabitants of these areas converted into Christianity.

श्री गोविन्द मेनन: यह सुझाव अच्छा है परन्तु इस प्रश्न के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: क्या सरकार राज्यपालों को भेजे जाने वाले स्मरणपत्रों में इस बात का उल्लेख करेगी कि यदि अमुक तिथि तक कोई उत्तर न मिला तो यह समझा जायेगा कि वह कोई सूचना नहीं भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

Call-girls Racket in Delhi Hotels

\+
*752. **Shri Bal Raj Madhok:** **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri J. Sundar Lal :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that call-girls racket in big hotels of Delhi is increasing and thereby corruption is being encouraged;

(b) whether Government have taken any step to check it;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलराज मधोक: इस बात को देखते हुए कि भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे को चलता है तथा इस बात को भी देखते हुए कि इस देश में कुछ बड़े लोग इस प्रकार के गिरोहों से सम्बद्ध हैं जैसा कि काँग्रेस संसदीय दल के चुनाव के समय सिद्ध हो गया था और बहुत से चित्र समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए थे......

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री बलराज मधोक: इसमें कोई असंगत बात नहीं है। प्रकाशित चित्रों में दिखाया गया था कि काँग्रेस की नेता चुने जाने के पहले वह दिल्ली के एक बड़े गुंडे के साथ कार में जा रही थीं। इससे यही राय बनती है। अतः क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है जिससे बड़े लोग, विशेषकर मंत्री ऐसे कार्य न करें और उनके लिए कोई आचार संहिता बनाई जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसी बातों के लिए आप प्रश्नकाल का उपयोग क्यों करते हैं?

श्री रणधीर सिंह: इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक: मैं 'मंत्री' शब्द वापिस लेता है। 'बड़े लोग' शब्द पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उसे वापिस ले लिया है।

श्री बलराज मधोक: सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिससे बड़े लोग इस प्रकार के गिरोहों को प्रोत्साहित न करें?

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): सरकार की नीति यह है कि ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिये। सरकार ने अनैतिक पण्य निरोध अधिनियम के अन्तर्गत प्रयेक क्षेत्र के लिए एक सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है और हमें पता चला है कि नवम्बर

1968 में दिल्ली में एक रेस्तराँ में अनैतिक कार्य के बारे में गुप्त नाम से शिकायतें मिली थीं। पुलिस ने गुप्त जाँच की थी और उस रेस्तराँ पर निगरानी रखी थी परन्तु किसी समाज–विरोधी गतिविधि का पता नहीं चला था। वर्ष 1968 में अनैतिक पण्य निरोध अधिनियम के अधीन 40 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें 135 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और जून, 1969 तक 29 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें 97 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और वर्ष 1968 की इसी अवधि में 17 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पता चलता है कि प्रशासन अनैतिक पण्य निरोध अधिनियम के अन्तर्गत इन कार्यों को रोकने के लिये नियमित रूप से तथा सतर्कतापूर्ण प्रयास कर रहा है। इन मामलों में बड़े लोगों का हाथ है या नहीं, मैं कह नहीं सकता।

श्री रणधीर सिंह: आप ऐसे बेहूदा प्रश्नों की अनुमति क्यों देते हैं ?

श्री बलराज मधोक: क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ भव्य रेस्तराँ तथा होटल बनाये जा रहे हैं जिन्हें बड़े लोग खोल रहे हैं? इन होटलों में इस प्रकार के क्रियाकलाप अधिक होते हैं और जो हिप्पी दिल्ली में आ रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह: इससे अधिक महत्त्वपूर्ण मामले भी हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री बलराज मधोक: इस देश में जो हिप्पी आ रहे हैं **(व्यवधान)** मुझे खेद है कि कुछ लोग बेकार बाधा डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रणधीर सिंह! आप अनावश्यक बाधा न डालें। यह प्रश्न अनावश्यक नहीं है। इसका सम्बन्ध नगर के सामाजिक जीवन से है। यह प्रश्न बेहूदा कैसे है?

श्री बलराज मधोक: हिप्पी आग में ईंधन का काम कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिससे इन रेस्तराँ का इन प्रयोजनों के लिये उपयोग न किया जाये?

श्री गोविन्द मेनन: यह सम्भवतया सच है कि शानदार जलपानगृहों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। परन्तु क्या वहाँ इस प्रकार की बातें होती है इसके बारे में हम पहिले ही उत्तर दे चुके हैं कि हमारे पास अधिकृत जानकारी नहीं है।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम: मंत्री जी ने बताया था कि काफी संख्या में 'काल–गर्ल' गिरफ्तार की गई थीं। क्या उन्होंने इस बारे में कोई जाँच कराई है कि ये 'काल–गर्ल' किन वर्गों की हैं? उनको रिहा करने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है? समाज–कल्याण विभाग ने उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की है?

श्री गोविन्द मेनन: जिन 'काल गर्ल' को रिहा कर दिया जाता है उन्हें नारी निकेतन में रखा जाता है जो एक ऐसी संस्था है जिनमें इस प्रकार की स्त्रियों और लड़कियों को पुनर्वास की कोशिश की जाती है। मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है कि ये स्त्रियाँ समाज के किस वर्ग की हैं ?

श्री विश्वनाथ राय: क्या इस प्रश्न को पूछने वाले माननीय सदस्य को इसकी व्यक्तिगत जानकारी है अथवा क्या उन्हें उनके राजनैतिक सहयोगियों अथवा निजी मित्रों से उनको दी गई जानकारी के आधार पर किसी प्रकार का अनुभव है अथवा क्या यह एक सुनी–सुनाई बात है?

श्री बलराज मधोक: मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि आपके कुछ बड़े-बड़े व्यक्तियों को इस प्रकार की बातों का अनुभव है।

अध्यक्ष महोदय: जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव होगा वह उसको इस सभा में नहीं बतायेगा।

श्री सोनावन: क्या यह सच है कि किसी भी प्रकार के जलपानगृह के लिए लाइसेंस देने का अधिकार निगम में निहित प्राधिकार को है जो इस प्रकार के लाइसेंसों को यदि आवश्यक होता है तो रद्द कर सकता है और इन प्राधिकारों का संचालन जनसंघ द्वारा होता है?

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री उमानाथ: क्या सरकार को एक नए तरीके का पता है जिसका नए आधुनिक शानदार होटलों में 'काल गर्ल' के धंधे को चलाने के लिये उपयोग किया जा रहा है? इन होटलों में होटल में रहने वाले लोगों के लिये कमरों में भोजन आदि देने के लिये जवान लड़कियाँ रखी हुई हैं। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय: यह जानकारी सब लोगों को मत दीजिए।

श्री उमानाथ: कमरों में होटल वासियों की सेवा के लिये जवान लड़कियों को नियुक्त किया जाता है और बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति उन लड़कियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि वे लड़कियाँ भी खाने की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उनके उपभोग के लिए भेजी गई हैं और इस प्रकार के बहुत से मामले हैं। मुझे इन जवान लड़कियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। वे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण उन्हें किन्हीं परिस्थितियों के समक्ष समर्पण करना पड़ता है। परन्तु मेरा विचार है कि सरकार इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, विशेषकर इसलिये कि उस प्रणाली के कारण हाल में 'क्लैरिज' होटल में हड़ताल हुई थी जिसमें यह माँग की गई थी कि इस प्रणाली को समाप्त किया जाय। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूँ कि क्या वह कमरों में लड़कियों को बैरों के रूप में नियुक्त करने की इस प्रणाली कों उचित समझती है? यदि नहीं, तो होटल निवासियों को कमरों में सेवा के लिए इन लड़कियों की नियुक्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री गोविन्द मेनन: श्रीमान् मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूँ कि मुझे इन मामलों की कोई जानकारी नहीं है। मैं यह जानकारी एकत्र करूँगा और इसकी जाँच करूँगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: There are several places in posh localities in Delhi where naked films and pictures are exhibited and hundreds of people go there. Liquor is also served there. There are many restaurants where there is a rule that you cannot enter there without a lady companion. The result is that so many boys and girls go there and indulge in every sort of undesirable activities. May I know from the hon. Minister what special steps have been taken by him to have a check on such hotels or restaurants so that such undesirable activities are stopped in Delhi?

श्री गोविन्द मेनन: मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : मैं मंत्रालय से, जो समाज-कल्याण पर लगभग 2 करोड़ रुपए व्यय कर रहा है, यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अविवाहित लड़कियों के लिये उपयुक्त स्थानों पर आवास की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया है क्योंकि उपयुक्त स्थान पर आवास की कमी ही वेश्यावृत्ति और लड़कियों के कुमार्ग पर जाने का एक कारण है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री कार्तिक उराँव : कभी-कभी कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वालों से अधिक होशियार सिद्ध होते हैं। इंगलैण्ड में छठी शताब्दी में एक कानून बनाया गया था जिसके अन्तर्गत सड़कों पर खुले आम ग्राहक फँसाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और इसको एक दांडिक अपराध बनाया गया था। अतः इन लोगों न अपनी गतिविधियाँ इमारतों की पहली मंजिल में चालू कर दीं क्योंकि इन पर केवल सड़कों पर प्रतिबन्ध था। सरकार का इस कथित व्यभिचार को रोकने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ऐसा लगता है कि इन समस्त सदस्यों को इसका अनुभव है और आप उनकी सलाह ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

पुरानी और जटिल विधियों को सरल बनाना

*753. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का विश्वास हो गया है कि देश में कितने ही कानून ऐसे हैं जो अत्यधिक पुराने और पेचीदा हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन्हें अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिये सरल बनाने का विचार करती है; और

(ग) क्या सरकार इस संदर्भ में उन लाभदायक सिफारिशों और सुझावों पर ध्यान देगी जो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा हाल ही में आयोजित एक विचार गोष्ठी में व्यक्त की गई हैं?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) विधि आयोग विधियों को सरल बनाने के उद्देश्य से काम कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा संगठित विचार गोष्ठी ने जो सिफारिशें की हैं उनकी परीक्षा—रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर सरकार द्वारा की जाएगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : चूँकि देश की मौलिक दांडिक विधियों को बने 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और देश में अनेक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन हो गए हैं, तो क्या सरकार विभिन्न विधियों में नए संशोधन करेगी जिनके अनुसार अपराधियों के आम व्यवहार

के बारे में और दंड देने की अति वास्तविक प्रथायें बनाई जायेंगी और क्या सरकार दांडिक अपराधों से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिये विधान को बनायेगी ?

श्री मु० यूनस सलीम : विधि आयोग देश में लागू समस्त विधियों की जाँच कर रहा है । विधि आयोग दांडिक विधियों की भी गम्भीरतापूर्वक जाँच कर रहा है। विधि आयोग के प्रतिवेदन जब भी प्राप्त होते रहते हैं, उन्हें क्रियान्वित किया जाता है । विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ विधान तथा अधिनियमों के संशोधन समय-समय पर लागू किए जा रहे हैं। जहाँ तक अपराध विधि और दंड विधि और दंड प्रक्रिया संहिता का सम्बन्ध है, विधि आयोग इन पर प्रतिवेदन लगभग तैयार कर चुका है। प्रतिवेदन के प्राप्त होते ही उस प्रतिवेदन के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या चोरबाजारी, नोट और सिक्के जाली बनाने, नकली दवाइयाँ तयार करने और खाने की वस्तुओं आदि में मिलावट करने जैसे सामाजिक अपराध करने वालों के लिये सरकार ने अधिक कठोर कानून बनाने पर विचार किया है और यदि नहीं, तो क्या वह इसपर विचार करेगी ? क्या सरकार इन सामाजिक अपराधों के दोषी पाये गए व्यक्तियों की जायदाद जब्त करने जैसे दंड की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री मु० यूनस सलीम : जहाँ तक प्रश्न में उल्लिखित विचार गोष्ठी का सम्बन्ध है, इन पहलुओं पर उस विचार गोष्ठी में विचार नहीं किया गया था परन्तु यदि माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव है कि इन विधानों पर भी विचार किया जाना चाहिये, तो उन पर यथा समय विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में केवल दाण्डिक विधियों को सरल बनाने का उल्लेख है ।

Shri Randhir Singh: Treason is gravest offence. There is provision of capital punishment in the law for treason in England, Russia and other countries. During the British period 'Capital' punishment was awarded to those who were involved in the activities regarding "waging war against the king". But there is no king now and the British have also gone from here (**interruptions**). May I know whether the hon. Minister will consider the suggestion that a section should be introduced in the I. P. C. for declaring treason as a penal offence and the persons involved in this should be awarded capital punishment ?

Shri M. Yunus Saleem: I have just said that so far as the Criminal Prodcedure Code and Indian Penal Code are concerned the Law Commission is examining these aspects. Recommendations have not been reeived from the Law Commission so far. We shall consider these recommendations as soon as they are received and those recommendations will be implemented which are found to be suitable.

Shri Prakash Vir Shastri: It is most essential in any democratic country that whatever laws are formulated for the people they should be in their own language. In our country only 1·5 percent of the people know English and the remaining 98·5 percent of the people do their day—to-day work in their regional languages. May I know whether Government contemplates that all the laws of the country should be published into the various Indian languages. Government has established a Official Languages (Legislative) Commission for the translation of laws into Hindi and after they are translated

they are published in the Gazette to give them authenticity. May I know whether the Government is going to take a decision to present both the versions simultaneously in the Parliament. I think in the way they can avoid the labour of translation and publication in the Gazette afterwards. In this connection Ministry of Law throws the responsibility on the Ministry of Home Affairs and on the other hand the Home Ministry is of the opinion that as the decision in this regard is to be taken in the Ministry of Law, will the hon. Minister, Shri Govind Menon, who is here in the House, state when the decision in this regard will be taken ?

Shri M. Yunus Saleem: As for this question it is not relevant. But I may tell the hon. Member....

Shri Prakash Vir Shastri: The hon. Deputy Minister replies everything very lightly. The question is whether the laws formulated for the people should not be in their own languages. The hon. Deputy Minister says that it is not relevant. Is this a way to reply ?

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं अपने माननीय मित्र के सुझाव का स्वागत करता हूँ। इस सदन में प्रस्तुत विधेयकों के साथ-साथ हम अब उनका हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक अन्य भाषाओं का सम्बन्ध है, सभी केन्द्रीय अधिनियमों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की हमारे पास व्यवस्था है। राज्यों के विधानों के सम्बन्ध में यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे उन्हें अपनी राज्य भाषाओं में बनाएँ और तब उनका अधिनियम करें। मैं समझता हूँ कि कम से कम कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य की भाषाओं में ही अपने विधानों का अधिनयमन करते हैं। मुझे आशा है एवं विश्वास है कि कुछ समय में ही हमारे समस्त विधान भारतीय भाषाओं में हो जायेंगे।

श्री वेदव्रत बरुआ : अत्यधिक विस्तृत तथा क्लिष्ट विधानों का हिन्दी में अनुवाद मात्र करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि साधारण व्यक्तियों के लिए इन विधानों को सरल बनाया जाए। विधान बनाने की वर्तमान प्रणाली को क्लिष्टतम बताया गया है। इसके लिए मैं आय-कर कानून का उदाहरण देता हूँ जो वकीलों के लिए बहुत अधिक आनन्द व उल्लास का विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या स्थिति है? इस सम्बन्ध में सरकार के उत्तर से मैं नहीं समझता कि वह इन विधानों को सरल बनाने की आवश्यकता की जटिल समस्या को समझती है। उदाहरणतया, क्या यह सम्भव नहीं है कि इन सब बातों को तो समाप्त कर दिया जाए और पुनः नए सिरे से इसका प्रारम्भ किया जाए जिससे ऐसे अधिनियमों का अधिनियमन किया जा सके जो वकीलों के लिये ही केवल न हो और जिनको सभी समझ सकें।

श्री गोविन्द मेनन : 19?2 का आय-कर अधिनियम बहुत जटिल था और इसीलिये विधि आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह आय-कर अधिनियम में संशोधन करने के बारे में प्रतिवेदन दे। उसके आधार पर एक नया आय-कर विधेयक प्रस्तुत किया गया था और उसको 1961 में पारित किया गया था। इस समय यही अधिनियम लागू है। परन्तु फिर भी शिकायतें आ रही हैं कि

आय-कर अधिनियम के उपबन्ध बहुत जटिल हैं और साधारण व्यक्ति को उन्हें समझने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

श्री रंगा: संसद्-सदस्य इसे नहीं समझते ।

श्री गोविन्द मेनन: मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी यदि विशेष रूप से आय–कर अधिनियम के उपबन्ध, जो आजकल बहुत जटिल हैं और जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है तथा जो अधिकतम लोगों पर लागू होते हैं, की जानकारी सभी व्यक्तियों को हो सके ।

श्री श्रीचन्द गोयल: वैयक्तिक विधि बहुत अधिक जिटल है । उदाहरणतया एक सम्प्रदाय विशेष के सम्बन्ध में हिन्दू संहिता विधेयक प्रस्तुत करके इसको सरल बनाया गया था। समाज की परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार एक समाज संहिता प्रस्तुत करने का है जिससे यह अप्रचलित वैयक्तिक विधान समाज के प्रत्येक धार्मिक वर्ग का संचालन करने वाली सामाजिक संहिता के रूप में बदला जा सके ? बिक्री–कर की ऊँचे पैमाने पर चोरी तथा वाणिज्य समुदाय को हो रही परेशानी को भी देखते हुए क्या सरकार विभिन्न राज्यों में बिक्री-कर कानून को उत्पादन-शुल्क में परिवर्तित करने के लिये उत्पादन स्थान पर उत्पादन–शुल्क लगाने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन: प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते हुए मैं यही कहूँगा कि बिक्री-कर राज्यों का विषय है और इस सम्बन्ध में इस सरकार का कुछ नहीं करने का विचार है क्योंकि इससे विभिन्न राज्य सरकारें शिकायतें करने लग जायेंगी ।

जहाँ तक वैयक्तिक कानूनों का सम्बन्ध है मेरे विचार से कई हिन्दू संहिता अधिनियम तो बहुत अधिक जटिल नहीं हैं। ये बहुत साधारण हैं। परन्तु प्रश्न इस बात का है कि क्या ऐसी संहिता का अधिनियमन किया जा सकता है जो भारत में समस्त सम्प्रदायों तथा धर्मों पर लागू है सके। इस सदन में भी हमें यह जान पड़ा है कि हिन्दू संहिता संबंधी विधानों के सम्बन्ध में भी यह माँग हो रही है कि इसे इस रूप में अधिनियमित किया जाए कि यदि एक रूप में पंजाब में लागू किया जाए तो केरल में दूसरे रूप में तथा अन्य राज्यों में किसी अन्य रूप में। हिन्दू विधान के सम्बन्ध में भी संसद् कोई एक समान संहिता नहीं ला सकी है।

श्री रंगा: अब हमारे पास एक-समान हिन्दू संहिता है ।

श्री गोविन्द मेनन: उदाहरणतया, विभाजन के सम्बन्ध में जो विधान इस समय बंगाल में लागू है वह मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में लागू विधान से भिन्न है । दाय भाग तथा मिताक्षर विधान वहाँ लागू है। पुत्रों तथा पुत्रियों के मध्य पैतृक अधिकारों के सम्बन्ध में इस सदन में भी हमने इन माँगों को सुना है कि जो पैतृक हिस्सा पुत्रियों को दिया जाए वह पुत्रों के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः ऐसे मामले में समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए जिससे लोग यह न समझने लग जाएँ कि जो विधान हम यहाँ पास करते हैं वह उन पर थोपा जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न तो बिल्कुल साधारण है जिसमें अप्रचलित कानूनों को सरल

बनाने की माँग की गई है। अब हम आय-कर तथा अन्य वस्तुओं के बारे में चर्चा करने में लग गए हैं। माननीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि विधि आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है।

श्री स० कुण्डू: जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस साधारणीकरण का उद्देश्य केवल यही है कि जन-साधारण विधि को समझ सके। यदि एक बार उनकी समझ में यह आ जाए तो लोकतंत्री ढाँचे में उसका विश्वास बढ़ ही जायेगा। मैं समझता हूँ कि विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि संविधान आदि सामान्य विधियों का प्रान्तीय भाषाओं में सरल रूप में अनूदित सारांश होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने राज्यों ने इस कार्य को सम्पन्न किया है? दूसरे, क्या दहेज प्रथा, अस्पृश्यता आदि सामाजिक बुराइयों का उपाय करने वाले विधानों का प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है और सारांश बना कर उनका वितरण कर दिया गया है जिससे लोगों को उनकी पूरी जानकारी हो जाए ?

श्री गोविन्द मेनन: संविधान का समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद 1950 में होकर दिया गया था। आशा है कि उसका इस वर्ष नया प्रकाशन प्रकाशित हो जाएगा। अनेक केन्द्रीय अधिनियम जैसे अस्पृश्यता अधिनियम आदि का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है और हमने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे भी अपनी प्रान्तीय भाषाओं में उनका अनुवाद कर लें। केन्द्रीय अधिनियमों के सम्बन्ध में मंत्रालय ने इनको प्रान्तीय भाषाओं में इनके अनुवाद तथा प्रकाशन के व्यय को वहन करने का बचन दिया है। जहाँ तक सारांश का सम्बन्ध है वह अभी तक तैयार नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Shri Valmiki Chaudhary : All the Bills which are introduced in the House and their Hindi translations are also produced. I want to know whether Hindi translation is authentic or not, and if not, the reasons therefor?

श्री गोविन्द मेनन: संसद् को जो अनुवाद दिए जाते हैं वे (ऑफिशयल लैंग्वेज कमीशन) राजभाषा आयोग द्वारा किए गए अनुवाद होते हैं। (**व्यवधान**) । मैं समझता हूँ कि जो भी अनुवाद दिए जाते हैं वे प्रामाणिक अनुवाद हैं । इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आयी हैं।

Shri Madhu Limaye: The question is regarding old out-dated law. I may tell you that there are very old laws in respect of Cantonments. According to one of the rules formulated the clothes of the British and the Indians in the Cantonments should be washed separately. This law is still in force even after twenty years of independence. The hon. Minister had assured that a new law would be enacted. Now one and a half years has lapsed and I want to know from him why there is delay in enacting new laws and scrapping existing laws which are direct insult on our democratic sovereignty?

श्री गोविन्द मेनन: मैं इस सुझाव पर ध्यान दूंगा।

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् के उत्सादन लिये विधेयक

+
***755. श्री मधु लिमये :** **श्री रवि राय :**

क्या विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बजट-सत्र में उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार उस सत्र में पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक पास करायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो लोक-सभा द्वारा पास किए गए विधेयक को राज्य सभा में गत सत्र में, जो मई, 1969 में समाप्त हुआ था, पास न कर सकने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव पर आधारित तथा लोक-सभा द्वारा पास किए गए विधेयक को पास न कराने के प्रश्न पर सरकार तथा साम्यवादी सदस्यों के बीच कोई समझौता हुआ था ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) :

(क) जी हाँ।

(ख) यह विधेयक लोक-सभा में 13 मई, 1969 को पेश किया गया था और उस सदन द्वारा 16 मई, 1969 को पारित किया गया था। राज्य सभा में विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए प्रस्ताव की सूचना उसी दिन निकाली गई थी। राज्य सभा में कारबार की सूची में यह मद संभवतः अन्य आवश्यक कारबार के कारण सम्मिलित नहीं की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

Shri Madhu Limaye: I had put a question to Shri Govinda Manon whether the Bill based on the unanimously passed resolution of the West Bengal Legislative Assembly would be passed in this session itself. Rules were also relaxed in this regard. At that time, he had agreed and assured that that Bill would be passed in this Session. I want to know the efforts made by the Law Minister and the Minister of Parliamentary Affairs to get this Bill included in the list of business of the Rajya Sabha; and why could they not succeed in their efforts ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने इस सभा में बताया था और इसे एक वायदा मानने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वह विधेयक संसद् के इसी सत्र में पारित करा लिया जायेगा। जैसा कि सभा को ज्ञात है किसी कार्य का करना असम्भव हो जाना वायदा तोड़ने की बात का वही उत्तर है। मैं समय की कमी के कारण राज्य सभा में इसे पारित नहीं करा सका।

Shri Madhu Limaye : He has replied in negative to the third part of my question. But I have found from the members of the Communist Party that this Bill could not be passed in the Rajya Sabha as you had talks with a Communist Leader in this regard. The members of the Communist Party have themselves said to me that their party was being defamed for nothing just because of the action of that individual leader.

श्री वासुदेवन नायर : मैं इसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह साफ झूठ है। इस बात का कोई आधार नहीं है।

Shri Madhu Limaye: I will give the name also when necessary. I have got the name of those persons. But I want an answer to the question whether you had had talks with the leader of the Communist Party (Right) on the basis of which you did not include the Bill? ....(**interruptions**) you ask Shri H. N. Mukerjee; why me?

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस प्रस्ताव का खण्डन करता हूँ। इस विधेयक पर विचार को रोकने के उद्देश्य से मेरी साम्यवादी दल अथवा अन्य किसी दल से कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरी ओर, मैंने राज्य सभा में विधेयक की सूचना दी है और मैं यह समझता हूँ कि इस पर विचार किया जायेगा। वह नहीं हुआ। (**व्यवधान**)

श्री नाथपाई: श्रीमन्, सभा में ऐसे सफेद झूठ बोलने की मनाही होनी चाहिये। वे लोग सफेद झूठ बोलते ही जा रहे हैं। या तो माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं या फिर मंत्री महोदय! क्योंकि श्री नायर ने कहा है, जो कुछ श्री लिमये ने यहाँ सभा में कहा है, वह झूठ है। मेरे विचार से इस समय हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभा में स्थायी निर्देश दे दिये थे कि जहाँ भी शब्द "झूठ" (lie) बोला जायेगा वह अपने आप ही कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य मेरी कठिनाई को समझेंगे क्योंकि उनका नाम भी सभापतियों की सूची में है।

श्री वासुदेवन नायर: इसीलिए मैंने कहा था कि यह वक्तव्य निराधार है।.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप ये शब्द वापस लीजिये।

श्री वासुदेवन नायर: मैं शब्द वापस लेता हूँ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: शाँति शाँति। श्री बनर्जी!

श्री स० मो० बनर्जी: अब क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार तथा पंजाब सरकार ने.....

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है, पंजाब से नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं पश्चिम बंगाल के बारे में ही बोलने जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधान परिषद् को भंग करने का निर्णय लिये जाने तथा इस आशय का विधेयक इस सभा में पारित होने और दूसरी सभा में इस पर विचार किए जाने पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार राज्य सभा को भी भंग करने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि हम समझते हैं कि यह भी एक फालतू संगठन है?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न असंगत है।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या वह इस बारे में विचार कर रहे हैं अथवा नहीं, आप उन्हें उत्तर देने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: शाँति शाँति। श्री नारायण राव!

श्री के० नारायण राव: जहाँ तक विधि मंत्री महोदय का उत्तर का प्रश्न है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, परन्तु यह सच है कि उन्होंने यह ध्यान में रखा है कि विधेयक राज्य सभा की कार्य सूची में शामिल हो, परन्तु यदि आप इसके पूर्व इतिहास में जायें तो......

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री के० नारायण राव: मैं प्रश्न ही पूछने जा रहा हूँ। कोई आदमी यह समझ सकता है कि

इस बारे में कुछ न कुछ हुआ जरूर है। जब यह विशिष्ट ममला सामने आया, यानी जब श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह बात उठाई.....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सीधे ही प्रश्न की नहीं पूछते तो मैं आपको बैठ जाने को कहूँगा।

श्री के० नारायण राव : भूमिका के बिना प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : सीधे–सीधे सवाल पूछिये, कोई भूमिका मत बाँधिये।

श्री के० नारायण राव : मैं प्रश्न की सीमा के बाहर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे प्रश्न पूछने दीजिये। इस तथ्य को देखते हुए कि इस विधेयक को पेश करने के लिए नियमों में छूट दी गई थी, और फिर भी यह विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हुआ तथा फिर भी पश्चिम बंगाल के साम्यवादी दल ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल के साम्यवादी दल का कौन व्यक्ति भारत सरकार से मिलने आया है, न कि मंत्री से, जैसा कि कहा गया है ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि साम्यवादी दल अथवा पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को पारित करने में विलम्ब कराने का कोई प्रयत्न किया है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि जिस दिन राज्य सभा में यह विधेयक पारित होना था तथा जो कि नहीं हुआ, **हिंदुस्तान स्टैण्डर्ड** तथा कलकत्ता के **अमृत बाजार पत्रिका** में यह समाचार छपा था कि पश्चिम बंगाल के संसद्–कार्य मंत्री श्री जतिन चक्रवर्ती ने यह आरोप लगाया कि सरकार ने एक साम्यवादी दल के सदस्य के कहने से इस विधेयक को निलम्बित करा दिया है। अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि उन्होंने साम्यवादी दल से कोई सलाह नहीं ली है। अतः जब पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री ने यह कहा था, तब उसका खंडन क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं नहीं जानता कि राज्य सभा में इस विधेयक को पेश करने के बारे में मुझमें तथा साम्यवादी दल में कोई सलाह.....

Shri Madhu Limaye: The Minister of Parliamentary Affairs, not you.

Shri P. Govinda Menon: The Minister of Parliamentary Affairs of West Bengal?

Shri Madhu Limaye: No No, Shri Raghu Ramiah. He had a talk with the Communist Leader.

श्री गोविन्द मेनन : जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे विचार से समय की कमी के कारण वह विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका था।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। जब पश्चिम बंगाल में संसदीय कार्य मंत्री श्री जतिन चक्रवर्ती का वक्तव्य समाचार–पत्रों में छपा, तो उसका खण्डन क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रत्येक वक्तव्य का खण्डन नहीं किया जा सकता।

ईरान और बर्मा की रेलों को इस्पात की वस्तुओं की सप्लाई

+
*756. **श्री मीठालाल मीना :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री जुल्फिकार अली खाँ : **श्री अजमल खाँ :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई करने के लिये क्या भारत सरकार को ईरान और बर्मा की रेलों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या फिश प्लेटों की कमी के कारण सरकार द्वारा इन क्रयादेशों को पूरा न किए जा सकने की संभावना है;

(ग) इस प्रस्ताव से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है; और

(घ) ईरान और बर्मा की रेलों को तैयार माल की सप्लाई करने हेतु आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

जहाँ तक हमें मालूम है फरवरी 1969 में एक भारतीय निर्यातक ने बर्मा की रेलवे को 78,000 टन के लगभग रेल की पटरी और कुछ मात्रा में पटरी-सम्बन्धी माल के लिए, जिसका कुल मूल्य 7 करोड़ रुपए के लगभग था, क्रयादेश प्राप्त किया था। पटरी सम्बन्धी माल के निर्माताओं में से एक को आरम्भ में अपेक्षित किस्म के इस्पात के बिलेट प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई। इस कठिनाई पर काबू पा लिया गया है और इस निर्माता को अपेक्षित किस्म के बिलेटों की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। पता चला है कि इस निर्माता को जून, 1969 के मध्य तक बर्मा की रेलवे को 700 टन के लगभग पटरी सम्बन्धी माल सप्लाई करना था जो नहीं किया जा सका। जाहिर है कि निर्माता ने माल की सप्लाई के लिए मोहलत ले ली है।

2. पता चला है कि ईरान की राजकीय रेलवे ने पटरी सम्बन्धी माल के लिए दो भारतीय संविरचकों को क्रयादेश दिए हैं। प्रथमतः इनमें से एक संविरचक को बिलेट की पूर्ति में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि वित्तीय प्रबन्ध करने में उसको कुछ देरी हो गई थी। पता चला है कि अब ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Meetha Lal Meena: Mr. Speaker, sir, the negotiations are going on with Russia regarding the sale of various steel items. But no decision has been taken as yet. However it is certain that the supply of these items to that country might not be under taken because in exchange the Russian Government want to give us their obsolete Aeroplanes. Besides, they also

want that special quality of steel should be applied in the preparation of these items and want to offer lower rates. In this context may I know whether the Government will consider that the export of these steel items should preferably he made to Iran and Burma in order to save the foreign exchange?

Shri K. C. Pant: So far as this question is concerned Russia does not come in the picture. Iranian and Burmase Railways have placed certain contracts of rails etc. with certain private companies in India and it is hoped that the supplies would be made.

Shri Metha Lal Meena : Sir, the supply of these items to Iran and Burma is delayed as we are supplying these items to Russia. I do not know what we are gaining by this. We are loosing huge amount of foreign exchange in this behalf. These things can also be supplied by other countries. Therefore, I think the Government should avail of the opportunity of supplying these items as soon as possible. May I know what we are loosing by delaying the supply of these items.

Shri K. P. Pant: The matter is not being delayed. The question of supply of the rails to Russia is not relevant here. The rails to Russia ase exported from Bhilai Steel Plant and Tata Iron and Steel Company. This is something else as it relates to Re-Rollers. These are exported to Iran and Burma by the private companies. The hon. Member is trying to confuse two separate issues.

Shri Meetha kal Menena: What are the reasons for delay?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ! बहुत से माननीय सदस्य अनुपस्थिति हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय ! जिन माानीय सदस्यों ने प्रश्न रखे हैं किन्तु वे सभा में इस समय उपस्थित नहीं हैं आप कृपा करके उनके नाम लिख लें तथा उनके प्रश्नों को भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यह सभा का दुरुपयोग है। अत: जिन मानीय सदस्यों के नाम प्रश्न पूछने वालों की सूची में हों उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिये ।

दिल्ली में हरिजनों के कल्याण के लिए धनराशि

*759. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **विधि तथा समाज–कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में हरिजनों के कल्याण के लिए वर्ष 1965-66 से 1968–69 तक, वर्षवार, कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी धनराशि बचती है जिसका उपयोग नहीं किया जाता ?

विधि तथा समाज–कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) तथा (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	नियत की गई राशियाँ (रुपए लाख की राशियों में)	उपयोग न की गई राशि
1965-66	4.800	0.805
1966-67	3.900	0.126

1967-68	3.366	0.677
1968-69	3.605	कुछ नहीं

Shri Ram Swarup Vidyarthi: Mr. speaker, Sir, from the statements it is evident that till the year 1967-68 the grants given by the Central Government for the welfare of the Harijans were not fully utilised. May I know whether the Delhi Administration has submitted certain schemes to the Government relating to the welfare of the Harijans after the year 1967-68 but the Ministry of social welfare has not given any grant for those scheme.

श्री गोविन्द मेनन: मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि यह राशियाँ कैसे बिना उपयोग किए बच गईं? हम धनराशि नियत कर चुके थे। वैसे उपयोग न की गई राशियों की मात्रा अधिक नहीं है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi: May I know whether it is a fact that since the year 1967-68 Delhi Administration has utilised the entire amount granted to them every year under this head and not a single rupee has been lapsed?

श्री गोविन्द मेनन: जी हाँ, वर्ष 1968-69 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi: Mr. speaker, Sir, the hon. Minister has confessed that with the advent of Jan Sangh Government in Delhi the entire amount received from the Cerntral Government for the welfare of the Harijans has been utilised. May I know whether, for the betterment of the Harijans the Delhi Admintstration did refer certain schemes which were rejected by the Ministry of Social Welfare and no grants were sanctioned for the purpose?

श्री गोविन्द मेनन: इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Ram Charan: May I know whether the Government have received certain complaints to the effect that the funds allotted by the Social Welfare Department for the last 20-22 years to the Harijan organisation or the organisations of th e Scheduled Tribes is being utilised mostly on the political activities rather than on the welfare of the Harijans? Have they received any complaint against such organisations as Harijan Sewak Sangh, Depressed calssed League, Adimjali Sewak Sangh etc. and may I know whether the Government propose to discontinue grants to these organisations in order to save the money being spent on the political activities?

Mr. Sperker: It is concerned with the Delhi Administration not with you.

Shri Ram Charan : I also want to know the reasons for which the funds are allotted to the political organisations.

Shri Kanwar Lal Gupta: The hon. Minister has just now mentioned that during the 1967-68 and three financial years prior to that only 25 per cent, out of the total grants were lapsed and I think it is a huge amount. During those years the Administration was in the hands of the Congress Party. In the year 1968-69 the Administration came in the hands of the Jan Sangh Party and they utilised the entire amount received for the welfare of the Harijans on the proper work. May I know what were actually the schemes of the Congress administration for which the funds were allotted but could not be fully utilised resulting in the lapses of the funds?

श्री गोविन्द मेनन: मैं निवेदन कर चुका हूँ कि उपयोग में न लाई गई धनराशि की मात्रा कोई अधिक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद खड़ा नहीं करना चाहता।

श्री कंवरलाल गुप्त: कौन सी योजनाएँ कार्यान्वित नहीं हो पाईं ? मुझे इसकी सूचना चाहिए। मैं उन योजनाओं के नाम जानना चाहता हूँ जो क्रियान्वित नहीं हो पाईं।

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर बहुत बड़ा हो जायेगा।

श्री गोविन्द मेनन : उसके बारे में विवरण बहुत बड़ा है।

श्री कंवरलाल गुप्त: कम से कम कुछ प्रमुख योजनाओं का उल्लेख तो होना ही चाहिए। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि यद्यपि यह सरकार हरिजनों के कल्याण की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है किन्तु वास्तव में हरिजनों के कल्याण पर कुछ खर्च नहीं करना चाहती। मैं उन योजनाओं के नाम जानना चाहता हूँ जिनको क्रियान्वित नहीं किया गया। यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी सभा-पटल पर रखी जा सकती है।

श्री गोविन्द मेनन: जी हाँ, मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

Shri Tulsidas Jadhav: Mr. speaker, sir, the rules and regulations governing the allotment of funds for the welfare of the Harijans to the social institutions by the Government are so much intricate that certain social institutions are unable to procure the funds allotted to them resulting in the lapses. May I know whether these rules and regulations will be simplified in order to avoid the inconvenience to these organisations?

श्री गोविन्द मेनन: वर्तमान प्रश्न संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए धनराशि देने के सम्बन्ध में है। अन्य मामलों के बारे में यदि अलग से प्रश्न किए जायँ तो उनका उत्तर दिया जा सकता है।

केरल के उद्योग मंत्री की जापान-यात्रा

+
*760. **श्री कृ० मा० कौशिक** :
श्री दे० अमात :
श्री रा० वे० नायक :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने हाल ही में जापान की यात्रा की थी और कई जापानी उद्योगों द्वारा सहयोग के लिए किए गए प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था:

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या भारत सरकार ने स्वयं केरल के उद्योग मंत्री के प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(घ) क्या इस प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की जा रही है?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जहाँ तक केन्द्रीय सरकार को मालूम है, केरल के उद्योग मंत्री नें केरल में उद्योग स्थापित करने हेतु जापान से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जापान गए थे। यह विश्वास है कि उन्होंने केरल राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय सरकार को उन्होंने ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कृ० मा० कौशिक : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केरल के मंत्री ने जापान का दौरा करने से पहले उस दौरे के बारे में तथा जापानी सहयोग के बारे में की जाने वाली बातचीत के बारे में केन्द्रीय सरकार की सलाह ली थी? क्या उन्होंने जापान के दौरे पर जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहाँ तक जापानी सहयोग का प्रश्न है उसमें इस बात की जानकारी नहीं है कि अपनी जापान यात्रा के दौरान केरल के मंत्री ने जापनी सहयोग के बारे में कोई समझौता किया है अथवा नहीं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह जापान गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की थी तथा वापस आने पर उन्होंने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की है।

श्री कृ० मा० कौशिक : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने जापान यात्रा के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था और क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वह राज्य सरकार की अनुमति से वहाँ गए थे। हमने कोई आपत्ति नहीं की थी।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

केलेघई नदी के तटबन्ध में दरार पड़ना

10. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में हुई भारी वर्षा से केलेघई नदी के तटबन्ध में दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को स्थायी रूप से दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) क्या दुवदा बेसिन क्षेत्र के लोगों ने दुवदा बेसिन जल–निकास योजना के बारे में सरकार के आश्वासन को पूरा करने के लिये व्यापक आन्दोलन आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि केलघई नदी के तटबंध में अभी तक कहीं भी कोई दरार नहीं आई है। बहरहाल, तटबंध की नदी की ओर वाली ढलान में कुछ भू-स्कलन हुए हैं और उनमें से कुछ की मरम्मत कर दी गई है तथा अन्य स्थलों पर कार्य जारी है।

(ख) राज्य सरकार ने केलघई नदी के पुनर्जीवन के लिये एक स्कीम तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 226 लाख रुपए है और इस स्कीम की योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने भी सिफारिश कर दी है। भारत सरकार ने केलघई को गादयुक्त करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 94 लाख रुपए की ऋण सहायता देना मंजूर कर लिया है। इस स्कीम पर चालू वर्ष के दौरान कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि 26 जून, 1969 को कंटाई में जलूस निकाला गया था जिसमें दुवदा बेसिन जल निकास स्कीम की शीघ्र कार्यान्विति की माँग की गई। इस बारे में 22 जुलाई को एग्रा में हड़ताल भी हुई थी।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने दुवदा बेसिन जल निकास स्कीम की रूपरेखा बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 268 लाख रुपए है। तकनीकी सलाहकार समिति ने इस स्कीम की सिफारिश कर दी है। परन्तु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यदि भारत सरकार ने योजना में व्यवस्थित आवंटनों के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता न दी तो इस स्कीम को क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है।

श्री समर गुह : यह प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है, जहाँ कि जनता को प्रतिवर्ष बाढ़ों से पीड़ित होना पड़ता है। गत वर्ष जब कि वहाँ भयंकर बाढ़ें आई हुई थीं, प्रधान मंत्री तथा सिंचाई मंत्री ने कनटाई का दौरा किया था तथा हमने इस बात पर जोर दिया था कि लोगों को राहत देने की बजाय सरकार को बाढ़ों पर स्थायी नियंत्रण करने के लिये उपाय करने चाहिये। हमने इस बात पर भी जोर दिया था कि यदि बाढ़ों पर स्थायी नियंत्रण किया जाता है, तो इस क्षेत्र से लगभग 2 लाख मीटरी टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा हो सकता है तथा उससे पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री तथा सिंचाई मंत्री ने जो वचन दिए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में विशाल पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 26 जून को लगभग 10,000 लोगों ने एस० डी० ओ० के सामने प्रदर्शन किया था तथा लगभग 100

व्यक्तियों ने, जिनमें एक संसद्-सदस्य भी शामिल था, 24 घण्टे का अनशन किया था। हाल में एक बंद का आयोजन भी किया गया था और यदि प्रधान मंत्री तथा सिंचाई मंत्री द्वारा दिए गए वचनों को एक मास के अन्दर पूरा नहीं किया गया तो वहाँ जन-सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हो जायेगा।

इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री तथा सिंचाई मंत्री द्वारा दिए गए वचनों के अनुसार भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा दुबदा बेसिन जल-निकासी योजना, बाराचोका बेसिन जल निकासी योजना, कनटाई बेसिन जल-निकासी योजना, कलघई जल-निकासी योजना, सुबारनारेखा तटबन्ध योजना जैसी बाढ़ नियंत्रण जल-निकासी योजनायें बनाई गई थीं तथा क्या उन्हें विभिन्न तकनीकी समितियों की आवश्यक मंजूरी दे दी गई थी तथा उन्हें राज्य को चौथी योजना में शामिल करने की सिफारिश की गई थी और यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा राज्य की चौथी योजना में बाढ़-नियंत्रण तथा जल-निकासी उपायों के लिये 25 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की गई थी और यदि हाँ, तो क्या इस राशि का एक अंश इन योजनाओं के लिये नियत किया जाना चाहिये और यदि हाँ तो कितना तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव: माननीय सदस्य ने मिदनापुर जिले में बाढ़ के कारण हुई हानि के तथ्यों को बड़ी योग्यतापूर्ण ढंग से रखा है। मैंने गत वर्ष उस क्षेत्र का दौरा किया था और हमने $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए की योजनायें बनाई हैं। यदि वे परियोजनायें पूरी हो जाती हैं, तो इस जिले को बाढ़ों के नुकसान से लगभग मुक्ति मिल जायेगी। अब दुबदा बेसिन तथा अन्य योजनाओं का प्रश्न आता है। उन योजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मंजूर कर लिया गया है। अब प्रश्न केवल वित्तीय साधन जुटाने का है। ये सब परियोजनायें राज्य की योजना में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिये उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। अतः यही कठिनाई है। फिर भी कलघई योजना के लिये, जो कि मिदनापुर जिले की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, भारत सरकार ने हाल में लगभग 94 लाख रुपए दिए हैं, जो कि राज्य की योजना से बाहर हैं। अतः सरकार समय-समय पर सहायता करने का प्रयत्न करती है, परन्तु हमें यह मनना होगा कि राज्य-योजना के अन्तर्गत वित्त की व्यवस्था करने का काम तो अन्ततः बंगाल सरकार का है।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री धर्मवीर ने दुबदा बेसिन योजना तैयार करने का आदेश दिया था और ऐसा करते समय उन्होंने भू-सर्वेक्षण, भूमि-अर्जन तथा भू-परीक्षण आदि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने का आदेश दिया था और यदि हाँ, तो उन कामों को स्थगित क्यों कर दिया गया है और क्या सरकार इस योजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

डा० कु० ल० राव: जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और परियोजना आरम्भ करने का आदेश दिया था। यह सच है मैं यह भी महसूस करता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे आरम्भ किया जाना चाहिये।

परन्तु प्रश्न केवल वित्तीय साधन जुटाने का है। मैं समझता हूँ कि इस बात को देखते हुए कि राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में आदेश दिया था, बंगाल सरकार को वित्त की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं भी कुछ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये प्रयत्न करूँगा।

श्री स० कुण्डू: महोदय, शायद आपको ज्ञात नहीं है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र श्री समर गुह निर्वाचन क्षेत्र से मिलता-जुलता हुआ है। हम पड़ोसी हैं। माननीय मंत्री को भी ज्ञात है कि सुबारनारेखा नदी पर दोहरे तटबन्ध के लिये पश्चिम बंगाल सरकार तथा उड़ीसा सरकार दोनों ने प्रयत्न किया था। मैं जब से निर्वाचित होकर इस संसद् में आया हुँ, तब से ही इस प्रश्न को उठाता रहा हूँ। पिछली बार मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि वह इस दोहरी तटबन्ध योजना को क्रियान्वित करायेंगे। बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हुँ कि इस समय यह योजना किस स्थिति में है ? क्या सरकार राज्य योजना खर्च से कुछ धन देने को तैयार है और क्या वह यह सुनिश्चित करेगी कि एक वर्ष के अन्दर यह योजना सफल हो जाये ?

डा० कु० ल० राव: यह सच है कि माननीय सदस्य सुबारनारेखा तटबन्ध के बारे में बहुत चिन्तित हैं। परन्तु मुख्य कठिनाई आवश्यक वित्तीय साधनों को जुटाने की है। मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य बहुत अधिक समय से इस प्रश्न को उठाते रहे हैं तथा सुबारनारेखा में बाढ़ के कारण बहुत अधिक हानि होती है। मैं यह देखने का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्बन्ध में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं दोनों राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करूँगा तथा यह सुनिश्चित करूँगा कि इस बारे में कुछ कार्यवाही की जाये। राज्य योजना के बाहर केन्द्र से धन की व्यवस्था नहीं को जा सकती है। फिर भी मैं इस समस्या की जाँच करूँगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से विचार–विमर्श किया है और माननीय मन्त्री ने भी केन्द्र की सहायता से दोनों सरकारों द्वारा सुबारनारेखा नदी की बाढ़ें पर नियंत्रण करने के काम में रुचि ली है। क्या गत कुछ महीनों में कोई योजना तैयार की गई है और उसकी भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा जाँच की गई है ताकि इससे बालासौर जिले के निचले क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये वास्तव में सहायता मिल सके ?

दूसरे, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि गत कुछ दिनों में केवल गंगा तथा यमुना की बाढ़ों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। उड़ीसा के आठ जिले बाढ़ों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। परन्तु उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूँछा गया है। जब कभी कोई प्रश्न दिया जाता है, उसकी अनुमति नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ ?

Shri Meetha Lal Meena: Mr. Speaker, Sir, two short notice questions have been asked about the floods in U.P. but not a single penny had been given for the floods in Rajasthan. My submission is that Government should also pay their attention towards Rajasthan.

Shri Molahu Prasad: Mr. Speaker, sir, I want to know whether any rivss other than Kalghai ane also in, ,,:, and if so, the details thereof?

डा० कु० ल० राव : देश में बाढ़ों की स्थिति के बारे में मैंने कल एक विवरण सभा-पटल पर रखा था। यह एक भिन्न प्रश्न है। नदी में रेत जमा हो गई है तथा पानी फैल रहा है। इसलिये हम नदी को खोदने और रेत को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Consumption of Liquor

*754. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Onkar Singh:**

Shri Sharda Nand:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the consumption of liquor is increasing in India day by day;

(b) if so, the comparative details of its consumption in 1950 and at present;

(c) whether it is also a fact that despite the best efforts of Government, the wine is distilled and sold illegally and hundreds of persons have died because of inferior quality of liquor ;

(d) if so, whether Government would reconsider this problem; and

(e) the permanent solution of the problem that Government have in view?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) to (c) There is no data to draw such an inference.

(d) and (e) Do not arise.

एक्सरे फिल्मों की कमी

*757. **श्रीमती सावित्री श्याम :** **श्री क० लकप्पा :**

श्री बेघर बेहरा **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में एक्सरे फिल्मों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) माँग में वृद्धि हो जाने के कारण एक्स-रे फिल्मों की कमी के कई उदा-

हरण सरकार की जानकारी में आए हैं। अतः देशी उत्पादन को आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है। देशी उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ।

बोकारो इस्पात कारखाने को मशीनों की सप्लाई

*758. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक :
श्री एस० जेवियर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री प्र० के० देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने को मशीनों की सप्लाई करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र को उपस्कर की पूर्ति में कुछ देरी हुई है।

(ख) विभिन्न कारणों से यह देरी हुई है। इनमें से ड्राइंग्स की आवती और प्रक्रिया में देरी, विशेष प्रकार की इस्पात चादरों की कमी जिससे उनके आयात की आवश्यकता पड़ी, अधिक आधुनिक मशीनों के पुर्जों के आयात में देरी, और क्षमताओं के अधिकतर बुक होने के कारण देरी से पूर्ति, उदाहरण के लिए निर्माताओं द्वारा उष्मसह ईंटों की पूर्ति।

(ग) बोकारो में उपकरणों के निर्माण और पूर्ति की प्रगति की समीक्षा की प्रणाली का पुनर्विलोकन किया गया है और उसे सशक्त किया गया है ऐसी कमियों को जो हुई हैं, अथवा जिनके होने की संभावना है, देखने तथा दूर करने के लिए समय-समय पर बैठकें की जाती हैं। सभी सम्बन्धित अभिकरणों के सहयोग से, जिनमें रूसी विशेषज्ञ, साज-सज्जा पूर्तिकर्ता और भारतीय सलाहकार भी सम्मिलित हैं, निर्माण अधिनियम के अनुसार समय पर आपूर्ति को आश्वस्त करने के लिए समय-समय पर समन्वय समिति की बैठक होती है।

सीमेंट का समान मूल्य

*761. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों ने सीमेंट का एक समान मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है,

(ख) क्या दक्षिणी क्षेत्र के कारखानों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में कारखानों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है, और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) :

(क) जी, नहीं। 16 अप्रैल, 1969 से कारखाने से निकलते समय का 100 रुपए प्रति मी॰ टन का मूल्य लागू है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञ

*762. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञों की संख्या अलग-अलग कितनी है और उनपर होने वाला वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र में उनके वेतन की, श्रेणीवार, मध्यमान दर क्या है; और

(ग) विदेशी विशेषज्ञों का स्थान लेने के लिये भारतीयों को प्रशिक्षण देने के निमित्त क्या कार्यक्रम बनाया गया है और कब तक विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री दे॰ मु॰ पुनाचा) : (क) निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी प्राविधिज्ञों की संख्या तथा उन पर होने वाले खर्च का विवरण निम्नलिखित है:—

हिन्दुस्तान स्टील लि॰	31-12-1968 को परिचालन । संधारण कार्य पर लगे विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या ।	1968-69 में खर्च
1. भिलाई इस्पात संयंत्र	43	रु॰ 27.30 लाख
2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2	रु॰ 1.57 लाख
3. राउरकेला इस्पात संयंत्र	81	रु॰ 118.51 लाख

4. इस समय टाटा आइरन एण्ड स्टील कं॰ में कोई विदेशी प्राविधिज्ञ नहीं हैं ।

5. इस समय इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कं॰ में सात विदेशी प्राविधिज्ञ हैं और उन पर कुल वार्षिक खर्च 6,94,000 रुपए हैं ।

(ख) प्रत्येक वर्ग में एक कर्मचारी के आधार पर इनका औसत वेतन निम्नलिखित है:—

भिलाई इस्पात संयंत्र	रु॰ 4,102 प्रति माह
राउरकेला इस्पात संयंत्र	रु॰ 9016 प्रति माह
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	रु॰ 10,000 प्रति माह
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं॰	रु॰ 6,096 प्रति माह

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में हरेक विदेशी प्रविधिज्ञ / विशेषज्ञ के साथ प्रशिक्षार्थी नियुक्त करने की नियमित व्यवस्था है । अधिकांश प्राविधिज्ञ इस समय विस्तार

कार्यक्रम में लगाई गई इकाइयों के परिचालन और सधारण के काम में लगाये गए हैं। ऐसी आशा है कि अगले एक-दो वर्षों में नई इकाइयों के उत्पादन में स्थिरता आ जाने पर कुछ जटिल कार्यों के लिए थोड़े से विशेषज्ञों को छोड़ कर अन्य सबों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहाँ तक इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रश्न है इसके सात में से तीन विदेशी विशेषज्ञों के 1973 तक सेवा निवृत्त हो जाने की संभावना है।

Withdrawal of Control on Prices and Distribution of Cement

*763. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri Nitiraj Singh Chaudhri:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

Whether Government have decided to withdraw all kinds of control on prices and dsitribution of cement with effect from January, 1970;

(b) the reasons for such a decision keeping in view the results of decontrol of cement in 1966; and

(c) the reaction of consumers in regard threto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Sri F. A. Ahmed):

(a) Yes, Sir.

(b) A Statement is attached.

(c) There have been no complaints from the Consummers.

Statement

The price and distribution of cement has been under control in one form or another, formal or informal, since 1942. In August, 1965, the then Prime Minister stated in Parliament that the Government of India had decided, in principle, that cement should be decontrolled except for the quantity which was needed by Government. Formal control on the price and distribution of cement was accordingly lifted with effect from 1st January, 1966.

2. With a view, however, to ensuriny a smooth transition from a long period of control to decontrol, the industry accepted a from of self-regulating informal control and set up a control organisaiion, called the Central Allocation and Coordinating Organisation (CACO), to regulate the distribution of cement and maintain a uniform f. o. r. price as approved by Government from time to time. Towards the end of 1967, the Government observed that the functioning of Central Allocation and Coordinating Organisation was unsatisfactory and it was therefore considered necessary to substitute a Government controlled agency to be incharge of distribution. The Cement Control Order 1967, reimposing control over price and distribution was promulgated with effect from the 1st January, 1968. In terms of this Order, the functions of the erstwhile Central Organisation were taken over by an officer of the Government designated as Cement Controller.

3. It has been urged that the concept of freight equalisation and uniform selling price is to some extent responsible for the regional imbalance in the location and development of the industry. It has also been urged that the continuation of the arrange-

ments of freight pooling will only accentuate this problem and that these arrangements should therefore be abolished and prices allowed to adjust themselves in conformity with actual cost of production.

4. Without going into the merits or demerits of these arrangements, it may be stated that they were necessary for a period of time, in the special circumstances that were obtaining in this regard, to ensure the availability of cement at a reasonahle price throughout the country and a continuous supply of cement to the deficit areas so that development schemes there may not suffer. It was not intended that these arrangements should be continued indefinitely for their own sake. Keeping in view the fact that the Government have accepted the policy of progressive decontrol in principle and that the system of F. O. R. price and equlised freight arrangement have more or less served the purpose for which they were intended, it is felt that these should be discontinued after a period of time within which the industry might adjust itself to the new situation. With this end in view it has also been decided that the additional capacity to be set up in the public sector by the Cement Corporation of India should henceforth be only in the deficit areas. As the supply position of cement is at present comparatively easy and is expected to be so for the next few years, this would seem to be the opportune time to decontrol the industry. Having regard to these considerations, it has been decided to discontinue the existing arrangements and remove all control over price and distribution of cement with effect from 1st January, 1970. In the meantime the industry will have an opportunity to plan for production of cement in the deficit areas.

5. The present retention prices or ex-works prices paid to the producers are based on the recommendations of the Tariff Commission in 1961 together with the subsequent increases given to the industry from time to time due to increases in cost of production as a result of Governmental actions. The industry has been pressing for some time for an upward revision of the retention prices due to increase in cost of production as a result of Governmental actions since 1st January, 1966. The claims of the industry have been considered in consultation with the authorities concerned in consultation and it is felt that these are justified on account of the increase in the pithead price of coal, rail freight, electricity tariff, and the second Wage Board Award Although the Tariff Commission did not find it feasible to recommend a uniform price for the industry in 1961 in view of the then existing wide disparity in costs of production, Government was however of the view that there should be a uniform price for the industry so that greater pressure is exercised on units having higher costs to find economies and there is a measure of reward for those units able to achieve economies. Government, however had to recognise that in the case of those few units having appreciably higher costs on account of special reasons, an extra price had to be allowed, for a period of time, to enable the units to continue in production till by reaching economic levels they were able to operate within the uniform price. In the light of the discussions held with the industry from time to time and keeping in view that the industry itself generally is in favour of a uniform price, it has been decided to fix a ceiling of Rs. 100 per tonne ex-works with effect from 16th April, 1969, except in the cases of Assam Cements, (Cherapunji), Jammu and Kashmir Minerals. (Wuyan) and Travancore Cements, (Kottayam) which are sub-standard units and in whose cases price will have to be fixed separately taking into account their special circumstances. This will be effective upto 31st December, 1969 upto which date the present f. o. r. price equalised freight arrangements etc. will be in force.

Manufaeture of 8-H. P. Tractor

*764. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1669 on the 13th May, 1969 and state:

(a) the names and addresses of those firms in New Delhi and Meerut from whom proposals have been received for manufacturing eight-horse power tractors without any foreign collaboration and the date on which these proposals were received;

(b) whether the prototype tractors have been tested at the Testing Centre, Budni and whether the said proposals have been considered by Government thereafter; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) The two firms are Messrs, Salgoacar Engineers Private Limited, D-9, South Extension, Part II, New Delhi and Messrs Delta Engineering Company Private Limited, Post Box No. 35, Meerut. Formal proposals giving details of investment, mannfacturing programme etc. have not been received from either party. Information that a tractor has been developed with indigenous know-bow was received from the New Delhi firm on the 17th April, 1969 and from the Meerut firm on the 28th March, 1969.

(b) and (c) The prototypes have not yet been tested at the Budni Testing Centre.

रेलवे के माल-डिब्बों में से रेलवे के माल की हानि

*765. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष रेलवे के माल-डिब्बों में से डिब्बों को तोड़ कर व अन्यथा भारी मात्रा में रेलवे का सामान चोरी हो जाता है;

(ख) क्या विभिन्न रेलों में इन कारणों से हुई हानि का उनके मंत्रालय ने कोई अनुमान लगाया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे कर्मचारी अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें उचित संरक्षण नहीं मिलता है, तथा स्थानीय पुलिस अपराधियों का पता लगाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों का पता लगाने के लिये राज्य स्तर पर पुलिस की सहायता तुरन्त उपलब्ध हो और इस कारण हानि कम से कम हो, राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ। हाल के वर्षों में दावों पर किए गए भुगतान में वृद्धि हुई है और माल-डिब्बों को तोड़ कर, उठाईगीरी और चोरी से रेलवे माल की हुई हानि की मात्रा निश्चित करने का यही एकमात्र उपलब्ध सूचक है।

(ख) जी हाँ। इस कारण विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर हुई हानि (क्षतिपूर्ति के दावे) के सम्बन्ध

में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1830/69]

(ग) जी नहीं। रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी जो रेलवे सम्पत्ति की हिफाजत और सुरक्षा बेहतर ढंग से करने के लिए उत्तरदायी हैं, चोरी करते पाये गए अपराधियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करते रहे हैं। उन्होंने हथियारबन्द अपराधियों के दलों से मुठभेड़ भी की है और वे रेलवे सम्पत्ति को लूटे जाने से बचाने में सफल हुए हैं। अपराधियों का पता लगाने में स्थानीय पुलिस भी अनुकूल सहायता देती आ रही है।

(घ) उठाईगीरी से हुई हानि कम करने के निमित्त राज्य पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिए उससे सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क स्थापित किया जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

(1) उन मालगाड़ियों पर रेल सुरक्षा दल के अभिरक्षकों की व्यवस्था रहती है जो प्रभावित खंडों से गुजरती है और जिनमें कीमती माल रहता है।

(2) बड़े और महत्वपूर्ण यार्डों में जहाँ चोरी और उठाईगीरी की घटनायें बहुत ज्यादा होती हैं, हथियार बन्द दलों और कुत्ता दस्तों द्वारा गश्त लगाया जाता है।

(3) अपराधियों का पता लगाने के निमित्त गुप्त भेदों को इकट्ठा करने के लिए सादी पोशाक में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

Fees of Lawyers

*766. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the fees charged by Pleaders and Advocates of lower courts as also of the High Courts and the Supreme Court has risen to thousands and lakhs of rupees;

(b) whether it is also a fact that it is beyond the reach of the people to get justice by spending large sums; and

(c) if so, whether Government propose to nationalise this profession?

The Minister of law and Social Welfare (**Shri Govinda Menon**):

(a) Government has no definite information as to the quantum of fees charged by pleaders and advocates in different Courts. The fees charged depend upon various factors such as the standing and experience of the lawyer, the demand for his services and the like. It is, however, true the senior and eminent lawyers charge high fees.

(b) No, Sir. Competent lawyers are available at moderate and reasonable fees.

(c) No, Sir.

Prohibition during Elections

*767. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has noticed that the consumption of liquor goes up during Elections and thus hinders healthy polling;

(b) whether it is proposed to introduce prohibition during the Election; and

(c) if so, the details thereof and, if not; the reasons therefor?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon):

(a) The Election Commission has received complaints that the consumption of liquor goes up during election and it affects polling in a free and fair manner.

(b) and (c) The Commission has recommended the prohibition of the sale and the consumption of liquor to all the States/Union territories in future elections on the day o poll and two days immediately preceding that day.

भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची द्वारा बाहर की एजेन्सियों से माल का निर्माण करवाना

*768. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, राँची के पास भारी उत्पादन-क्षमता तथा जन-शक्ति होते हुए भी अनेक मदों का निर्माण बाहर की एजेन्सियों से करवाया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो भारी इंजीनियरिंग निगम की वर्कशापों की निर्मित हो सकने वाली मदों को बाहर निर्माण करवाने का मान-दण्ड क्या है ;

(ग) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम तथा बाहर की कम्पनियों की उत्पादन-लागत में कोई अन्तर है; और

(घ) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड में निर्मित मदों की उत्पादन-लागत के अधिक होने के क्या कारण हैं?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग, मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा कुछ उत्पादों मुख्यत: स्ट्रक्चर्लस का उत्पादन बाहरी अभिकरणों को सौंप दिया जाता है।

(ख) बाहरी अभिकरणों को उत्पादन सौंपने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(i) बनाई गई क्षमता (जो कि संयंत्र की निर्धारित क्षमता से भिन्न है) इस हद तक बुक कर दी गई है कि ग्राहक द्वारा निश्चित समय में उस मद का उत्पादन सम्भव नहीं; और

(ii) सीधे एच० ई० सी० प्लांट द्वारा ऐसे उत्पादों की उत्पादन लागत बाहरी अभिकरणों की उत्पादन-लागत से अधिक होगी ।

(ग) कुछ मामलों में ऐसा अन्तर है।

(घ) एच० ई० सी० प्लांट का भारी और आधुनिकतम इंजीनियरी उत्पादों को बनाने का विचार है। उनके साज-सामान और पूरे संगठन का यही उद्देश्य है। ऐसे आधुनिकतम साज-सामान को तुलनात्मक रूप से आसान और छोटे उत्पादों के लिए प्रयोग करने से इनकी उत्पादन-लागत में अनावश्यक वृद्धि होगी क्योंकि टूट-फूट और व्याज का व्यय शामिल होगा। इसी प्रकार से संगठन का खर्च, जो कि ऊपरी खर्च में दिखाया गया है वह भी बहुत है और छोटे तथा आसान उत्पादों से पूरा नहीं होगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि

*769. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1968-69 में भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसे गत तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है;

(ग) इसके संघटक कारखानों के कार्य संचालन को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) वर्ष 1969-70 में उसे कितना लाभ या हानि होने का अनुमान है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछली अवधि के समायोजन को मिला कर हिन्दुस्तान स्टील लि० को 1966-67 में 229.39 मिलियन रुपए और 1967-68 में 401.19 मिलियन रुपए की हानि हुई। वर्ष 1968-66 के लेखों की परीक्षा अभी हाल ही में की गई है और इनका अभी कम्पनी के निदेशक-मण्डल द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन किया जाना है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने और लाभदायिकता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख "परफार्मेंस ऑफ हिन्दुस्तान स्टील" नामक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी।

(घ) वर्ष 1969-70 के लिए कम्पनी के उत्पादन और विक्रय के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ऐसी संभावना है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में कम्पनी की हानि काफी कम होगी।

हैदराबाद में केबल फैक्टरी की स्थापना

*770. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने एक दूसरी केबल फैक्टरी हैदराबाद में स्थापित करने की योजना बनाई है:

(ख) यदि हाँ, तो इस फैक्टरी की उत्पादन-क्षमता क्या होगी; और

(ग) फैक्टरी में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ। दि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) 5,000 कि० मी०।

(ग) स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् लगभग तीन वर्षों में।

मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

*771. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने तेल के ढोल बनाने की अपनी क्षमता का सरकार को पता देने से पहले तेल के ढोल बनाना तथा सप्लाई करना आरम्भ कर दिया था;

(ख) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के एक अधिकारी ने 1963 में उनके कारखाने का निरीक्षण किया था और यह बताया था कि वे वर्तमान मशीनों से ढोल बना सकते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो ढोल बनाने के लिये विशेष रूप से मशीनें लगाये बिना उनके द्वारा ढोलों का निर्माण कैसे संभव हो सका :

(घ) 1964 में उनके मूल्यांकन के समय उनके पास जो मशीनें थीं क्या अन्य निर्माताओं के पास भी वैसी ही मशीनें थ ;

(ङ) यदि हाँ, तो मेसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता जिस आधार पर निर्धारित की गई थी क्या अन्य निर्माताओं की क्षमता भी उसी आधार पर निर्धारित की गई थी, यदि नही, तो इसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ङ) अनुमान समिति ने 30 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में रखी गई अपनी 85वीं रिपोर्ट में इस समूचे मामले पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। रिपोर्ट के पृष्ठ 40-52 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं जिनका सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार के विचार समिति को बता दिए जायेंगे और समिति की सिफारिशें पुनः सरकार को मिल जाने के बाद ही इसपर अन्तिम रूप से निर्णय किया जा सकेगा।

Over-bridges on Railway Level Crossings in Delhi

*772. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of major Railway level crossings in Delhi where over-bridges have not been constructed so far, thus causing traffic bottleneck; and

(b) the level crossings on which Government proposed to construct over-bridges during the next five years, year-wise ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Nine.

(b) The overbridges proposed to be constructed in replacement of the following existing level crossings in the next five years are:—

(i) Patel Road Crossing.

(ii) Sarai Rohilla Crossing.

(iii) Mehrauli Road Crossing near Safdarjang Airport.

(iv) Link Road Crossing near Defence Colony.

The work on the Road overbridge at Patel Road crossing is already in progress and Railway's portion of work is likely to be completed by December, 1970. The remaining proposals are still in the parliamentary stages of planning. In view of the close coordination required between the Railway. Delhi Municipal Corporation, Deihi Development Authority, New Delhi Municipal Committee, Ministry of Transport, Planning Commission, etc., it is not possible at this stage to give the targets for completion of the remaining three overbridge/underbridges.

Films on Ill-effects of Liquor and other Intoxicants

*773. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government have taken recourse to films also in order to apprise the public of the ill-effects of liquor and other intoxicants;

(b) if so, the number and names of films produced by Government so far;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to produce such films in future?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) Yes, Sir,

(b) Two documentary films titled.

(i) Lessons from life, and

(ii) Kal Udas Na Hogi (Tomorrow may not be a Sad Day).

(c) and (d) Do not arise.

Production of Tractors

*774. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the financial position of all tractor-manufacturing factories is bad and that tractor-distributing agents have become mannfacturers by investing small capital therein;

(b) whether it is also a fact that they import all intricate parts and they would not be able to manufacture fully indigenous tractors during the next five years;

(c) whether it is also a fact that none of them would be able to achieve capacity to manufacture 50,000 tractors even during the next five years; and

(d) if so, the reasons why Government are not creating a capacity to manufacture at least one lakh tractors per annum in the Public Sector?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) No, Sir.

(b) While it may be true that the more intricate parts will be taken up for manufacture in the final stages, it is expected that most of the manufacturers will achieve an indigenous content as near 100% as possible within the next five years.

(c) None of the existing projects is geared to manufacture 50.000 tractors per annum. Their total aaproved capacity is only 30,000 Nos. and this is expected to be reached by 1973-74.

(d) In addition to the existing units, several schemes have been received by Government for manufacture of tractors for a total capacity of about 100,000 Nos. per annum. There is also a proposal to set up a tractor unit in the public sector with a capacity of about 12,000—15,000 tractors per annum to begin with. The question of expanding its capacity can be considered at a later stage to the light of its performance and the growth in demand.

व्यापार में एकाधिकार समाप्त करने हेतु अपनाये गये उपाय

*775 **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा:** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार को समाप्त करने की नीति को क्रियान्वित करने तथा निकट भविष्य में एकाधिकार का प्रभाव घटाने के लिये क्या कदम तथा कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन पहली दस बड़ी एकाधिकारी फर्मों के नाम क्या हैं, उनका किस-किस उद्योग या व्यापार में एकाधिकार है और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितनी पूंजी विनियोजित की है ;

(ग) इन एकाधिकारवादी फर्मों से प्रत्येक के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कितने मामले दीवानी तथा फौजदारी या जाँच के मामले अलग-अलग दायर किए गए; और

(घ) कितनी फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किए गए और उनके नाम काली सूची में सम्मिलित किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1969, जिसमें एकाधिकार आदि को विनियोजित करने की व्यवस्था है, राज्य-सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है, व लोक-सभा के समक्ष अनिर्णीत है।

(ख) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा सूची-बद्ध दस शीर्षस्थ व्यापार समूहों के नाम, उनको, 1963-64 में प्रदत्त-पूंजी तथा उनके व्यापार के मुख्य प्रवाह सहित सभा-पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दे दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1831/69]**

(ग) ऐसे अनेक पक्ष हो सकते हैं, जिन्होंनें इन प्रसंग-वद्ध कम्पनियों के विरुद्ध वाद अथवा कार्यवाहियाँ दायर की हों, अतएव इनके बारे में पूर्ण आँकड़े संग्रह करना अव्यवहार्य होगा। तथापि कम्पनी रजिस्ट्रारों अथवा केन्द्रीय सरकार के राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों की बाबत आँकड़े, संग्रह किए जा रहे हैं, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

(घ) किसी विशिष्ट कम्पनी अथवा फर्म का, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, सूची-वद्ध करना, अथवा उसके कारण प्रकट नहीं किए जाते हैं। अतः इस सूचना को संग्रह करना तथा प्रकट करना, जनता के हित में नहीं होगा।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना

***776. श्री म० ला० सोंधी :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने वृद्ध तथा असमर्थ निराश्रितों को पेंशन दी जा रही है;

(ख) गत वर्ष कुल कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक नई अग्रिम परियोजना के रूप में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में किसी भी वृद्ध तथा असमर्थ निराश्रितों को पेंशन नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

***777. डा० सुशीला नैयर :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है:

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है :

(ग) इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) स्थान के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है।

(ग) और (घ) सहयोग की शर्तें अभी अन्तिम रूप से तय नहीं की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट कारखाने

*778. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में तीन सीमेंट कारखाने स्थापित करने का है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले इन तीनों सीमेंट कारखानों की कुल क्षमता क्या होगी और इन कारखानों में कितनी पूँजी लगाने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) मंधार (मध्य प्रदेश), कुटकुंग (मैसूर) तथा बोकाजन (आसाम) में प्रत्येक की 200,000 मी० टन। इन पर किया जाने वाला विनियोजन क्रमशः 451,51 लाख रु०, 442.79 लाख रु० तथा 858 लाख रुपए हैं।

Charging of High Rate of Coca-Cola by Railways

*779. **Shri Ramavatar Shastri : Shri Yamuna Prasad Mandal:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Administration has fixed the price of Coca-Cola at 65 paisa per bottle, whereas it is sold at the rate of 40 paise per bottle in the markets of Delhi; and

(b) if so, the propriety of charging 25 paise per bottle more from the Railway passengers?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) and (b) The price of Coca Cola varies at different stations. At Delhi and New Delhi stations and other stations in Delhi area, Coca-Cola is sold at 40 paise per bottle which is the prevalent market rate. The rates of sale of Coca-Cola at other stations have been fixed after taking into account the incidental costs involved and the rates prevalent in the local markets.

नमक पर से उप-कर को हटाना

*780. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी वर्ष में नमक पर से उप-कर समाप्त करने के लिए बार-बार माँग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस माँग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है: और

(ग) इस उप-कर को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के अतिरिक्त सरकार को नमक पर से उप-कर समाप्त करने की किसी माँग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों की संख्या

4899. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीतनम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित देश के नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन पिछड़े हुए नागरिकों की सहायता करने के लिये सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों में सरकारी नौकरी में इस समय अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों तथा हरिजनों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इन सरकारी कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है?

विधि मन्त्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुथ्याल राव) :

(क) अनुसूचित जातियाँ–6,44,17,366 (1961 की जनगणना)

अनुसूचित आदिम जातियाँ-2,98,79,249 (1961 की जनगणना)

(ख) सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों के अधीन लाभ उठानें के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जिन समस्याओं के लिये लम्बे समय के सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है अथवा जिनकी पूरे देश के लिए ऊँची प्राथमिकता है, उन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन ध्यान दिया जाता है। इन लोगों को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी विभिन्न राज्यों द्वारा योजनायें चलाई जाती हैं। इन सुविधाओं से सम्बन्धित व्यौरा इस विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में उपलब्ध है। सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्तयों में आरक्षण के लिए भी व्यवस्था की है।

(ग) अब तक प्राप्त हुई सूचना नीचे दी गई है :—

अनुसूचित जातियाँ

(1) श्रेणी 1 — 2.11%
(2) श्रेणी 2 — 3.11%

(3) श्रेणी 3	—	9.22%
(4) श्रेणी 4	—	18.31% (मेहतरों को छोड़ कर)
(5) मेहतर	—	84.58%

अनुसूचित आदिम जातियाँ

(1) श्रेणी 1	—	0.59%
(2) श्रेणी 2	—	0.42%
(3) श्रेणी 3	—	1.27%
(4) श्रेणी 4 (मेहतरों को छोड़ कर)	—	3.61%
(5) मेहतर	—	0.67%

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:—

पदोन्नति

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी 2 के पदों में तथा चयन से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी 3 और 4 के पदों में अथवा उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में, जिनमें सीधी भर्ती 50% से अधिक न हो, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए $12\frac{1}{2}$% तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5% आरक्षण किया गया है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

4900. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टरों की माँग है और उनका रुपये में मूल्य कितना है;

(ख) गत वर्ष देश में कितने ट्रैक्टर बने और कितने ट्रैक्टर विदेशों से मंगाये गए तथा उनका रुपयों में मूल्य कितना-कितना है;

(ग) लाइसेंस प्रणाली समाप्त होने के बाद कितने पक्षों को ट्रैक्टर बनाने के लिए कारखाना लगाने के प्रस्ताव भेजे हैं और सरकार ने प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ट्रैक्टर-निर्माण उद्योग 10 वर्ष बाद, जब बाजार में ट्रैक्टरों की भरमार हो जायेगी, जैसा कि इस उद्योग को बढ़ाने के वर्तमान प्रयत्नों से दिखाई देता है, लाभ क्या रहेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) चालू वर्ष में कुल अनुमानित माँग जिसमें विगत कुछ वर्षों की अतृप्त माँग भी

सम्मिलित है, 83,000 ट्रैक्टर है। वर्ष 1973-74 में वार्षिक माँग 90,000 ट्रैक्टर होने का अनुमान है। चूंकि भिन्न-भिन्न मार्कों के ट्रैक्टरों का मूल्य अलग होता है अतः वार्षिक माँग के मूल्य का सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) 1968-69 में देशी उत्पादन 30 करोड़ रुपये के मूल्य के 15,427 ट्रैक्टर हुआ। इसी वर्ष में 14 करोड़ रुपए के मूल्य के 15,000 ट्रक्टरों के आयात की अनुमति दी गई थी। किन्तु वास्तव में इस वर्ष 3500 ट्रैक्टर ही आये जिनका मूल्य 305 करोड़ रुपए था।

(ग) ट्रैक्टर उद्योग को लाइसेंसीकरण से मुक्त करने के पश्चात् ट्रैक्टर बनाने के प्रस्ताव करने वाली पार्टियों के नाम तथा उनके प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:—

क्रम सं०	पार्टी का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स गाजियाबाद इन्जी० क० प्रा० लि०, नई दिल्ली।	विदेशी सहयोग की शर्तों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और पार्टी को मशीनों के आयात के लिए आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।
2.	मै० इण्डियन एग्रो मशीन्स, बम्बई ।	विदेशी सहयोग की शर्तों तथा प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है। अपनी प्रारम्भिक उत्पादन अवस्था में कम्पनी के मशीनों के आयात की आवश्यकता नहीं होगी
3.	डा० आर० कमाल, हैदराबाद।	विदेशी सहयोग की शर्तों तथा प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम से स्वीकृति दी जा चुकी है और पार्टी से मशीनों के आयात के लिए आवेदन देने को कहा गया है।
4.	मै० एस्कार्ट्स लि० फरीदाबाद।	वही
5.	मै० किर्लोस्कर ब्रादर्स, लि०, पूना	विदेशी सहयोग की शर्तों तथा प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है। कुछ शर्तों पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध विचाराधीन है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए उनका आवेदन प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है।
6.	मै० प्रेम एग्रो इन्जी० कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली।	विदेशी सहयोग की शर्तें तथा प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात का उनका आवेदन अगस्त, 1969 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

7.	मै० परफेक्ट ट्रैक्टर्स लि०, पटियाला	विदेशी सहयोग की शर्तें तथा प्रावस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है। पार्टी को आशा है कि वह पूंजीगत वस्तुओं को आयात के लिए आवेदन सितम्बर, 1969 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।
8.	मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	प्रस्ताव जो कि जून, 1969 के मध्य में प्राप्त हुआ था, अभी विचाराधीन है।
9.	मै० डी० डी० देसाई, बम्बई।	प्रस्ताव कई दृष्टियों से अपूर्ण है। कुछ और ब्यौरा माँगा गया है।
10.	मै० स्टीमर इण्डिया लि०	प्रस्ताव 24 जुलाई, 1969 को प्राप्त हुआ था और वह विचाराधीन है।
11.	मै० ढांढा इन्जी० प्रा० लि०, फरीदाबाद।	यह प्रस्ताव जिसमें विदेशी सहयोग का विचार नहीं है, अभी विचाराधीन है।

(ग) यदि इस समय विचाराधीन सभी योजनाएँ पूर्णरूप से सफल हो जाती हैं तो इन योजनाओं से 10 वर्ष पश्चात् लगभग 10,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बना करेंगे जो कि विद्यमान एककों के वर्तमान उत्पादन को मिला कर उस समय की माँग से अधिक नहीं होंगे।

लघु उद्योग स्थापित करने के लिये इंजीनियरों को सहायता

4901. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए इंजीनियरों तथा तकनीशनों की वित्तीय सहायता देने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं और ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर क्या है;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य ने अब तक कितनी-कितनी वित्तीय राशि प्राप्त की है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इंजीनियरों, तकनीशनों तथा अन्य लोगो ने कितने लघु उद्योग स्थापित किए हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि अनेक लघु उद्योग इस कारण बन्द हो गए हैं क्योंकि सरकार ने अत्यावश्यक पुर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी है और यदि हाँ, तो इसका सबसे बुरा प्रभाव किन उद्योगों पर पड़ा है?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य तकनीकी योग्यता रखनें वाले उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना में आर्थिक सहायता देने के लिये एक योजना 'माडल स्कीम' के नाम से तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को भेजी गई ताकि वे राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सहायतार्थ इसे

भी सम्मिलित कर लें । योजना की प्रमुख बातें, जिनमें सुझाए गए प्रोत्साहन भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे तकनीशियनों, इंजीनियरों और अन्य योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना और सहायता देना है जो लघु उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि रखते हैं और उन्हें चलाने में समर्थ हैं, किन्तु अपर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण ऐसे एककों की स्थापना करने में असमर्थ हैं ।

(2) राज्य क्षेत्र में यह योजना राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाई जायेगी।

(3) सभी ऐसे तकनीशियनों, प्रोद्योगिकीवाद, इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति उदाहरणस्वरूप विज्ञान और वाणिज्य स्नातक आदि यदि वे किसी औद्योगिक एकक के पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं हैं तो यह सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(4) अर्हता रखने वाले व्यक्ति कोई भी लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं किन्तु निम्नलिखित उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी :—

(क) जो उद्योग आयात प्रतिस्थापन, निर्यात की उन्नति और कृषि निवेश के उत्पादनों में सहायक हों;

(ख) जो वृहत् उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में काम करें;

(ग) वे उद्योग जो उप भोज्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हों और देशीय कच्चे माल पर निर्भर हों ।

(घ) ये उद्योग जिनसे ग्रामीण कर्मशालाओं की स्थापना हो।

(5) लघु उद्योगों के प्रकरण में एक उद्योग को आर्थिक सहायता 6.00 लाख रुपए तथा सहायक उद्योगों के प्रकरण में 8 लाख रुपए से अधिक प्रारम्भ में नहीं मिलेगी।

(6) आर्थिक सहायता निम्नलिखित रूपों में दी जायेगी :—

(अ) **स्थान, भवन और मशीनें**

40 प्रतिशत राशि राज्य के भाग के रूप में जहाँ कहीं आवश्यक हो समझा जाय, 55 प्रतिशत राशि लंबी अवधि ऋण के रूप में दी जा सकेगी और शेष 5 प्रतिशत राशि तकनीशियन और इंजीनियरों इत्यादि द्वारा स्वयं जुटाई जायेगी ।

(ब) **कार्यकारी पूंजी**

30 प्रतिशत अल्पकाल ऋण के रूप में प्राप्त हो सकेगी 70 प्रतिशत वित्त प्रदायक संस्थाओं से प्राप्त होगी और 10 प्रतिशत स्वयं उद्यमियों को देनी होगी।

(7) मशीनों आदि की खरीद के लिए दिया गया ऋण 7 वर्षों में चुकाया जायेगा जबकि अन्य कार्यों के लिए दी गई सहायता की राशि 7 वर्षों के उपरान्त 5 वर्षों में चुकानी होगी।

(ख) पिछली प्रक्रिया के अनुसार लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को

केन्द्रीय सहायता प्रथम तीन तिमाहियों के वास्तविक व्यय तथा वर्ष की चौथी तिमाही के पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में दी जाती थी। किन्तु अब इस प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है और चालू वर्ष से राज्य योजना के अन्तर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता अब समूह अनुदान (ब्लोक ग्रांट) तथा ऋण के रूप में मिला करेगी तथा उसे विकास की अलग–अलग मदों से संबद्ध नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

गया जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना

4902. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली अप तथा डाउन राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी गया जंकशन पर नहीं रुकती;

(ख) यदि हाँ, तो क्या शीघ्र ही गया जंकशन पर इस रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था करने का अधिकारियों का विचार है; और

(ग) ऐसा कब तक होने की संभावना है?

रेल-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

जहानाबाद स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर पीने का पानी

4903. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के गया-पटना सैक्शन पर जहानाबाद स्टेशन पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिए क्या इस स्टेशन पर कम से कम चार या पाँच स्थायी पेयजल बूथों या प्याऊओं की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं। अप प्लेटफार्म पर चार और डाउन प्लेटफार्म पर दो नल पहले से ही हैं। इसके अलावा, प्याऊ की भी व्यवस्था की गयी है जहाँ घड़ों में पानी रखा रहता है। जहानाबाद स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए स्थायी रूप से दो और गर्मी के दिनों में तीन कर्मचारियों की व्यवस्था है। यह प्रबन्ध पर्याप्त पाया गया है और इस स्टेशन पर पेय जल की व्यवस्था अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता। उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा इस स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर पानी के दो अतिरिक्त नलों की व्यवस्था करने का विचार है।

पटना तना गया के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करना

4904 **श्री चन्द्र शेखर सिंह**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना तथा गया के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करने की कोई रेलवे विभाग की योजना है जिससे इस लाइन पर भीड़ कम की जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो कब इसके कार्यान्वित हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) यातायात की दृष्टि से पटना-गया लाइन को दोहरी लाइन बनाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि इकहरी लाइन होते हुए भी इस खंड पर पर्याप्त फालतू क्षमता उपलब्ध है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गुजरात में कृषि उद्योग

4905. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात के प्रत्येक जिले में कौन-कौन से कृषि–उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्य के प्रत्येक जिले में वर्षवार कुल कितने मूल्य के माल का उत्पादन हुआ; और

(ग) प्रत्येक जिले में इन कृषि-उद्योगों में रोजगार की कुल कितनी अतिरिक्त सम्भावना है और वास्तविक रूप से कितने लोग इस समय इन उद्योगों में काम कर रहे हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल–भाड़े का पुनरीक्षण

4906. **श्री गा० शं० मिश्र**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के माल के परिवहन के लिए प्रतिवर्ष औसतन 3 प्रतिशत के हिसाब से पिछले तीन वर्षों में रेल–भाड़े में वृद्धि करने के मूल कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया था कि रेल–भाड़े के इस प्रकार की वृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में मूल्य वृद्धि हो रही है जिसका भार अधिकतर मध्य और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों पर पड़ता है;

(ग) क्या रेलवे में माल यातायात को डीजल इंजनों से ढोये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई ढुलाई क्षमता के कारण आय में वृद्धि से डीजल इंजनों के प्रयोग जैसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर होने वाले अधिक व्यय को पूरा नहीं किया जा सकता;

(घ) रेल भाड़े में बार-बार वृद्धि करने के क्या कारण हैं जिससे मध्य और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) क्या यह सच है कि डीजल पद्धति की तुलना में पूंजीगत लागत और संचालन लागत के आधार पर बिजली के इंजनों से माल की ढुलाई अधिक अच्छी और लाभप्रद सिद्ध हुई है और यदि हाँ, तो दोनों पद्धतियों में कितना अन्तर है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) पूरक प्रभार के द्वारा रेलवे के भाड़े की दरों में संशोधन करने का मूल कारण वेतन दरों में तथा ईंधन, स्पात आद जैसे सामानों के मूल्य में वृद्धि होना है तथा रेलों द्वारा ऊँची दर पर अंशदान कर दिया जाता है।

(ख) भाड़े की दर में वृद्धि को यथासम्भव कम से कम स्तर पर रखने के लिये हर संभव प्रयत्न किया गया ताकि आवश्यक पण्यों के मूल्य-स्तरों का प्रभाव रेल के खर्च को पूरा करने की आवश्यकताओं के अनुकूल से कम हो। वास्तव में, प्रश्न के इस भाग में उल्लिखित बातों पर विचार करके संशोधित प्रभार लगाने में कुछ छूट भी दी गयी थी।

(ग) जी नहीं, कर्मचारी-वर्ग, ईंधन और सामान की बढ़ती हुई कीमतों के कारण।

(घ) भाग (क) के उत्तर में यह बात बता दी गयी है।

(ङ) प्रत्येक खण्ड के लिए अत्यन्त उपयुक्त और कम खर्चीला कर्षण क्या होगा यह यातायात के घनत्व और लाइन-क्षमता उतार-चढ़ाव, सस्ती बिजली की उपलब्धता, बिजली लगे दूसरे खण्डों का सान्निध्य आदि अन्य विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। इसलिए, बिजलीकरण या डीजलीकरण के तुलनात्मक लाभ प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

लकड़ी, लाख तथा अन्य मदों के लिये रेलवे की मांगें

4907. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की (i) लकड़ी (ii) लाख (iii) तरल साबुन (iv) बिटूमन फ़ेल्ट (v) जंगनिरोध रसायन तथा (vi) जी० आई० तारों सम्बन्धी वार्षिक माँग क्या हैं;

(ख) रेलवे के विभिन्न खण्डों में बड़ी मात्रा में खरीदे गए माल एकत्रित करने के लिये कितने केन्द्र कहाँ-कहाँ हैं;

(ग) इन आवश्यकताओं की पूर्ति किन स्रोतों से होती है; और

(घ) यह सामान सप्लाई करने वाले उद्योग एककों के नाम क्या हैं तथा इनका कार्य कैसा है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1832/69]

मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास तथा आदिम जाति कल्याण सम्बन्धी योजना

4908. **श्री वे० वि० सिंह** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास तथा आदिम जातियों के लोगों के कल्याण की कोई योजना तैयार तथा मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक मध्य प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर कुल कितना कम व्यय किया गया है, आदिम जातियों के लोगों वाले अन्य राज्यों में किए गए तत्सम्बन्धी व्यय की तुलना में यह व्यय कैसा है और क्या मध्य प्रदेश में सबसे कम धन व्यय किया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुथ्यालराव) : (क) से (ग) अनुसूचित आदिम जातियों को साधारण क्षेत्र कार्यक्रम से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त उनके कल्याण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजनाबद्ध प्रयत्न किए गए हैं । इनका ब्यौरा इस विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों में उपलब्ध है । कल्याण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय मध्य प्रदेश में आदिम जातीय आबादी की अधिकता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। यह बात इस तथ्य से विदित है कि केन्द्रीय क्षेत्र में, जहाँ सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है, उनके कल्याण के लिए परिव्यय द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं की कालावधियों में क्रमशः 391.41 लाख रुपए तथा 544.53 लाख रुपए थे । इन योजनाओं में राज्यों के लिए किए गए परिव्ययों में ये सबसे अधिक थे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों की अधिकता के कारण ही मध्य प्रदेश में देश में चल रहे आदिम जातीय विकास खण्डों की सबसे अधिक संख्या है।

आदिम जातीय कल्याण परियोजनाओं को मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले में अब तक दी गई वित्तीय सहायता विवरण दर्शाई गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1833/69]**

Cottage Industries in Kumaun (U.P.)

4909. **Shri J.B.S. Bist**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9 on the 18th February, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the inadequacy of cottage industry in Kumaun (Uttar Pradesh) has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Setting up of industries in Public Sector in Hill Districts of U.P.

4910. **Shri J.B.S. Bist**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up industries in Public Sector in all the eight District (Hill districts) of Uttar Pradesh;

(b) if so, the types of industries to be set up and the districts where they would be set up; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (c) For the purpose of setting up industries, the entire area of a state is taken as one single unit in planning for industrial development. The central industrial projects proposed to be set up in the Fourth Five Year Plan and their locations are indicated on pages 253-260 of the Draft Fourth Five Year Plan Report. A provision has been made in the Plan for the completion of the Heavy Structurals Projects, Naini, (Allahabad) and the Heavy Electrical Equipment Factory, Hardwar. It has been decided to set up a factory at Naini for the manufacture of transmission equipment as a unit of the Indian Telephone Industries. A proposal to set up a public sector project at Naini for the manufacture of pumps and compressors is also under consideration. In the State sector a cement factory at Dalla in Mirzapur District is under construction and is likely to be commissioned shortly. Over and above the investment that will be made on the central projects, an outlay of Rs. 23.72 crores on large and medium industries and Rs. 20.10 crores on village and small industries has been proposed under the State sector during the Fourth Plan. So far as the settiug up of new industrial projects in U.P. in the private sector is concerned, this is primarily left to the initiative of private enterpreneurs.

दुर्घटनाएँ तथा रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

4911. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छै महीनों में देश में कितनी रेल–दुर्घटनायें हुईं या रेलगाड़ियाँ पटरी से उतरीं;

(ख) उक्त अवधि में गुजरात राज्य में ऐसा दुर्घटनाओं की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति, जान आदि की कितनी हानि हुई; और

(घ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 1-2-69 से 31-7-69 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में टक्कर लगने, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क–यातायात से टरकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 492 दुर्घटनायें हुई।

(ख) चूंकि रेलों के लिए राज्यों को प्रशासनिक यूनिट नहीं माना जाता, इसलिए गाड़ी दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है।

(ग) रेल सम्पत्ति को अनुमानतः लगभग 66,46,241 रुपए की हानि हुई। इन दुर्घटनाओं में 236 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(घ) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार एकमात्र मुख्य कारण रेल कर्मचारियों की गलती है, अतः रेलों पर गठित किए गए संरक्षा संगठन, गाड़ी-परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील हैं कि उन्हें निर्धारित संरक्षा नियमों का समुचित ज्ञान हो। इसके अलावा, यह देखने के लिए भी स्थानिक-जाँच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं करते और लाघव तरीकों को तो नहीं अपनाते। सभी दुर्घटनाओं की जाँच की जाती है और दोषी कर्मचारियों को निवारणार्थ दण्ड दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, यदि जाँच से किन्हीं अन्य त्रुटियों या गलतियों का पता चलता है तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है कि वे दुबारा न हों। सुधरी हुई सिगनल और अन्तपाश व्यवस्था, रेल-पथ परिपथ आदि के रूप में यथासम्भव टेक्नोलोजी सम्बन्धी सुधार भी किए गए हैं। इन उपायों के परिणाम-स्वरूप गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही है।

लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए पश्चिमी बंगाल की फर्म मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच करार

4912. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लकड़ी के स्लीपर सप्लाई करने के लिये पश्चिम बंगाल की फर्म मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच हुए करार का व्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितने रुपए का माल खरीदा जायेगा, निविदाएँ माँगने का ढंग क्या था, दरों के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और बताई गई दरों की दृष्टि से उनका क्रम क्या है;

(ग) माल सप्लाई करने वाली जो फर्म रेलवे को अब तक माल सप्लाई करती रहती है उसका नाम, उसकी दरें, उसके द्वारा दी जाने वाली छूट, उसका माल सप्लाई करने का कार्यक्रम, उसके द्वारा किए गए पिछले कार्य का व्यौरा क्या है, उनके द्वारा दिए गए विक्रय-मूल प्रस्तावों का अन्य प्रस्तावों में कौन सा स्थान है; और

(घ) इस ठेके को एकाधिकार के रूप में पश्चिमी बंगाल की मैसर्स गुहा एण्ड कम्पनी को ही दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि वह इस क्षेत्र में नयी फर्म है और यह भी पता नहीं है कि इतने बड़े क्रयादेश को पूरा करने की उसकी वित्तीय क्षमता है या नहीं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जून, 1969 में पश्चिम बंगाल की मैसर्स बी० एन० गुहा एण्ड कम्पनी को लकड़ी के स्लीपर सप्लाई करने के लिये आर्डर दिए गए थे। उसका व्यौरा निम्नलिखित है :—

(1)	**मात्रा**	**संख्या**
	बड़ी लाइन	1,20,000
	मीटर लाइन	30,000
	छोटी लाइन	15,000
	विशेष	75,000 घन फुट
(2)	कुल अनुमानित मूल्य	110 लाख रु०
	सुपुर्दगी	31-10-1971

(ख) 1969 में जारी किए गए मध्य प्रदेश के जंगलों से सप्लाई के लिए खरीद के आर्डरों का कुल मूल्य लगभग 125 लाख रुपए है। खुले टेण्डरों के आधार पर दरें मँगायी गयीं। इस टेण्डर पर प्राप्त पेशकश की संख्या केवल 3 थी। एक फर्म ने अपना टेण्डर वापस ले लिया और केवल अन्य 2 फर्में रह गयीं। उनका प्रारम्भिक क्रम इस प्रकार है:—

निम्नतम—मेसर्स एम० एस० सहस्रबुद्धे एण्ड कं०

उच्चतम—मैसर्स बी० एन० गुहा एण्ड कं०

इसके अलावा दो सरकारी उपक्रमों ने भी स्लीपर सप्लाई करने की पेशकश की थी।

अन्तिम पेशकश मंजूर करने के पहले दरें कम करने के लिए तीन इच्छुक फर्मों के साथ बातचीत की गयी।

(ग) मेसर्स बा० एन० गुहा और कम्पनी को छोड़ कर अन्य पार्टियों के पहले के कामों के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि रेलों को पहले मध्य प्रदेश राज्य जंगल विभाग द्वारा सरकार से सरकार के आधार पर सीधे स्लीपर सप्लाई किए जा रहे थे।

(घ) चूंकि खुले टेण्डर माँगे गए थे इसलिए एकाधिकार आधार का कोई प्रश्न नहीं है। इसके अलावा पुनर्वास उद्योग निगम लि० और मेसर्स एम० एच० सहस्र बुद्धे एण्ड कं० को भी क्रमशः 12.3 लाख और 3.13 लाख रु० के ठेके दिए गए। मेसर्स बी० एन० गुहा एण्ड कं० इस क्षेत्र में नये नहीं हैं। मार्च 1968 में उन्हें लगभग 63 लाख रुपए के मूल्य के स्लीपर सप्लाई करने के लिए ठेका दिया गया था जो न्यूनाधिक पूरा हो गया है।

कैपेसिटरों का आयात

4913. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 33 किलोवाट तक के विद्युत्चालित कैपेसिटरों का भी आयात किया जाता है जबकि उनके निर्माण के लिए कैपेसिटर उद्योग की क्षमता फालतू पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1968 से मार्च, 1969 तक हर प्रकार के कुल कितने विद्युत् चालित कैपेसिटरों का आयात किया गया, उनके आयात पर कितनी धन राशि खर्च हुई और उनका आयात किस देश से किया गया था;

(ग) क्या कैपेसिटरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई माँग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 11 कि० वा० श्रेणी तक के कैपेसिटरों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। उच्च श्रेणियों के कैपेसिटरों के आयात की अनुमति दी गई है क्योंकि उच्च श्रेणियों के कैपेसिटरों के निर्माण के लिए देशी क्षमता अपेक्षित मात्रा तक अभी विकसित नहीं की गई है।

(ख) जानकारी अनुबंध में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1834/69] विभिन्न प्रश्न के आयात किए गए कैपेसिटरों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी हाँ। 11 कि० वा० तक के कैपेसिटरों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है तथापि वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए इस वस्तु पर रोक नहीं लगाई गई है। 11 कि० वा० से अधिक के कैपेसिटरों के आयात पर रोक लगाना इसलिए वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि अपेक्षित मात्रा तक देशी क्षमता का विकास नहीं हुआ है। आयात के प्रत्येक मामले पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

क्षत्रीय रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लिये गये लिपिक

4914. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :** क्या रेलवे मंत्री क्रमशः 17 दिसम्बर, 1968 और 13 मई, 1969 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 4748 और 9374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लिपिकों को प्रतिनियुक्ति पर आए हुए मानने का निर्णय करते समय सरकार को यह पता नहीं था कि ये लिपिक रेलवे बोर्ड के कार्यालय में स्थायी तौर पर नियुक्ति के हकदार थे;

(ख) 17 दिसम्बर, 1968 को दिए गए उत्तर में निर्दिष्ट वर्तमान रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में कौन सा ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार ये लिपिक रेलवे बोर्ड के कार्यालय में खपाये जा सकते हैं; और

(ग) क्या अन्तिम रूप में इनकी स्थायी तौर पर नियुक्ति की जायेगी और उस आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इन क्लर्कों को लोअर डिवीज़न ग्रेड में जिसमें कि उन्हें बोर्ड के कार्यालय में आरम्भ में नियुक्त किया गया था अन्तिम रूप से समाहित करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें पूर्वव्याप्ति सहित उनके मूल कार्यालयों में उच्चतर पदों पर मूल रूप से नियुक्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग) इन क्लर्कों को बोर्ड के कार्यालय में उनकी सेवा-अवधि के आधार पर लोअर डिवीज़न ग्रेड में 'प्रोफार्मा' स्थिति प्रदान की जायेगी। इस आधार पर जब उनकी बारी आयेगी तो रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा से सम्बन्धित पुनर्संगठन और सुदृढ़ीकरण योजना के वर्तमान पैरा 14 के अनुसार जो सभा-पटल पर रखे गए अनुबन्ध में उद्धृत किया गया है उनको समाहित करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1835/69]। अभी इस ग्रेड में उनके समाहन का समय नहीं आया है।

क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में बुलाए गए लिपिकों के वेतनों का निर्धारण

4915. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :** क्या रेलवे मंत्री 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नियम 2026 (एफ० आर० 30) आर० 2 का परन्तुक "तन्निम्न नियम" के अन्तर्गत एक कर्मचारी का वेतन (निर्धारित करने के उद्देश्य से, जब सेवा की सामान्य लाइन में उसकी पदोन्नति स्थायी है, सरकार को उस नियम के उपबन्धों में नर्मी करने का अधिकार नहीं देता; और

(ख) जहाँ तक इन लिपिकों का, जिनकी पदोन्नति स्थायी थी सम्बन्ध है क्या 20 अप्रैल, 1961 का आदेश एफ० आर० 30 के विरुद्ध नहीं है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) यह छूट राष्ट्रपति की मंजूरी से दी गयी थी। इस सम्बन्ध में 20-4-1961 का आदेश सं० ई० 60 पी० ए० 2/69 आर० बी० 3 (ख) देखिये। इस आदेश की एक प्रति 15-4-1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6381 के उत्तर के साथ नत्थी की गयी थी।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गुजरात में औद्योगिक विकास के लिए ऋण

4916. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में गुजरात में किन-किन व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों को औद्योगिक विकास के लिये ऋण दिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जी० ई० सी० का ए० ई० आई० के साथ विलय

4917. **श्री नरदेव स्नातक :** **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० ई० सी० द्वारा ए० ई० आई० के साथ विलय के लिये प्रस्तुत आवेदन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हाँ तो यह निर्णय कब दिया गया था तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को दृष्टि में रखते हुए जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और ए० ई० आई० के अन्य भारतीय अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार की योजना अब क्या है; और

(घ) ए० ई० आई० के वरिष्ठ इंजीनियरों तथा कार्यकारी अधिकारियों के जिन्हें ए० ई० आई० से तकनीकी दृष्टि से बाध्य करके त्यागपत्र दिलवा कर जी० ई० सी० में नियुक्त किया गया है वेतन भत्तों तथा परिलब्धियों की रक्षा करने के लिये सरकार की अब क्या योजना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हाँ श्रीमान् । यह निर्णय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ए० ई० आई० (इन्डिया) लिमिटेड के साथ जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड को विलय की अनुमति ए० देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 27-2-1969 को दिया गया था ।

(1) कि जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के हिस्सेधारियों के 5,25,000 हिस्सों के निगमन के लिये, पूंजी निगमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(2) कि ए० ई० आई० के विदेशी हिस्सेधारियों के लिए जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड के 3,50,000 हिस्सों के निगमन के लिये, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा; तथा

(3) कि जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड, ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के उन कर्मचारियों के साथ, जो जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड, अर्थात् हस्तांतरी कम्पनी के साथ, वर्तमान निबन्धनों तथा प्रतिबन्धों पर, सेवा संविदा करने के इच्छुक होंगे संविदा प्रदान करेगी ।

(ग) विभाग ने, विलय आवेदन-पत्र तथा अनेक हिस्सेधारियों के हितों की परीक्षा करके, न्यायालय में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा, इन दोनों कम्पनियों के विलय के लिये आरोपित प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए, जब व जैसे भी, कम्पनी से, इस विलीनीकरण प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये, पूँजी निगमन का आवेदन-पत्र प्राप्त होगा, उसपर गुणावगुण के आधार पर विचार होगा।

(घ) कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रतिबन्ध के आधार पर है कि मैसर्स जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड, ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के ऐसे कर्मचारियों के साथ, उन्हीं निबन्धनों तथा प्रतिबन्धों पर, जिन पर कि वह ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं, यदि जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड, के साथ, सेवा-संविदा करने के इच्छुक होंगे, सेवा संविदा प्रदान करेगी । तदनुसार ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के कोई भी पीड़ित कर्मचारियों को न्यायालय के कथित आदेश निबन्धनों के रूप में ही निवारण प्राप्त करना है ।

जहानाबाद रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर प्रतीक्षालय

4918. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में गया-पटना सैक्शन पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर पहले तथा दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो पहले तथा दूसरे दर्जे के यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिये वहाँ प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) जहानाबाद स्टेशन पर पहले और दूसरे दर्जे की एक सम्मिलित प्रतीक्षालय पुरुषों के लिए तथा पहले और दूसरे दर्जे के एक और सम्मिलित प्रतीक्षालय महिलाओं के लिए पहले से ही मौजूद हैं। इस स्टेशन पर ऊँचे दर्जे का जितना यात्री यातायात होता है उसके लिए ये प्रतीक्षालय पर्याप्त समझे जाते हैं ।

देश में मधुमक्खी-पालन

4919. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इन दिनों मधुमक्खी-पालन वृद्धि पर है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार मधुमक्खी-पालकों को वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध करा रही है;

(ग) मधुमक्खी-पालन से कितनी आय होने की आशा है; और

(घ) देश में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मधुमक्खी-पालन से कितनी सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) लगभग 75 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ।

(घ) मधुमक्खियों द्वारा पराग सेचन के कारण कुछ क्षेत्रों में कुछ फल तथा वनस्पतियों की फसलों में वृद्धि परिलक्षित की गई है। किन्तु मधुमक्खियों के परपराग सेचन द्वारा अन्न उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है, इसके बारे में यथार्थ आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

औद्योगिक वस्तुओं की माँग

4920. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वस्तुओं की वास्तविक माँग में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में तीसरी योजना में वास्तविक माँग में कितनी वृद्धि हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) औद्योगिक वस्तुओं की प्रभावी माँग का यथार्थ अनुमान लगाना कठिन है। देश में प्राप्त औद्योगिक वस्तुओं के संभरण से संबंधित आँकड़े ही उपलब्ध हैं परन्तु इन आँकड़ों से केवल औद्योगिक वस्तुओं की प्राप्ति का ही पता चलता है, औद्योगिक वस्तुओं की माँग के बारे में पता नहीं चलता।

यह मानते हुए कि मूल्य परिवर्तन प्रक्रिया से प्रभावी माँग तथा संभरण में कुछ समय में अंतोगत्वा संतुलन स्थापित होगा तो चालू मूल्यों के आधार पर औद्योगिक वस्तुओं के समूचे उत्पादन के मूल्य को इन वस्तुओं की प्रभावी माँग का प्रतीक मानना चाहिए। किन्तु अस्थायी रूप से कमी वाले कुछ आवश्यक वस्तुओं पर समय-समय पर लगाये गए नियंत्रण इन अनुमानों को प्रभावित करते हैं।

1950–51 अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक वस्तुओं की पैदावार की अनुमानित कीमतें 1164 करोड़ रुपए से बढ़कर 1955–56 में 2329 करोड़ रु०, 1960–61 में 3,921 करोड़ रु० तथा 1965–66 में अर्थात् तृतीय योजना के अन्त तक 7,530 करोड़ रुपए तक हो गई।

फैजाबाद में हुई औद्योगिक गोष्ठी

4921. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 और 22 जनवरी, 1969 को फैजाबाद में हुई औद्योगिक गोष्ठी में क्या–क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ख) इनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा–पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1836/69]

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन

4922. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री झा० सुन्दर लाल : श्री तन्नेटि विश्वनाथम :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन लगातार कम हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस वर्ष के मार्च माह से उत्पादन घट गया था लेकिन जुलाई से फिर उत्पादन बढ़ने लगा है।

(ख) श्रमिक अनुशासनहीनता तथा एक धमन भट्टी का एक पखवारे के लिए बन्द रहना।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से सहयोग की माँग की गई है और श्रमिक संबंधों में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर कई बार बात-चीत हुई है। इसमें 7 जून, 1969 को इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता भी शामिल है। 21 जून, 1969 को हिन्दुस्तान स्टील इम्पलाइज यूनियन के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुआ है। आशा है कि स्थिति में सुधार होगा

रेलवे संघों को मान्यता देना

4923. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1965 में उस समय के रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि यदि किसी कार्मिक संघ के, 15 प्रतिशत कर्मचारी सदस्य हों, तथा वह कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करता हो तो वह मान्यता का पात्र होगा;

(ख) यदि हाँ, तो वे सभी शर्तें पूरी करने वाले कितने कार्मिक संघों ने मान्यता के लिए सरकार से प्रार्थना की है और उनमें से कितनों को इस बीच मान्यता दी गई है; और

(ग) यदि किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह सच है कि यह कहा गया था कि यदि उल्लिखित शर्तें पूरी की गयी हों तो उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों द्वारा मान्यता दी जा सकती है;

(ख) और (ग) मान्यता की माँग करने वाली यूनियनों की संख्या के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट ब्यौरा नहीं है। फिर भी, किसी नयी यूनियन को मान्यता नहीं दी गयी है, क्योंकि प्रत्येक रेलवे पर एक से अधिक मान्यताप्राप्त यूनियनें पहले से ही मौजूद हैं और सरकार का और अधिक यूनियनों को मान्यता देने का विचार नहीं है।

दिल्ली की किशनगंज रेलवे बस्ती में क्वार्टर

4924. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किशनगंज रेलवे बस्ती में वर्षा में पानी क्वार्टरों में घुस जाता है और कई बार वह एक से दो फुट तक गहरा होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्तर को ऊँचा करने के लिए तथा वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता

4925. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 1 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4979 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस देने के प्रयोजन के लिए 30 जून, 1963 से 30 जून, 1968 तक प्रत्येक वर्ष के लिए, पृथक-पृथक मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड की स्थित अस्तियाँ कितनी थी?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

30 जून, 1963 से 30 जून 1968 तक भूमि, भवन तथा मशीनों में विनियोजन के निवल मूल्य की जाने वाली कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी निम्नलिखित है:—

1.	30	जून	1963	को	शुद्ध मूल्य	18,23,687.51	लाख रुपये
2.	,,	,,	1964	,,	,,	17,63,370.94	,, ,,
3.	,,	,,	1965	,,	,,	16,49,394.64	,, ,,
4.	,,	,,	1966	,,	,,	16,86,432.95	,, ,,
5.	,,	,,	1967	,,	,,	19,05,897.79	,, ,,
6.	,,	,,	1968	,,	,,	16,73,494.91	,, ,,

कम्पनी ने दिसम्बर, 1968 में सूचित किया है कि उसका भूमि-भवन तथा मशीनों में विनियोजन 25 लाख रुपए से अधिक हो गया है।

रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई

4926. **श्री सीताराम केसरी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्यान्न निगम ने रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई के लिये रेलवे से पर्याप्त प्रबन्ध करने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या रेलवे ने खाद्यान्न की तुरन्त ढुलाई के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) रबी के पिछले मौसम में पंजाब और हरियाना से वसूल किया गया गेहूँ विभिन्न भण्डार डिपुओं और अन्य राज्यों के उपभोक्ता क्षेत्रों में भेजने के लिये भारत के खाद्य निगम ने मई से जुलाई, 1969 तक बड़ी लाइन के 41,607 और मीटर लाइन के 4,533 माल–डिब्बों का अग्रिम कार्यक्रम दिया था।

इस यातायात के शीघ्र संचालन के निमित्त माल–डिब्बों की सप्लाई के लिए इसे तरजीही यातायात अनुसूची की प्राथमिकता श्रेणी "ख" में रखने के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष प्रबन्ध भी किए गए थे :—

(i) सम्बन्धित रेल प्रशासनों और भारत के खाद्य निगम के अधिकारियों की सलाह से विस्तृत अग्रिम योजना बनायी गयी।

(ii) ब्लाक स्पेशलों में खाद्यान्न लादने के कार्यक्रम निश्चित करने के लिये रेलवे तथा भारत के खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच नियमित रूप से पाक्षिक बैठकें की गयीं।

(iii) पूरी गड़ी की लदान में सुविधा हो इस उद्देश्य से लदान-स्थलों को युक्तियुक्त बनाया गया ।

उपर्युक्त कदम उठाने के फलस्वरूप मई से जुलाई, 1969 तक बड़ी लाइन के 53,160 और मीटर लाइन के 5,836 माल–डिब्बे भारत के खाद्य निगम की ओर से लादे गए थे। इस प्रकार भारत के खाद्य निगम ने जो पूर्वानुमान लगाया था उसकी अपेक्षा बड़ी लाइन के 11,553 और मीटर लाइन के 1,303 माल–डिब्बे अधिक लादे गए।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात–उत्पादों का मूल्य

4927. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में इस्पात का 200 रुपया प्रति टन अधिक मूल्य माँगने के कारण निर्मित वस्तुओं के निर्यात आदेश को पूरा करने में कठिनाई आ गई है ;

(ख) अधिक मूल्य माँगने के क्या कारण थे और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के मूल्य सरकारी क्षेत्र द्वारा माँगे गए मूल्यों के बराबर नहीं लाये गए; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि बोकारो स्टील लिमिटेड भारी इंजीनियरिंग निगम को उपकरण के तथागत मूल्य से 45 प्रतिशत अधिक दे रहा है, तो क्या इस बढ़े हुए तटागत मूल्य से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्मित इस्पात के मूल्य में और वृद्धि नहीं होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) और (ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख निर्माताओं द्वारा निर्मित इस्पात भारत में सब जगह समान मूल्यों पर बेचा जाता है। मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति निर्धारित करती है। सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील ने इस समिति

द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य माँगा हो। इसके अतिरिक्त नियत किए जाने वाले इंजीनियरी सामान के लिए इस्पात की पूर्ति संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा संचालित योजना के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर की जती है। अतः किसी प्रमुख उत्पादक द्वारा अधिक मूल्य की माँग से ऐसे सामान के निर्यात को खतरा होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सही नहीं है कि बोकारो स्टील हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को उतरने वाली लागत से 45 प्रतिशत अधिक मूल्य दे रहा है। किसी भी अवस्था में चूंकि बोकारो स्टील हिन्दुस्तान स्टील का अंग नहीं है, बोकारो स्टील द्वारा दी जाने वाली कीमत से हिन्दुस्तान स्टील द्वारा निर्मित इस्पात के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता।

पश्चिम और मध्य रेलवे द्वारा समान दूरी के लिए अलग-अलग किराया लिया जाना

4928. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के दो जोन अर्थात् पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे समान दूरी के लिए अलग–अलग किराया लेते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं, सिवाय ऐसे मामलों के जहाँ विशेष रूप से दूरी बढ़ा कर किराया का लिया जाना लागू है, मध्य और पश्चिम रेलों पर समान दूरियों के लिए एक से किराये लिये जाते हैं। इसके अलावा आवधिक टिकटों के किरायों के मामले में पश्चिम और मध्य रेलों पर कुछ असंगतियाँ मौजूद हैं, जहाँ यद्यपि किलोमीटरों के हिसाब से पूर्णांकित दूरी तो समान है लेकिन किरायों में मामूली सा अन्तर है।

(ख) आवधिक टिकटों के किरायों में इन असंगतियों का कारण यह है कि यह किराये समय-समय पर की गयी कुछ तदर्थ वृद्धियों के साथ वैसे ही चले आ रहे हैं जैसे कि उस समय थे, जब दूरी की गणना मीलों के हिसाब से की जाती थी न कि किलोमीटर के हिसाब से। कुछ मामलों में किलोमीटरों में पूर्णांकित दूरी, जिसपर आवधिक टिकटों के किराये आधारित हैं, अलग-अलग हैं। इस प्रकार स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जबकि किलोमीटरों के हिसाब से दूरी समान रहने पर भी आवधिक टिकटों के किरायों में अन्तर रहता है।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

4929. **श्री ए० श्रीधरन** : **श्री क० लकप्पा** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को अधिकृत और प्रदत्त पूंजी स्थापना के समय कितनी थी और 31 मार्च, 1969 को यह पूंजी कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1969 तक कम्पनी ने सरकार, बैंकों तथा अन्य दलों से अलग-अलग कितना ऋण लिया था;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने कितनी धनराशि ब्याज के रूप में दी;

(घ) कम्पनी ने गत तीन वर्षों में कैसा कार्य किया है और यदि कम्पनी को कोई लाभ या हानि हुई है तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हानि हुई है तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1969–70 के लिये इसके क्या अनुमान हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को, इसके निर्गमन के समय अधिकृत पूँजी 7 करोड़ रुपए की थी, तथा 31–3–1946 को, इसके प्रथम तुलन-पत्र के अनुसार इसकी प्रदत्त पूँजी एक करोड़ रुपए की थी। 31–3–1968 तक इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 20 करोड़ तथा 18.45 करोड़ रुपए की थी। कम्पनी ने, 31–3–1969 को वर्ष समाप्ति का तुलन-पत्र अभी मिसिल नहीं किया है।

(ख) और (ग) यह सूचना संग्रह की जा रही है, व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी:

(घ) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कम्पनी लाभ प्राप्त कर रही है। 1969-70 के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1966, 1967 तथा 1968 के मध्य टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड का निष्पादन

लाख पयों में

	31-3-1966	31-3-1967	31-3-1968
व्यापारावर्त (की गई सेवाओं सहित बिक्री)	79.38	90.65	95.00
करों से पहले लाभ	4.77	6.20	3.95
करों के पश्चात् लाभ	2.88	4.28	3.29

रेलवे विद्युतीकरण, कानपुर के अधिकारियों द्वारा सरकारी जीपों का दुरुपयोग

4930. **श्री ए० श्रीधरन:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे विद्युतीकरण, कानपुर के अधिकारियों द्वारा सरकारी जीपों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों द्वारा स्टेशनों पर खड़ी दिखाई गई जीपों के लिए झूठी यात्रा तथा अन्य बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई अथवा काल्पनिक यात्राओं के लिए कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) शिकायतों की जाँच पूरी हो गयी है और इस मामले को सलाह के लिए केन्द्रीय चौकसी आयोग को भेजा जा रहा है । झूठा मील भत्ता आदि के सम्बन्ध में अधि-कारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाई करना अपेक्षित हो तो इस पर तभी विचार किया जायेगा जब केन्द्रीय चौकसी आयोग की सलाह प्राप्त हो जायेगी।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

4931. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को उसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) कारपोरेशन को 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों तथा अन्य साधनों से पृथक-पृथक कितना ऋण प्राप्त हुआ;

(ग) कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों में कितना ब्याज दिया गया;

(घ) गत तीन वर्षों में इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है और यदि कोई लाभ अथवा हानि हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1969-70 के लिए अनुमान क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क)	स्थापना के समय अर्थात् 1-4-65 तथा	
	31-3-1969 को अधिकृत पूंजी	20 करोड़ रुपए
	31-3-1969 को दे दी गई पूंजी	19.05 करोड़ रुपए
(ख)	भारत सरकार से प्राप्त ऋण और	
	31-3-1969 को बकाया	33·69 करोड़ रुपए
	दूसरी पार्टियों से ऋण	कुछ नहीं
(ग)	1966-67	117.08 लाख रुपए
	1967-68	165.00 लाख रुपए
	1968-69	217.29 लाख रुपए (अंतःकालीन)

(लाख रुपयों में)

(घ)	1966-67	1967-68	1968-69 (अंतः कालीन)
उत्पादन	109	148	164
विक्रय	34.55	87.07	114.92
हानि	472.91	685.50	635.00

(ङ) 1964-65 में कारखाने ने उत्पादन प्रारम्भ किया और अभी पूर्ण क्षमता पर नहीं पहुँचा है एक विशेष प्रकार के पूँजीगत अधिक भारी इंजीनियरी कारखानों को किस प्रकार की हानि होती है इसका अनुमान प्रारम्भिक अवस्था में ही लगाया जा सकता है क्योंकि आधुनिक मशीनरी मदों के बैच-प्राडक्शन में कई वर्षा लगते हैं। हानि का दूसरा मुख्य कारण यह है कि खनन मशीनों की माँग, जिसका पहले अनुमान लगाया गया था और जिसके आधार पर कारखाना स्थापित किया गया था, कम रही है। उत्पादन में विविधता लाने तथा शनैः शनैः संयंत्र की क्षमता को बनाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। 1969-70 के अनुमान निम्नलिखित हैं :—

(i)	उत्पादन	8,000 टन
(ii)	विक्रय	400 लाख रुपए
(iii)	हानि	493.28 लाख रुपए

मोदी उद्योग समूह

4932. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इस समय देश में मोदी उद्योग समूह की फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन फ़र्मों में कितनी पूँजी लगी हुई है ;

(ग) उनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में इस उद्योग समूह को सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और

(ङ) किन-किन एजेंसियों ने यह धनराशि दी थी और ब्याज की दर क्या थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा, मोदी समूह में सम्मिलित की गई कम्पनियों के नाम तथा 1966-67 के वर्ष में उनकी प्रदत्त पूँजी, सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए एक विवरण-पत्र में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1837/67]**

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इसे भेजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Social Welfare Schemes for Harijan in U.P,

4933. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5549 on the 8th April, 1969 regarding social welfare schemes for Harijans in Uttar Pradesh and state :

(a) whether further details in the matter have since been collected;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao):

(a) to (c) The earlier assurance with regard to Unstarred Question No. 4299 answered on the 12th December, 1968 to which reference was made in Unstarred Question No. 5549 answered on 8th April, 1969, has already been dropped by the Committee on Government Assurances in their sitting held on 17.4.69 in view of the revocation of the President's Proclamation from the State. In view of this, particulars are not being collected from the State Government.

S. C. and S. T. Officers in Ministry of I.D., I.T., and C.A.

4934. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Iadustrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9410 on the 13th May, 1969 regarding scheduled Castes and scheduled Tribes Officers in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs and state:

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1838/69]**

(c) Does not arise.

Laying down of Office by Ministers before Elections

4935. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2478 on the 11th March, 1969 and state:

(a) the objection to Government in laying down of office by Ministers six months before elections;

(b) whether such a decision is legal, reasonable and relevant;

(c) if so, how; and

(d) if not, the steps taken by Government to get such a decision altered?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem):

(a) to (c) Government do not consider that Ministers should relinquish office before election; for, the Constitution does not envisage any point of time at which the President of India can exercise his functions except with the aid and advice of the Council of Ministers. If the Ministers, including the Prime Minister, have to resign *en bloc* during the election period, there will be no Council of Ministers—a proposition which is directly opposed to article 74 (1) of the Constitution. Similar provisions are contained in article 163 (1) in so far as the States are concerned. While it is true that in relation to the States there is article 356 of the Constitution, the provisions of that article can be availed of only in case of failure of Constitutional machinery in the States and not otherwise. Therefore, if there be not a failure of the Constitutional machinery in a particular State, the Council of Ministers cannot be got rid of at the time of election.

In no country where Parliamentary Democracy with Cabinet system of Government prevails, Ministers are required to resign on the eve of a General Election.

(d) Does not arise.

रेलवे सुरक्षा दल

4936. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था अधिक अच्छी करने हेतु रेलवे सुरक्षा दल को सुदृढ़ करने के मामले में इस बीच क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितने एकक स्थापित किए जाने हैं; और

(ग) इन एककों का विभिन्न रेलों में आवंटन किस प्रकार होगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 के अनुसार गठित किए गए रेलवे सुरक्षा दल का काम रेल सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यवस्था करना है। यात्रियों की सुरक्षा (रक्षा) का काम राज्य सरकारों के अधीन रेलवे पुलिस की कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटियों के अन्तर्गत आता है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

केरल में उद्योग

4937. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1967 के बाद केरल राज्य में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली क्षेत्र में नये स्टेशनों की स्थापना

4938. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने की दृष्टि से नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों से गाड़ियों को मोड़ने के लिए दिल्ली में नए स्टेशन बनाने की गुंजाइश है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नए स्टेशन स्थापित करने तथा गाड़ियों को मोड़ने के लिए दिल्ली की सीमा के अन्दर विद्यमान स्टेशनों के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा॰राम सुभग सिंह): (क) से (ग) दिल्ली क्षेत्र में अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं। इस समय कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Setting up of Railway Service Commission in Bihar

4939. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all Members of Parliament from Bihar State have unanimously demanded in the House as well as in the Consultative Committees the setting up of a Railway Service Commission in Bihar ; and

(b) if so, the time by which Government propose to implement this demand ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) and (b) A large number of Members have made such a demand. It is not the policy of the Government to set up Railway Service Commissions on the basis of States or Regions. Four Railway Service Commissions with Headquarters at Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras are functioning to cater to the recruitment needs of all the Zonal Railways (except North-east Frontier Railway) in Class III Railway services. A branch office of the Railway Service Commission, Allahabad Calcutta is also functioning at Danapur since July 1966 to serve as an additional convenience for candidates from Bihar area.

Loss of Foodgrains during Transit on Railways

4940. **Shri Ram Gopal Shalwale:** **Shri Suraj Bhan:**
Shri Ranjeet Singh: **Shri Jagunnath Rao Joshi:**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains damaged, while in transit on rail due to rains, or otherwise, last year and during the current year ; and

(b) the remedial measures adopted and the results achieved ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Efforts were made to supply covered wagons for carriage of foodgrains to the maximum extent possible. While in 1968, the percentage of open wagons to the total number of wagons utilized for loading of foodgrains was 15·0 for B. G. and 4·3 for M. G., in the first six months of 1969, the percentage was only 7·8 for B. G. and 1·1 for M. G. Further, open wagons loaded with foodgrains were cleared in block rakes duly covered with tarpaulins and escorted by the Railway Production Force men. Arrangements were also made at stations en route to check the conditions of turpaulins and lashings etc., on open wagons loaded with foodgrains and to adjust the same, If necessary. Steps were also taken to see that, to the extent possible, loading and unloading of foodgrains was done under cover. The General assessment is that these measures have greatly succeeded in reducing the damage by wet to foodgrains during rail transit.

कारों की किस्म

4941. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री अदिचन :**
श्री से० ब० पाटिल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संरक्षण प्राप्त बाजार, काफी ऊँचे मूल्य और अन्य लाभों के बावजूद भारत में गैर–सरकारी कार निर्माता न तो अपने उद्योग का विकास कर सके हैं और न ही उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट कर सके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक चेतावनियों के बावजूद वे घटिया किस्म की कारें बनाते आ रहे हैं और अपनी कारों के लिए अत्यधिक मूल्य माँगते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कारों की किस्म में सुधार हो और उनके मूल्य एक उचित स्तर पर लायें जाए, सरकार का विचार कार–निर्माण उद्योगों पर अधिक नियंत्रण करने का है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) इस समय देश में कारों के तीन निर्माता हैं। विगत कुछ वर्षों की उनकी कुल स्थापित क्षमता तथा उत्पादन निम्न प्रकार है :—

निर्माता का नाम	कार का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1967	1968	1969 जनवरी से जुलाई
मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता	एम्बेसेडर	20,000	20,515,	22,687	12,016
मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० बम्बई	फिएट	12,000	10,055	12,276	7,052
मै० स्टैण्डर्ड मोटर प्रोड्क्ट्स इण्डिया लि० मद्रास	स्टैण्डर्ड हेराल्ड	3,500	2,769	2,345	1,069
कुल		35,500,	33,339	37,308	20,157

इसके देखने से पता चलेगा कि उत्पादन स्थापित क्षमता के अनुरूप है। फिर भी कारों का वर्तमान उत्पादन माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) कारों की किस्म में गिरावट की शिकायतें अब भी उपलब्ध हो रही हैं। यह भी सच है कि उत्पादकों ने कारों के मूल्य में वृद्धि के लिए कहा है।

(ग) इन शिकायतों के मिलने पर सरकार ने कारों की दिनोंदिन घट रही गुण-प्रकार की पूर्ण जाँच करने के लिये तथा सुधार के अभ्युपाय सुझाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। इसकी सिफारिशों को निर्माताओं के ध्यान में लाया गया है और इसमें से अधिक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों के पालन हेतु उन्हें वैधानिक निदेश भी दिए गए हैं। इस मामले पर तीनों कार उत्पादकों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई थी और उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया है कि वे समिति की विभिन्न सिफारिशों को लागू करेंगे। इसी बीच समिति की एक सिफारिश का अनुसरण करते हुए विशेषज्ञों के एक दल को तीन कार उत्पादकों के संयंत्रों में इस उद्देश्य से भेजा गया था ताकि वह उत्पादकों को अपने आन्तरिक निरीक्षण संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए उन्हें परामर्श तथा सहायता दें। दल को सरकार को यह भी सुझाव देना था कि बाह्य निरीक्षण संगठन किस प्रकार का हो और वह किस प्रकार कार्य करे कि वह आन्तरिक व्यवस्था का पूरक बन सके। दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उसकी विभिन्न सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

ऐसी आशा है कि इन सभी अभ्युपायों से कुछ समय में देश में निर्मित कारों की किस्म में सुधार होगा।

कारों के विक्रय-मूल्य निर्धारण के कई कारण हैं जिसमें प्रत्येक एकक का उत्पादन मूल्य भी सम्मिलित है। अतः कारों की किस्म में सुधार किए बिना कारों के मूल्य में कमी करना सम्भव नहीं। कार उत्पादकों का मूल्य वृद्धि का अनुरोध भी सरकार के विचाराधीन है। अपना निर्णय करते समय सरकार कारों की वर्तमान किस्म तथा उसमें सुधार की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगी।

इस्पात को बिना जोड़ को ट्यूबों के लिए नये संयंत्र की स्थापना

4942. श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात को बिना जोड़ को ट्यूबों का निर्माण करने के लिए हंगरी की सहायता से भारत में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रस्ताव की क्रियान्वित पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जनवरी, 1969 में अपने दौरे की अवधि में हंगरी के उद्योग तथा धातु मंत्री ने भारत में सीवनहीन इस्पात नालियाँ और हाईप्रेसर के गैस सिलन्डर बनाने के कारखाने स्थापित करने में हंगरी सरकार की दिलचस्पी दिखाई थी परन्तु कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांँची में उत्पादन

4943. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची के एट० एम० बी० टी० एच० एम० टी० और एफ० एफ० टी० में वर्ष 1967–68 तथा 1968–69 में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितना-कितना मासिक उत्पादन हुआ :

(एक) शाप (दो) ठेकेदार (तीन) आय; और

(ख) इसमें से कितना-कितना उत्पादन (एक) स्ट्रक्चरों (दो) देशी मशीनों (तीन) आयातित मशीनों और (चार) अन्य अभिकरणों से हुआ है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तीन विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिनमें भारी इंजीनियरिंग निगम के तीनों कारखानों के 1967–68 और 1968–69 के मासिक उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1839/69]** हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट से कुछ मदों को बाहर भेजा गया है। फाउंड्री फार्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांटों से कोई मद नहीं भेजा गया है।

ठेकेदारों को सहायक उपकरणों के अतिरिक्त भेजे गए मदों के बारे में पृथक से जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) स्वदेशी तथा आयातित उपकरणों से इस उत्पादन के अलग-अलग आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। वास्तव में निर्मित वस्तुओं को अनेक उपकरणों से गुजरना पड़ता है जिसमें से कुछ स्वदेशी तथा कुछ आयातित होते हैं, अतः इनके उत्पादन के अलग-अलग आँकड़े नहीं रखे जा सकते।

जहाँ तक उत्पादन स्ट्रक्चरों तथा बाह्य अभिकरणों को सामान भेजने का सम्बन्ध है तत्सम्बन्धित आंकड़े उल्लिखित विवरणों में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों में नियोजन के अवसर

4944. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली के साथ चलने वाले छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों में नियोजन के अवसर अधिक हैं;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार छोटे तथा मध्यम आकार के ऐसे जापानी उद्योगों के अध्ययन के लिये एक आयोग नियुक्त करेगी; और

(ग) ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनके सम्बन्ध में छोटे उपक्रमियों की बड़ी संख्या को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) लघु उद्योग सहायता कार्यक्रम में कार्य करने वाले बहुत से सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारियों ने जापान की यात्रा की है तथा उन्होंने लघु उद्योगों से सम्बन्धित जापानी कार्यक्रमों का अध्ययन किया है। जापानी कार्यक्रम की कुछ प्रमुख बातों को भारत में भी अपना लिया गया है।

(ग) लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा विस्तार केन्द्रों के द्वारा लघु उद्योग विकास संगठन के माध्यम से छोटे उपक्रमियों को तकनीकी जानकारी देने की एक योजना को क्रियावित किया जा रहा है।

एक सेवानिवृत रेलवे मुख्य इंजीनियर की भविष्य निधि में विशेष अंशदान की राशि को रोक लेना

4945. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे के एक सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर की भविष्य निधि में विशेष अंशदान की समूची राशि को रोक लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सेवा-निवृत्त मुख्य इंजीनियर श्री वी० वी० दत्ता के मामले से है।

(ख) राष्ट्रपति ने श्री दत्ता की सेवा के समूचे रिकार्ड का पुनरीक्षण कर लेने पर यह पाया कि उनकी सेवाओं को अच्छा, कुशल और निष्ठायुक्त प्रमाणित नहीं किया जा सकता जो कि किसी अभिदाता के भविष्य निधि लेखे में विशेष अंशदान जमा करने के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त है और तदनुसार उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर यह विनिश्चय किया कि श्री दत्ता की भविष्य निधि में सामान्यतया देय विशेष अंशदान की रकम रोक ली जाये।

Raising of Salary and Allowances of Conductor Guards

4946. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the length of the Railway trains or the number of coaches in Railway trains has doubled and the Conductor Guards have to put in double the labour now ;

(b) whether Government propose to raise the salary and allowances of Conductor Guards in view of this additional labour ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No.

(b) and (c) Do not arise.

मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में नई कम्पनियाँ

4947. **श्री यशपाल सिंह : श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1 अप्रैल 1969 से 30 जून 1969 तक मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्यों में पंजीकृत नई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और वे जिन उद्योग-गृहों की हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उन उद्योगों की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है और उनमें अलग-अलग किन वस्तुओं का उत्पादन होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) 1968-69 के वर्ष तथा 1 अप्रैल, 1969 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में मैसूर राज्य में 81 कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में 67 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था। इन दोनों राज्यों की कम्पनियों के अलग-अलग नाम उनकी अधिकृत पूंजी, मुख्य उद्देश्य तथा उनके पंजीकरण की तिथि सभा-पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1840/69]**

उनकी प्रदत्त पूंजी तथा संबंधित समूह की बाबत सूचना केवल कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास मिसिल की गई साविधिक विवरिणियों से प्राप्त हो सकेगी। यह अभी देय नहीं है ।

Fixation of Prices of Machinery Manufactured by Heavy Engineering Corporation

4948. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether prices of the machinary manufactured by the Heavy Engineering Corporation have been fixed ; and

(b) if so, how they compare with the international prices ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant).

(a) and (b) Heavy Engineering Corporation have, in their manufacturing programme, a variety of items of equipment, most of which are tailor-made to suit the specific requirements in each case. It is not practicable to fix, in advance, the price of each item of equipment and it is for the Company to determine the price in each case, on commercial principles within the frame-work of the pricing policy prescribed by Government. In the cases of those items of equipment which are produced in competition with other domestic producers the normal market forces of demand and supply would operate and the price of the products would be governed largely by the competitive prices prevailing in the market. As regards items of equipment manufactured under monopolistic conditions, the policy is that normally, the price of the products should be within the landed cost of comparable imported goods which would be the normal ceiling. Within this ceiling, it would be open to the Company to have price negotiations and fix prices at suitable

levels for their products which would give them a reasonable return on the capital invested.

इस्पात का निर्यात

4949. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 से 1968–69 तक कितना इस्पात किस्म-वार निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ख) इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में उत्पादन–लागत की तुलना में कैसा है और क्या हमारे इस्पात की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी उतरती है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि इस्पात की निर्यात योग्य वस्तुएँ बड़े पैमाने पर भारत में बनाई जायें ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दो विवरण (विवरण i और ii) सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1841/69]

(ख) भारतीय इस्पात के निर्माणी-बाह्य आधार–मूल्य उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों को छोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में उचित है। हमारे इस्पात का गुणक अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्तर का है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सरकार ने इस्पात के वार्षिक निर्यात को शनैः-शनैः बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम

4950. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कार्यकरण के परिणामों को देखा है और क्या उनमें पहले की तुलना में कोई प्रगति अथवा कमी पाई गई है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्यकरण गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है और लाभ और हानि, उत्पादन, विक्रय निर्यात तथा वस्तु, सूची के बारे में तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में कम्पनी को चलाने वाले अधिकारी वही रहे हैं, चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे कब से उन पदों पर हैं, उनके वेतन तथा भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और वे किस विभाग अथवा संगठन से इन कम्पनी में आये हैं; और

(घ) पिछली कमियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई है; तथा क्या जनता में कम्पनी की ख्याति तथा प्रतिष्ठा बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता का वर्ष 31 मार्च, 1969 के अन्त तक के कार्यकरण के परिणामों को अभी सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता के जादवपुर एकक के विगत पाँच वर्षों के उत्पादन, बिक्री, निर्यात, लाभ तथा हानि और स्टाक सूची के आँकड़े नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपयों में)

	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	
उत्पादन	103.44	100.96	93.23	64.63	39.73	(अस्थायी)
बिक्री	102.26	64.38	70.98	52.70	50.42	"
लाभ तथा हानि	(–) 6.03	1.00–	2.10	(–) 26.76	(–) 55.98	"
निर्यात	कुछ नहीं	0.10	0.57	1.32	1.64	"
सूची	52.05	55.46	80.68	91.36	78.27	"

औपथाल्मिक ग्लास ब्लैंक का निर्माण करने के लिये औपथाल्मिक ग्लास प्रोजेक्ट, दुर्गापुर के कार्यान्वयन का काम भी इस कम्पनी को सौंपा गया है। इस एकक में भी 1968–69 की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम और उनके वेतन तथा भत्ते आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जादवपुर एकक के उत्पादन में विविधता लाने के प्रश्न पर एक तकनीकी अध्ययन दल की स्थापना 1968 में की गई थी और समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं, जिनमें निम्नलिखित सिफारिशें भी शामिल हैं :—

(1) उत्पादन को सुप्रवाही बनाना, प्रगति तथा समन्वय और नियंत्रण लागू करना;

(2) प्रावैगिक बिक्री संगठन का निर्माण करना;

अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर पर नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने देश की माँग को देखते हुए विशेष रूप से प्रतीक्षा की आवश्यकता के लिए उत्पादन स्तर में विविधता लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। प्रबन्ध–समिति ने एक पंचवर्षीय उत्पादन योजना का सूत्रपात किया है और निरीक्षण तथा किस्म नियंत्रण प्रक्रिया में सुधार करने तथा एक उचित व्यवस्था तथा लागत नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करने के लिये एक अखिल भारतीय विपणन संगठन बनाने के लिए कदम उठाए हैं और इन कदमों से बिक्री तथा निर्यात दोनों में ही सुधार होने की संभावना है।

विवरण

	1966-67	1967-68	1968-69	**वेतन तथा भत्ता का ब्यौरा**
अध्यक्ष	—	+श्री प्राण प्रसाद	श्री प्राण प्रसाद	—
प्रबन्ध निदेशक +	++श्री एन० मजूमदार (31-5-60 से)	श्री एन० मजूमदार	श्री वी० सुब्रह्मण्यम् श्री वी० सुब्रह्मण्यम	2000-2500 2300 रु० वेतन क्रम में। 2000-2500+190 रु० भत्ता के रूप में।
सचिव+++	+श्री टी० के घोष	श्री टी० के घोष	श्री टी० के० घोष	510 रु० के वेतन क्रम में 400-950+298 रु० भत्ता के रूप में।

\+ 21-10-67 से अवैतनिक रूप से नियुक्त किए गए

\++ आई० एम० पी० अधिकारी।

\+++ 1-8-66 से प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यकरण के परिणाम

4951. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्यकरण के परिणामों को देखा है और क्या उनमें पहले की तुलना में कोई प्रगति अथवा कमी पाई गई है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्यकरण गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है, तथा लाभ और हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा वस्तु सूची के बारे में तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में कम्पनी को चलाने वाले अधिकारी वही रहे हैं, चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे कब से उन पदों पर हैं, उनके वेतन तथा भत्तों आदि का ब्यौरा क्या है और वे किस विभाग अथवा संगठन से इस कम्पनी में आये हैं; और

(घ) पिछली कमियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाहियाँ की गई हैं तथा क्या जनता में कम्पनी की ख्याति तथा प्रतिष्ठा बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)

(क) और (ख) वर्ष 1968-69 के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि संशोधनीय आँकड़े प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं।

	1966-67	1967-68	1968-69 (**संशोधनीय**)
(i) उत्पादन (बिक्रेय)	रु० 109 लाख	रु० 148 लाख	रु० 164 लाख

(ii) विक्रय	रु० 34.55 लाख	रु० 97.07 लाख	रु० 114.92लाख
(iii) निर्यात	रु० कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv) सामान-सूची	रु० 531 लाख	रु० 643 लाख	रु० 661 लाख
(v) हानि	रु० 472.91 लाख	रु० 685.50 लाख	रु० 635 लाख

(ग) कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और सचिव को कम्पनी नियुक्त करती है। अध्यक्ष अंश-कालिक है और कम्पनी के कार्य से आने-जाने के यात्रा भत्ते तथा बोर्ड की मीटिंगों में भाग लेने की बैठक–फीस के अलावा कोई वेतन या भत्ते नहीं लेता।

कम्पनी के पहले अध्यक्ष श्री टी० स्वामीनाथन थे जो इस पद के साथ-साथ भारत सरकार के सचिव भी थे। वह अध्यक्ष के पद पर 1 अप्रैल, 1965 से 30 नवम्बर 1966 तक रहे। उनके बाद भारत प्रशासनिक सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस० एन० बिलग्रामी को पहली दिसम्बर, 1966 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे तब से इस पद पर हैं।

जिन अधिकारियों ने प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्य किया है, उनका विवरण निम्नलिखित है:—

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की अवधि	संस्था/विभाग जहाँ से आए
श्री ए० एन० लाहिड़ी	1–4–65 से 28-1–67	पहले दामोदर घाटी निगम में थे।
श्री एन० के० सेनगुप्ता	29–1–67 से 31–7–68	डाक एवं तार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
श्री वी० बी० के० मूर्ती	1–8–68 से अब तक	———

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद का वेतनक्रम 2500–100–3000 रु० है।

कम्पनी के सचिव के पद पर इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल के अधिकारी श्री एस० सी० बनर्जी 2 जुलाई, 1965 से हैं। उनका वर्तमान वेतन 2100 रुपया प्रति माह है।

(घ) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें ये भी शामिल हैं :—

1. प्रमाप उत्पादों की माँग में कमी के कारण उत्पादन-क्षेत्र में उत्पाद-भिन्नता लाना।
2. रूपांकन और तकनीक की तैयारी में लगने वाले समय की बचत के लिए रूपांकन और तकनीकी कागजातों को रूस से खरीदना।
3. हाइड्रालिक प्राप्स, कोयला शोधनशाला एवं अयस्क उपयोगीकरण कारखाने, बल्क हैण्डलिंग उपस्कर, यथा स्टैकर्स, रिक्लेमर्स, शिप-लोडर्स आदि के रूपांकन और तकनीकी जानकारी की सप्लाई के लिए विदेशी सहयोग के करार करना।
4. प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिये उत्पादन इकाइयों में कार्यअध्ययन करना।
5. पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से त्री-पक्षीय समझौतों द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार।
6. उत्पादन ढांचे और प्रतिकृति की प्रणाली में सुधार।

मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम

4952. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्यकरण के परिणामों को देखा है और क्या उनमें पहले की तुलना में कोई प्रगति अथवा कमी पाई गई है;

(ख) क्या कम्पनी का कार्यकरण गत वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है और लाभ और हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात तथा वस्तु सूची के बारे में तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से कम्पनी को चलाने वाले अधिकारी वही रहे हैं, चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं, वे कब से उन पदों पर हैं, उनके वेतन, तथा भत्तों का व्यौरा क्या है और वे किस विभाग अथवा संगठन से इस कम्पनी में आये हैं ; और

(घ) पिछली कमियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या जनता में कम्पनी की ख्याति तथा प्रतिष्ठा बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय मशीन टूल्स निगम लि० के 21 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना अभी निर्माणावस्था में है अतः कम्पनी की कार्यविधि तथा लाभ-हानि, उत्पादन, विक्रय, निर्यात और वस्तु सूची के तुलनात्मक आँकड़ों का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

(ग) 11 जनवरी, 1967 को कम्पनी निर्गमित की गई थी। कम्पनी के निगमित होने के पश्चात् से कम्पनी का उच्च प्रबन्धक वर्ग वह हीं चला आ रहा है । प्रबन्धक–निदेशक कोई नियुक्त नहीं हुआ है तथा महाप्रबन्धक कम्पनी का पूर्णसमय का मुख्य प्रशासक है । कम्पनी के चेयरमैन, महाप्रबन्धक तथा सचिव के बारे में व्यौरा निम्नलिखित है:––

पद	पदेन	इस पद पर सेवा अवधि
चेयरमैन	श्री एस० एम० पाटिल	मार्च, 1967 से अंशकालिक चैयरमैन।
महाप्रबन्धक	श्री आर० एन० मल्हन	5 जून, 1967 से आगे।
सचिव	श्री जी० जे० मिश्र	1–4–67 से 21–6–1969 तक।
	श्री यू० पी० माथुर	25–6–69 से आगे तक।

वेतनमान, वेतन तथा भत्ते

पद	वेतनमान	वर्तमान वेतन	भत्ते
चेयरमैन	अंशकालिक	—	कम्पनी के नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत, बैठकों में उपस्थित होने के भत्ते तथा प्रासंगिक भत्ते ।

महाप्रबन्धक	रु० 2000–100–2500	रु० 2500	200 प्रतिमास मकान किराया
सचिव	रु० 700–1250	रु० 510 तथा रु० 153 प्रति नियुक्ति भत्ता	120 रु० प्रतिमाह मँहगाई भत्ता रु० 54 प्रतिमाह मकान किराया ।

डा० एम० एम० पाटिल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक हैं। भारतीय मशीन टूल्स निगम के आने के पूर्व हैवी इलैक्ट्रिक्लस इण्डिया लि०, भोपाल में महाप्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे थे। वर्तमान सचिव श्री यू० पी० माथुर भारतीय मशीन टूल्स निगम में आने से पहले समवाय कार्य–विभाग, भारत सरकार में थे।

(घ) परियोजना निर्माणावस्था में है। कम्पनी प्रयास कर रही है कि निर्माण–कार्य में तथा कर्मचारियों के रखने में बचत की जाये तथा परियोजना की प्रगति से जनता को अवगत रखा जाये।

कालका रेलवे स्टेशन

4553. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालका रेलवे स्टेशन के सुधार में, जो शिमला तथा हिमाचल प्रदेश में अन्य स्थानों को यातायात के लिये महत्वपूर्ण है, विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) कालका रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कालका रेलवे स्टेशन में सुधार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इस स्टेशन पर जितना यातायात होता है उसे सम्हालने के लिए वहाँ वर्तमान उपलब्ध सुविधा पर्याप्त हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

राज्य समाज–कल्याण बोर्ड, दिल्ली

4954. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज–कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्य समाज–कल्याण बोर्ड है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इनका नाम निर्देशन कब और किसके द्वारा किया गया था; और

(ग) शारीरिक रूप से अपंगु व्यक्तियों के लिये इस बोर्ड ने क्या कार्य किया है?

विधि मंत्रालय और समाज–कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) हाँ, श्रीमान।

(ख) इस बोर्ड को पिछली बार 22 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित किया गया था। सदस्यों की, उनके पदनामों के साथ तथा उन्हें मनोनीत करने वाले पदाधिकारियों की एक सूची सभा–पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1842/69**]

(ग) यह बोर्ड अपने सहायक अनुदानों के कार्यक्रम के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण–सेवाओं के विकास को बढ़ावा देता है। यह मंजूरशुदा संस्थाओं को एक वर्ष के अनुदान मंजूर करता है।

लाल भाई उद्योग समूह

4955. **डा० सुशीला नैयर : श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय लाल भाई ग्रुप के उद्योगों/फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) इन फर्मों में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) इनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में कम्पनियों के इस ग्रुप को सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और

(ङ) उन अभिकरणों के नाम क्या हैं जिन्होंने धनराशियाँ दी हैं और ये धनराशियाँ किस ब्याज पर दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा 'कस्तूरभाई लालभाई समूह' में सम्मिलित की गई कम्पनियों के नाम तथा 31–12–68 तक इनमें से प्रत्येक को प्रदत्त पूंजी परिशिष्ट में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1843/69]**

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनियों के लिये इसे भेजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भाखड़ा नंगल रेलवे लाइन को अधिकार में लेना

4956. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **रेलवे** मंत्री भाखड़ा रेलवे लाइन के अर्जन के बारे में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल से भाखड़ा तक की रेलवे लाइन भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के हाथ से ले लेने के बारे में सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इस मामले की अभी जाँच की जा रही है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

टैनिस-बाल के निर्माण और वितरण में भ्रष्टाचार

4957. **श्री लोबो प्रभु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 13 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लान टैनिस एसोसियेशन की योजना के द्वारा टैनिस की गेंदों की निर्धारित मूल्य पर सप्लाई के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा जानकारी के अभाव को उचित ठहराये जाने के क्या कारण हैं जबकि चोर-बाजार में इनकी बिक्री के बारे में बार-बार शिकायतें की गई थीं;

(ख) क्या इन बातों को सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि उन फर्मों को विदेशी मुद्रा न दी जाय जो चोरबाजारी करते हों ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार बनाई गई टैनिस की कुल गेंदों की तुलना में लान टैनिस एसोसियेशन के अभिकरणों के द्वारा सप्लाई की गई गेंदों के आँकड़े प्राप्त करने का है;

(घ) टैनिस की गेंदों की स्वीकृत कमी को देखते हुए विशिष्ट रूप से मैल्टन कपड़े के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित करने में उनके मंत्रालय को क्या आपत्ति है; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार लाइसेंस-धारियों से यह जानकारी प्राप्त करने का है कि उनका 4,38,000 रुपए की विदेशी मुद्रा का उपयोग किस प्रकार करने का है और इससे उनका कितनी दर्जन गेंदों का और कब निर्माण करने का इरादा है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) टैनिस-बालों की कमी और उनके अधिक मूल्य के संबंध में शिकायतों से सरकार अवगत है। देशी उत्पादनकर्त्ताओं को इस संबंध में संतोषप्रद कार्य के सुनिश्चय के लिए कहा गया है। मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण न होने के कारण मूल्यों और संभरण संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है, फिर भी महसूस की गई कमी को हटाने की दृष्टि से उठाये गए कदमों में से अन्य एक अन्य पार्टी को 50 000 दर्जन टैनिस बाल प्रतिवर्ष बनाने का एक आशयपत्र स्वीकृत करना है।

(घ) 1967 से पूर्व विभिन्न कच्चे मालों के आयात हेतु जिनमें मेलन क्लाथ भी सम्मिलित है समेकित आयात लाइसेंस दिए जाते थे। 1967-68 में और उससे आगे टैनिस-बालों के हेतु मैल्टन क्लाथ आयात करने के लिए पृथक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। 1967-68 और 1968-69 की अवधि में मैल्टन क्लाथ के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य निम्नलिखित है:—

1967-68	4,38,000 रुपए
1968-69	1,13,750 रुपए

(ङ) मेसर्स इण्डियन रबर मैन्युफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता, जिन्हें लागत भाड़ा सहित 4.38 लाख की कीमत के मेल्टन क्लाथ के लिए आयात लाइसेंस दिया गया है, उन्होंने अगस्त, 1969

तक केवल 1980 गज मैल्टन क्लाथ आयात किया है और 151971 टैनिस–बालों का उत्पादन किया है। 1350 गज मैल्टन कपड़ा सीमाशुल्क बैंक से छुटाया जाना है। समग्र मैल्टन क्लाथ, जो इन लाइसेंसों से आयात किया जाता है, 6,200 गज है जिससे 496000 बालों का उत्पादन होगा। उनके उत्पादन कार्यक्रम का सुनिश्चय किया जा रहा है व सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में मद्य निषेध

4958. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **विधि तथा समाज–कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 मे किसी समय दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने कहा था कि दिल्ली प्रशासन राजधनी में मद्यनिषेध लागू करने के लिए तैयार था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होने की अवस्था में दिल्ली प्रशासन की सहायता करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल को मई, 1969 में बताया था कि दिल्ली प्रशासन मद्यनिषेध को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बशर्ते कि पड़ोस के राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में भी मद्यनिषेध नीति को लागू किया जाए।

(ख) दिल्ली के एक संघ-शासित क्षेत्र होने के कारण मद्यनिषेध के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को यहाँ लागू किया जाएगा।

Children's Fair By Indian Council For Child Welfare

4959. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Council for Child Welware is going to organise a Children's Fair (Bal Mela) in Delhi for the welfare of Children ;

(b) if so, whether any facilities are proposed to be provided to the Children of various States coming for taking part in this fair so that they may come in as large a number as possible ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phul Renuu Guha) :

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Indian Council for Child Welfare would provide facilities to children from States participating in the Fair as under :

(i) Free lodging.

(ii) Free transport from place of camping to the Fair. The Indian Council for Child Welfare will arrange sight-seeing for children in Delhi at individual costs ;

(iii) Boarding arrangements for children on no profit no loses basis ;

(iv) The Assam State Branch of the Indian Council for Child Welfare has arranged for a children's train for 550 children to vift the fair. Similar trains of children may be arranged from other States ;

(v) State Directors of Public Instruction/Education have been approached by Indian Council for Child Welfare in the matter of organising parties of children to come over to Delhi to see the Fair ; and

(vi) Normal railway concession will be available to Children.

आसाम में गौहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार

4960. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में बड़ी लाइन का गौहाटी तक विस्तार करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में काम आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) बंगाई गाँव-गुवाहाटी खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण और गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा निचली ब्रह्मपुत्र घाटी की परिवहन सम्बन्धी जरूरतों का आर्थिक सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है ताकि बड़ी लाइन को गुवाहाटी तक बढ़ाने की जरूरत और इस प्रस्ताव की आर्थिक सक्षमता का पता लगाया जा सके। इस मामले में अंतिम निर्णय केवल इन जाँचों के परिणामों का पता चलने के बाद ही किया जा सकता है।

Purchase of Equipment for Bokaro Steel Plant from Heavy Engineering Corporation

4961. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after visiting Ranchi (Hatia) he has decided to purchase all the equipment for the Bokaro Steel Plant from the Heavy Engineering Corporation Ranchi;

(b) whether the management of the H.E.C. has agreed to supply all the equipment to the Bokaro Steel Plant speedily; and

(c) if so, whether he is satisfied with the arrangement?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K.C. Pant):

(a) to (c) It has always been Government's policy that to the extent any item of equipment can be manufactared indigenously, and within the time sehedule prescribed, import of that item of equipment should not be allowed. This has been followed in the case of purchase of equipment for the Bokaro Steel Plant. The entire equipment for Bokaro is, however, not being supplied by H.E.C., nor is there any decision to this effect. Apart from equipment or components which have to be imported, there are items which will be and are being supplied by indigenous parties other than H.E.C.

कोटा में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना

4962. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित सूक्ष्म औजार कारखाने ने औजारों के निर्माण तथा उनके जोड़ने का काम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारखाने में अब तक किस प्रकार के औजरों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या इस कारखाने में निर्मित औजारों को वाणिज्यिक स्तर पर बाजार में बिक्री के लिए रखा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इनके वाणिज्यिक स्तर पर बिक्री के लिए कब तक रखे जाने की संभावना है

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) निर्मित किए जा रहे यंत्र हैं, थर्मोकुपल्स, थर्मामीटर, चुम्बकीय वैद्युत् यंत्र, इलक्ट्रानिक यन्त्र, पेनल तथा डस्कस।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Idle capacity in Industries

4963. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the unutilised capacity in the industries which was 17.7 per cent in 1963 had increased to 21.4 per cent in 1967;

(b) the existing position in this regard;

(c) the names of the industries in which the situation is still serious; and

(d) the action being taken by Government to improve the situation?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (c) A statement showing percentage utilisation of capacity in selected industries looked after by the D.G.T.D. is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1844/69]**

(d) (i) Delicensing of a number of industries ;

(ii) Exploration of export possibilities wherever possible ;

(iii) Encouraging diversification of manufacture and production ;

(iv) Revival of Export Promotion Schames;

(v) Vigorous pursuit of the import substitution policy; and

(vi) Arranging of dialogues between the project authorities on the one hand and the likely manufacturers on the other hand with a view to discussing the specifications etc. of the items required by the former. A considerable amount of orders have thus been diverted on to the indigenous manufacturers of structurals and other items recently.

Central Advisory Boards on Development, of Tribal Areas and for Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes

4964. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have constituted two Central Advisory Boards to associate Members of Parliament and public workers with the development to tribal areas and for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the terms of reference of the said Boards; names, designation and addresses of their members and the facilities they are entitled to; and

(c) the details of schemes formulated by them for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes since their inception upto 1969-70 so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao):

(a) and (b) The Centrnl Advisory Boards for Harijan and Tribal Welfare were constituted by the Department of Social Welfare in November, 1967 for a period of one year. Consequent upon the setting up of the Parliament Committee for the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduted Tribes, these Boards have not been reconstituted.

(c) The Boards were advisory bodies; they were not required to formulate schemes.

विदेशी सिगरेट कम्पनियाँ

4965. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी अंशधारियों के प्रमुत्व वाली वर्तमान सिगरेट निर्माता कम्पनियों के नाम और संख्या क्या हैं और (1) प्रत्येक में विनियोजित कुल पूँजी; (2) प्रत्येक में भारतीय अंशधारियों की तुलना में विदेशी अंशधारियों की प्रतिशतता; (3) खपत की तुलना में 1965 से 1968 तक पृथक-पृथक उनके द्वारा कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया गया; (4) प्रत्येक में उच्च पदों पर काम करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की प्रतिशतता के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; (5) प्रत्येक में उच्च पदों पर काम करने वाले भारतीयों तथा विदेशियों को कुल कितना वार्षिक वेतन दिया जाता है; (6) 1965 से 1968 तक प्रत्येक को प्रत्येक वर्ष कुल कितना लाभ हुआ; (7) 1965 से 1968 तक की अवधि में प्रत्येक द्वारा अंशधारियों को दिए जाने के लिए प्रतिवर्ष कुल कितना लाभांश घोषित किया गया और यह कुल लाभ का कितने प्रतिशत था; और (8) 1965 से 1968 तक प्रत्येक द्वारा अपने श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितना बोनस दिया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (1) तथा (2) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1845/69]**

(3) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1845/69]**

(4) तीनों कम्पनियों में पहली जनवरी, 1969 को 2001 रु० या इससे अधिक का मासिक वेतन पाने वाले उच्च पदों के कुल योग के 83.5 पदों पर भारतीय काम कर रहे हैं।

(5) इन कम्पनियों के 2001 या इससे अधिक मासिक वेतन लेने वाले भारतीय तथा अभारतीय कर्मचारियों को 1968 में भुगतान किया गया कुल वेतन क्रमशः लगभग 96 लाख रु० तथा 44 लाख रु० था।

(6) से (8) साधारण तौर पर इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है।

नेशनल इस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता

4966. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इस्ट्रमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता में काम की कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उपक्रम में कुछ नए अधिकारी भर्ती किए जा रहे हैं जबकि वहाँ पर कोई काम नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उपक्रम में पर्याप्त काम की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (घ) इंजीनियरी तथा यंत्र उद्योग में सामान्य मन्दी के फलस्वरूप नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की परम्परागत वस्तुओं की माँग में कमी हुई है। अतः कुछ परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन को या तो घटा दिया गया था या उसे स्थगित कर दिया गया था। नेशनल इन्स्ट्रमेंट्स लिमिटेड के कार्यों के परिणामों को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसने विभिन्न सिफारिशें की हैं जिसमें नई वस्तुओं का उत्पादन कर विविधता लाना, संगठनात्मक ढाँचा खड़ा करना ऐसे विपणन तथा विक्रय संगठन जो कि प्रतिस्पर्धात्मक मण्डी में अपने उत्पादों की बिक्री करने के सुयोग्य हो बनाना, सम्मिलित हैं। अतः कम्पनी ने अपने उत्पादन की पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है और प्रबन्ध तकनीकी तथा विपणन अंगों में कुछ भरती के लिये कार्यवाही की है। ऐसी आशा है कि विविधता लाने के कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन से कम्पनी के कामों के परिणामों में सुधार होगा।

Seniority of A.S. Ms. in G.M.C. Yard, Kanpur

4967. **Shri Jagannath Rao Joshi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the seniority of Assistant Station Masters in G.M.C. Yard, Kanpur in the grade of Rs. 205-280 has been shown lower in the Seniority List of July, 1967 than that shown in the Seniority List of 18th May, 1964;

(b) if so, the names thereof, the reasons therefor and the action proposed to be taken in this connection; and

(c) if not, the factual position in regard thereto?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

A.S.Ms. in G.M.C. Yard, Kanpur

4968. **Shri Jagannath Rao Joshi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many Assistant Station Masters in G.M.C. Yard, Kanpur, Allahabad Division, have not been paid overtime allowance and tuition fee reimbursement for the last two years or more, and if so, their names;

(b) whether some of them have not been paid over time allowance even for 1962-63 and, if so, the names of such persons; and

(c) the time by which all these payments will be made?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) to (c) Oovertime bills for the year 1962-63 have since been paid. Work relating to reimbursement of tuition fees is in hand and the payment is likely to be made soon. The names of the employees whose bills for reimbursement of fees are pending are as under:—

1. Shri A.C. Das, ASM.
2. Shri K.C. Kapoor, ASM.
3. Shri M.L. Chaudhry, ASM.
4. Shri R.N. Parsad, ASM.
5. Shri A. Giri, ASM.
6. Shri S. Z. Hasan, ASM.

गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोच्च-न्यायालय के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

4969. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्वोच्च न्यायालय के उन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जो सेवा-निवृत्ति के पश्चात् (एक) निदेशकों और (दो) निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में गैर-सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हुए हैं; और

(ख) गैर-सरकारी उपक्रमों के निदेशक अथवा निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक भूतपूर्व न्यायाधीश का वेतन, उपलब्धियाँ अन्य लाभ क्या हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) इच्छित सूचना, कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके लिये अनेक व्यक्तियों द्वारा, संचालकों का पद धारण करने का व्यौरा देते हुए, व्यक्ति

अनुसार, अभिलेख संधारण करना अपेक्षित नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा, बिना किसी विशिष्ट कम्पनी का नाम जाने, जिसका कि वह व्यक्ति निदेशक हो, संचालक पद के धारण करने की बाबत, पता लगाना, अत्यधिक कठिन है। फिर भी, उस सूचना के आधार पर, जिसे कुछ कम्पनी रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों से चुनने में सफल हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त, मुख्य न्यायाधीशों के, जो कुछ कम्पनियों में संचालकों के पद धारण कर रहे हैं, नाम बताता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1846/69**]

स्टेनलेस स्टील का निर्माण

4970. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेनलेस स्टील का निर्माण करने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने एक तरीका निकाला है और उसे पेटेन्ट कराया है;

(ख) क्या उसी इस्पात का नाम प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर की याद बनाये रखने के लिये ठक्करसन रखा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस आविष्कार का व्यौरा क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के पेटेन्ट का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। सी० एस० आई० आर० द्वारा पेटेन्ट किए गए निकल रहित बेदाग इस्पात को प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर के सम्मान में "ठेकरन" नाम दिया गया।

(ग) एकस्कृत प्रक्रिया द्वारा बनाया गया निकल रहित बेदाग इस्पात मानकीकृत क्रोमियम निकल ओस्टेनिटिक अविकारी इस्पात के जगह पर घरेलू साधनों, रेलवे और आटो फिटिंग स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान, दुग्धशाला उपस्कर आदि के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मिश्र इस्पात संयंत्र ने परीक्षण के लिए लगभग 4 टन इस्पात अपनी प्रेरण भट्टी में बनाया है। इस प्रक्रिया को व्यापारिक स्तर पर अपनाने से पहले कुछ और परीक्षण करने होंगे और प्रक्रिया के आर्थिक पहलू का अध्ययन करना होगा।

Grant of Sholarships to Post-Martic S.C./S.T. Students in Madhya Pradesh

4971. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minsster of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of post-Matric students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically backward classes in Madhya Pradesh during 1967-68 and as on the 1st February, 1969;

(b) the number of students who applied for scholarships during the said period and the number of students out of them who were granted scholarships; and

(c) the funds allotted by the Central Government to Madhya Pradesh during 1968-69 for the said purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao):

(a) to (c) A statement si laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-1847/69**]

Public Projects in Madhya Pradesh During Fourth Plan

4972. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the projects to be set up in the public sector in the Fourth Five Year Plan in respect of which the Madhya Pradesh Government have submitted proposal;

(b) whether Government have taken decision regarding these projects ; and

(c) if so, the details of the projects rejected?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (c) The Central Industrial Projects to be set up during the Fourth Five year plan are listed at pages 253-260 of the 'Draft Fourth Five Year Plan Report' brougth out by the Planning Commission. A cement plant is already under construction at Mandhar, being set up by Cement Corporation of India. Over and above the investment that will be made on these projects, an outlay of Rs. 7.50 crores on large and medium industries and Rs. 6 crores on village and small industries has been proposed under the State Sector during the Fourth Plan.

The programme in the Fourth Plan envisages the following schemes in the State sector:—

1. Investment in the share capital of Madhya Pradesh State Industrial Corporation.
2. Industrial Area Bhilai.
3. Completion of other Industrial Areas.
4. Industrial Project Reports and Surveys.
5. Financial participation in Industries through Madhya Pradesh Industrial Development Corporation.

Electrification of Railway Lines in Madhya Pradesh

4973. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some railway lines are likely to be electrified in Madhya Pradesh in the near future;

(b) if so, the names thereof and, if not, the reasons therefor; and

(c) if the electrification is to be undertaken, the time by which it is likely to commence?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes.

(b) Jamga-Durg as part of electrification of Rourkela-Durg section.

(c) The electrification of Rourkela-Durg section is already in progress and is expected to be completed and energised by September, 1970.

Licence for setting up of Industries in Madhya Pradesh

4974. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications that were received from the Madhya Pradesh State for licences for the setting up new industries during 1968;

(b) the number of applicants to whom the licences were given along with the names of the industries; and

(c) the number of applications received out of them from Madhya Bharat and Mahakoushal, respectively?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) During the year 1968, 11 applications for industrial licences were received for the setting up of new industrial undertakings in Madhya Pradesh. In one of these applications besides Madhya Pradesh, another State was also mentioned as an alternative location.

(b) Two of the eleven applicants have so far been granted licences for production of aluminium ingots in one case and aluminium rolled and extruded products on the other case.

(c) Separate statistics of applications received for Madhya Bharat and Mahakoushal are not available.

Development of Medium Industries in Madhya Pradesh

4975. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any scheme to the Central Government for the development of medium scale industries during 1968-69;

(b) if so, the nature and details thereof and the likely increase in the production capacity of each industry as a result of the implementation of this scheme;

(c) whether Government have approved this scheme and, if so, with what amendment; and

(d) the employment opportunities likely to be increased as a result thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

4976. **श्री बलराज मधोक:** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों के रवैये के कारण वहाँ पर श्रम-विवाद चलता रहता है और 1968-69 में हुई हानि का वह मुख्य कारण है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस मुख्य कारखाने में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए और उत्पादन में सुधार करने के लिये उचित वातावरण बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, नहीं। इसके विपरीत श्रमिक संबंधों में सुधार के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक वर्ग हर सम्भव उपाय कर रहे हैं।

(ख) सामूहिक और व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए प्रबन्धक-वर्ग और मजदूर-प्रतिनिधियों में विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत चलती रहती है। वास्तव में कई बातों पर समझौता हो भी गया है। आशा की जाती है कि अधिक सूझ-बूझ और सहयोग से कारखानों का उत्पादन बढ़ेगा ?

Ashok Paper Mills, Darbhanga

4977. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Ashok Paper Mills in Darbhanga is running with French collaboration ;

(b) if so, whether it is also a fact that the French collaborator is in favour of running this paper mill in Darbhanga itself; and

(c) if so, the reasons for which the Central Government are in favour of shifting it to Assam ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) The Ashok Paper Mills Ltd., was incorporated in the year 1957 in collaboration with a French Company, but owing to certain financial difficulties, the project has not been completed,

(b) Government are not aware of any such suggestion having been made by the French Collaboration.

(c) The Central Government have no such proposal under consideration.

भाड़े की दरों तथा यात्रा किराये में वृद्धि करना

4978. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में भाड़े की दरें तथा यात्रा का किराया बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उनमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) भाड़ा दरों और यात्री किरायों में सामान्य रूप से वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। लेकिन भाड़ा दरों और यात्री किरायों की समीक्षा लगातार होती रहती है और असंगतियों दूर करने के लिए या व्यवसाय और उद्योगों के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए या वाणिज्यिक दृष्टि से आवश्यक जान पड़ने पर समय-समय पर विशिष्ट परिवर्तन किए जाते हैं।

कच्चे लोहे की कमी

4979. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्चे लोहे की अत्यन्त कमी को ध्यान में रखते हुए दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे के लिए एक भट्टी आरक्षित रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश कच्चे लोहे के सम्बन्ध में कहाँ तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) और (ख) जी, हाँ। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की चार धमन भट्टियों में से एक भट्टी फाउण्ड्री ग्रेड के कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए रक्षित की गई हैं।

(ग) ऐसी आशा है कि कच्चे लोहे का उत्पादन और विक्रय अनुमानित माँग की पूर्ति के लिए लगभग पर्याप्त होगा।

Central Assistance to Social Institutions in Indore and Ujjain

4980. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law** and **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of institutions in Indore and Ujjain to which grants had been given by Government during the financial year 1968-69 and the amount of grants so given; and

(b) the number of institutions in the said Districts to which grants are proposed to be given during the financial year 1969-70 and the amount of the proposed grants?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

(a) The following grants have been given by Government including the Central Social Welfare Board.

No. of Institutions		Amounts of grants given in 1968-69
Indore .	48	Rs. 1,58,492
Ujjain :	11	Rs. 26,723

(b)

No. of Institutions		Amount proposed to be released in 1969-70
Indore :	35	Rs. I,19,376
Ujjain :	9	Rs. 21,904

Construction of Ladies' Waiting Room at Indore Station

4981. **Shri Hukam Chand Kachawi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to construct a ladies' Waiting Room in the III class waiting hall at the Indore Railway Station in Madhya Pradesh like the one constructed at Allahabad so that the ladies could get facility to sit separately;

(b) if so, when its construction would be started; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No. Two ladies waiting rooms, one of ladies travelling in A.C.C. and first class, and another for ladies travelling in second and third class already exist at Indore station.

(b) and (c) Does not arise.

Cold Drinking Water at Suratgarh Station (Northern Rly.)

4982. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is afact that adequate arrangements for cold drinking water for the passengers do not exist at Suratgarh Railway Station in Bikaner Division on the Northern Railway aud the pitchers that have been provided there are insufficient;

(b) whether a water cooler would soon be provided there for the benefit of the passengers; and

(c) if so, the time by which these arrangements are likely to be made?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Adequate arrangements for supply of drinking water are provided at Suratgarh Railway Station. 50 pitchers provided for storage of water at the station have been found to be sufficient.

(b) No, as the present arrangements are adequate to needs.

(c) Question does not arise.

लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता

4983. **श्री भगवान दास :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'लघु उद्योग सेवा संस्थान' का कार्यालय कलकत्ता में हैं;

(ख) जिस मकान में यह कार्यालय स्थित है उसके मालिक का पता तथा नाम क्या है; और

(ग) उसका मासिक किराया कितना दिया जाता है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) 111-112 बैरकपुर ट्रन्क रोड, कलकत्ता-35-पता है। जहाँ कार्यालय है वह भवन भारत सरकार का है।

(ग) कोई किराया नहीं लिया जाता है।

Arrangements for Drinking Water, Waiting Rooms and Latrines at Railway Stations

4984. **Shri Bharat Singh Chauhan:** **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of existing Railway Stations of the Indian Railways where arrangements for drinking water, waiting rooms and latrines do not exist; and

(d) the time by which these facilities would be provided to the passengers?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) and (b) Arrangements for drinking water are provided at all stations. Latrines have not been provided at 294 stations. These are likely to be provided by 1971. Waiting Rooms do not exist at 3081 stations. These are provided for Upper class passengers only, on a programmed basis at stations where traffic justification exists, subject to approval by Railway Users Amenities Committee and availability of funds.

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक अशान्ति

4985. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल मे लगातार चली आ रही औद्योगिक अशान्ति की ओर आकर्षित हुआ है जिसके कारण वहाँ पूंजी लगाने के प्रतिकूल वातावरण सा हो गया है तथा उस क्षेत्र के उद्योगों में भाग लेने वाले विदेशियों को आघात पहुँचा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस राज्य में औद्योगिक शान्ति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उस क्षेत्र के उद्योगों में शान्तिपूर्ण कार्य-स्थिति पुनः स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को अब तक क्या विशिष्ट निर्देश जारी किये गए हैं?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) तकनीकी विकास के महा निदेशालय में उपलब्ध आँकड़ों से प्रतीत होता है कि 1968 की तुलना में 1969 की पहली तिमाही में किसी भी कम्पनी के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। विनियोजन की स्थिति से उस क्षेत्र के उद्योगों में भाग लेने वाले विदेशियों को आघात पहुँचने का कोई समाचार नहीं मिला है अतः पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किसी विशिष्ट निर्देश के जारी किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी सहयोग

4986. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में सरकार ने कितने मामलों में विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी है और उसका ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या पिछले तीन गैर-योजना वर्षों में अपनाई गई नीति की तुलना में विदेशी सहयोग की अनुमति देने की नीति में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो नीति में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और क्या नीति में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कोई और परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) 82 फर्मों के नाम आदि जिन्हें चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में सहयोग की अनुमति दी गई है (अंग्रेजी उत्तर के साथ) अनुबंध में दिए गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1848/69]

(ख) से (घ) विदेशी गैर सरकारी विनियोजन तथा सहयोग के मामले में सरकार की नीति पहले की ही भाँति है। फिर भी इस आधारभूत नीति के दायरे में देश में स्थापित किए

गए सुदृढ़ औद्योगिक आधार तथा अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ फेर-बदल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी सहयोग के आवेदनों पर स्वीकृति के मामले में अब अधिकांशों रूप में चयन पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। जब एक ही समय में उसी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अनेक एकक स्थापित किए जाने हों तो एक या एक ही तरह के उत्पादों के निर्माण में दोहरी टेक्नालाजी के आयात को कम करने की दृष्टि से इस विषय में समन्वित रूप से विचार-विमर्श करने के प्रयास किए जाते हैं। तकनीकी सहयोग करार अब सामान्य रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही किए जाते हैं। इस बात का सुनिश्चय करने में यह भी ध्यान दिया जाता है कि जहाँ तक संभव होता है सहयोग करारों से निर्मित उत्पादों के निर्यात में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा करार में यह भी व्यवस्था की गई है जिसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य भारतीय कम्पनियों को भी विदेशी साझादारी भी सम्मिलित है सभी सम्बन्धित लोगों द्वारा आपस में तय की गई सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर तकनीकी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। मुख्य नीति में किसी प्रकार का संशोधन करने का अभी विचार नहीं है।

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसलस लिमिटेड को कोरवा एल्युमीना प्लांट के डाइजेशन तथा डिसिलीकेशन प्लांट के लिए क्रयादेश

4987. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरवा एल्युमीना प्लांट के डाइजेशन तथा डिसिलीकेशन प्लांट के लिये भारत हवी प्लेट एण्ड वैसलस लिमिटेड, विशाखापत्तनम को क्रयादेश देने की वांछनीयता के बारे में उनके मंत्रालय तथा पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय द्वारा हाल ही में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन मंत्रालयों के मत क्या हैं; और

(ग) इस बीच इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों में जिनमें पेट्रो रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय तथा दूसरे अधिकरण शामिल हैं, विचार-विमर्श करते हुए जिसमें भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के लिए अपेक्षित उपकरणों के निर्माण में भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेलस लिमिटेड की समर्थता और प्रेषण कार्यक्रम आदि की चर्चा हुई। इससे संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि० के आदेश भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेलस लि० को दिया जाय। चूँकि सभी पक्षों से सलाह करने के पश्चात् सरकार ने सामूहिक रूप से यह निर्णय किया है अतः अभिकरण / मंत्रालय विशेष के विचार प्रमुख समस्या के लिए सुसंगत नहीं है।

रेलवे के किराये भाड़े में वृद्धि

4988. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वातानुकूलित डिब्बे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरी श्रेणी का रेल का किराया प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1948 से किन-किन वर्षों में किराया बढ़ाया गया है और हर बार कितना बढ़ाया गया;

(ग) क्या 1948 से मालगाड़ी का किराया भी बढ़ाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 1948 से पैट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में हर बार किन–किन वर्षों में यह वृद्धि की गयी और कितने प्रतिशत की गयी है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। फिर भी यह सच है कि अतीत में वातानुकूल, पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के किरायों में कई बार संशोधन किया जा चुका है। जब कि अधिकतर मामलों में संशोधन के बाद किराया बढ़ा है, कुछ मामलों में कमी भी हुई है।

(ख) अनुबन्ध I के रूप में एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1849/69]

(ग) यात्री किरायों की तरह भाड़ादरों में भी 1948 से कई बार संशोधन हो चुका है। लेकिन संशोधन से हमेशा वृद्धि नहीं हुई है। कुछ मामलों में दरों में कमी हुई है।

(घ) अनुबन्ध II के रूप में एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1849/69]

रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा

4989. **श्री अब्दुल गनी दार**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1948, 1953, 1958, 1963 और 1968 में मंत्रियों और अवर सचिव स्तर तक के रेलवे अधिकारियों ने वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने में कुल कितना धन खर्च किया;

(ख) उक्त वर्षों में कितने रेलवे अधिकारी वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने के हकदार थे; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में रेलवे अधिकारियों को छोड़ कर अन्य कितने अधिकारी वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने के हकदार थे?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य रेल मंत्रालय में मंत्रियों तथा अवर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के बारे में सूचना चाहते हैं। तदनुसार उत्तर तैयार किया गया है।

सरकारी काम से दौरा करने के लिए जगह की माँग करने पर मंत्रीगण आरक्षित रेलवे स्थान (मंत्रि-मण्डलीय स्तर के मंत्री–एक सैलून, राज्य मंत्री उप मंत्री एक वातानुकूल कुपे) पाने के हकदार हैं। संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर के पदों के अधिकारी ड्यूटी कार्ड/ मेटल पासों पर वातानुकूल डिब्बों में दौरा करने के हकदार हैं। इन रियायतों पर इस तरह का कोई पैसा "खर्च" नहीं होता। आर्थिक मूल्य के रूप में इस रियायत के आँकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) 1966 – 82
1967 – 83
1968 – 78

(ग) सम्भवतः आशय गर–रेलवे व्यक्तियों / संगठनों से है जिन्हें मानार्थ पास जारी किए जाते हैं। उनकी संख्या इस प्रकार है—

1966 – 5
1967 – 5
1968 – 5

यह सुविधा अब वापस ले ली गयी है।

कृषि औजारों का निर्माण

4990. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1951, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968 और 1969 में कृषि औजारों, मशीनों और ट्रैक्टरों का निर्माण कितना हुआ ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): अधिकांश कृषि औजारों (उपकरणों) का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र में होता है जिसके आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहाँ तक कृषि ट्रैक्टरों और विद्युत् टिलरों के निर्माण का प्रश्न है उसकी जानकारी निम्न प्रकार है: —

मद	1951	1958	1961	1966	1967	1968	1969 (जून तक)
1. ट्रैक्टर	शून्य	शून्य	395	7,613	10526	13,799	8325
1. विद्युत् टिलर	तदैव	तदैव	शून्य	561	264	228	120

सरकारी खर्च पर मंत्रियों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानुकूलित तथा पहले दर्जे के डिब्बों का प्रयोग

4991. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्ष–वार मंत्रियों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा सरकारी खर्च पर कितने वातानुकूलित डिब्बों या पहले दर्जे के डिब्बों का प्रयोग किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): पिछले तीन वर्षों में मंत्रियों तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा सरकारी खर्च पर किसी वातानुकूल या पहले दर्जे के डिब्बे का अनन्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया।

आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य में बिना टिकट यात्रा

4992. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968–69 में आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों मे बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कोई विशेष अभियान आरम्भ किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि में कुल कितनी राशि वसूल की गई और कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ? **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1850/69]

सुकमा-बराह/पोलावरम के लिए इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण और गुंटाकल से धर्मावरम तक बड़ी रेल लाइन

4993. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुकमा-बराह / पोलावरम और गुंटाकल से धर्मावरम तक पृथक बड़ी रेल लाइन के, जिनकी पहले मंजूरी दी जा चुकी है, बारे में प्रारम्भिक इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वे कार्य कब आरम्भ हो जायेंगे;

(ग) क्या दांतेवाड़ा-भद्राचलम सड़क के निर्माण का निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) सुकमा-वाराह / पोलावरम लाइन के सर्वेक्षण का काम पहले पूरा हो चुका है और गुंतकल्लु से धर्मावरम तक एक अलग लाइन (और धर्मावरम-बेंगलूरू मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने) के लिए सर्वेक्षण हो रहा है।

(ग) और (घ) दांतेवाड़ा-भद्राचलम रेल-सम्पर्क के निर्माण के बारे में उसी समय विचार किया जा सकता है जब दण्डकारण्य क्षेत्र के समेकित औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर विचार किया जायेगा। फिलहाल इस तरह की कोई निश्चित योजना नहीं दिखायी देती।

जीवन बीमा-पंजी योजना

4994. **श्री गाडिलिंग गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में जीवन बीमा वेतन-पंजी योजना कर्मचारियों पर लागू नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों पर यह योजना लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) भारत के जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना को रेलों पर लागू करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। ज्योंही मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और नयी दिल्ली स्थित कार्यालयों में वेतन-पत्रक तैयार करने का काम संगणकों द्वारा किया जाने

लगेगा, इन स्थानों में काम करने वाले अराजपत्रित रेल कर्मचारयों के सम्बन्ध में इस योजना को परीक्षण के आधार पर लागू करने का विचार है। आशा है शीघ्र ही यह योनजा शुरू हो जायेगी।

भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों के लिए आवास

4995. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के आशुलिपिकों को अधिकारियों के साथ दौरे पर जाना पड़ता है और उन्हें सामान्यतया अधिकारियों की सुविधा के अनुसार कार्यालय में ठहरे रहना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी आवास देने के उद्देश्य से आशुलिपिकों को, "अत्यावश्यक" श्रेणी का कर्मचारी करार नहीं किया गया और इन दो ड्यूटियों को पूरा करने में उन्हें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं और असमय पर आशुलिपिकों की सेवा न मिलने पर अधिकारियों को भी अपना कर्त्तव्य पूरा और ठीक तरह निभाने में कठिनाई अनुभव होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़े नगरों, विशेषकर दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में निजी आवास (सरकारी आवास) की अत्यधिक कमी के कारण वे अपना कर्त्तव्य ठीक तरह पूरा नहीं कर पा रहे और इस कारण उनमें बड़ा असंतोष फैल गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के लिये किस प्रकार आवास की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं, सिवाय ऐसे मामलों में जहाँ ऐसा करना अनिवार्य हो।

(ख) जी नहीं। कुछ रेलों पर आशुलिपिकों को अनिवार्य कोटि में रखा गया है, जबकि अन्य रेलों पर केवल उन्हीं को अनिवार्य कोटि में रखा गया है जो कुछ महत्वपूर्ण पदों के साथ सम्बद्ध होते हैं। सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, अतः कर्मचारियों की अन्य कोटियों की भाँति आशुलिपिकों को भी रहने के स्थान के सम्बन्ध में कठिनाई उठानी पड़ती है। कोई भी रेलवे अधिकारी अपने आशुलिपिकों को रेलवे क्वार्टर न मिलने के कारण कठिनाई महसूस नहीं कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रकम की उपलब्धता को देखते हुए कर्मचारियों को सभी कोटियों के लिए, जिनमें आशुलिपिक भी शामिल हैं, एक कार्यक्रम के अनुसार मकान बनाये जा रहे हैं।

दक्षिण-मध्य तथा दक्षिण रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

4996. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य तथा दक्षिण रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1968-69 में कितने व्यक्ति पकड़े गए और इस अभियान से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ग) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले इन लोगों में अनधिकृत फेरी वाले तथा भिखारियों की संख्या सबसे अधिक है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या रेलवे के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ, दक्षिण–मध्य और दक्षिण रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम के लिए विशेष जाँच की गयी है।

(ख) विशेष जाँच के दौरान दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों पर 11,957 व्यक्ति बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए और रेलवे को देय रकम के रूप में 49,337 रुपए वसूल किए गए।

(ग) और (घ) जी नहीं। लेकिन गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में अनधिकृत व्यक्तियों, जिनमें फेरी वाले और भिखारी शामिल हैं, का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्था मौजूद है।

रूरकेला इस्पात करखाने के लिए तकनीकी सहायता

4997. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात कारखाने के लिए जर्मनी (संघीय गणराज्य) से कितनी और किस प्रकार की तकनीकी सहायता का प्रस्ताव किया गया था तथा कितनी और किस प्रकार की तकनीकी सहायता मिली है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात करखानों को पश्चिमी जर्मनी से संयंत्र उपकरण तथा फालतू पुर्जों, विशेषज्ञों की सेवाओं, रूपांकन तथा सलाहकार-सेवाओं और तकनीकी जानकारी के रूप में तकनीकी सहायता मिली है। इस उद्देश्य के लिए पश्चिमी जर्मनी ने समय-समय पर कर्ज दिए हैं। कारखाने की एक मिलियन टन की अवस्था के लिए पाँच ऋण मिले थे जिनका कुल मूल्य 890 मिलियिन जर्मन मार्क था। कारखाने के 1.0 से 1.8 मिलियन टन पिण्डक की क्षमता तक विस्तार के लिए तथा कुछ अन्य इकाइयों के लिए और सात ऋण मिले हैं जिनका कुल मूल्य 532.16 मिलियन जर्मन मार्क हैं।

राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन

4998. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बिजली की खपत पर रियायत, भूमि खरीदने आदि के लिये ब्याज–मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव हाल ही में किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्य कौन से हैं और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

4999. **श्री रवि राय:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की पूंजी में एक-तिहाई भाग लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सभी राज्यों में अंशदान की दर समान रखने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) यह विनिश्चय किया गया है कि जिन राज्य-सड़क परिवहन निगमों की पूँजी में रेलें वित्तीय योगदान देती हैं उनमें रेलों के अंशदान की दर बढ़ा कर समान रूप से कुल पूंजी का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दी जाय। अंशदान की यह बढ़ी हुई दर 1969-70 से आरम्भ होकर भावी अंशदानों पर लागू होगी।

(ग) जिन राज्य सड़क परिवहन निगमों की हिस्सा-पूंजी में रेलें भाग लेती हैं वे इस प्रकार हैं:—

आँध्र प्रदेश
बिहार
गुजरात
केरल
महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश
मैसूर
मंडी कुल्लू
उत्तर बंगाल
पेप्सू
राजस्थान

Railway Line along Bank of Canal from Danapur Headquarters to Dehri-on-Sone

5001. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the distance from the Danapur Headquarters of the Eastern Railway to Dehri-on-Sone in the Shahabaz District is 78 miles via the canal;

(b) whether the Railway Administration had formulated a scheme for constructing a Railway line along the side of the canal;

(c) whether the measurement work had also been completed there;

(d) if so, the further action taken on that scheme;

(e) whether it is also a fact that at present the passengers going from Patna or Danapur to Dehri have to travel a very long distance via Gaya; and

(f) if so, whether Government propose to implement the said scheme and, if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes.

(b) and (c) No.

(d) Does not arise.

(e) Yes; if they travel by rail along the B.G. route.

(f) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification the construction of a direct B.G. line from Patna/Danapur to Dehri-on-Sone along the bank of the Canal is not being considered at present.

साहिबगंज लूप लाइन (पूर्वी रलवे पर) एक नई रेलगाड़ी चलाना

5002. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको याद है कि सरकार ने कुछ वर्ष पहले पूर्वी रेलवे में साहिबगंज लूप लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो जनता को दिए गए उक्त वचन को कब तक पूरा करने का सरकार का विचार हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) और (ख) ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि साहिबगंज लूप पर एक अतिरिक्त सीधी गाड़ी चलने के लिये कोई आश्वासन दिया गया था। फिर भी, साहब्र-गंज लूप खण्ड पर खण्डीय यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये 1-10-68 से रामपुर हाट और साहिबगंज के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ी शुरू की गयी थी ।1-6-1969 से इन गाड़ियों (अर्थात् 325 अप/326 डाउन सवारी गाड़ियों) का आना-जाना सांइंथिया तक बढ़ा दिया गया है। 1-10-1969 से इन्हें और आगे बर्दवान तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

कियूल और साहिबगंज (पूर्वी रेलवे) में हावड़ा-दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रुकना

5003. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की माँग के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन और प्रतिप्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है, कि हावड़ा-दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस साप्ताहिक रेलगाड़ी को पूर्वी रेलवे में कियूल, जंकशन में, जो मुख्य लाइन और साहिबागंज लूप सक्शन पर है, रुकना चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिप्रत्युत्तर में अररा और बख्तियारपुर की अपेक्षा कियूल के पक्ष को, देखते हुए इस मामले पर पुर्नविचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो श्री प्रेमनीति प्रसाद सिंह के 25 जून, 1969 के पत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस मामले को फिर से जाँच की गयी है, लेकिन नं० 103 अप/104 डाउन हवड़ा-नयी दिल्ली (पटना होकर) साप्ताहिक वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों को किऊल स्टेशन पर ठहराना न तो परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया है और न यह यातायात की दृष्टि से ही उचित है।

सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में रेलवे भवन का उपयोग

5004. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में सोनपुर के रेलवे कार्यालय और आवासीय भवनों का वहाँ से कार्यालयों और कर्मचारियों को हटाये जाने के उपरान्त क्या प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि उनको गिराया जायेगा और इसके प्रथम चरण में इन भवनों से दरवाजों और खिड़कियों को निकाला जा रहा है; और

(ग) क्या भवनों को गिराने के बाद लोगों को पुनः बसाने के लिए भूमि दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) समस्तीपुर में मंडल कार्यालय बनने के कारण सोनपुर में जो वर्तमान कार्यालय और रिहायशी इमारतें खाली हो गयी हैं, उनका कारगर ढंग से उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सोनपुर की खाली इमारतों को गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पहलेजा घाट पर बुकिंग

5005. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का अध्यादेश जारी होने के बाद कि बुकिंग कराने पर प्रभार 50 पैसे से बढ़ा कर 5 रुपए और जुर्माना 10 रुपए तक कर दिया गया है, टिकट चैकरों द्वारा की जाने वाली बुकिंग काफी कम हो गई है और पहलेजा घाट पर भी बुकिंग काफी कम हो गई है और रेलवे को हानि हो रही है तथा बेईमान कर्मचारियों को लाभ हो रहा है; और

(ख) इस अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी और उससे क्या लाभ हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) बिना टिकट यात्रा के लिए दण्ड को बढ़ाने से सम्बन्धित अध्यादेश जारी किए जाने के बाद से टिकट यात्रा करते हुए पकड़ जाने वाले यात्रियों की संख्या में सभी जगह काफी कमी हुई है और इसके साथ ही साथ टिकट खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई है।

11-6-1969 से 10-7-1969 के बीच पहलेजाघाट पर टिकट खिड़कियों से 39,406 टिकट बेचे गए, जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि में 6,303 टिकट बेचे गए थे। अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप रेलवे को हानि होने अथवा अनैतिक कर्मचारियों द्वारा नाजायज फायदा उठाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(ख) बिना टिकट यात्रा के कारण प्रतिवर्ष 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की हानि का अनुमान था और इस हानि को रोकने के उद्देश्य से, 2-12-1968 को संसद् के शीतकालीन अधिवेशन में, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 112 और 113 में संशोधन करने के लिए भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1968 पेश किया गया। इस विधेयक पर न तो उस अधिवेशन में और न ही पिछले बजट अधिवेशन में विचार हो सका। इस बीच अनेक महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध, बड़े पैमाने पर जाँच की गयी और इससे पता चला कि हानि का पहले लगाया गया अनुमान थोड़ा था और यह हानि प्रतिवर्ष 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच थी। इस स्थिति पर काबू पाने के लिये तुरन्त कदम उठाना आवश्यक समझा गया और तदनुसार विचाराधीन विधेयक के आधार पर 4-6-1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया।

इस अध्यादेश के जारी किए जाने के फलस्वरूप भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी कम हो गयी है। इसके साथ-ही-साथ टिकट खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

रूरकेला संयंत्र में लाभ

5006. **श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 1969-70 में लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ख) वर्ष 1968-69 में कितनी हानि हुई और इस संयंत्र के कार्य में क्या सुधार किया जायेगा कि यह लाभ अर्जित करने लगे; और

(ग) संयंत्र की औसत निर्धारित उत्पादन-दर क्या है तथा चालू वर्ष में कितनी उत्पादन-क्षमता प्राप्त की गई है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के 1968-69 के लेखों की परीक्षा अभी हाल में हुई है लेकिन इस पर निदेशक मंडल की स्वीकृति होनी है। अतः कम्पनी को 1968-69 में हुए घाटे की ठीक-ठीक सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं। विस्तार योजना के अन्तर्गत लगाई महत्त्वपूर्ण बेलन मिलें 1968-69 में परिचालित हो गईं और अब यह संगठित प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्हें उच्चतम सीमा तक चलाया जाय जिससे अधिक उत्पादन हो और क्षमता का अधिक अच्छा

उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त लाभदायक वस्तुओं के उत्पादन को अधिकतम करन के उद्देश्य से दूसरे उपाय, तथा उत्पादन-लागत पर नियंत्रण समुन्नत संधारण, आदि किए जा रहे हैं, जिससे कारखाने को लाभ में चलाया जा सके।

(ग) ऐसी आशा है कि चालू वर्ष में कारखाने का उत्पादन औसतन उत्पादन 1.3 से 1.4 मिलियन टन पिण्डक तक पहुँच जायेगा।

दिल्ली के लघु उद्योगों द्वारा प्रतिरक्षा विभाग को माल की सप्लाई

5007. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के लघु उद्योगों द्वारा प्रतिरक्षा विभाग की कुछ वस्तुओं की सप्लाई की जाने के बारे में उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं :

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जाँच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) जाँच के परिणामस्वरूप यह महसूस हुआ है कि मेसर्स देहली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, ओखला द्वारा संभरण की गई वस्तुएँ काफी निम्न कोटि की थीं और कुछ तो सम्बन्धित सौदों के लिए किए गए भुगतान के 50 प्रतिशत कीमत की भी नहीं थी। संभरण तथा निपटान महानिदेशालय ने फर्म से कमियों के बारे में बताने तथा सामान को बदलने के लिए कहा था ।

फर्म को होने वाले सारे भुगतान निलंबित कर दिये गये हैं क्योंकि फर्म ने अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार नहीं किया है । 7–12–68 को संभरण तथा निपटान महानिदेशालय ने समाश्वासन भंग करने की हानिपूर्ति के रूप में उनसे देय मूल्य का 50 प्रतिशत माँगते हुए माँग-पत्र जारी किये थे । फर्म द्वारा देय को मना करने पर, फर्म के रुके हुए तथा अन्य बिलों में से वे जब कभी आयेंगे 4,84,000 रुपये तथा 1,75,000 रुपये काट लेने का निर्णय किया गया। 28–7–69 से फर्म के साथ सारे कार्य निलम्बित कर दिये गये हैं ।

Reconstitution of Khadi Gramodyog Board

5008. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Khadi Gramodyog Board has been reconstituted;

(b) if so, the basis on which the members of the said Board were elected; and

(c) whether it is also a fact that in the reconstituted Board some of those members have also been included against whom many serious complaints were received by Government in the past?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) Yes, Sir.

(b) Members of the Khadi and Village Industries Board are appointed in accordance with Rule 13(1) of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 framed under the Khadi and Village Industrial Commission Act, 1956.

(c) Government had not received any such complaints.

Installations of Computers on Railways

5009. **Shri Raghuvir Singh Shastri: Shri K. P. Singh Deo:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have accelerated the programme of installing computers on Railways;

(b) the number of computers installed in each zone and the nature of work done by them; and

(c) the reaction of Railway employees in this regard.

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House, showing the details of computers installed on Indian Railways and the nature of work done on some or all of them. **[Placed in Library. See No. LT-1851/69].**

(c) Initially there were some apprehensions in the mind of staff about the impact of computers. They have, however, been given assuranees of 'no retrenchment', 'no adverse effect on emoluments or prospects of promotion' and 'no transfers of re-deployed staff from the present station without the employee's consent'.

सरकारी उपक्रमों के लिये सार्थ-संघ

5010. **श्री अदिचन : श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में और विदेशों में विद्युत् परियोजनाओं और सहायक सेवाओं से सम्बन्धित समस्त व्यापार की देखभाल करने के लिए सरकारी क्षेत्र के पाँच उपक्रमों का एक सार्थ-संघ स्थापित किया है :

(ख) यदि हाँ, तो इस सार्थ-संघ में सम्मिलित उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सार्थ-संघ का संगठनात्मक ढाँचा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ । इण्डियन कन्सारटियम फॉर पावर प्रोजेक्टस लि० नामक एक कम्पनी नई दिल्ली में दिनांक 26 जून, 1969 को संस्थापित की गई थी ।

(ख) इस कम्पनी के साझेदार सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम हैं–

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकलस लि०

(2) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०

(3) इन्स्ट्रूमेंन्टेशन लि०

(4) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०

(5) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०

(ग) कम्पनी के निम्नलिखित निदेशक हैं :—

1. श्री एस० स्वयंम्भू,
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० ,
भोपाल / अध्यक्ष

2. श्री बी० बी० मूर्ति,
प्रबन्ध निदेशक, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी
कारपोरेशन, दुर्गापुर (प० बंगाल)

3. श्री ओ० एस० मूर्ति,
अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०,
नई दिल्ली ।

4. श्री पी० पी० दानी,
प्रबन्ध निदेशक, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, इलाहाबाद ।

5. ब्रिगेडियर बी० जी० साहनी,
प्रबन्ध-निदेशक, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा ।

6. श्री वाई० कृष्ण, संयुक्त सचिव,
व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

7. श्री एन० वेंकटेशन, महाप्रबन्धक,
इण्डियन कर्सोटियम फॉर पावर प्रोजेक्ट्स लि०
नई दिल्ली ।

8. श्री के० वेंकटरामन, उप-सचिव,
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय,
औद्योगिक विकास विभाग , नई दिल्ली

9. श्री ए० के० घोष, उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग, नई दिल्ली ।
कर्मचारियों आदि से सम्बन्धित विवरण तैयार किया जा रहा है ।

Location of Divisional Offices of North-Eastern Railway in Bihar

5011. **Shri Ramavatar Shastri:** **Shri D. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bihar Vidhan Sabha has unanimously passed a resolution demanding that two Divisional Offices of the North-Eastern Railway be set up for their areas falling within Bihar;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) The Railway Minister have no information of such a resolution having been passed by the Bihar Vidhan Sabha.

(b) and (c) Do not arise.

Looting of Rails by Telengana Agitators between Hasanparti Road and Kazipet Stations (South Central Rly.)

5012. **Shri Hukam Chand Kachwai:** **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Telengana agitators removed about 100 feet of Rails between the Hasanparti Road and Kazipet Railway Stations on the South Central Railway in the first-week of July, 1969 and took away the rails with them; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes. It is a fact that Telengana agitators removed one panel of rail (126 feet) from down line on 3.7.69 and two panels of rails (252 feet) from down line on 4.7.69 at Kilometres No. 357/12-13 between Hasanparti Road and Kazipet Railway station in Kazipet Balharshah Section on the South Central Railway. The rails were not taken by the agitators.

(b) The cases have been registered by the Government Railway Police, Kazipet under section 126 Indian Railways Act and ten persons have been arrested. Police investigation is still in progress.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा पुनर्निमित दोषपूर्ण मशीनरी का आयात

5013. **श्री अब्दुल गनी दार :** **श्री राम चरण :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकारियों ने गत पन्द्रह वर्षों में अपने संयंत्रों के लिए अधिक राशि के बीजक बना कर और कम राशि के बीजक बना कर तथा विदेशों में कुछ अन्य नामों में काफी धन जमा करके करोड़ों रुपयों की पुनर्निमित दोषपूर्ण मशीनरी का आयात किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई जाँच की गयी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) 30 जून, 1969 को प्रयोग के लिए पूर्णतया बेकार पड़ी मशीनरी का मूल्य कितना था; और

(ङ) तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त उद्यम के लिए मशीनों के आयात करने सम्बन्धी लाइसेंस

5014. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1969 के फाइनेन्शल ऐक्सप्रैस में "ज्वाइन्ट चैम्बर लैंगूसिंग फार वान्ट आफ मशीनरी इम्पोर्ट लाइसेंस" के अन्तर्गत प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत-इटली जूता निर्माण प्लान्ट मद्रास की निर्यात–क्षमता 1000 जूते प्रतिदिन की है :

(ग) क्या इस कम्पनी को आवश्यक आयात लाइसेंस देने में असामान्य विलम्ब हुआ है जिसके कारण कम्पनी को उत्पादन आरम्भ करने में विलम्ब हुआ और विदेशी मुद्रा की हानि हुई ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बीच मामलों की जाँच की है और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) निर्यात–क्षमता नीचे दिखायी गई है :—

	निर्यात का मूल्य (रुपए)
उत्पादन के प्रथम वर्ष में	7 लाख रुपये
दूसरे वर्ष में	18 " "
तीसरे वर्ष से आगे	38 " "

(ग) भारतीय कम्पनी के विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को 16 अगस्त, 1969 को स्वीकृत किया गया था । इस योजना से सम्बन्धित कोई आयात आवेदन सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार के आदिवासियों का विकास

5015. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भूतपूर्व मंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री ने 26, जून 1969 को बिहार विधान सभा में यह घोषणा की थी कि आदिवासियों में शिक्षा, कृषि तथा सिंचाई योजना के विकास के लिए बोर्डों के साथ-साथ एक सांविधिक क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया जायेगा जिसके अन्तर्गत छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र होंगे;

(ख) क्या उक्त घोषणा के अनुसार उसको सांविधिक रूप दिया गया है अथवा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुल्याल राव) :

(क) से (ग) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पार्सल क्लर्कों का तबादला

5016. **श्री टी० पी० शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 150-240 (ए० एस०) ग्रेड तथा 250-380 (ए० एस०) ग्रेड के कुछ पासल क्लर्कों का नई दिल्ली से अम्बाला छावनी, सहारनपुर और दिल्ली जंक्शन को जून, 1969 में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार जनहित में तबादला किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि ये लोग दिल्ली डिवीजन के कुछ अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करके अपने तबादले के आदेशों को टाल रहे हैं, और वे अधिकारी उनको स्पष्टतः नई दिल्ली स्टेशन पर रखने या उनकी इच्छा के स्टेशनों पर नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को वहाँ से न छोड़ने के पीछे कोई षड्यंत्र है, जिनको नई दिल्ली स्टेशन के कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच समझौता

5017. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाने के सभी विभागों में अनुशासन तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के

लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर्मचारी संघ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हुआ है; और

(ख) क्या सरकार सभी सरकारी उपक्रमों में इसी प्रकार के समझौते सम्पन्न कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक वर्ग एवं हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन के बीच 21 जून, 1969 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसकी एक धारा कारखाने के सभी विभागों में अनुशासन एवं नियमितता बनाए रखने से सम्बन्धित है।

(ख) "कोड आफ डिसिप्लिन इन इण्डस्ट्री" के अनुसार, जिसमें उद्योग में अनुशासन बनाए रखने के बारे में पूरी तरह विचार किया गया है, इस तरह के समझौतों में एक अलग धारा की आवश्यकता साधारणतः नहीं होती किन्तु किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यकता अनुभव हुई तो सम्बन्धित उपक्रम के प्रबन्धक वर्ग इस तरह की धारा के समावेशन पर निश्चय ही विचार करेंगे ।

कुमेदपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर गलत रेलगाड़ी के साथ डिब्बों को लगाना

5018. **श्री वै० कृ० दासचौधरी : श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जून, 1969 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कुमेदपुर स्टेशन पर 18 जून, 1969 को एक गलत रेलगाड़ी के साथ कुछ डिब्बे लगाये गये थे और अप दार्जिलिंग मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है; और

(ग) गलत रेलगाड़ी के साथ डिब्बे लगाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 15-6-69 को 5 अप एक्सप्रेस गाड़ी के साथ खजूरियाघाट और न्यू बोंगाईगाँव के बीच चलने वाले तीसरे दर्जे के एक डिब्बे को गलती से कुमेदपुर स्टेशन पर गाड़ी से अलग कर दिया गया था और 4 खण्डीय सवारी डिब्बों के साथ (जो कुमेदपुर स्टेशन पर गाड़ी से ठीक ही अलग किये गये थे) 61 अप सवारी गाड़ी में लगा कर कटिहार भेज दिया गया था। 18-6-69 को ऐसा कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गयी है ।

तेल शोधन–शालाओं के लिए अधिक दबाव वाले पम्प
तथा कम्प्रैसर बनाने का कारखाना

5019. **श्री बं० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन तथा तेल शोधन–शालाओं के लिए अधिक दबाव वाले पम्प तथा कम्प्रेसर के संयोजन तथा परीक्षण के लिए एक कारखाना लगाने का फैसला किया है;

(ख) यह कारखाना कहाँ स्थापित किया जायेगा और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस मामले से सम्बन्धित अन्य पहलू क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) अन्य उद्योगों के साथ रसायन उद्योग तथ तेल-शोधक उद्योग के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रकार के पम्पों तथा कम्प्रेसर के निर्माण के लिए नैनी, इलाहाबाद के निकट एक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 10.68 करोड़ रुपये है । इसके अतिरिक्त बस्ती के लिए एक करोड़ रुपये की और आवश्यकता है । ऐसी आशा है कि संयंत्र प्रतिवर्ष 6,000 मी० टन 5 प्रकार के कम्प्रेसर तथा 4 प्रकार के पम्प बनायेगा ।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर
द्वारा निर्मित 20–अश्व–शक्ति वाले ट्रैक्टर

5020. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर में 20–अश्व-शक्ति वाला, जिसका डिजाइन देश में तैयार किया गया था, ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या भारत में यह ट्रैक्टर अपनी किस्म का पहला ट्रैक्टर है ;

(ग) क्या यह ट्रैक्टर सभी आवश्यक परीक्षणों में सफल रहा है ; और

(घ) इसका नियमित निर्माण कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) ऐसा सूचित किया गया है कि 20-अश्व-शक्ति की परिधि में आने वाले ट्रैक्टर में पहला ट्रैक्टर है जिसका नमूना तथा विकास सम्पूर्ण रूप से भारत में हुआ है ।

(ग) इस ट्रैक्टर के आद्यरूप को ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण स्टेशन, बुंदनी में परीक्ष-

णार्थ भेजा गया है। ट्रैक्टर का परीक्षण आदि प्रगति पर बताया जाता है और परीक्षण परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) इस प्रश्न पर इस ट्रैक्टर की कार्य-कुशलता के बारे में बुंदनी स्थित ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली और मद्रास के बीच जी० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

5021. **श्री कृ० ग० देशमुख** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस रेलगाड़ी बहुधा कई-कई घंटे लेट होती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस गाड़ी के प्रायः लेट रहने के क्या कारण हैं;

(ग) 1 अप्रैल से 30 जून, 1969 तक के तीन महीनों की अवधि में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली और मद्रास कितनी बार ठीक समय पर पहुँची; और

(घ) जब से यह गाड़ी डीजल इंजिन से चलने लगी है उसके बाद इस गाड़ी का ठीक समय में चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) 15 डाउन / 16 अप मद्रास-नयी दिल्ली जी० टी० / ए० सी० एक्सप्रैस गाड़ियों का चलना संतोषप्रद नहीं रहा है जिसके कई कारण हैं; इनमें जिन खंडों में से ये गाड़ियाँ चलती हैं उनका अत्यन्त व्यस्त होना, अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीरों का खींचा जाना और निर्धारित स्थानों के बदले अन्य स्थानों पर गाड़ियों का मेल होना आदि शामिल है। अप्रैल से जून, 1969 तक की अवधि में तेलंगाना आन्दोलन से सम्बद्ध उपद्रवों के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी है और रेलपथ और उपस्करों में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों और काजीपेट-विजयवाड़ा-गुडूर खंड पर लम्बी दूरी में लाइन टूटने से 19 मई, 1969 से जून के अन्त तक गाड़ियों को घुमावदार रास्ते से मोड़ कर ले जाने की आवश्यकता पड़ी।

(ग) अप्रैल से जून, 1969 तक की अवधि में 15 डाउन जी० टी० / ए० सी० एक्सप्रैस गाड़ियाँ नयी दिल्ली स्टेशन पर 32 बार और 16 अप जी० टी० । ए० सी० एक्सप्रैस गाड़ियाँ मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर 4 बार ठीक समय पर पहुँचीं जैसा कि पहले ही बताया गया है, इस अवधि में गाड़ियों का चलना असंतोषजनक होने का मुख्य कारण यह था कि मई-जून, 1969 की अवधि में दक्षिण मध्य रेलवे पर लम्बी दूरी में लाइन की टूट-फूट के फलस्वरूप इन गाड़ियों को घुमावदार रास्ते से मोड़ कर ले जाना पड़ा था।

(घ) इन गाड़ियों तथा अन्य गाड़ियों के संचलन के आधार पर दिन प्रतिदिन कड़ी निगाह रखी जा रही है और उनके समय की पाबन्दी में सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं।

केरल के स्कूलों को केन्द्रीय अनुदान

5022. **श्री सूरज भान** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज-कल्याण विभाग ने अस्पृश्यता समिति के भूतपूर्व सदस्य श्री आर० अच्युतन को यह वचन दिया था कि केरल के कुछ स्कूलों को जनवरी या फरवरी, 1966 में अनुदान देने के बारे में उनके अनुरोध पर विचार किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत आयव्ययक सूत्र में अनेक संसद् सदस्यों द्वारा सभा में की गयी इस बात की कटु आलोचना को दृष्टि में रखते हुए उनको कोई भी राशि नहीं दी गई थी और इसकी बजाय उसे यह आश्वासन दिया गया था कि अगले वित्तीय वर्ष में उनके अनुरोध पर विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या श्री अच्युतन के ऐसे (नये या पुराने) अनुरोध पर चालू वर्ष में विचार किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) नहीं, श्रीमान् । इस आरोप का वास्तव में कोई आधार नहीं है ।

(ख) नहीं, श्रीमान । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Ticketless Travel by Railway Employees

5023. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for not holding enquiry in regard to the realisation of amounts of fares from the ticketless travellers and those travelling without authorised travel pass during January, February, March and April, 1969 by the Travelling Ticket Examiner of the Kanpur Central station (Northern Railway) whose past record of service has been controversial;

(b) the total number of employees mentioned in part (a) above, who travelled in I, II and III class during the aforesaid period and the total amount of fares involved;

(c) whether it is a fact that travelling without authorised travel pass is considered official duty;

(d) if so, the name of the officer responsible for the payment of salary for the said period to the employees mentioned in part (b) above; and

(e) the reasons for not realising travelling fare from the pay of the said employees for the period mentioned in part (a) above?

The Minister of Railways (Dr. Ram Suhhag Singh) :

(a) There have not been any cases of ticketless travellers where the amount of fare has not been realised from the ticketless travellers. There were, however, a few cases of railway employees who travelled on date-expired duty passes due to the administrative delay in renewing those passes in time. In view of this, the question of holding an enquiry against the travelling ticket examiner does not arise.

(b) Information regarding the number of railway employees who travelled on date-expired duty passes is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The railway employees who travelled on date-expired duty passes were actually on duty.

(d) and (e) Do not arise.

Railway Accidents

5024. **Shri Hukam Chand Kachwai:** **Shri Bansh Narain Singh:** **Shri Shashi Bhushan:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway accidents occurring on the Indian Railways since 1st May, 1969 so far;

(b) the total number of persons killed and injured as a result thereof; and

(c) the extent of loss to Railway property suffered as a result of these accidents?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) During the period 1.5.1969 to 31.7.1969, there were 259 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Indian Government Railways.

(b) As a result of these accidents, 203 persons were killed and 390 injured.

(c) The cost of damage to railways property was estimated at approximately Rs. 34,78,893/-.

दिल्ली डिवीजन सहायक के स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति और नियुक्ति

5025. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन के पाँच सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति और नियुक्ति के बारे में दिल्ली के डिवीजनल-अधीक्षक द्वारा जुलाई, 1962 में जो आदेश संख्या 941 ई/ 29 XXXVIII जारी किया गया था उसमें दूसरे क्रमांक पर लिखित सहायक स्टेशन मास्टर के नाम के सामने यह लिखा था कि आदेश बाद में जारी किये जायेंगे; यदि हाँ, तो ऐसी टिप्पणी देने के क्या कारण थे;

(ख) उपरोक्त परिपत्र में किन परिस्थितियों में यह टिप्पणी पाँचवें व्यक्ति की बजाय दूसरे व्यक्ति के सामने लिखी गयी;

(ग) क्या वह सहायक स्टेशन मास्टर, जिसका नाम उक्त आदेश में दूसरे क्रमांक पर है, दिल्ली में गत 15 वर्षों से काम कर रहा है, जब कि रेलवे बोर्ड का स्पष्ट अनुदेश यह है कि जनसम्पर्क कर्मचारी एक स्थान पर 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक न ठहरें; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिल्ली क्षेत्र में ओखला में एक ऐसे सहायक स्टेशन मास्टर को डिवीजन कार्मिक अधिकारी द्वारा विश्र सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में मार्च, 1969 में पुनः नियुक्त किया गया है, जो दिल्ली क्षेत्र में गत 15 वर्षों से काम कर रहा है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक कम्पनियों के राजनीतिक संबंधों की जांच

5026. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को, औद्योगिक कम्पनियों और व्यक्तिगत उद्योगपतियों के राजनीतिक सम्बन्धों की जाँच करने का अनुदेश दिया है; और यदि हाँ, तो ऐसी जाँच करने की क्या आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूछे गये प्रश्नों में से एक यह है कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति का सम्बन्ध काँग्रेस से है अथवा प्रतिपक्षी दल से ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए जारी की गयी प्रश्नावली की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायंगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 678 के उत्तर में 19-12-68 को प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासन को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक / अध्यक्ष जो सरकारी कर्मचारी तथा काँग्रेस और विरोधी दलों के सदस्य थे, उनकी संख्या के बारे में जानकारी निगम से माँगी गई थी। औद्योगिक समूह के सदस्यों तथा व्यक्तिगत उद्यमियों का लगाव किसी राजनैतिक पार्टी से है, इसके बारे में जाँच किए जाने के लिए आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Printing of Election Posters without the Name of Printers and Publishers

5027. **Shri K. M. Madhukar : Shri Chandra Shekhar Singh: Shri Yogendra Sharma: Shri Bhogendra Jha: Shri Ramavtar Shastri:**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision of six months' imprisonment and a fine of Rs. 2,000 in the Representation of the People Act, 1951 for not printing the names of the Printers and Publishers on the election posters ;

(b) whether it is a fact that a poster not bearing the names of the Printer and Publisher had been printed in Danapur Constituency in District Patna (Bihar) on the eve of the last Mid-term poll ;

(c) whether it is also a fact that the candidate of the Bhartiys Kranti Dal Shri Moin Ansari, had complained against this to the S. D. O. of Danapur ;

(d) whether the S. D. O. had enquired into it on the 4th April, 1969 ; and

(e) if so, the details of this enquiry and the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem):

(a) Under section 127A of the Representation of the People Act, 1951, a person printing or publishing an election pamphlet or poster not bearing the name and address

of the printer and publisher shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(b) to (e) The information is being collected.

एस० एस० लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर

5028. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि एस० एस० लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, सहारनपुर, भारतीय रेलवे अधिनियम के कई उपबन्धां का उल्लंघन कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त रेलवे कम्पनी के विरुद्ध कोई उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है; और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस रेलवे को शीघ्र ही अपने हाथ में लेने का विचार करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं । अभी हाल तक भारतीय रेल अधिनियम के काम के घंटों से सम्बन्धित विनियमों के प्रवर्तन से इस रेलवे को छूट मिली हुई थी । 1-1-1968 से इस छूट को वापस लेने के लिए कम्पनी को नोटिस दिया गया था । लेकिन कम्पनी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी और मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीन है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) करार के अधीन खरीद के लिए विकल्प देने का पिछला अवसर अप्रैल, 1969 में आया था । इस सम्बन्ध में इस रेलवे को खरीदने के प्रश्न पर सरकार ने हाल में विचार किया था । सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के बाद, इस रेलवे को न खरीदने का विनिश्चय किया गया ।

नेपा मिल्स, नेपा नगर के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच

5029. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो नेपा मिल्स के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आचरण और कार्यवाहियों के बारे म कोई जाँच कर रहा है :

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और जाँच-कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक जाँच पूरी होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) यह आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने अपने अधिकार का दुरुप-

योग किया था और नाजायज लाभ उठाया था। अन्तिम जाँच रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर राज्य में नई रेल लाइनें

5030. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइनों के लिए संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गये कई अभ्यावेदन रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन हैं; यदि हाँ, तो कब से; और

(ख) मैसूर में नई रेल लाइनें बिछाने के प्रस्ताव पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) मैसूर राज्य में नयी लाइनों के लिये अभ्यावेदन मिले हैं, उन पर विचार किया गया है और उत्तर भेज दिये गये हैं।

(ख) रेलवे विकास कार्य अलग-अलग राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास की दृष्टि से किया जाता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि गुन्तकल्ल और धर्मावरम (और धर्मावरम-बेंगलूर खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव के लिए) के बीच नयी बड़ी लाइन के समानान्तर लाइन बनाने और केतूरु-हरिहर रेल सम्पर्क (यशवंत नगर और चित्रगुडा के बीच रेल सम्पर्क के लिए विकल्प के साथ) के लिए सर्वेक्षण का काम जारी है। चामराजनगर-सत्यमंगलम रेल सम्पर्क के लिए पहले के सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने के लिए भी आदेश दिये जा चुके हैं।

मैसूर राज्य में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलना

5031. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) रेलवे का विकास राज्यवार या क्षेत्रवार की भावना से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास की दृष्टि से किया जाता है। फिर भी, मिरज-लोंडा-होसपेट-मरमुगाओ और धर्मावरम-बेंगलूर मीटर लाइन खंडों को आगामी दस या उसके आस-पास के वर्षों में आमान परिवर्तन की रेलवे की संभावित योजनाओं में अन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है।

जमशेदपुर से दारु भट्टी बाहर ले जाना

5032. **श्री शिवचंडिका प्रसाद** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमशेदपुर में रहने वाले कर्मचारियों तथा नागरिकों ने सरकार

से अनेक बार यह अनुरोध किया है कि श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने तथा इस्पात नगर में अपराधों पर काबू पाने के लिए, जो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, दारु की भट्टी और हरिया भट्ठी को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा बुजुगालोई अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थानान्तरित किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो नागरिकों की इस समुचित माँग को पूरा करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयाँ हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी कि ये भट्टियाँ गाँधी शताब्दी वर्ष में स्थानान्तरित कर दी जायें ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) से (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

महानगरों में भिखारी-समस्या

5033. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली महानगरों में भिखारियों की राज्यवार संख्या कुल कितनी है;

(ख) क्या इन नगरों में भिखारी-समस्या को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):

(क) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित अधिनियम प्रवृत्त हैं :

(1) **मद्रास**—मद्रास नगर पुलिस अधिनियम, 1968 तथा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1945.

(2) **दिल्ली**—भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 .

(3) **कलकत्ता**—बंगाल आवागर्दी अधिनियम, 1943 .

(4) **दिल्ली**—बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को दिल्ली में लागू किया गया ।

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं की अनियमित ढंग से समाप्ति

5034. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दक्षिण-पूर्वी रेलवे में खुर्दा रोड डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों की सेवाएं अनियमित ढंग से समाप्त की जाने के विरोध में रेलवे प्रशासन के विरुद्ध न्यायालय में कितने मुकदमे दायर किये गये हैं;

(ख) वहाँ चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएँ गलत ढंग से समाप्त करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में खुर्दा रोड डिवीजन में इन मुकदमों के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों ने वकील की फीस मुकदमे में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को यात्रा-भत्ते तथा अन्य आनुषंगिक खर्च के रूप में कितनी राशि खर्च की ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Jhunjhunwala Group of Firms

035. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

ι h e names of the firms of Jhunjhunwala, Bombny Group of concerns in the ountry at present ;

(b) the capital invested in this group of concerns at present and as on the 31st March, 1965;

(c) the amount of loans sanctioned to this group of concerns by Government during the last three years ; and

(d) the names of the agencies which gave the loans to them and at what rate of interest ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (**Shri F. A. Ahmed**):

(a) to (d) There is no reference to Jhunjhunwala, Bombay Group in the Report of the Monopolies Inquiry Commission. The required information, therefore, is not available. Further enquiries are being made and if any information is found, it will be laid on the Table of the House.

आयातित माल के लिए देशी स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण

5036. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उका व्यौरा क्या है ; और

(ग) जून, 1966 में हुए अवमूल्यन के बाद स्थानापन्न देशी वस्तुओं के निर्माण से विदेशी वस्तुओं के आयात में कितनी कमी हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक चलाई गई योजना है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को जो कि विकास कार्य के क्षेत्र में आयात कम करने में सहायक प्रयोगात्मक विचार प्रस्तुत करती है पुरस्कार दिये जाते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए एक पुरस्कार बोर्ड की स्थापना 1967 में की गई थी जो कि आयातित पूंजीगत सामानों, कच्चे पदार्थों, मशीनी पुर्जों और तकनीकी विचारों आदि के प्रतिस्थापन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वालों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करता है। आयातित प्रतिस्थापन पुरस्कार बोर्ड से औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इस उद्देश्य के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) आयात प्रतिस्थापन एक सतत प्रयास है, जिसके फलस्वरूप अनेक उद्योगों में आयातित पूंजीगत सामान, पुर्जों और कच्चे पदार्थों के आयात में उत्तरोत्तर कमी हो रही है। क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण उद्योग समूह आता है, यह संक्षेप में बताना कठिन होगा कि देशीय प्रतिस्थापना आयात में कमी करने में किस हद तक सहायक होगा।

दिल्ली / नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों का बिना पारी के दिया जाना

5037. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सम्पदा निदेशक द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बीमारी के आधार पर बिना पारी के ही क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे प्रशासन भी दिल्ली / नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों का बिना पारी के आवंटन कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विपदाग्रस्त रेलवे कर्मचारियों के मामले को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन करने और जरूरतमन्द कर्मचारियों को आवास देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Railway Protection Force Check-Post for Security of Railway Track

5038. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the scheme of setting up of the Railway Protection Force Check-posts so that the Railway track between two posts could be looked after;

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No such Scheme is under consideration of the Government.

(b) Does not arise in view of the reply at (a) above.

(c) The protection of railway track against sabotage and other criminal interferences is the responsibility of the State Governments.

Theft of Foodgrains from Wagons at Bhatpar Rani Station

5039. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons, who were stealing foodgrains from Railway wagons stationed in front of Goods-shed at Bhatpar Rani Railway station (North-Eastern Railway), were held near about 13th July, 1969 and that such type of theft was being committed at the said station for many days;

(b) if so, the number of persons held ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes, but it is not a fact that such type of theft was being committed at Bhatpar Rani Railway station for many days.

(b) 4 Persons have been arrested in this connection.

(c) Government Railway Police, Bhatpar Rani station have submitted charge-sheet against the accused persons under Sections 380/411 IPC and the case is under trial.

उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना

5040. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें उद्योग, विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों की छूट दी गई और कितने उद्योगों में लाइसेंस देने की व्यवस्था समाप्त की जायेगी ;

(ख) कुछ उद्योगों में लाइसेंस देने सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है; और

(ग) क्या लाइसेंस देने की व्यवस्था के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप एकाधिकार प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) लाइसेंस-मुक्त उद्योगों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1852/69] चतुर्थ योजना प्रलेख में उल्लिखित योजना आयोग के विचारों और औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आलोक में लाइसेन्स नीति में आवश्यक परिवर्तनों के प्रश्न पर तथा उसकी प्रक्रिया जिसमें लाइसेंस नीति में आगे छूट देने का प्रश्न भी सम्मिलित है इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा मैसूर में उद्योगों की स्थापना

5041. श्री एस० एस० कृष्ण : श्री क० लकप्पा :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उद्योग अन्य राज्यों से हटा कर मैसूर राज्य में स्थापित किए गए हैं :

(ख) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने बिड़ला उद्योगों को मैसूर राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस दे दिये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) 1967 से 1969 (31 जुलाई,) तक अन्य राज्यों में स्थित उद्योगों को मसूर राज्य में स्थानान्तरित करने के लिये कोई लाइसेंस या अनुमति प्रदान नहीं की गई है। फिर भी मसर्स इलेक्ट्रिक लैम्प वर्क्स, कलकत्ता के एक प्रकरण में, जिस पश्चिमी बंगाल स्थित अपने कारखाने में पर्याप्त विस्तार के लिये लाइसेंस दिया गया था, को अपने विस्तार लाइसेंस को मैसूर में लागू करने की अनुमति दी गई है। एक दूसरे मामले में मैसर्स पी० डी० अग्रवाल को जिन्हें बक्सों के पट्टे तथा छड़ें बनाने के हेतु उड़ीसा में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये एक आशय-पत्र जारी किया गया था, उन्हें उड़ीसा की बजाय मैसूर में एक उपक्रम स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन दोनों ही मामलों में किसी स्थापित उद्योग का स्थानान्तरण नहीं है ।

(ग) और (घ) 1967 से 1969 (31 जुलाई) तक बिड़ला समूह को मैसूर में किसी उद्योग की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

Import of Heavy Engineering Goods

5042. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the heavy engineering goods manufactured by the Heavy Engineering factories in the country are not enough to meet the requirements in this respect and therefore a large quantity of Engineering goods has to be imported ;

(b) if so, the extent to which heavy engineering goods are manufactured indigeniously and the total requirements of the country in this regard ;

(c) whether it is also a fact that Government propose to set up another factory on the pattern of the Heavy Engineering Corporation in the country ;

(d) if so, where and when ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Halt Station between Kanti and Motipur Stations
(North-Eastern Railway)

5043. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the progress made so far in opening a halt station between Kanti and Motipur stations on the Muffarpur-Narkatiaganj section of the North - Eastern Railway, demand for whichi s being made persistently by the public of the locality;

(b) whether the work relating to opening a halt-station near Nariyar village between Kanti and Motipur is going to be completed in the near future;

(c) if so, the time by which it will be completed; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) and (b) It has been decided to open a train halt near village Nariar between Kanti and Motipur Stations with the offer of Shramdan for earth-work by the local population. Plans and estimates for the work have been finalised and the construction work will be taken in hand by the North-Eastern Railway shortly.

(c) The work is expected to be completed and the halt opened by March 1970 subject to the timely performance of Shramdan.

(d) Does not arise.

Railway Employees Training Schools at Gorakhpur and Muzaffarpur

5044. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the entire accommodation in the Railway Employees Training Schools at Gorakhpur and Muzaffarpur is being utilized properly;

(b) if so, the details in this regard;

(c) if not, the propriety of constructing buildings for such schools at two places and incurring expenditure thereon; and

(d) whether Government would retain the said school only at one place i. e. either at Gorakhpur or at Muzaffarpur and utilize the other building for other purposes?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) Yes.

(b) The Zonal Training School at Muzaffarpur imparts training to Transportation and Commercial staff in Initial, Promotional, Refresher and ad hoc courses. The System Technical Schools at Gorakhpur imparts training in Initial, Promotional and Refresher courses to staff of Mechanical, Civil Engineering and Electrical Departments. There is no proposal to combine both the Schools, as their functions are different, for which it is necessary to have separate sets of instructors.

(c) Does not arise.

(d) No.

Employment to Educated Deaf and Blind persons

5045. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Land and Social Welfare** be pleased to state the steps taken by Government to provide livelihood to the educated deaf and blind persons in the country?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha):

The Nine Special Employment Exchanges for the Physically Handicapped set up in different parts of the country assist educated blind and deaf persons in securing remunerative work. Training is provided in the National Centres for the Blind and the Deaf at Dehradun and Hyderabad respectively.

मनीपुर के लिए निम्न आय वर्ग की छात्रवृत्तियों की राशि का बन्द करना

5046. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग छात्रवृत्तियाँ देने के मासले में योग्यता के आधार पर लागू करके वर्ष 1969-70 में मनीपुर के लिये इस छात्रवृत्ति के लिये धनराशि के नियतन में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये मनीपुर को 1969-70 में कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और 1968-69 में कितनी धनराशि का नियतन किया गया था।

(ग) क्या जुलाई, 1969 के अन्तिम भाग में मनीपुर में इस कारण विद्यार्थियों की ओर से आन्दोलन हुए थे और क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि इस छात्र-वृत्ति की अदायगी की शर्तों को उदार बनाया जाये अथवा योग्यता के आधार पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज–कल्याण विभाग में उप–मंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) और (ख) ठीक स्थिति यह है कि 1968–69 के स्तर पर इन छात्रवृत्तियों पर हुआ खर्च मनीपुर प्रशासन के गैर–योजना बजट को "वचन-बद्ध" किया गया है। ऐसा होने के कारण निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों अब मनीपुर प्रशासन द्वारा अपनी गैर-योजना–निधियों में से उनके द्वारा अपनी इच्छानुसार अपनाई गई कसौटी के आधार पर दी जायगी।

(ग) मनीपुर प्रशासन से इस आशय की कुछ रिपोट मिली थीं।

(घ) मनीपुर प्रशासन इस मामले को निपटाने में समर्थ है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

समस्तीपुर में डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट का कार्यालय

5047. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट का कार्यालय स्थापित

किए जाने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर और कटिहार के बीच लगभग सब गाड़ियाँ दो से तीन घंटे तक विलम्ब से चलती रही हैं और कभी-कभी यह देरी 5 से 8 घंटे तक हो जाती है;

(ख) क्या रेलवे के इसी जोन या अन्य जोनों की गाड़ी न मिलने के कारण रेलवे के किराये के रूप में होने वाली हानि या यात्रियों को होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) गाड़ियों के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ग) यद्यपि मई और जून 1969 में गोरखपुर-कटिहार खण्ड पर कुछ सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के 2 से 5 घंटे तक देर से चलने के थोड़ से मामले हुए हैं; लेकिन उसका कारण मई 1969 से लागू हुई मण्डलीकरण योजना नहीं है। ये मामले मुख्यतः खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं में वृद्धि, कंट्रोल में बार-बार खराबी और लाइन में टूट-फूट के कारण हुए हैं। वस्तुतः मार्च से जुलाई 1969 तक (20-7-69 तक) गोरखपुर-कटिहार खण्ड पर सवारी गाड़ियों के समयपालन का विश्लेषण करने से मालूम हुआ है कि 1968 की इसी अवधि की तुलना में कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) जी नहीं।

रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण

5048. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग स्कूलों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं उन्हें प्रशिक्षण की पूर्ति के तुरन्त बाद ही सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इन अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा चलती रेलों का संचालन किए जाने से रेल–दुर्घटनाओं में वद्धि होती है;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि इन लोगों को सहायक स्टेशन मास्टर के पदों पर नियुक्त करने से पूर्व कम से कम 10 वर्ष तक ट्रैफिक सिगनलर के पदों पर लगाया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) कुछ रेलों पर सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने पर सहायक स्टेशन माटरों के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि दूसरी रेलों पर उन्हें; कुछ अवधि के लिए यातायात तार-बाबू के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर भेजा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा अधिकारियों तथा सतर्कता निरीक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन

5049. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा अधिकारियों तथा सतर्कता निरीक्षकों के पद जब कभी रिक्त होते हैं तो उनके लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब भी ऐसे कोई पद रिक्त होते हैं जो रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों के मन-पसन्द के लोगों को उन पर नियुक्त कर लिया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में उपरोक्त पदों के लिये कुल कितने व्यक्ति चुने गए तथा नियुक्त किए गए;

(घ) क्या रेलवे सुरक्षा अधिकारी तथा सतर्कता निरीक्षक के पद के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के पास इन पदों के लिये आवश्यक योग्यतायें थीं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस लाल फीताशाही के क्या कारण हैं; और

(च) स्थिति को ठीक करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सहायक सुरक्षा अधिकारियों के 4 पदों को राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गए पुलिस अधिकारियों द्वारा तथा दो पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा गया था। जहाँ तक सतर्कता निरीक्षकों का प्रश्न है, इन पदों पर नियुक्ति के लिये 11 व्यक्तियों को चुना गया था। इनमें से 10 को उपयुक्त रेल अधिकारयों में से चुना गया था, बाकी एक को राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था।

(घ) जी हाँ।

(ङ) और (च) सवाल नहीं उठता।

विदेशी सहयोग समझौते

5050. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तकनीकी सहयोगों को विदेशी फर्मों के साथ नवीकरण करने के बारे में नई नीति क्या है;

(ख) उन सहयोग समझौतों का व्यौरा क्या था जिनकी अवधि बढ़ायी जानी थी और गत छः महीनों में जिन्हें भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी; और

(ग) नई नीति के क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) सरकार की नीत साधारणतया तकनीकी सहयोग की अवधि बढ़ाने की नहीं है

जब तक कि राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था के हित में ऐसी वृद्धि करना आवश्यक न हो अथवा बहुत ही विवश करने वाले अन्य कारण न हों। बहुत जटिल जानकारी के बारे में कभी-कभी करार की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसी जानकारी को समाहत करना संभव नहीं होता है। कुछ मामलों में अवधि में वृद्धि करने पर विचार कर लिया जाता है यदि उसमें आगे कोई और स्वामिस्व का भुगतान निहित नहीं है। इसी प्रकार, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये निर्यातोन्मुख उपक्रमों के बारे में कभी-कभी अवधि के बढ़ाने पर विचार कर लिया जाता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि इस नीति के परिणामस्वरूप, भारतीय उद्यमी सुनिश्चित करेंगे कि सहयोग करने की अवधि के भीतर ही विदेश से प्राप्त जानकारी उनके उपक्रमों में समाहित कर ली गई है तथा अधिक से अधिक जोर भारतीय अनुसंधान और तकनीकी विषय पर दिया जायेगा।

वैस्टिंग हाउस सैक्सबाई फार्मर (प्राईवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

5051. **श्री नन्द कुमार सोमानी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय के राज्य मंत्री ने वैस्टिंग हाउस, सैक्सबाई फार्मर (प्राइवेट) लिमिटेड में केन्द्र सरकार के अंश (शेयर) रखने का वायदा किया था;

(ख) क्या रेलवे द्वारा इस कम्पनी को सिगनलिंग और एयर ब्रेक उपकरण के भारी आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी के बन्द हो जाने पर अधिकतर उपकरणों का आयात करना पड़ेगा; और

(घ) इस कम्पनी में पूंजी लगाने के बारे में भारत सरकार के अन्तिम निर्णय क्या हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क), (ख) और (घ) फर्म की हिस्सा पूंजी में भाग लेने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। रेल मंत्रालय ने फर्म की हिस्सा पूंजी में भाग न लेने का विनिश्चय किया क्योंकि ऐसा करना रेलवे के हित में न होगा। रेलों में सिगनल व्यवस्था और वात–ब्रेक उपस्कर के लिए पहले ही इस फर्म को काफी आर्डर दिए हैं और यदि दरें प्रतियोगी रहीं तथा माल की किस्म संतोषजनक रहीं तो फर्म को ऐसे उपस्कर के लिए आर्डर देना जारी रखा जायेगा।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस कम्पनी के इक्यावन प्रतिशत हिस्से खरीद लिये हैं। कम्पनी अपना कारोबार कर रही है।

रुपसा–वेगरीपोसी छोटी लाइन

5052. **श्री कुण्डू**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिये मार्गोपायों के बारे में सुझाव देने के हेतु रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने दक्षिण-पूर्व रेलवे में रूपसा-वेगरीपोसी छोटी लाइन का दौरा किया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या समिति का निकट भविष्य में वहाँ का दौरा करने का विचार है;

(ग) क्या अधिकारियों ने कोई अध्ययन किया है तथा इस लाइन को लाभप्रद बनाने के लिये कोई सिफारिशें भेजी गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। यथा समय।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1961 में रुप्सा बोंजिरिपाषि-तालबंध खण्ड की कार्य-प्रणाली की अधिकारियों की एक समिति ने जाँच की थी। समिति ने यह अनुभव करते हुए कि इस लाइन को लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता, खर्च में कमी लाने के लिये निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया था:—

(i) कर्मचारियों की संख्या में कमी करना।

(ii) कुछ झंडी स्टेशनों को यात्री हाल्टों में तथा ब्लाक स्टेशनों को झंडी स्टेशनों में बदलना।

(iii) बारिपदा और रुप्सा के बीच एक अतिरिक्त मालगाड़ी चलाना।

(iv) इस खण्ड के वांजिरिपोषि तालबन्ध खण्ड को बन्द करना।

2. उपयुक्त सभी सुझावों को कार्यान्वित किया गया है।

भारत-ब्रिटेन उद्यम

5053. **श्री स० कुण्डू** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपने जून, 1969 में लन्दन में संयुक्त भारत-ब्रिटेन उद्यमों को दोनों देशों में स्थापित करने के बारे में सुझाव दिया था:

(ख) तीसरे देश में संयुक्त उद्यमों के स्थापित करने के बारे में सुझाव देने के क्या कारण थे; और

(ग) आपने विदेशों में किन-किन मुख्य पहलुओं पर विचार किया और इस बारे में क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) मेरे हाल ही के इंग्लैण्ड के दौरे में वहाँ की सरकार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उसमें एक साझे निर्माण कार्यक्रम की सम्भावनाएँ थीं जिनके अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का निर्माण और विशेषकर श्रम-प्रधान वस्तुओं का निर्माण भारत में स्थापित किया जा सकता है और फिर इंगलैण्ड तथा भारत में उन्हें जोड़ कर तैयार किए गए अन्तिम उत्पाद को अन्य देशों में निर्यात करने की सम्भावनाएँ भी सम्मिलित हैं। दोनों देशों के औद्योगिक उमक्रमों के सहयोग से विकासशील देशों में साझे औद्योगिक उपक्रम,

जो कि सब पार्टियों के दिलानुसार, होंगे, स्थापित करने की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

(ग) जिन-जिन देशों का मैंने दौरा किया था वहाँ की सरकारों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से एक विस्तृत आर्थिक क्षेत्र पर बातचीत हुई और वह विशेषकर उन देशों तथा भारत के औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने से सम्बन्धित थीं। मिल कर निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाएँ और मिल कर औद्योगिक उपक्रम स्थापित करना तथा उत्पादन कार्यक्रम बनाने पर भी बातचीत की गई थी। इस दौरे से न केवल विदेशी विनियोजन तथा सहयोग सम्बन्धी हमारी नीति को सुचारु रूप से समझने में महायता मिली है, बल्कि उन देशों के उपक्रमों तथा संगठनों से किन-किन दिशाओं में सहयोग बढ़ाया जा सकता है और किस ढंग से आर्थिक सम्बन्धों को, जो कि इन देशों और हमारे देश के परस्पर हित में हो, बढ़ाया जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों के यात्रा–भत्ते में कमी करना

5054. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान नियमों के अधीन, जब रेलवे अधिकारियों को अपनी यात्राओं के लिए सैलून की सुविधा दी जाती है, तो क्या उनके यात्रा-भत्तों की राशि में कुछ कमी कर दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी कोई कमी करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है क्योंकि उन्हें रहन-सहन और खान-पान की सभी सुविधायें उपलब्ध होती हैं जिससे कि बाहर के स्टेशन पर उनका खर्च कम हो जाता है?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) ड्यूटी पर निरीक्षण–डिब्बों में यात्रा करने वाले रेलवे अधिकारियों का यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर निश्चित किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

तीसरी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाना

5055. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के दर्जे के बढ़ाये जाने तथा स्थिरता के बारे में दिए गए आश्वासन को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ख) यदि कोई विलम्ब होने की संभावना है तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) तीसरी श्रेणी के जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच गए हैं उन्हें राहत प्रदान करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। इस मामले को अंतिम रूप देने में अभी कुछ समय और लगेगा; क्योंकि कर्मचारियों की कई कोटियों का इससे सम्बन्ध है और जाँच के काम में समय लगना स्वाभाविक ही है।

रेलवे कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के यात्रा-पास

5056. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकृत वेतनमानों के लागू होने से पूर्व रेलवे कर्मचारियों को 250 रुपये वेतन पर विशेष रियायत के रूप में प्रथम श्रेणी के यात्रा-पास प्रदान किये जाते थे ;

(ख) यदि हाँ, तो अधिकृत वेतनमानों में 300 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के यात्रा पास प्रदान न करने के क्या कारण हैं जब कि उन वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन में 50 रुपये मिला दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार इस असमानता को दूर करने के बारे में विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) जो कर्मचारी निर्धारित वेतन मान में 250 रुपये प्रति माह वेतन पाते थे, उनके वेतन को, उनकी कोटि के आधार पर, 305 रुपये या इससे अधिक के बराबर कर दिया गया था क्योंकि 300 रुपये और 305 रुपये के बीच किसी वेतन-मान का कोई चरण नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

हरियाणा राज्य परिवहन में रेलवे द्वारा अंश खरीदना

5057. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हरियाणा राज्य परिवहन में अंश खरीदे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सहयोग समझौते

5058. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री देवेन सेन : **श्री से० एम० अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1969 और 30 जून, 1969 के दौरान किन-किन फर्मों को सहयोग सम्बन्धी समझौते करने की अनुमति दी गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):
1 जनवरी, 1969 से 30 जून, 1969 की अवधि में जिन फर्मों को सहयोग करने की अनुमति दी गई है, उनका नाम और विस्तृत ब्यौरा (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा-पटल पर

रखे गये अनुबन्ध में दिया गया है । । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1853/69]

विशेष कोचों को रोकने के भाड़े में वृद्धि

5059. **श्री एस० एम० सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष कोचों को रोकने के भाड़े में एक रुपया प्रति घंटा से पाँच रुपये प्रति घंटा की वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो एक रुपये से पाँच रुपए की इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ । पाँच रुपये की बढ़ी हुई यह दर सभी ऐसे सवारी–डिब्बों पर लगेगी जो वातानुकूलित न हों ।

(ख) 31-12-1968 तक डिब्बे रोक रखने का जो प्रभार लागू था वह कई दशाब्दियों पहले निश्चित किया गया था और यात्री किरायों में जहाँ समय-सयम पर संशोधन किया गया था डिब्बे रोक रखने के प्रभारों में उनके साथ-साथ कोई संशोधन नही किया गया ।

चूँकि डिब्बे रोक रखने के प्रभारों में संशोधन, जो कि आजकल के मूल्यों के आधार पर किया गया है, बड़े लम्बे समय के बाद किया गया है, इसलिए यह वृद्धि स्वाभाविक रूप से असामान्य दिखायी देती है ।

(ग) जी नहीं ।

गाँधी नगर (पश्चिम रेलवे) तक बड़ी रेलवे लाइनों का बिछाना

5060. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर बड़ी रेलवे लाइन का गाँधी नगर तक विस्तार करने के बारे में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

अस्पृश्यता का उन्मूलन और बेकार भूमि का अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों में आवंटन

5061. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विधि तथा समाज–कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को बेकार पड़ी सरकारी भूमि को देने और अन्य मामलों में जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों को गाँवों तथा नगरों में किसी एक या अन्य कारणों से कठिनाइयाँ होती हैं, के बारे में क्या कार्यमक्र है;

(ख) क्या इस वर्ष गाँधी शताब्दी समारोह के अन्तर्गत सरकार का विचार बेकार पड़ी सरकारी भूमि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों में आवंटित कर ठोस कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) से (ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें स्वयंसेवी संस्थाओं को अस्पृश्यता विरोधी प्रचार के लिए वित्तीय सहायता देती हैं। उसके अतिरिक्त राज्य सरकारें तथा स्वयंसेवी संगठन अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार तथा प्रख्यापन के लिए प्रचारकों, भजन और कीर्तन मंडलियों की नियुक्ति करती हैं, सिनेमा गाड़ियो की व्यवस्था करती हैं, सम्मेलनों और मेलों का आयोजन करती हैं, पत्रिकाएँ प्रकाशित करती हैं तथा अन्तर्जातीय विवाहों इत्यादि को बढ़ावा देती हैं । राज्य सरकारें अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबंधों को भी लागू करती हैं। अस्पृयश्ता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद की 1968-69 तक की कालावधियों के दौरान परती भूमि को खेती योग्य बनाने तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों को फिर से बसाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र में एक योजना चलाई थी। इस योजना को 1969-70 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है । अन्य भूमिहीन किसानों की तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को भी इस योजना से लाभ पहुँचता है । उसके अतिरिक्त लगभग सभी राज्यों में जमीनें नियत करने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्राथमिकता दी जाती हैं ।

सामान्य तथा पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्रों में किये गए शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास के अन्य उपायों से भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा । इन उपायों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जा रहा है ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास

5062. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में रेलवे सरकारी आवासों की बड़ी कमी है और उन्हें अपने कार्यालयों में दूर-दूर के स्थानों से आना पड़ता है ;

(ख) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में लगभग 15,000 ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जिनके नाम रेलवे आवास के आवंटन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं;

(ग) क्या इन 15,000 रेलवे कर्मचारियों को बसाने के लिए रेलवे प्रशासन ने मकान बनाने के लिए कोई नियमित कार्यक्रम तैयार नहीं किया है;

(घ) क्या स्वयं अपने मकान हेतु प्लाट प्रदान करने के लिए रेलवे बोर्ड कार्यालय में एक सहकारी आवास संस्था है और यह संस्था बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्लाट देने में असफल रही है; और जनवरी, 1968 के बाद पंजीकृत हुए कर्मचारियों को उनका अंश-धन वापस कर रही है; और

(ङ) यदि (क) से (घ) तक के भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)

(क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में कुल लगभग 26,000 रेल कर्मचारी हैं जिनमें से 8,000 अर्थात 31 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं। भारतीय रेलों पर कुल मिला कर 38 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हुए हैं जिसकी तुलना में यह प्रतिशत बहुत अपर्याप्त नहीं है।

(ग) धन की उपलब्धता को देखते हुए एक कार्यक्रम के आधार पर अतिरिक्त क्वार्टर बनाये जा रहे हैं।

(घ) "रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी भवन-निर्माण समिति लिमिटेड" नाम की एक सहकारी भवन-निर्माण समिति, जो 1961 में पंजीकृत हुई थी। काम कर रही है, सरकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत यह समिति एक स्वतंत्र निकाय है। समिति की माँग पूरी करने के लिए दिल्ली प्रशासन के पास अतिरिक्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण, समिति की प्रबन्धकारिणी समिति ने यह विनिश्चय किया कि प्रतीक्षा-सूची के व्यक्तियों को उनके द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन वापस कर दिया जाय।

(ङ) जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

Attaching of Through Bogies with Trains at Banda Junction

5063. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that passengers going from Banda Junction to Delhi and Howrah side have to experience a good deal of difficulty in changing trains at Kanpur and Manikpur Stations respectively;

(b) whether Government would attach through bogies for Delhi and Howrah with some trains starting from the Banda Junction; and

(c) whether it is also a fact that much expenditure is not involved in meeting the aforesaid demand ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) and (b) Suitable connections have been provided at Kanpur and Manikpur with main line trains for passengers travelling from Banda to Delhi and Howrah and vice versa. The average daily quantum of through traffic offering at present between Banda on the one

hand and Howrah and Delhi on the other, is however, too meagre to justify the introduction of through service coaches between these points.

(c) No. Additional expenditure is incurred in introducing sectional carriaages.

Late Running of Express/Passenger Trains on Central Railway

5064. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Passenger trains on the Jhansi—Manikpur section of the Central Railway, Lucknow-Banda Express trains and Kanpur-Banda Passenger trains have been running as late as eight hours, six hours and four hours, respectively, every day for the last about eight months;

(b) the time of their arrival at, and departure from, Banda Junction (Central Railway) as recorded during the period from the 10th to 25th July, 1969 separately;

(c) whether it is also a fact that as a result of the late running of the aforesaid trains, the passengers miss their connecting trains and thus a good deal of their time is wasted; and

(d) whether it is also a fact that this situation has not been improved despite numerous complaints made in this regard?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No.

(b) A statement is laid on Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-1854/69**].

(c) and (d) The punctuality performance of passenger-carrying trains on the Jhansi-Banda-Manikpur and Banda-Kanpur/Lucknow sections has not been satisfactory due to a variety of factors, such as, heavy incidence of alarm chain—pulling by anti-social elements and also heavy incidence of thefts of copper wire and the consequent failure of control working. Late running of trains on these sections have resulted in the missing of connections on a few occasions at Banda. For instance during the period 10-7-1969 to 25-7-69 the connections were missed on three occasions. All possible steps are being taken to improve performance of trains on these sections and the matter has also been brought to the notice of the State Government authorities seeking their assistance for improving law and order situation in the Banda-Kanpur-Manikpur areas so as to minimise the incidence of alarm chian pulling by anti-social elements.

नमक पर उप-कर

5065. **श्री रा० कृ० बिड़ला:** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नमक पर उपकर को राजस्व का स्रोत न मानने का है;

(ख) क्या इस प्रकार एकत्र किये गये उप-कर को गैर-सीजन दिनों में नमक श्रमिकों को देने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) नमक उप-कर को राजस्व का स्रोत बनाने का आशय नहीं है। जिस उद्देश्य से

नमक पर उप-कर लगाया जाता है उसका विश्लेषण नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 4 में दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य रेलवे की उपनगरीय हार्बर शाखा पर कुरला और बाडाला स्टेशनों पर एक मालगाड़ी से चुराया गया सैनिक सामान

5066. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** **श्री वि० नरसिम्हाराव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गिरोह ने मध्य रेलवे की उपनगरीय हार्बर शाखा पर कुरला तथा बाडाला स्टेशनों पर एक मालगाड़ी पर आक्रमण कर दिया था जिसके कई डिब्बों में सैनिक सामान था;

(ख) यदि हाँ, तो चोरी गये सामान का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या गाड़ी के साथ जाने वाले अनुरक्षकों की उपेक्षा के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं, लेकिन 29-7-69 को मध्य रेलवे के कोलीबाड़ा और चूनाभट्टी स्टेशनों के बीच ताँबे के पिंड (न कि सैनिक भण्डार) ले जा रहे मालगाड़ी के एक माल-डिब्बे पर कुछ व्यक्तियों के एक गिरोह ने हमला कर दिया था । लेकिन सैनिक भण्डार ले जा रहे माल-डिब्बों की रक्षा के लिए इस गाड़ी में यात्रा कर रहे सैनिक मार्ग-रक्षियों द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप ताँबे के पिंड ले जाने का उनका प्रयास सफल नहीं हुआ ।

(ख) बरामद किये गये ताँबे के सभी 19 पिंडों की कुल कीमत लगभग 19,000 रुपये है ।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता ।

भिखारियों की अन्तर्राष्ट्रीय अदला-बदली

5067. **तुलसीदास दासप्पा :** **श्री शशि भूषण :**

क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिखारियों, निराश्रितों और बाल अपराधियों की अन्तर्राज्यीय अदला-बदली का सुझाव राज्य सरकारों को दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में भिखारियों तथा निराश्रितों और बाल अपराधियों की अनुमानित संख्या क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फलरेणु गुह) :

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अब तक कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

भारत-दर्शन टिकट जारी करना

5068. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारत दर्शन टिकट जारी करने की वाँछनीयता पर विचार करने का है जिससे टिकट-धारी कुछ रियायती दरों पर निश्चित समय में निश्चित दूरी तक यात्रा कर सकें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

यदि यात्रा दूरी 2,400 किलोमीटर या उससे अधिक हो तो कुछ अनुबन्धित शर्तों के अधीन रियायती दरों पर सर्कुलर यात्रा-टिकट जारी करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है ।

तलचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क (दक्षिण-पूर्व रेलवे)

5069. **श्री स० कुण्डू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को छात्र संघर्ष समिति, रूरकेला, उड़ीसा के अध्यक्ष की ओर से भेजा गया ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे में तलचेर-बिमलगढ़ रेल सम्पर्क स्थापित करने की माँग की गई है;

(ख) क्या उस ज्ञापन-पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि उक्त रेल सम्पर्क के निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में तलचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क का इंजीनियरी सर्वेक्षण किया जाए;

(ग) क्या उन्होंने कोई चुनौती दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कौन से ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) जी हाँ ।

(घ) तालचेर-विमलगढ़ रेल सम्पर्क (जिसमें कोइरा घाटी तक विस्तार शामिल है) के लिए सर्वेक्षण की मंजूरी दी जा चुकी है । चौथी योजना में बनायी जाने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम होने के बाद ही किया जा सकता है ।

Unauthorised Occupation of Bungalows at Gorakhpur by Railway Officers

5070. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of Railways be pleased to state;

(a) the names and designations of the Officers of the North-Eastern Railway, who did not vacate their bungalows at Gorahkpur for the last many years after their transfer to the Eastern Railway at Calcutta and occupied the said bungalows unauthorisedly;

(b) the period for which they occupied the said bungalows uuauthorisedly and the action taken by the Department against them; and

(c) the total rent of the said bungalows at the market rate for the entire period of the unauthorised occupation and the reasons for not realising the same from the said occupants?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारत में विदेशी पूँजी का विनियोजन

5071. **श्री एन० शिवप्पा:** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत में पूंजी विनियोजन की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों ने किन योजनाओं में पूंजी लगाना स्वीकार किया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रूपसा–बंगरीपोसी (दक्षिण रेलवे) छोटी लाइन पर बिना टिकट यात्रा

5072. **श्री स० कुण्डू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के रूपसा-बंगरीपोसी नैरो गेज सेक्शन पर बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए 1968 से जून, 1969 तक एक विस्तृत अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन तारीखों को तथा इस अभियान के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसे अभियान चलाने का रेलवे का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए इस खण्ड पर कोई सघन अभियान नहीं चलाया गया क्योंकि 1968 में और 1969 के पहले छः महीनों में की गयी 18 अचानक जाँचों के समय इस खण्ड पर पकड़े गए बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या को देखते हुए ऐसे किसी अभियान की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) यदि आवश्यकता होगी तो ऐसे अभियान की व्यवस्था की जायेगी ।

रूपसा से बंगरीपोसी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5073. **श्री स० कण्डू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में रूपसी से बंगरीपोसी तक वर्तमान छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बनाने तथा उसे चकुलिया अथवा रायरंगपुर रेलवे स्टेशन से मिलाने की संभावना का पता लगाने के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) 1965 में जो जाँच की गयी थी उससे पता चला कि रूप्सा-बाँजिरि-पोषि छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और उसे आगे राइरंगपुर तक बढ़ाने का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं होगा । इसलिए फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

रेलवे इंजीनियरिंग राजपत्रित कर्मचारी

5074. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1952 में रेलवे इंजीनियरिंग राजपत्रित कर्मचारियों की क्या संख्या थी और अब क्या है;

(ख) उस वर्ष अराजपत्रित रेलवे (ड्राइंग कर्मचारियों) की संख्या क्या थी और अब क्या है; और

(ग) इंजीनियरिंग संवर्ग में श्रेणी 1 और 2 के पद बनाने के लिए क्या माप-दण्ड है तथा क्या यह इस आधार पर होता है कि एक अधिकारी को श्रेणी 3 के कितने कर्मचारियों की निगरानी करनी होती है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कार्य-भार और जिम्मेदारियों को देखते हुए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों की मंजूरी दी जती है । इसका तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुरैठा तथा कोराहिया स्टेशनों पर हाल्ट स्टेशन बनाना

5075. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे दरभंगा-नरकटियागंज लाइन पर कमतौल तथा जगियार स्टेशनों के मध्य मुरैठा पर तथा दरभंगा-जयनगर सेक्शन पर खाजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोराहिया पर हाल्ट बनाने के लिए बार-बार अभ्यावेदन दिये जाते रहे हैं;

(ख) क्या वे अभ्यावेदन हाल्टों के निर्माण पर होने वाले खर्च को देखते हुए स्वीकार नहीं किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जाँच की है कि यदि स्थानीय लोग श्रमदान द्वारा भूमि का काम कर दें तो ये हाल्ट खोल दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इससे होने वाली भारीवित्तीय हानि के कारण इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(ग) इस आशय का प्रस्ताव मिला है कि गाँव वालों को श्रमदान द्वारा मिट्टी का काम करने के लिए राजी कर लिया जायेगा । इस पर फिर विचार किया जा रहा है

मनहेरू और भिवानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के मध्य घाना पर रेलवे हाल्ट

5076. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रिवाड़ी-भटिण्डा खण्ड में मनहेरू और भिवानी स्टेशनों के मध्य घाना पर एक रेलवे हाल्ट बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ

(ख) भिवानी और मनहेरू स्टेशनों के बीच घाना लाडनपुर में ठेकेदार द्वारा संचालित एक ट्रेन हाल्ट खोलने का निश्चय किया गया है । इस ट्रेन हाल्ट को यथासंभव शीघ्र खोलने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाया जाना

5077. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) सरकार को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा और वर्ष 1968-69 में सरकार ने इस कार्य पर कितना खर्च किया ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 483 स्टेशन ।

(ख) इन स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताना अभी सम्भव नहीं है, क्योंकि यह काम आस-पास बिजली उपलब्ध होने, धन-राशि की उपलब्धता आदि कई बातों पर निर्भर करता है ।

1968-69 में गुजरात राज्य में इस तरह के कामों पर 1,03,532 रुपये की रकम खर्च की गयी है ।

गुजरात में सीमेन्ट कारखाने

5078. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित सीमेंट कारखानों की संख्या कितनी है और वे कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का वहाँ कोई नया कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कारखाने को कब स्थापित किया जायेगा; और

(घ) उक्त कारखाने को वहाँ स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) गुजरात में निम्नलिखित सात सीमेंट फैक्टरियाँ हैं :—

	फर्मों के नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (मी० टनों में)
1.	श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	सिक्का	840.010
2.	एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि०	द्वारका	340.320
3.	—वही—	पोरबन्दर	20.000 (सफेद सीमेंट)
4.	—वही—	पोरबन्दर (नई)	200.000
5.	—वही—	सेवालिया	203,180
6.	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमीकल इंडस्ट्रीज लि०	रानाबाव	533.180
		योग :—	2136.690

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में बस्तर के आदिम जातियों का विकास

5079. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आदिम जातीय क्षेत्र का विकास करने के लिए एक विशेष दीर्घकालीन कार्यक्रम के लिए धन माँगा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और यदि हाँ, तो उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है तथा उस योजना को कार्यान्वित करने में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को मंजूरी देने में क्या विशेष कठिनाइयाँ है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) से (घ) बस्तर जिले के विकास को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए से भी अधिक के बड़े तथा विशेष विनिधान का प्रस्ताव किया था । मुख्य प्रस्तावित योजनाएँ निम्नलिखित थीं :—

(1) स्कूलों, छात्रावासों तथा स्टाफ के लिए 3,700 भवनों का निर्माण ।

(2) प्रोसेसिंग उद्योग ।

(3) 500 कुओं का निर्माण ।

(4) 600 सहकारी संस्थाओं की स्थापना ।

यह भी कहा गया था कि इन योजनाओं के लिए चतुर्थ तथा पंचम योजनाओं के लिए निश्चित की गयी वित्तीय शिखर सीमाओं को ध्यान में रखे बिना केन्द्रीय धन उपलब्ध किया जाए ।

इन योजनाओं को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया :—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से बाहर से कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

(2) अल्प राष्ट्रीय साधनों को बडे निर्माण कार्यक्रम में लगाए जाने की स्वीकृति देना उचित नहीं है ।

(3) अन्दरूनी साधनों की सम्भावित तथा राज्य के अन्य आदिम जातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर यथार्थिक कार्यक्रम बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया प्रतीत नहीं होता था ।

(4) बस्तर जिले की विकासात्मक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय निकाय नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित पाँडे आयोग की सिफारिश को राज्य सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया था ।

आन्ध्र प्रदेश में तुफान-पीड़ित क्षेत्रों में पीड़ित यात्रियों की सहायता

5080. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आँध्र प्रदेश के तूफान-पीड़ित क्षेत्रों में वास्तविक पीड़ित यात्रियों की ओर से ऐसी शिकायतें की गई थीं कि रेलवे प्राधिकारियों ने पीड़ित यात्रियों को पर्याप्त सहायता नहीं दी जिससे उनकी कठिनाई और बढ़ गई ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन यात्रियों को दी गई सहायता का व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) मई, 1969 में दक्षिण मध्य-रेलवे पर लाइनों के बहुत अधिक टूट-फूट जाने के कारण विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित गाड़ियाँ रुकी पड़ी रहीं, जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) उप्पुगुडूरु स्टेशन पर नं० 43 डाउन मद्रास-काकिनाडा सरकार एक्सप्रेस 16-5-69 से 20-5-69 तक ।

(2) अम्मनब्रोलू स्टेशन पर नं० 71 मद्रास-विजयवाड़ा सवारी गाड़ी 17-5-69 से 20-5-69 तक ।

(3) तोंडालागोपावरम स्टेशन पर नं० 52 काजीपेट-मद्रास एक्सप्रेस और नं० 54 हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस मिली-जुली गाड़ियाँ 19-5-69 से 22-5-69 तक ।

(4) रायनपाद स्टेशन पर नं० 46 हैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस और नं० 90 मद्रास-हवड़ा एक्सप्रेस मिली-जुली गाड़ियाँ 19-5-69 से 20-5-69 तक ।

उपयुक्त गाड़ियों से घिरे यात्रियों के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये :—

(1) नं० 43 अप मद्रास-काकिनाडा सरकार एक्सप्रेस के बाढ़ से घिरे यात्रियों को निकटवर्ती धर्मशाला में पहुँचाया गया, जहाँ उन्हें स्थानीय लोगों ने भोजन दिया । 19-5-69 की शाम को और 20-5-69 को दिन में वायुयान द्वारा उपयुक्त कंटेनरों में पका-पकाया भोजन, बिस्कुट, दूध का पाउडर और पानी गिराया गया । 20-5-69 की शाम को, जब स्थिति सुधरी, तो 43 एक्सप्रेस गाड़ी के यात्रियों को अम्मनब्रोलू ले जाया गया और उन्हें नं० 71 सवारी गाड़ी के रेक में स्थान दिया गया । 17-5-69 से 20-5-69 तक की अवधि में स्थानीय व्यक्तियों ने नं० 71 मद्रास-विजयवाड़ा सवारी गाड़ी के बाढ़ से घिरे यात्रियों को भोजन दिया । 20-5-69 की शाम को, जब स्थिति सुधरी, तो 43 सरकार एक्सप्रेस गाड़ी के यात्रियों को ले लेने के बाद, इस गाड़ी को ओंगोल लाया गया जहाँ यात्रियों को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गयी । यही गाड़ी 20-5-69 को स्पेशल गाड़ी के रूप में मद्रास के लिए रवाना की गयी ।

(2) चूँकि तोंडालागोपावरम स्टेशन पर बाढ़ से घिरे यात्रियों तक पहुँचना बिल्कुल सम्भव नहीं था, इसलिए 20-5-69 की शाम को और 21-5-69 को सवेरे उनके लिए वायुयान से उपयुक्त कंटेनरों में भोजन गिराया गया । 21-5-69 की शाम को तोंडालागोपावरम के बाढ़ से घिरे 1000 यात्रियों में से 500 यात्रियों को सड़क और ट्राली के जरिए मदिरा ले जाया गया, जहाँ पर स्थानीय सरकार के प्राधिकारियों की सहायता से उनके लिए स्थान और भोजन की व्यवस्था की गयी । 22-5-69 की शाम को रेल पथ को अस्थायी रूप से पुनः चालू किया गया और 22-5-69 और 23-5-69 को, मदिरा और तोंडालागोपावरम से यात्रियों को दो सहायता गाड़ियों द्वारा विजयवाड़ा ले जाया गया । इस तरह तोंडालागोपावरम से सभी बाढ़ से घिरे यात्रियों को हटाने का काम पूरा हो गया । 23-5-69 और 24-5-69 को बाढ़ से घिरे लगभग 762 यात्रियों को बस द्वारा विजयवाड़ा से सिकन्दराबाद ले जाया गया । सिकन्दराबाद में उनके लिए मुफ्त भोजन और डाक्टरी सहायता की व्यवस्था करने के बाद, 23-5-69 और 24-5-69 को नं० 54 हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी में और 24-5-69 को नं० 3 अप हावड़ा-

मद्रास डाकगाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ कर इन यात्रियों को उनके मंतव्य स्थानों पर भेजा गया। विजयवाड़ा में रुके हुए यात्रियों की निकासी के लिए विजयानगरम-रायपुर-नागपुर-सिकन्दराबाद के रास्ते विजयवाड़ा से मद्रास के लिए एक स्पेशल गाड़ी चलाने की भी व्यवस्था की गयी। विजयवाड़ा में इन यात्रियों को मुफ्त भोजन देने और डाक्टरी सहायता आदि की आवश्यक व्यवस्था भी की गयी।

(3) 20–5–69 को जब बाढ़ का पानी उतर गया तो रायनपाद में नं० 46 हैदराबाद-पुरी एक्सप्रेस और नं० 90 मद्रास-हवड़ा एक्सप्रेस गाड़ी के बाढ़ से घिरे यात्रियों को, उनके लिए मुफ्त भोजन और डाक्टरी सहायता आदि की व्यवस्था करने के बाद, बसों के जरिये विजयवाड़ा ले जाया गया। बाद में इन यात्रियों को, नं० 90 डाउन मद्रास-हवड़ा एक्सप्रेस के रूप में एक और गाड़ी की व्यवस्था करके, उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा गया। यह गाड़ी विजयवाड़ा से उसी दिन चलायी गयी थी।

रेल डिब्बों की कमी

5081. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मेसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा 28 जून, 1969 के इकोनामिक्स टाइम्स में दिये गये विज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि हो सकता है कि रेल डिब्बों की कमी के कारण इस कम्पनी को अपना कारखाना बन्द करना पड़े;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ महीनों से और भी अनेक उद्योग इसी प्रकार रेल डिब्बों की कमी अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) बढ़ते हुए माल-यातायात को पूरा करने तथा उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) 28–6–69 के इकानमिक टाइम्स में एक विज्ञापन छपा था जिसमें यह कहा गया था कि माल डिब्बों की कमी के कारण जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को बन्द करना पड़ सकता है। मालडिब्बों की कमी ऐसी नहीं दिखायी देती कि फैक्टरी को बन्द करना पड़े। जनवरी से मई, 1969 तक की अवधि में बड़ी लाइन पर डिब्बों की 98 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 87 प्रतिश माँग पूरी कर दी गयी थी। दरअसल, इन महीनों में फैक्टरी ने उतने माल डिब्बे नहीं माँगे जितने का उनके लिए कोटा निर्धारित था। जून के प्रथम 20 दिनों में, सप्लाई कुछ हद तक गिर गयी; यह बड़ी लाइन पर माँग की 61 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 54 प्रतिशत रही, जिसका कारण यह था कि दक्षिण-मध्य रेलवे में लाइन टूट-फूट जाने के कारण बड़ी लाइन के बहुत से डिब्बे दक्षिण में रुके रहे और पंजाब एवं हरियाणा से अनाज के भारी लदान के लिए बड़ी संख्या में बन्द डिब्बों का उपयोग किया गया—जब कि मीटर लाइन पर, राजस्थान के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को अनाज और चारे के भारी लदान के कारण संचलन कठिन हो गया। सीमेंट के अन्य कारखानों ने बन्द मालडिब्बों की उपलब्धता को पूरा करने के लिए तिरपाल से ढके खुले

माल डिब्बों का लदान किया, लेकिन फैक्टरी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। लेकिन, ज्योंही अनाज के लदान का भारी दबाव कुछ हल्का हुआ, 21-6-69 से डिब्बों की सप्लाई बढ़ गयी।

(ख) जी नहीं। अब डिब्बों के बकाया रजिस्ट्रेशन बहुत थोड़े हैं, अर्थात् बड़ी लाइन पर 12,000 डिब्बे और मीटर लाइन पर 5,700 डिब्बे, जो कि आधे दिन के लदान के बराबर हैं।

(ग) प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात के आधार पर साल-ब-साल रेल क्षमता बढ़ाई जा रही है।

नेफ्थेलीन का अधिक मूल्य

5082. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने हाल ही में नैफ्थलीन जो वीटा नैफ्थोल के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है के मूल्यों में 600 रुपए प्रति टन से 1200 रुपए प्रति टन वृद्धि की है और मूल्यों की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में नैफ्थेलीन का कारखाना-पर्यन्त मूल्य 1350 रुपए प्रति टन हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व के बाजार में घरेलू प्रयोग के लिए नैफ्थेलीन लगभग 600 रुपए प्रति टन के मूल्य पर उपलब्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश का एक निर्माता, जिसने बीटा नेफ्थोल का उत्पादन करने के लिए कारखाना और मशीनरी लगाई थी नैफ्थेलीन के मूल्य में वृद्धि के कारण वीटा नैफ्थोल के उत्पादन को लाभप्रद नहीं समझता है; और

(घ) यदि हाँ, तो वीटा नैफ्थोल जो बहुत से रसयनों के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये नैफ्थेलीन के मूल्यों में कमी करने के में क्या कार्यवाही की जायेगी?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखाने के उपोत्पाद कारखानों द्वारा उत्पादित गर्म संपीड़ित नैफ्थेलीन का रेल तक निष्प्रभार मूल्य कम्पनी ने 15 जनवरी 1969 से 600 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति टन और 14 जुलाई, 1969 से 1800 रुपए प्रति टन कर दिया था।

(ख) विश्व बाजार में घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध नैफ्थेलीन के मूल्य के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बीटा नैफ्थोल का उत्पादन अभी देश में शुरू नहीं हुआ है। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि नैफ्थेलीन की देशीय लागत अधिक होने के कारण वीटा नैफ्थोल का उत्पादन लाभदायक नहीं होगा। इस समय नैफ्थेलीन के आयात के लिए उदारता से अनुमति दी जाती है।

(घ) इस समय इस तरह के किसी उपाय पर विचार नहीं कर रही है

सेना कर्मचारियों के लिये पहले तथा दूसरे दर्जे में स्थानों का आरक्षण

5083. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें मालूम है कि वाराणसी-बम्बई मेल गाड़ी की भाँति बहुत सी मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में सैनिक कर्मचारियों के लिये पहले तथा दूसरे दर्जे मे स्थानों के आरक्षण का कोई कोटा नहीं है जिससे उन्हें बहुत असुविधा होती है; और

(ख) क्या उनके लिए कुछ कोटा रखने का सरकार का विचार है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) और (ख) संभवतः 'सर्विस परसोनल' का आशय सैनिक कर्मचारियों से है। यदि ऐसा है तो ऐसे कर्मचारियों के उपयोग के लिए अनेक डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के विभिन्न दर्जों में जिसमें पहला और दूसरा दर्जा शामिल है, अलग से कोटा निर्धारित किया गया है। वाराणसी और बम्बई के बीच कोई डाक गाड़ी नहीं चलती लेकिन वाराणसी और बम्बई के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। फिलहाल, इस गाड़ी में सैनिक कर्मचारियों के लिए पहले और दूसरे दर्जे में कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है। इस गाड़ी के सभी दर्जों में सैनिक कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कोटा आवंटित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

बासर रेलवे स्टेशन (दक्षिण-मध्य रेलवे) का विकास

5084. **श्री गंगा रेड्डी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद-मनमाद लाइन पर स्थित बासर में सरस्वती देवी का मन्दिर, जिसको देखने के लिये वहाँ प्रति दिन सैकड़ों भक्त पहुँचते हैं और जिसके फलस्वरूप काफी यातायात रहता है, बासर रेलवे स्टेशन का विकास करने और वहाँ प्रतीक्षालय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार निर्माण-कार्य कब आरम्भ करेगी?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं। इस स्टेशन पर इस समय जितना यातायात होता है उसके लिए वर्तमान उपलब्ध यात्री सुविधाएँ पर्याप्त समझी जाती हैं। इस स्टेशन पर विश्रामालयों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि सरस्वती देवी के मंदिर में जाने वाले यात्री उसी मन्दिर में जाकर वहाँ की भोजन और निवास व्यवस्था का लाभ उठाना पसन्द करते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बिहार और उत्तर प्रदेश में आटे की चक्कियाँ

5085. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि क्रांति के बाद देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश

में बहुत बड़ी संख्या में बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों और क्रोशकों की स्थापना की गई थी ?

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐककों की संख्या कितनी है और बेकार पड़े एककों की संख्या कितनी है;

(ग) उन एककों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का उन एककों को पुनः चालू करने और किसानों की कड़ी मेहनत से कमाई पूँजी को बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सोनपुर के प्रभागीय यातायात अधीक्षक कार्यालय को प्रभागीय अधीक्षक कार्यालय में परिवर्तित करने के लिए प्रदर्शन

5086. **श्री द्वा० ना० तिवारी:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होने गोरखपुर-कटिहार खण्ड के मध्य माइक्रो वेव सम्पर्क का उदघाटन करने के बारे में जनवरी, 1969 में सोनपुर का दौरा किया था;

(ख) क्या वह सोनपुर प्रभागीय यातायात अधीक्षक के कार्यालय को प्रभागीय अधीक्षक के कार्यालय में परिवर्तित करने के बारे में एक साधारण प्रदर्शन किया गया था;

(ग) क्या उक्त अपराधों के लिए कुछ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है;

(घ) क्या जिन कर्मचारियों के संबंधियों ने उक्त प्रदर्शन में भाग लिया था उन कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है;

(ङ) क्या उन्हें ज्ञात है कि यह कह कर कि यह मंत्री का आदेश है, पुरानी शत्रुता के बदले में उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है; और

(च) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों का तबदला किया गया तथा कितनों पर मुकदमा चलाया गया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) यह दौरा फरवरी, 1969 में सोनपुर-समस्तीपुर-गड़हरा के बीच माइक्रो वेव सम्पर्क चालू करने के सम्बन्ध में किया गया था।

(ख) सोनपुर में मण्डल अधीक्षक कार्यालय रखने के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया गया था।

(ग) स्थानीय पुलिस ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

(च) 9 व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया है तथा पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है, जिसमें एक रेल कर्मचारी भी शामिल है।

मालगाड़ी के गार्डों के लिये संगचल-भत्ता संबंधी नियम

5087. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संगचल-भत्ता सम्बन्धी नए नियमों के लागू होने से, कई भत्तों के समाप्त हो जाने के कारण, मालगड़ी के अधिकतर गार्डों की उपलब्धियाँ कम हो गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अशरफ समिति ने संगचल कर्मचारियों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं की सिफारिश की है तथा उनकी सिफारिश संख्या 5.18 के अधीन उसने कम दूरी पर चलने वाली मालगाड़ियों के लिए एक दौरा पूरा करने में लाने वाले सामान्य समय के आधार पर "आन" चिह्न से "आफ" चिह्न तक के कुल समय के लिये 15 किलोमीटर प्रति घण्टे की दर से किलोमीटर को आधार बनाने की सिफारिश की है;

(ग) क्या यह सच है कि ईदगाह (पश्चिम रेलवे) के संगचालक कर्मचारियों ने दिनांक 12 जून, 1969 की अपनी अपील में अपने संगचल-भत्तों को, जो कि 50 प्रतिशत कम हो गए हैं, समुचित ढंग से लागू करने तथा सुरक्षित करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया है, और अपने मील के आधार पर बिल पेश करने भी बन्द कर दिए हैं;

(घ) क्या इन नए संगचल-भत्ता नियमों से अन्य रेलवे गार्डों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा क्या मंत्रालय ने कई वर्गों में व्याप्त आर्थिक कठिनाइयों के मामलों के बारे में जोनल रेलवे से सिफारिश करने को कहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं तथा यदि नहीं, तो उसके क्या काण हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी नहीं। केवल मध्य और उत्तर रेलों के कुछ खण्डों पर मालगाड़ियों के गार्डों के मामले सामने आये हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) मध्य और उत्तर रेलों को जहाँ 1-12-68 से रनिंग भत्ते संशोधन से कुछ खण्डों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, कहा गया है कि प्रभावित गार्डों को संशोधम पूर्व दरों पर 1-12-68 से जब तक आगे आदेश न दिए जाँय तब तक रनिंग भत्ता 20 प्रतिशत बढ़ाकर देना जारी रखा जाय। अन्य रेलों से भी कहा गया है कि यदि ऐसे मामले हों तो सरकार को सूचित किया जाय ताकि वह उन पर आगे की कार्यवाही करने के संबंध में विचार कर सके।

बन्दीकुइ (पश्चिम रेलवे) मुख्यालय के रेलवे गार्ड

5088. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में बन्दी कुई मुख्यालय के गार्डों को आगरा पूर्व-बैंक से अपनी मालगाड़ियाँ लेनी अथवा वहाँ पर छोड़नी पड़ती हैं और समुचित विश्राम

हेतु ईदगाह संगचल कमरे में पहुँचने के लिये मार्ग में हर बार दो–तीन घण्टों का समय नष्ट करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि ये गार्ड रेलवे बोर्ड के दिनांक 4–1–1962 के आदेश संख्या ई (एस)/158 एड/जे/25 को सच्चे अर्थों में लागू करने के लिये काफी लम्बे समय से अधिकारियों से अभ्यावेदन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त आदेश को लागू करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) गार्डों को आगरा ईस्ट बैंक पर अपनी ड्यूटी छोड़नी और/या लेनी पड़ती है, लेकिन खाली इंजन पर ईदगाह के रनिंग रूप तक पहुँचने में 2–3 घंटे का समय नहीं लगता। जिन आदेशों का उल्लेख किया गया है, वे भी इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिए गार्डों ने जो अभ्यावेदन दिया है उस पर आगे विचार किया जा रहा है।

बिना टिकक यात्रा करने वालों का पीछा करते समय टी० टी० ई० के साथ दुर्घटना

5089. **श्री ज्योतिमय बसु : श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के निकट बिना टिकट यात्रा करने वाले एक आदमी को पकड़ने के प्रयत्न में एक टी०टी० ई० रेल के पहियों के नीचे आकर अपनी टाँगें खो बैठा;

(ख) यदि हाँ, तो वे परिस्थितियाँ क्या थीं; और

(ग) उसे अब तक क्या पुरस्कार तथा वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) से (ग) 24–2–69 को जब चल-टिकट परीक्षक श्री मोहिन्द्र सिंह एक बिना टिकट यात्री का पीछा कर रहे थे तो शंकर पल्लि स्टेशन पर वे चलती हुई गाड़ी नं० 327 से फिसल कर नीचे गिर पड़े और गम्भीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के तुरन्त बाद उन्हें अनुग्रह के रूप में 200 रुपए का भुगतान किया गया। उनकी चिकित्सा रेलवे अस्पताल में हो रही है और उन्हें औसत वेतन पर अस्पताली छुट्टी मंजूर की गयी है। उनके घाव भर जाने के बाद उन्हें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय मुआवजे का भुगतान किया जायेगा और रेलवे के खर्च पर उनके लिए आवश्यक कृत्रिम अंगों की व्यवस्था की जायेगी। डाक्टर द्वारा योग्य घोषित किए जाने पर रेलवे उन्हें किसी उपयुक्त काम पर लगाने की संभावना पर भी विचार करेगी।

पेपर इंसुलेटेड लैड कवर का निर्माण

5090. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में एक निदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत पेपर इंसुलेटेड लैड कवर, पावर केबल (बिजली के तारों) का निर्माण बन्द कर दिया गया है जिसके स्थान पर टरमा प्लास्टिक पावर केबल बनाये जायेंगे;

(ख) यदि हाँ,तो क्या यह भी सच है कि इस निदेश के परिणामस्वरुप बिजली के तार बनाने वाले उद्योग में, करोड़ों रुपए के उपकरण बेकार हो गए हैं;

(ग) क्या पेपर इंसुलेटेड लैड कवर पावर केबल निर्माताओं को पेपर इंसुलेटेड लैड कवर टेलीफोन केबल बनाने की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा तथा यदि इस मामले में कोई निर्णय न करने का विचार है तो करोड़ों रुपए के उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) आयात प्रतिस्थापन के अभ्युपाय के रूप में सरकार ने 11 किलोवाट रेटिंग तक पावर केबल्स के निर्माण में से शीशे को निकाल देने का निश्चय किया है। जब प्रतिस्थापन पूरा हो जायेगा तब 3.5 मीटर टन शीशे की 11 किलोवाट पावर केबल्स प्रति किलो मीटर की बचत होगी तथा प्रतिवर्ष 2.4 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पी० आई० एल० सी० पावर केबल्स से पी० वी० सी० पावर केबल्स में परिवर्तन 1.1 किलोवाट रेटिंग तक पूर्ण हो चुका है। उच्च स्तर की रेटिंग्स में परिवर्तन ऐसे केबल्स के नमूनों के परीक्षण तथा उनके स्वीकृत हो जाने के पश्चात् ही लागू होगा।

(ख) पी० आई० एल० सी० केबल्स के निर्माण के लिए विशेष रूप से बनाये गए कुछ उपकरण बेकार पड़े रहेंगे। परन्तु ऐसे बेकार पड़े हुए उपकरणों का मूल्य करोड़ों में नहीं होगा क्योंकि सभी 7 इकाइयों द्वारा, जो पी० आई० एल० सी० केबल्स बना रही हैं, कुल 7 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा पहले ही 40 से 50 प्रतिशत तक मूल्यह्रास हो चुका है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

दक्षिण रेलवे की मद्रास डिवीजनल परसौनल ब्रांच का पुनर्गठन

5091. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मद्रास डिवीजनल परसौनल ब्रांच का पुनर्गठन पूर्व रेलवे में आसनसोल डिवीजनल परसोनल ब्रांच द्वारा अपनाये गए तरीके से किया गया;

(ख) यदि हाँ, तो दक्षिण रेलवे में मद्रास डिवीजनल परसौनल ब्रांच में तथा पूर्व रेलवे में आसनसोल डिवीजनल परसौनल ब्रांच में काम करने वाले स्टाफ क्लर्कों को कितना-कितना काम करना पड़ता है;

(ग) उसमें अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दक्षिण रेलवे के अन्य डिवीजनों ने भी पससौनल ब्रांच का वैसे ही पुनर्गठन किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या मद्रास डिवीजनल परसौनल ब्रांच में स्टाफ क्लर्कों के काम में हाथ बँटवाने के लिये सहायकों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) पूर्व रेलवे में आसनसोल मंडल की कार्मिक शाखा का कुछ कर्मचारियों द्वारा अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन के आधार पर दक्षिण रेलवे के मद्रास मंडल कार्यालय में कुछ परिवर्तन किया गया था। लेकिन इस तरह का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया था।

(ख) **मद्रास**: निर्माण शाखा के सम्बन्ध में 210 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क और निर्माण शाखा के अलावा दूसरी शाखाओं के सम्बन्ध में 105 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क।

आसनसोल: तृतीय श्रेणी के 200 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के 250 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क।

(ग) इसका मुख्य कारण सम्बन्धित रेलों पर लम्बे समय से चली आ रही परिपाटी है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

(च) जी नहीं।

रेलवे के औषध-कारकों (फार्मासिस्ट) के वेतन-मानों में वृद्धि

5092. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों ने अपने औषध-कारकों के वेतनमान हाल में बन्द कर दिए हैं जिससे उपर्युक्त राज्य सरकारों के औषध-कारकों के वेतनमान रेलवे के औषधकारकों के वेतनमानों से बढ़ गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनका मंत्रालय भी अपने औषध-कारकों के वेतनमान तदानुसार बढ़ाने के लिये विचार कर रहा है;

(ग) क्या उन्हें कुछ संसतसदस्यों को दिए गए इस आशय के आश्वासन की भी जानकारी है कि वेतनों की वृद्धि के बारे में जाँच की जा रही है; और

(घ) क्या यह जाँच-कार्य अब पूरा हो गया है; और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) वेतनमानों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी

अपने वेतनमानों के अधिकतम पर रुके पड़ हैं, उन्हें कुछ राहत देने का एक प्रस्ताव है। अभी इस मामले की जाँच की जा रही है।

पालघाट में मशीनी औजार बनाने का कारखाना

5093. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट में मशीनी औजार बनाने के कारखाने में आगे काम न करने का निश्चय किया है; और]

(ख) इस कारखाने पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा क्या इसमें विदेशी सहयोग था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) पालघाट मैकेनिकल इन्स्ट्रूमेंट संयंत्र सरकारी क्षेत्र में सोवियत रूस के तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग से स्थापित कोटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का एक एकक है।

इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के पालघाट स्थित एकक का कार्यान्वियन स्थगित करने तथा चतुर्थ योजनावधि में अतिरिक्त उपान्तिक विनियोजन से पालघाट एकक में बनाये जाने वाले औजारों का कोटा एकक में निर्माण किए जाने का निश्चय किया गया है। इससे बोकारो स्टील तथा थरमल पावर मंयंत्र की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कम्पनी समर्थ हो सकेगी।

पालघाट में मैकेनिकल इन्स्ट्रूमेन्टल संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर चौथी योजना के अन्त में माँग के रुख तथा उपभोक्ता उद्योगों आदि के विकास को दृष्टि में रखकर पुनः विचार किया जायेगा।

(ग) पालघाट मैकेनिकल इन्स्ट्रूमेन्ट संयंत्र पर 30 जून 1969 तक 36.33 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसी सूचना मिली है कि इस राशि में सोवियत सहयोगियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा आँकड़े एकत्रित करने पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय के रूप में अदा की गई 8.9 लाख रुपए की राशि भी सम्मिलित है।

रेल कर्मचारियों का समय-समय पर तबादला

5094. **श्री प्र० न० सोलंकी : श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्दिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय-समय पर तबादला करने की दृष्टि से रेलवे कर्मचारयों का तबादला हर पाँच वर्ष के बाद करने की रेलवे की नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि तबादला होने पर रेलवे कर्मचारी को (एक) (परिवार के लिये निःशुल्क पास (दो) सामान के लिए एक माल डिब्बा तथा (तीन) कार्य ग्रहण के लिए 6 दिन का समय मिलता है;

(ग) 1965, 1966, 1967 तथा 1968 में कुल कितने कर्मचारियों का तबादला किया गया;

(घ) उपरोक्त अवधि में सामान ले जाने के लिए कुल कितने माल डिब्बों का प्रयोग किया गया तथा कार्य ग्रहण करने के समय के रूप में कितने जन दिनों की हानि हुई;

(ङ) सामान ले जाने के लिए प्रयोग में लाए गए माल डब्बों के कितने रेल भाड़े तथा कितनी लागत के जन दिवसों की हानि हुई; और

(च) इससे रेलवे की अर्थ व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) उन कुछ विशिष्ट कोटियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो ड्यूटी के दौरान जनता के सम्पर्क में आते हैं, ऐसे आदेश हैं कि उन्हें किसी एक स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक समय तक न रहने दिया जाये और उन्हें 5 वर्षों की अवधि के भीतर उसी स्टेशन पर दुबारा तैनात न किया जाये। 1968 से इन आदेशों को आस्थगित रखा गया है।

(ख) (i) जी हाँ।

(ii) जी हाँ, जहाँ तक तीसरे दर्जे के कर्मचारियों का सम्बन्ध है; लेकिन चौथे दर्जे के कर्मचारियों को 10 क्विंटल तक अपना घरेलू सामान ले जाने की अनुमति है।

(iii) जहाँ स्थानान्तरण के कारण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आवास बदलना जरूरी न हो, वहाँ कार्य-ग्रहण अवधि के रूप में एक दिन से अधिक का समय जिसमें सार्वजनिक छुट्टी शामिल है, नहीं दिया जाता। अन्य प्रकार के स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में तैयारी के लिए सामन्यतया 6 दिनों का समय दिया जाता है। इसके अलावा एक निर्धारित मान पर वास्तविक यात्रा के लिए कुछ समय भी दिया जाता है।

(ग) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ईदगाह स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में कम वसूल की गई बकाया राशि

5095. **श्री प्र० न० सोलंकी : श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लेखा कार्यालय, अजमेर ने यह पता लगाया है कि पश्चिम रेलवे के ईदगाह स्टेशन पर डिलिवर किए गए 'रद्दी लोहे' के माल डिब्बों के भाड़े में लगभग तीस हजार रुपए की राशि कम वसूल की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो ईदगाह स्टेशन में कम वसूल की गई बकाया राशि का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह एक धोखाधड़ी का मामला था जिसमें "लोहे की पटरियों" से भरे माल डिब्बों को "रद्दी लोहे" के रूप में कम दर पर बुक कराया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने कुछ प्रभाव डाले जाने के कारण व्यापारियों से कम वसूल की गई बकाया राशि वसूल करने के लिये अब तक कुछ नहीं किया है तथा सारी राशि को ईदगाह के एक गुड्स क्लर्क के नाम डाल दिया है; और

(ङ) इस मामले का ब्यौरा क्या है तथा कम वसूल की गई राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हाँ, लेकिन यह रकम 30 हजार रुपए से अधिक थी।

(ख) इस कारण ईदगाह स्टेशन पर अभी भी 27,210 रुपए बकाया हैं।

(ग) यह सही है कि ये अवप्रभार "रद्दी लोहे" या "रद्दी पटरियों" के रूप में बुक की गयी "लोहे की पटरियों" के परेषणों से सम्बन्धित हैं, लेकिन धोखाधड़ी का का कोई निश्चित मामला स्थापित नहीं किया जा सकता।

(घ) यह सही नहीं है कि रेलों ने व्यापारियों से अवप्रभार वसूल करने के लिये कुछ नहीं किया है, क्योंकि व्यापारियों से पहले ही 16,575 रुपए वसूल किए जा चुके हैं तथा और वसूली करने के लिये प्रयास जारी हैं। जिन मामलों में कर्मचारी डिलीवरी के समय देय अवप्रभार वसूल नहीं कर पाते, उनमें सामान्य और सही परिपाटी यह है कि जब अवप्रभार नोटिस में आयें तो उन्हें उन कर्मचारियों के नाम डाल दिया जाना चाहिए जिन्होंने उनकी वसूली नहीं की, क्योंकि अवप्रभार उन्हीं की गलती के कारण वसूल नहीं किए गए। लेकिन माल गोदाम कर्मचारी व्यापारियों को ये अवप्रभार चुकाने के लिए मना लेते हैं और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अपनी दायिता स्वीकार करनी पड़ती है।

(ङ) जैसा कि ऊपर भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, अवप्रभार "रद्दी लोहे" या "रद्दी पटरियों" के रूप में बुक की गयी "लोहे की पटरियों" के परेषणों से सम्बन्धित हैं। यद्यपि अभी तक वसूल न किए जा सके अप्रप्रभारों को रेलवे ने निजी सम्पर्क द्वारा और नोटिस देकर वसूल करने के प्रयास किए हैं, व्यापारियों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रहीं है।

उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्तियाँ

5096. **श्री विश्वनाथ पाण्डे**: क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को 1967-68 में निम्न आय वर्ग छात्रवृत्तियाँ दीं;

(ख) वे छात्रवृत्तियाँ कुल कितनी धनराशि की थीं;

(ग) जिन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियाँ दी गईं उनके अभिभावक किस आय वर्ग के हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में कितनी आय-सीमा पर जोर दिया है?

विधि मंत्रालय तथा समाज–कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव):

(क) से (घ) आन्तरांकिन प्रश्न संख्या 3461 दिनांक 18 मार्च, 1969 के उत्तर तथा 3 जून, 1969 को पूरे किए गए आश्वासन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है

मद्रास रबड़ फैक्टरी लि० मद्रास को ऋण

5097. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-का** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मद्रास रबड़ फैक्टरी लि० मद्रास को अमरीकी सरकार से 75 लाख रु० का ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उस ऋण की शर्तें और प्रयोजन क्या हैं और क्या अमरीकी सरकार का उस फक्टरी के प्रवन्ध-नियंत्रण में कोई हाथ होगा;

(ग) अमरीकी सरकार ने अन्य किन उद्योगों को ऋण दिया है, प्रत्येक उद्योग को उससे कितना ऋण और किन शर्तों पर मिला और क्या उनमें से प्रत्येक के प्रबन्ध में अमरीका सरकार का हाथ होगा; और

(घ) क्या ऐसे विदेशी ऋणों को लेने के लिये भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी और यदि हाँ, तो स्वीकृति किस आधार पर दी गई?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, हाँ।

(ख) कुली लोन से मिलने वाली राशि आन्तरिक भूमिका अधिग्रहण करने, भवन निर्माण-कर की अदायगी तथा संयंत्र और मशीन की स्थापना आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए होती है। ऋण की अदयगी लगभग 14 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में की जानी होती है जिसकी पहली किश्त ऋण का भुगतान होने की पहली तिथि के 3 वर्ष के भीतर ही देनी होती है। ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज दर लगाया जाता है।

(i) **कुली लोन्स**

(ग) और (घ) एक विवण (अनुबन्ध 1) सभा–पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रर । गया । देखिये संख्या एल० टी० 1855/69]** इन ऋणों पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक है जो भारत ी ऋणदाता संस्थाओं की ब्याज दर के अनुरूप समयानुसार घटती बढ़ती रहती है। सामान्य रूप से ऋण की अदायगी की अवधि 8 से 12 वर्ष के बीच होती है जिस प्रयोजन/उद्योग के लिए ऋण दिया गया है इस बात पर अवधि निर्भर करती है। संयुक्त राज्य सरकार किसी कम्पनी को इस तरह ऋण देकर नियंत्रण रखने की कोई रुचि नहीं रखती है।

भारत सरकार सामान्य रूप से जहाँ उद्यम ने औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग की शर्तों की स्वीकृति तथा पूंजी जारी करने की स्वीकृति जैसी आवश्यक सरकारी निर्बाधिता प्राप्त कर ली है ऋण के ऐसे मामलों में "अनापत्ति" की सूचना दे देती है।

(ii) **यू० एस० एक्सिक बैंक एन्ड लोन्स**

ब्यौरा अनुबन्ध 1 तथा 2 में (अंग्रेजी उत्तर के साथ) दिया गया है।

भारत में गैर-सरकारी उधार लेने वाले का या तो एक्सिम बैंक के साथ या ऐड अथारटीज के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी/स्वीकृति के अनुसार भारत सरकार विदेशी व्यय के ही औचित्य को नहीं देख ले बल्कि पुन: अदायगी की शर्तों पर भी विचार करती है। इन संस्थाओं में से कोई भी उधार लेने वालों को उद्योगों पर किसी प्रकार कर-नियंत्रण रखना नहीं चाहती क्योंकि ये केवल ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं।

अस्पृश्यता अधिनियम का उल्लंघन

5098, **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं, न्यायालयों में कितने मामले अन्तिम रूप से निर्णीत हो गए तथा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया;

(ख) इस तीन वर्षों की अवधि में कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया अथवा जुर्माना किया गया और उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अधिकतम कैद की सजा और जुर्माना किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में केवल एक रुपया जुर्माना किया गया था; अपराधियों को अधिकतम दण्ड न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनिवार्य न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था करने लिये अधिनियम में संशोधन करने का हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि मंत्रालय और समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) :

(क) और (ख) ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वर्तमान कानून के अधीन अदालतें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए विवेकानुसार दण्ड दे सकती हैं।

(घ) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को संशोधित करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

यरुशलम में अल अक्सा मस्जिद का जलाया जाना

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान् मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान

अविलम्बनीय लोक–महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:

"यरुशलम में अल अक्सा मस्जिद के जलाये जाने का समाचार तथा भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया"

विदेशक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अम्मान स्थित अपने राजदूतावास से हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार बृहस्पतिवार, 21 अगस्त 1969 को सवेरे सात बजे के आसपास प्रसिद्ध अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी। करीब तीन घंटे तक आग लगी रही और इसकी वजह से इस मस्जिद के दक्षिण-पूर्वी भाग को नुकसान हुआ। सौभाग्य से मस्जिद के मध्य भाग को खास-तौर पर गुम्बद को, कोई नुकसान नहीं पहुँचा।

इस पवित्र धर्मस्थान के अपवित्रीकरण पर भारत की सरकार और जनता को गहरा धक्का लगा है और दुख हुआ है। मुझे विश्वास है कि अपवित्रीकरण के इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निन्दा करने में सदन मेरा साथ देगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की अवहेलना करके जुरूसलम पर इसराइल का निरन्तर अधिकार किए रहना एक गम्भीर मामला है। इस जबर्दस्त दुर्घटना के कारण यह और भी जरूरी हो गया है कि जेरूसलम के विषय में सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों पर अविलम्ब अमल किया जाए। इस संसद् में इसराइल को इस अत्याचार की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता।

भविष्य में क्या कदम उठाने की जरूरत होगी, इस सिलसिले में हमारे मिशन कुछ मित्र देशों की सरकारों से पहले ही संपर्क स्थापित किए हुए हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी: इस मामले में भारत की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि भारत का दुनिया के ऐसे देशों में तीसरा स्थान है जहाँ पर मुसलमान अधिक रहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अपनी राजनयिक भाषा में इस बात को मान लिया है कि संभवतया इसमें इसरायल का हाथ है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये यरुशलम नगर तथा उसके पवित्र स्थानों की समस्या का उचित समाधान हो, क्या कार्यवाही कर रही है। इसके साथ-साथ क्या सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि यरुशलम अरबों को दिला दिया जाये अथवा तुरन्त ही उसको अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में ले लिया जाये। सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिये।

श्री दिनेश सिंह: हमने यरुशलम के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों में जो भाग लिया है, उसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी है। हमने पश्चिम एशिया की समस्या के शान्तिपूर्वक हल के बारे में भी पूरा प्रयत्न किया है। यदि कोई हल निकल सके तो इसराइल द्वारा यरुशलम के बलपूर्वक लिये क्षेत्र की वापसी के बाद में कुछ सोचा जा सकता है। हम अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

Shri Ishaq Sambhli (Amroha) : Mr. Speaker, Sir, this act of Israel is shameful for whole humanity. This is against the Charter also. You know that it has been provided in the Charter that it is the responsibility of all countries to respect the sanctity of the religious

places. Therefore it is necessary for our country to draw the attention of Secretary General of the United Nations to this insult to the Charter of United Nations. I would like to know what action has been taken by Government in this regard?

Shri Dinesh Singh: Sir, a demand has been made that this should be discussed in the Security Council. I cannot say what India will do at the time of discussion. Hon. Member knows that we are not a member of Security Council. But we are making every efforts to see what can be done in this connection in our capacity as a member of the United Nations.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Sir, this Al Aqse mosque is 1400 years old and it has its own importance. Actually this is an historical monument. In this connection I want to draw the attention of the Minister that instead of admitting its guilt Israel has tried to implicate an Australian Christian Mr. Rohen in this act. I would like to know whether Government of India propose to take any action on the U. N. level or Governmental level against such falsehood of Israel.

A meeting of the Security Council should be convened and enquiry should be held through the international organisation. I want to know that whether Government of India has taken any initiative in this regard.

Shri Dinesh Singh: Jordan has demanded a meeting for the discussion. India is prepared to extend all sort of cooperation for the same.

श्री प० मु० सईद (लक्कदीव मिनिकोय तथा अमीनीदीवी द्वीपसमूह): यरुशलम की अल अक्सा मस्जिद का अपमान करने का पहले भी कई बार प्रयत्न किया गया है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से कोई आवेदन किया है और यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है? क्या सरकार उस कार्यवाही के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए अन्य देशों से बातचीत करेगी और क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसकी जाँच कराने की माँग करेगी।

श्री दिनेश सिंह : इस मामले में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की माँग की गई है। अतः महासचिव को आवेदन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): This act of the Government of Israel is condemnable. I know that India is not a Member of Security Council. But is was possible for the Government of India to raise this issue before the. Human Rights Commission of the United Nations. It is not a matter which concerns Muslims only. I want to know whether Government will raise this issue before the Human Rights Commission?

Secondly I want to say that when this matter is raised in the U.N.O. we should mobilize opinion for condemning this act. This place should be taken over from Israel and placed under the control of some international agency.

Shri Dinesh Singh: This matter can be taken up in a better way in the Security Council. This place is in occupied territory of Israel. It is the responsibility of Israel. It will be discussed in the Security Council. When it is raised there we will take care to contact Arab countries in this regard. We will make our stand clear.

———

व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar); Sir, I want to raise a point of order with your permission. The Prime Minister and Shri Jagjiwan Ram and Shri F. A. Ahmed had levelled a charge against Jan Sangh that it had entered into a conspiracy with Congress President for toppling this Government. Now Congress Working Committee has said that those charges were baseless, therefore, I want that the Prime Minister and her two colleagues should offer a public apology. (**Interruption**). They have shown disrespect to my party. Now they have admitted that the charges were wrong.

Mr. Speaker: We are discussing another thing........

Shri Kanwar Lal Gupta: Can they make such baseless allegations against my party?

अध्यक्ष महोदय: श्री गुप्त मुझसे मिले थे और वह इस प्रश्न को उठाने के लिये भी कह रहे थे। मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी। हम पार्टियों के झगड़ों को यहाँ नहीं उठा सकते। मुझे खेद है कि फिर भी उन्होंने इस विषय को उठाया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar): Sir, it is not a problem of Muslims only it is a matter of concern for entire humanity. The fifty crore Indians who are following secular policy are shocked over this. Government's policy towards Israel is very good. I condemn the burning of Al-Aksa mosque.

Israel has done this through an Australian citizen. He is a Charistian. I want that the Government of India to take initiative keeping in view the sentiments of Muslims of India.

Jerusalam should be restored to its previous status. An International organisation should be entrusted with the task of enquiry in this buring incident. A delegation of Members of Parliament should be sent to know the factual position.

Shri Dinesh Singh: I want to assure hon. Minister that we want that a correct solution should be found of the problem of Jerusalam. We are trying that Israel should abide by the Security Council resolutions in regard to this problem.

Shri Bal Raj Madhok (Delhi-South): You have allowed him keeping in view his feelings. You should respect our feelings also. These people had made charges against Jan Sangh. It is a party here. Now those charges have been denied in a Congress Party resolution. Morality demands that Smt. Indra Gandhi, Shri F. A. Ahmed and Shri Jagjivan Ram should apologise. If they have any morality they should do so, or we would say they are dishonest.

Shri Kanwar Lal Gupta : They have levelled mischivious and slanderous charge. They should apologise for this.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के 1967–68 के कार्य की समीक्षा तथा उसका 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षीत लेखे और नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूँ:—

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1826/69]

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इन पत्रों के सभा-पटल पर रखे जाने में बहुत विलम्ब हुआ है। जिस अवधि से यह लेखे सम्बन्धित हैं उसे समाप्त हुए 18 महीने बीत चुके हैं। जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो और भी समय बीत चुका होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि इतना विलम्ब नहीं होना चाहिये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस विषय को अनेक बार उठाया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को सम्बन्धित विभागों के साथ उठायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूँगा । रेलवे मंत्री अपने पत्र सभा–पटल पर रखें।

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूँ :—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1966–

67 का निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1822/69]

राजभाषा अधिनियम के आधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा पाँचवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968 की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या० एल० टी० 1823/69]

(2) संस्थान के अनुच्छेद 281 के अधीन पाँचवें वित्त आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा उस पर की गई कार्यवाही के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1824/69]

अत्यावश्यक सेवा संस्करण अधिनियम 1968 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे):

(2) मैं अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2052 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2053 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 अगस्त 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा घोषित किया गया, कि एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1825/69]।

सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा (4) की उपधारा (3) के अधीन सीमा सुरक्षा बल नियम, 1968 की प्रति जो दिनांक 13 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2336, में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1826/69]**

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 22 जुलाई, 1969 की आदेश की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3028 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1827/69]

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 1968–69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1828/69]

(4) उपयुक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की मंत्रणा सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1828/69]

Cotton Textiles (Control) Third Amendment Order, 1969

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhry Ram Sewak): I lay a copy of the Cotton Textiles (Control) Third Amendment Order, 1969 published in Notification No G.S.R. 1738 in Gazette of India dated the 26th July, 1969 under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. (**Placed in Library. See No. L.T.-1829/69**)

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है:—"कि 22 अगस्त, 1969 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 16 मई, 1969 को भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1969 में लोक-सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो गई है।"

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तेरपनवां प्रतिवेदन

श्री मालजी भाई परमार (दोहद): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेरपनवां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

ट्रैक्टरों के निर्माण के बारे मे तारांकित प्रश्न संख्या 331,345 तथा 357 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWERS TO S.Q. NOS. 331,345 AND 357. RE. MANUFACTURE OF TRACTORS

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): 5 अगस्त, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 331, 345 तथा 357 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में 50,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस बीच मुझे पता चला है कि यह संख्या गलत थी। वास्तव में उक्त कारखाने में आरम्भ में 12,000 से 15,000 तक ट्रैक्टर बनाये जायेंगे।

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचिति निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है:—

"कि 31 मार्च 1968 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचिव निधि मे से राशियों के विनियोग का अधिकार देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:—"खंड 1, 2, 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the enacting Formula and Title were added to the Bill

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:—

"विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री नाथपाई (राजापुर) : आपने मुझे नहीं सुना। मैंने 'हाँ' नहीं कहा था। मैं विनियोग विधेयक को पारित होने से पूर्व कुछ निवेदन करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सका। लेकिन अब मैं विधेयक को पारित घोषित कर चुका हूँ।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 4) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचिति निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विषयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Sir 2,26,000 employees are working in Bihar State's Government Offices. The employees working in Small scale industries are on strike since 5th August because about 500 employees have been retrenched there. There are more than 100 women employees who were retrenched. In this connention an assurance was given that these employees would be reinstated. But nothing has been done in this regard so far.

The Central Government is responsible for the retrenchment of these employees. It is, therefore, requested that the Central Government should reinstate these employees.

The salaries of those 2,26,000 employees, who have taken part in the strike last year, should be given as their salary was not disbursed. I hope that at least on humanitarian ground their outstanding salaries will be given.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विनियोग विधेयक पर अपनी सहमति देने से पूर्व मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूँगा कि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते को बढ़ाये जाने की माँग के बारे में विचार करें। मुझे बतलाया गया है कि निर्वाह-सूचकांक में 10 अंक की और वृद्धि हुई है। इस बारे में सरकारी आँकड़े अभी घोषित नहीं किए गए हैं।

मँहगाई भत्ते को वेतन में मिलाये जाने के परिणाम-स्वरूप दिल्ली कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे नगरों में रहने वाले बहुत से कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बहुत बढ़ गया है। ऐसे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये मकान किराये की रसीद प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती थी। परन्तु अब प्रत्येक कर्मचारी, जिसे मँहगाई भत्ते को मिलाकर 500 या 500 रुपए से अधिक वेतन प्राप्त होता हैं, मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये मकान किराये की रसीद प्रस्तुत करनी पड़ेगी। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली है। अतः ऐसी रसीद प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। दामोदर घाटी परियोजना निगम तथा अन्य निगमों में इस सीमा को 500 रु० से बढ़ाकर 620 रुपए कर दिया गया है। मैं श्री पहाड़िया से निवेदन करूँगा कि वह इस मामले में विचार करें।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान कोंकण क्षेत्र के आर्थिक सर्वेक्षण के लिये व्यवस्था न करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। कोंकण क्षेत्र ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। देश के बहुत से महापुरुषों का इस क्षेत्र में जन्म हुआ है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।

उक्त क्षेत्र में खनिज सम्पत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बम्बई और गोवा के बीच रेल लाइन बनाई जानी चाहिये क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है

क्या सरकार उक्त क्षेत्र के आर्थिक सर्वेक्षण की माँग के बारे में विचार करेगी ? यह क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जबकि उक्त क्षेत्र में खनिज समत्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कोंकण के पत्तनों के विकास के लिए व्यवस्था न किए जाने के क्या करण हैं? क्या सरकार कोंकण रेलवे के निर्माण किए जाने के बारे में सर्वेक्षण-कार्य करने का विचार है। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा हममे से कुछ सदस्यों के लिये अतिरिक्त अनुदानों की माँगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा।

Shri B. P. Mandal (Madepura): Sir, even after 21 years of independence, there has not been any change in the conditions of the Harijans. Late Dr. Ram Manohar Lohia was of the view that out of 100 seats, 60 seats should be kept reserved for Harijans and backward classes.

The Government has not paid any attention towards this matter. I request that appropriate attention should be paid in this regard.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): The per capita income of Bihar is less as compared to other States. The Northern Parts of Bihar are rich in natural resources but there are backward areas from development point of view. It is very strange that Ashoka Paper Mill is being shifted from Bihar to Assam. That Paper Mill should remain in Dharbanga. Bihar is suitable for establishing a 'canning factory'. The Government should look into this matter.

Bihar is rich in nuclear raw material. The Government has so far not established an Atomic plant in Bihar. It should be done at en early date.

Attention has not been paid towards wastage of expenditure. Spending money on tours should be abolished,

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : It is high time for increasing the allowance of the pensioners. They should also be provided with adequate medical aid.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : सहकारी क्षेत्र में स्थित एक बैंक, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय मद्रास में है, के लिये यह उपबन्ध है कि वह श्रीलंका से वापिस लौटे व्यक्तियों की देख-भाल करे। यह बहुत ही पेचीदा मामला है। इस करार की क्रियान्वित की सफलता दोनों देशों के वैदेशिक कार्य मंत्रालयों द्वारा स्थिति को उचित प्रकार से संभालने पर निर्भर करती है। क्योंकि भारत में तमिल भाषा-भाषियों और श्रीलंका के सिंहलवासियों के सम्बन्ध सौहृदर्यपूर्ण नहीं हैं। जब तक इस मामले को उचित तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की जायेगी इस मामले में सफलता प्राप्त होने में संदेह है।

कोयम्बतूर में 500 पलंगों की क्षमता वाले एक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसको शीघ्र खोला जाना है। केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें अस्पताल में पलंगों की क्षमता 300 रखने का निदेश दिया गया है। राज्य के श्रम मंत्री के द्वारा पत्र लिखने पर केन्द्रीय सरकार ने अस्पताल की क्षमता को 200 कर देने का निदेश दिया है। मैं माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लें। इस अस्पताल पर केन्द्रीय सरकार की सहमति से खर्च किया गया था। पलंगों की संख्या में कमी करने से अस्पताल पर किया गया खर्च बेकार हो जायेगा।

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jaganath Pahadia) : So far as the question of retrenching 500 employees of the small scale industries in Bihar is concerned the matter will be looked into. I will see that this problem may be solved properly. Economic survey is being done by the Planning Commission not only in Konkan region but in other backward regions also. Every effort will be made to remove poverty in the State.

A great deal of efforts have been made for the progress of Harijans and Advasis during the first, second and fourth Five Year plans and a provision of a huge amount has been made for it during the Fourth Five Year plan.

Efforts are being made for the development of all backward areas in the country. The National Development Council has recently decided to spend 10 per cent more for the development of backward areas.

Expenditure is not wasted on Ministers. So far as the question of Prime Minister is concerned, she has to perform international tours for establishing friendly relations with other countries in addition to tours in India. Even then every efforts will be made to minimise the expenditure.

The Government have decided to increase Rs. 10 in the case of those pensioners whose pension is less than Rs. 200.00 p.m.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत संचित निधि में कुछ और

राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खन्ड/ से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and Title were added to the Bill

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: मैं प्रस्ताव करता हूँ:—

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes Past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर सत्रह मिनट पर म. प. पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Seventeen Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M.B. Rana in the Chair]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की घटना के बारे में

RE. INCIDENT IN U. P. LEGISLATIVE ASSEMBLY

Shri George Fernades (Bombay South): I want to invite your attention towards the constitutional crisis in Legislative Assembly of Uttar Pradesh **(Interruptions)**

Shri Shiv Narain (Basti): There were no crisis. **(Interruptions)**

Shri George Fernandes: At the time of a division on certain issue when quorum

bell was rung, the Speaker observed that Congress Members are in minority and Government may be defeated... (Interruptions)

श्री मा० ला० सोंधी: जब संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तो यह माननीय सदस्य इस प्रकार बाधा क्यों डालते हैं?

श्री शिव नारायण: मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है।

सभापति महोदय: श्री जार्ज फरनेंडीज के भाषण के बाद श्री शिव नारायण की बात सुनी जायेगी।

Shri George Fernandes: When the Speaker observed that Congress Members are in minority and Government may be defeated, he left the Chair and went to his chamber. Thereafter the Deputy Speaker Prof. Vasdev Singh was in the Chair and voting was going on then the Speaker came and occupied the chair and said that he adjourns the House. This is just to ridicule parliamentary conventions. The Speaker instead of performing his duty adjourned the House. I want the hon'ble Minister of Home Affairs to give a categorical statement in order to avoid recurrence of such incidences........(Interrutions)

श्री शिव नारायण: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है। अध्यक्ष के आने के बाद उपाध्यक्ष ने कुर्सी खाली कर दी। उसके बाद उप-मुख्य मंत्री विरोधी पक्ष आदि सभा स्थगित करने के लिये तैयार थे। अतः इस प्रश्न को यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता।

सभापति महोदय: हम किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं कर सकते जो सभा में विचाराधीन नहीं है। यदि वे वक्तव्य चाहते हैं तो उन्हें ध्यान दिलाने वाली सूचना देनी चाहिये.... यदि अध्यक्ष ने उसको अनुमति दी तो इस बारे में सभा में चर्चा की जायेगी।

Shri Sheo Narain: You have not given your ruling on my point of order.

सभापति महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I want to raise point of order under rule 340. The Speaker is called Custodian of Parliamentary Democracy and he is supposed to be impartial.

सभापति महोदय: आप ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जो सभा के विचाराधीन नहीं हैं।

Shri S. M. Banerjee: The hon'ble Home Minister may be asked to give a statement on the unconstitutional situation developed in U. P. Assembly yesterday.

सभापति महोदय: यदि वह उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली): मेरा निवेदन यह है कि संसदीय लोकतत्र में लोकतंत्र के सिद्धान्तों की रक्षा की जानी चाहिये। अतः यदि किसी अन्य सदन में कोई घटना होती है तो हस्तक्षेप करने के विचार से नहीं बल्कि संसदीय प्रक्रिया की सुरक्षा के विचार से इस सभा के दोनों पक्षों को सतर्क रहना चाहिये।

सभापति महोदय: हम उस मामले पर विचार कर रहे हैं जो सभा के विचाराधीन नहीं है, हमें इस मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं करना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I want to tell my friends that to-day when the opposition have told the Speaker that his action was against the norms of parliamentary democracy, the police entered the House and removed 200 Members of the Assembly physically. I think that House should discuss a situation of this type.

Mr. Chairman: We cannot discuss it without giving notice in writing.

Shri Prakash Vir Shastri: If we can discuss the similar situation arisen in West Bengal, can't we discuss this incidence in which the police has entered the House and removed the Members physically? How can Central Government sit idle ?

सभापति महोदय: चुपचाप बैठने का प्रश्न नहीं है । आपको उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार इस मामले को सभा के समक्ष लाना चाहिये। इस प्रकार हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

प्रैस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : I move: "That this House disapproves of the Press Council (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 5 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 30th June, 1969."

It doest not look nice that—a work that should be done by this Parliament should be got done by issue of an ordinance. The Report was received 7½ months back but after lapse of such a long period ordinance has been issued. Press ordinance is a challenge to democracy in India. Our Government is behaving just like Britishers. The Director of Samachar Bharti is encouraged and the editor seems to have no value. No importance is given to the editor who wants to raise the voice of people. He is working just like puppet of Director and Proprietor. Therefore this Bill cannot be passed. We can pass a Bill which envisages protection of the rights of editor.

At present a few capitalists are in control of the press. They are troubling, working class and India socialism is being crushed. The Government should withdraw this Bill and introduce a comprehensive Bill which should meet the demands of the masses. This Bill serves the purpose of Government only. There is a need of bringing radical change in the press. Even today Press Bulletins are received in English and then translated into Hindi. The official language is being ignored. English newspapers are encouraged. The Government should publish their advertisement in small newspapers if they are really interested in socialism.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): मैं प्रस्ताव करता हूँ:— "कि प्रैस परिषद् अधिनियम 1965 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 117 (3) की ओर दिलाता हूँ। यह विधेयक एसे अध्यादेश का स्थान लेगा जिसमें प्रैस परिषद् के गठन की व्यवस्था है जिसने तीन वर्षों से अधिक अवधि में अब तक केवल दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। प्रेस परिषद् ने इसके अतिरिक्त अब तक शायद कोई कार्यवाही नहीं की है। फिर केवल राज्य सभा ने विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है । लोकसभा ने ऐसी

सिफारिश कहाँ की है? इस विधेयक पर न विचार किया जा सकता और न इसे पास किया जा सकता है।

श्री इ० कु० गुजराल: माननीय सदस्य ने शायद उन कागजातों को नहीं पढ़ा जो उन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजे जाते हैं। यदि उन्होंने पढ़े थे तो उन्होंने 18 अगस्त 1969 का समाचार भाग 2 पढ़ा होगा जिसकी मद संख्या 1301 के नीचे लिखा था कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधिपति (श्री एम० हिदायतुल्ला) ने प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1969 की, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विषय-वस्तु बताये जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (3) के अन्तर्गत लोक-सभा में उक्त विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश की है।

श्री श्रीनिवास मिश्र: बुलेटिन में यह अवश्य दिया गया है परन्तु इसको इस कारण से विधेयक में सम्मिलित नहीं समझा जाना चाहिए। विधेयक पर सम्मिलित हुए बिना इस पर विचार नहीं किया जा सकता। जिन विधेयकों के अनुसार संचित निधि व्यय करना आवश्यक हो, उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये। क्या इसके लिए इस सभा से सिफारिश की गयी है?

श्री इ० कु० गुजराल: लोक–सभा को सूचना देना ही पर्याप्त है। लोक–सभा सचिवालय स्वयं ही इसे परिचालित करता है।

सभापति महोदय: व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है।

श्री तन्नटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मुझ आशा है कि सभापति महोदय अपने निर्णय के लिये तर्क बताने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय: यदि अध्यक्ष को अपने सभी निर्णयों के लिए तर्क बताने पड़े तो इससे कार्य कैसे चलेगा!

श्री श्रीनिवास मिश्र: नियम संख्या 2 में दिया हुआ है कि बुलेटिन से सभा की कार्यवाहियों को संक्षेप में बताया जाता है।

सभापति महोदय: नियम 348 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की हर एक मंजूरी अथवा सिफारिश किसी मंत्री द्वारा सचिव को सूचित की जाएगी। इसको बुलेटिन भाग 2 में छपवाया जायेगा। अब संकल्प तथा प्रस्ताव पर सभा में चर्चा होगी। श्री प्रेमचन्द वर्मा!

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): This Bill is merely for the extension of the period of the Press Council. The period was to come to an end on May 1969 and so firstly anordinance was promulgated for this purpose and now a Bill is being introduced.

Hon. Member has stated that the President was his candidate and he would not sign the Bill. Such statement should not be made in this House.

I agree with the suggestion that the time limit may be extended upto 30th March. But a proposal to extend it beyond that date should be brought forward before that date. I want that the Press Council may be kept as a purely professional body. It should have the powers under the Civil Code to summon officials and non-official for giving evidences.

The Bill should not contain a provision that may compel the Edition or the journalists to disclose the source of information.

Small and medium newspapers should have maximum representation. Indian Language Newspapers, which really represent the people of India should get maximum representation in the Council. Out of the twenty-five members, at least seven should be Editors or proprietors.

There are ten monopolies which control the entire newspapers. This should come to an end. The matter should not be left in the hands of monopoly commission but it should come under the perview of Press Council.

Price page schedule should be implemented even by amending the Constitution, if necessary. It is very essential for the progress of small newspapers.

The conditions of working journalists including their rights and service conditions should be protected and disputes relating to them should be settled under the Labour Laws.

I suggest that this Bill be brought forward in this House after discussing it with the Journalists.

With these words, I support the Bill.

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : मैं प्रैस आयोग का सदस्य था। अनथक परिश्रम के पश्चात् हमने अपना प्रतिवेदन तैयार किया जिसे सरकार ने स्वीकार तो किया परन्तु दीर्घकाल तक उसपर कोई कार्यवाहीं नहीं की। यदि इस संशोधन द्वारा अतिरिक्त धन व्यय करने की आवश्यकता है तो इस विधेयक को राज्य सभा में पहले पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये था। इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री इ० कु० गुजराल: माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि हर एक ऐसा विधेयक जिससे कुछ धन व्यय करना पड़ता है "धन-विधेयक" नहीं है।

श्री जयपाल सिंह: मैं धन-विधेयक को आय-व्यय के समान नहीं मानता। परन्तु ऐसे विधेयक दूसरे सदन से लोक सभा में नहीं आने चाहिये।

सभापति महोदय: संविधान अथवा प्रक्रिया नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले यह राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह: कृपया मुझे नियम दिखाइए।

श्री इ० कु० गुजराल: किसी विधेयक के उपबन्धों में धन के व्यय की व्यवथा हो जाने से कोई विधेयक धन-विधेयक नहीं बन जाता है। यदि माननीय सदस्य संवधान अथवा प्रक्रिया नियमों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि यह विधेयक "धन-विधेयक" नहीं है।

सभापति महोदय : संविधान की धारा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऐसे विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जा सकते हैं।

Shri Hardeyal Devgun (East Delhi): The Press Council was established in accordance with the recommendation of the Press Commission. Its main object was to strengthen

the freedom of the Press but I am sorry that the Council has failed in it. Neswpapers are pivot of our Democracy.

Press Commission desired that the Press Council may see that the newspapers are not influenced by trade nor they become a trade in itself, common ownerships and monopolies are discouraged. But we find that circulation of common ownerships of newspapers has risen to 73.6 per cent. Press Council has failed in all these objects.

The control of newspapers by certains industrialists is a grave danger to our democracy, as a few people can easily influence the opinions of the Government.

Chains of big newspapers are spread throughout the length and breadth of the country. So it has become very easy for the Government to influence a few proprietors and to change the view points of the people at large.

Foreign influence on Indian newspapers is on the increase. Amounts to the extent fo 30-31 lakhs have been invested on Patriot and Link. The Government have assured that this matter would be investigated, but nothing has so far been done in the matter. Press Council should endeavour to free the press from all these influences. It is possible only if working journalists are given due representation in the Press Council. What action the Government is taking on the recommendations of the Advisery Committee of M.Ps'? The Council would be made representative of working journalists. Industrialists and proprietors should have no say in it. Its chairman would be chosen from working journalists.

Shri I. K. Gujral: Is it your opinion or that of the Party.

Shri Hardayal Devgun: It is the opinion of the party. We do not act against the discipline.

श्री जयपाल सिंह: मैं अनुच्छेद 109 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ

सभापति महोदय: मैंने अपना निर्णय दे दिया है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री जयपाल सिंह: अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रामगंज): यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि सभापति तथा सदस्यों दोनों की कालावधि एक साथ समाप्त होगी। मूल प्रेस परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रथम चेयरमैन ने 4 जुलाई को कार्यभार संभाला था और सदस्यों ने 16 नवम्बर, 1966 को । अत: सदस्यों तथा चेयरमैन की कालावधि पृथक-पृथक समय पर समाप्त होती है, अब इस विधेयक के पास होने के पश्चात् दोनों अर्थात सदस्यों तथा चेयरमैन की कालावधि साथ-साथ समाप्त होगी।

दूसरे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण प्रथम चेयरमैन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और इससे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। इन कठिनायों को भी दूर किया जाना है। इसी कारण भूतपूर्व मंत्री श्री के० के० शाह ने एक मंत्रणा समिति नियुक्त की थी और उसने एक निर्णय यह दिया था कि चेयरमैन तथा सदस्यों की कालावधि एक साथ समाप्त होनी चाहिए। इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं भी शुरू से ही इस प्रैस परिषद् से

सम्बन्धित रहा हूँ। इस विधेयक के उपबन्ध उचित हैं और इसका हम सब को समर्थन करना चाहिए। प्रैस आयोग ने एक सिफारिश यह की थी कि समाचारपत्रों के कर्मचारियों, विशेषकर पत्रकारों को अपने दैनिक काम में राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में यह बात सच नहीं हो रही है। प्रैस परिषद् ने अभी तक सफलतापूर्वक कार्य किया है। यह एक ऐसी चीज है जिसका सभी ओर से समर्थन किया जाना चाहिये ताकि प्रैस परिषद् अधिनियम समाचारपत्रों के स्तर में सुधार कर सके और प्रैस स्वतंत्रता से अपना काम कर सके। प्रैस स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य समाचारपत्र के संपादक की काम करने की स्वतंत्रता से है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री श्री गुजराल मेरे विचारों से सहमत हैं उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ संपादन की स्वतंत्रता है। परन्तु कठिनाई यह हि कि समाचारपत्रों के मालिकों ने स्वयं सम्पादक का पद संभालना शुरू कर दिया है। वे कुछ काम तो नहीं करते परन्तु सम्पादक के रूप में अपना नाम दे देते हैं, वास्तव में काम कोई और करता है। किसी अन्य अधिनियम द्वारा इस कठिनाई को भी दूर किया जाना चाहिए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार को कोई मार्ग निकालना चाहिये। जहाँ तक प्रेस परिषद् के वर्तमान सदस्यों की कालावधि को 31 मार्च,1970 तक बढ़ाने का सम्बन्ध है मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि यह सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करे।

श्री एस० कन्डप्पन (मटूर) : श्रीमान सर्वप्रथम मैं प्रत्येक मामले में अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ। संविधान के अनुसार अध्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। परन्तु सरकार ने अध्यादेश जारी करने को एक नियमित तथा सामान्य प्रक्रिया ही बना लिया है। यह बात बहुत आपत्तिजनक तथा असंवैधानिक है।

माननीय मंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मूल अधिनियम में त्रुटियाँ होने के कारण ही प्रैस परिषद् आज तक उचित ढंग से कार्य नहीं कर सकी है। इस परिषद के सामने आरम्भ से ही कुछ कठिनाइयाँ हैं। कुछ लोगों ने इसमें शामिल होने के तुरन्त बाद इसको छोड़ दिया था और प्रैस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने तो इसमें शामिल होने से ही इंकार कर दिया था। सरकार ने भी प्रैस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया था। फिर भी सरकार ने यह परिषद् बना दी। इतना ही नहीं इस परिषद् के लिए एक मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया था। विधेयक के लक्ष्य तथा कारण बताने वाले विवरण में बताया गया है कि सरकार ने मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में ही इस विधेयक को पेश किया है।

प्रेस परिषद् की प्रथम सिफारिश यह है कि सरकार को प्रैस परिषद् को उचित लाइनों पर पुनर्गठित करने के लिए अधिनियम संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये परन्तु इस विधेयक में चेयरमैन तथा सदस्यों की कालावधि को ही छः अथवा सात महीनों के लिए बढ़ाने की व्यवस्था है। परन्तु जबकि इस परिषद् के मूल ढाँचे की त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता तब तक कालावधि में वृद्धि से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

देश में विभिन्न भाषाओं के ऐसे बड़े—बड़े समाचारपत्र हैं जिनकी पर्याप्त बिक्री होती है। यदि ऐसे किसी प्रादेशिक भाषा के समाचारपत्र के विरुद्ध कोई शिकायत आती है और उसकी

जाँच की जानी है तो हो सकता है कि परिषद् में उस भाषा विशेष को जानने वाले व्यक्ति न हों। इस बारे में भी मंत्रणा समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं और इन सिफारिशों को मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। उसने रचनात्मक परिवर्तनों सहित अनेक परिवर्तनों का सुझाव दिया है। यह भी सिफारिश की गई है कि प्रैस परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। मंत्रणा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति, लोक–सभा के अध्यक्ष तथा राज्य–सभा के चेयरमैन द्वारा की जानी चाहिये। जब तक इन सिफारिशों को एक व्यापक विधेयक में शामिल नहीं किया जाता तब तक यह परिषद् उचित ढंग से अपना काम नहीं कर सकती। अतः सरकार को वर्तमान परिषद् की कालावधि की समाप्ति से पूर्व एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि परिषद् का इस ढंग से पुनर्गठन किया जा सके जिससे वह अपने कार्यों को उचित ढंग से कर सके।

प्रादेशिक भाषाओं के समाचार–पत्रों की अपनी समस्याएँ हैं। समिति का कहना है कि कुछ समय पश्चात् प्रादेशिक मंत्रणा समितियों के गठन के बारे में निर्णय किया जा सकता है। समिति ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि कम से कम तीन सदस्यों को प्रादेशिक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि परिषद् को नए ढाँचे के बारे में निर्णय लेने से पूर्व सरकार को प्रादेशिक समितियों अथवा मंत्रणा समितियों के गठन के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

Shri Bishwanath Roy (Deoria): I welcome this Bill. I am also of the view that press should have full freedom. One hon. Member, probably of the Jan Sangh has tried to bring politics in the matter. He has levelled some charges against the 'Hindustan Times' and 'Times of India' newspapers. These papers have been criticising the Congress for the last so many years. Politics should not have been brought in at this juncture when we are talking of giving full freedom to the press.

So far as 'Samachar Bharti' is concerned it has received seventy five thousand rupees from the Central Government. The Government of Uttar Pradesh have also granted loan to the tune of one lakh twenty five thousand of rupees. Many other State Governments such as Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar and Mysore have shares in this news Agency. But what is happening in this Agency is that persons having independent views such as Shri J. P. Chaturvedi are being relieved of their duties. Shri Chaturvedi has vast experience in this line. He has also presided over the International Journalists Conference. He is a man of independent thinking. This man has also been a staunch critic of the Government. But such persons have no place in this agency where different State Government and Central Government have invested huge amounts. I will suggest that Central and State Governments, have their representatives in the management of this agency to see that the funds are not misused and the workers and journalists and correspondents are not suppressed or harassed. The Government should also bring necessary changes in the set-up of the Council so that it could function properly and able to secure full freedom for the Press.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यह बड़े खेद की बात है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए भी हमें पर्याप्त समय नहीं मिलता है।

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जब विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तब माननीय सदस्य को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : हमें आशा करनी चाहिये कि विस्तृत विधेयक आगामी सत्र में पेश कर दिया जायेगा। लगभग एक वर्ष पूर्व मंत्रणा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु सरकार अब भी सम्बन्धित हितों के विचारों पर ध्यान देना आवश्यक समझती है यद्यपि मंत्रणा समिति ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था। हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार यथासम्भव शीघ्र इस मामले में निर्णय को और आगामी सत्र में विधेयक प्रस्तुत करे।

हम सभी जानते हैं कि देश के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों को कौन लोग किन उद्देश्यों हेतु चला रहे हैं यद्यपि यह दावा किया जाता है कि ये समाचार-पत्र देश की जनता के विचारों को व्यक्त करते हैं। बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो छपा है उससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ये समाचार-पत्र लोगों का किस हद तक तथा किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समाचार-पत्रों में बैंक राष्ट्रीयकरण के समूचे मामले को गलत ढंग से पेश किया गया है। जो पत्रकार प्रैस को स्वतंत्र रूप देना चाहते हैं सरकार उनकी सहायता करने में असफल रही है। देश में प्रैस-स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। परन्तु आजकल स्थिति इसके विपरीत है। सरकर को वास्तविक पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सहायता करने के ढंग निकालने चाहिये । परन्तु हम यह नहीं चाहते कि सरकार के अपने सहायता-प्राप्त अभिकरण तथा समाचार-पत्र हों।

देश में इस समय योग्य श्रमजीवी पत्रकार हैं परन्तु वे स्वयं को प्रैस परिषद् से सम्बन्धित नहीं करना चाहते। उनकी योग्यता तथा क्षमता का कुछ लोगों द्वारा, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं. लाभ उठाया जा रहा है। अतः हमें वैकल्पिक प्रबन्ध करने चाहिये। इस मामले पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं श्री विश्वनाथराय का इस बात का समर्थन करता हूँ कि 'समाचार भारती' के कार्य की सरकार द्वारा तुरन्त जाँच कराई जानी चाहिए। वहाँ पर बहुत कुप्रबन्ध है और कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इस अभिकाल को प्रादेशिक समाचारपत्रों की सहायता के लिये आरम्भ किया गया था। सरकार को इसके कार्य की जाँच करनी चाहिए।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक निगम में परिवर्तित किया जा रहा है ?

हमें पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सहायता के लिए कोई प्रबन्ध करना चाहिए।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान पश्चिमी बंगाल में समाचारपत्रों ने जनता का साथ दिया था हालाँकि सरकार द्वारा उनको काफी परेशान किया जाता था। आज भी वे स्वतंत्रता से अपना काम कर रहे हैं यद्यपि संयुक्त मोर्चा सरकार उनको परेशान कर रही है।

यह एक साधारण विधेयक है और इसमें चेयरमैन की कालावधि को 31 मार्च, 1970 तक बढ़ाया गया है। प्रैस परिषद् के चेयरमैन तथा सदस्यों की अवधि अलग-अलग समय पर समाप्त होती है। प्रेस परिषद् पिछले तीन वर्षों से सक्रिय है परन्तु अलग–अलग सदस्य का कार्य-काल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहा है और इसी कारण इस विधेयक को पेश किया गया है। परन्तु इन तीन वर्ष की अवधि में प्रेस परिषद् ने क्या किया ? यद्यपि उसने यहाँ-वहाँ कुछ साम्प्रदायिक पत्रों पर कुछ प्रतिबन्ध अवश्य लगाये हैं परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उसने **आर्गनाईज़र** के बारे में कुछ नहीं किया। इस पत्र ने ऐसी बातें प्रकाशित की हैं कि सभ्य समाज में उन्हें बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता। इस पत्र को बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता? न जाने प्रेस परिषद् ने उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की है? मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

हमारे यहाँ भारत में या तो एकाधिकार-प्राप्त पत्र अथवा एक कम्पनी प्राप्त कई पत्र एक साथ निकाले गए हैं जिनकी शेयर प्रतिशतता निरन्तर वर्ष 1960–63 में 54.9 से बढ़ कर वर्ष 1966 में 76.6 हो गई। इन श्रृंखला–पत्रों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों या पूँजीपतियों का नियंत्रण है तथा उसमें प्रतिभाशाली सम्पादकों की प्रतिभा पूर्णतया दब कर रह जाती है। वे अपना मत स्वतंत्रता से व्यक्त नहीं कर सकते और उन्हें अपने इन स्वामियों के संकेतों पर चलना पड़ता है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा चलाये जा रहे पत्रों में सम्पादक उस स्वतंत्रता से अपना मत प्रकट नहीं कर सकते जिसकी आशा जनता उनसे करती है। दूसरे शब्दों में ये पत्र वस्तुत: उतनी जनता का प्रतिनिधत्व नहीं करते जितनी जनता में ये पढ़े जाते हैं बल्कि ये पत्र समाज के केवल एक छोटे से अंग का ही मत व्यक्त करते हैं। वे सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अत: मेरा निवेदन है कि सरकार छोटे तथा स्वतंत्र पत्रों को सहयोग तथा प्रोत्साहन दे। छोटे पत्र जाँच समिति ने इस बारे में कानून बनाने का सुझाव दिया है। मुझे आशा है कि प्रेस परिषद् छोटे तथा भाषायी समाचार-पत्रों के लिये कोई कानून बनाने का सुझाव देगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि यह छोटे-छोटे पत्र ही सामान्य जनता तक पहुँचते हैं। ग्रामीणों तथा गृह-स्वामिनियों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनकी विचारधारा बनाते हैं।

यह सच है कि पत्रकार हमारी हमदर्दी के पात्र हैं तथा जो भी कानून बनाया गया है उसमें उनको यथेष्ट मात्रा में सहायता नहीं मिली है। प्रेस परिषद् को पत्रकारों, श्रमजीवी पत्रकारों, सम्पादकों तथा समाचारपत्रों के कर्मचारियों के हितों पर विचार करना चाहिये।

समाचारपत्रों तथा पत्रकारों को हमारे देश में विशिष्ट स्थान प्राप्त है क्योंकि वे लोगों के दिलों में रहते हैं तथा समय के ज्ञाता होते हैं। अत: इन्हें सभी प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए ताकि वे अपने विचार स्वतंत्रता से प्रकट कर सकें तथा देश की आवाज को स्पष्टतया प्रकट कर सकें।

Shri Prakashvir Shasri (Hapur): The freedom of the Press is taken away in three ways, namely, (i) the Government, joined with the owners of the papers, acts as a share-

holder and uses the papers for propagating Governments' views; (ii) by giving more advertisements to those papers who support the Government policies and (iii) by calling the owners of the papers individually and pressing them to use their papers for Government's support. I oppose all these three. I am of the opinion that the day on which our Press loses its freedom, that would be the most unfortunate day in our country, and it would be in the interest of our democracy.

I want that neither the Government should snatch away the rights of the Press nor should the capitalists use these papers for their selfish motives. None should suppress the freedom of the papers.

As regards the constitution of the Press Council, the Government should have very little hand in it. Priority should be given to the employees and also to those who have served the paper throughout their life. Such a Press Council would prove very useful and effective.

The receipt of foreign money by our papers is on the increase and I may warn the hon. Minister that it is very dangerous both for our Indian politics and democracy, and that strict action should be taken against this malpractice so that our papers are able to protect their freedom of expression.

I now want to specially mention about the Samachar Bharati: as I am also one of the directors on the Board of its directors, and thus, can say something authoritatively. Late Shri Lal Bahadur Shastri set up this news organisation with a view to enable all the language papers in India to set news in their respective language, and to save them from the difficulty of translating the news from English to their respective languages. On this very basis he had set up a Committee and, on his, instance, several Sate Government and also the Central Government gave necessary financial help. But such persons got entry into this Board who increased the expenditure in proportion to its income and thus compelled by the circumstances I had to resign from the Board of Directors, since I could not be a party to such superfluous expenditures. But, today, it is a matter of pleasure that this news agency is steadily recovering and coming up to stand on its own legs, since the persons responsible for increasing the expenditure, have now been thrown out of this organisation. Whereas this organisation was running at a loss of Rs. 37,000 per month, now it has recovered upto a loss of Rs. 18,000 a month. Besides this, facilities of Hindi teleprinters etc. are also available now.

But the persons who were asked to go out of this body, are not poisoning the ears of the Members of Parliament and also of the Ministers, against this body; and are making efforts to dissolve it. I, therefore, warn the Minister, and also the Members of Parliament, to be careful in this regard. The records of this organisation are open to all for any sort of check or verification. Anybody can go and see them and point out the faults if any.

Therefore, the persons who are conversing for the winding up of this body should be discouraged, and the hon. Minister should consider that matter seriously and also with an open mind.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Sir, I have been connected with Journalism for the last 25 years and I am very well aware of the difficulties and greviances of the Journalists, editors and newspaper employees. And, therefore, I welcome the apparent change in the Government's policy in this regard.

I am at a loss to understand the meaning of the debate which is going on here in regard to the free press. Just like that of free enterprize, the solgan of free press can also prove

harmful to the country. Free press does not mean that it would be helpful in securing what we have decided in the Constitution, and taken oath to bring in socialism in the country and to provide to the people of the country with good food, clothes and accommodation etc. I understand that the newspaper will have to give their significant contribution in achieving the aims and objects which we have before us.

Press has been termed as a third estate. When we utilise the press as a strong instrument for bringing about a new social system in our country and then, if some people say that freedom of the Press is being jeopardised, I would come out to oppose those papers and their owners who would try to prepare public opinion against our constitutional and lawful step to lead the country towards the high aims of objects of socialism and also to abolish monopolies and centralisation of money. Freedom of press does not mean the right of freedom of expression to the journalists and editors of the papers. As a matter of fact, and as per their circumstances, our brilliant editors and Journalists do not enjoy the freedom of speech and express through their respetive papers, because of the prevelent and steadily increasing monopoly in the press. The selfish capitalist and the owners of these papers are using the press for making public opinion in favour of their own selfish motives.

Extending my hearty support to this Bill; which seeks an increase in the duration of the Press Council, I would like to mention the following few points.

In the Press Council there is no representation of small language-papers which are every important for the people of small towns and villages. Today, we find that certain English newspapers have monopoly in this field and they are getting still more favour due to our own negligent attitude towards the paper of Indian languages.

Although the hon. Minister and the Government have been repeatedly announcing about their generous attitude towards our small and Indian language papers, but such announcements need speedy implementations so as to enable these papers to put forth the sentiments, view points and grievances of the general masses whom they represent. Besides that the editors, thinkers and working Journalists should be given more opportunities to express themselves in this Press Council, and also they should have a majority there. If the newspapers are allowed to work on commercial lines, it will certainly jeopardise the interests of true Journalism and will obstruct the progress in regard to bringing about socialistic pattern of our society.

Therefore, raising my voice against the monopoly, I would request the Govt. to give morc and more encouragement to the small and language newspapers. We need to be on the watch how the Press proves helpful in constructing a socialistic pattern of soeiety in the country.

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) श्रीमान, स्वाधीनता से पहले भारतीय प्रेस जनता का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता था, परन्तु अब तो प्रेस व्यापारिक और व्यावसायिक हितों की पूर्ति में लगा हुआ है। एकाधिकार जाँच आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति के० सी० दास ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हम यह सच पाते हैं कि अधिकांश समाचारपत्रों पर उन कुछ व्यक्तियों अथवा निगमों का नियंत्रण है जो या तो स्वयं बड़े उद्योगपति हैं अथवा उनका सम्बन्ध बड़े-बड़े उद्योगों से है। आगे अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अधिकांश दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार-पत्रों में तथाकथित सम्पादकीय स्वतंत्रता होने पर भी ये समाचारपत्र सामान्य विचार-धारा को अपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में झुकाते हैं।

आज यही स्थिति है। पिछले बीस वर्षों का अनुभव भी यही तथ्य सामने लाता है।

और अब प्रेस परिषद् पर भी बड़े-बड़े एकाधिकारियों का नियंत्रण है। यहाँ तक कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा यू० एन० आई० पर भी इन्हीं बड़े-बड़े व्यापारियों का नियंत्रण हैं जब कि प्रेस परिषद् का काम समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता तथा उच्च स्तर की पत्रकारिता को बनाये रखना है। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। संवाददाता तथा सम्पादक अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह तो नहीं है कि सम्पादक जो चाहे लिख दे। उदाहारणार्थ, जब पुलिस ने पश्चिम बंगाल में विधान सभा पर आक्रमण किया था तो यू० एन० आई० ने खबर दी थी कि 5000 पुलिस वालों ने सदन पर आक्रमण किया था, जबकि वहाँ केवल कुछ सौ पुलिस वाले ही थे। और इसी गलत खबर को रेडियो ने भी प्रसारित कर दिया था। क्या यही प्रेस की स्वतंत्रता है? इसी प्रकार मध्यावधि चुनावों में भी असत्य समाचार प्रकाशित किये गये थे तथा प्रचार किये गये थे।

वस्तुतः सम्पादकों तथा संवाददाताओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। एक बार स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा आश्वासन देने के बाद भी **टाइम्स ऑफ इण्डिया** के सम्पादक के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

हमारे देश में अनेक समाचारपत्रों को विदेशों से धन मिलता है। मेरे अपने राज्य में केरलध्वनि नामक भाषायी पत्र को भी विदेशी धन प्राप्त होता है। उसका सम्पादक कांग्रेस दल का उपनेता है (**व्यवधान**) मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है? इस पत्र को अमरीका से 40 लाख रुपया मिला था। अनेक सम्पादकों तथा संवाददाताओं को भी विदेशों से धन लेने की आदत पड़ी हुई है।

अन्त में मुझे यही आशा है कि मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए इस नए विधेयक से यह सब कुछ बन्द हो सकेगा।

श्री समर गुह (कण्टाई): मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। यह खतरा चारों ओर से है। एक ओर तो प्रेस को डराया जा रहा है तथा दूसरी ओर उस पर सरकार का दबाव है। तीसरा खतरा उसे एकाधिकारियों का है तथा चौथा उस पर विदेशी प्रभाव का है। विदेशी प्रभाव से भारतीय प्रेस की नैतिकता पर संकट आया है।

कलकत्ता और दिल्ली में कई पत्रों के कार्यालयों पर लोगों ने आक्रमण किए क्योंकि उन पत्रों में प्रकाशित समाचारों को आम लोगों ने पसन्द नहीं किया था।

रवीन्द्र सरोवर कांड के बारे में भी संवाददाताओं को धमकियाँ दी गई थीं जिसके कारण ही प्रेस क्लब ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें ऐसी धमकियों की निन्दा की गई थी। इसके अतिरिक्त श्री वी० के० कृष्णमेनन जैसे वरिष्ठ संसत्सदस्य ने स्टेट्समैन समाचारपत्र के विरुद्ध एक जलूस का नेतृत्व किया तथा उस पत्र की प्रतियाँ जला डालीं। ऐसा भारत जैसे गणतंत्र देश में तो नहीं होना चाहिये क्योंकि इस प्रकार की प्रेस को धमकियाँ देना प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के एकदम विरुद्ध है।

एक समय, जब केन्द्र तथा सभी राज्यों में कांग्रेसी शासन था तब विज्ञापन देने की बात पर समाचारपत्रों पर दबाव डाला जाता था। वही बात अब संयुक्त मोर्चा सरकारें कर रही हैं। यह बड़ी खतरनाक बात है। अधिकांश समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं पर एकाधिकारियों का नियंत्रण है और यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है।

केवल साम्यवादी देश ही नहीं बल्कि अमरीका जैसे पूँजीवादी देश भी समाचारपत्रों को विदेशी धन दे कर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं। वे भारतीय प्रेस पर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं। अतः यदि हमें अपने प्रजातंत्र तथा समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो प्रेस परिषद् इसमें बहुत सहायक हो सकता है अगर इसके सदस्यों का चुनाव उचित ढंग से हो। हालाँकि इसके सदस्यों के चुनाव के लिये सिद्धान्त निश्चित किए गए हैं परन्तु फिर भी यदि चुनाव उचित ढंग से नहीं होता है तो इस परिषद् को स्थापित करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगले विधेयक यें उनको इस आशय की बात लाई जानी चाहिये कि इस परिषद् के सदस्य का चुनाव अत्यन्त दोष-रहित ढंग से हो तथा इस परिषद् के उद्देश्य को ध्यान में रख कर हो।

समाचार भारती के प्रबन्धकों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं। हिन्दी, मराठी, तमिल तथा गुजराती भाषाओं के अतिरिक्त इसमें अन्य भाषाओं में समाचार देने का प्रबन्ध भी होना चाहिये, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में होना चाहिये। श्रमजीवी पत्रकारों की शिकायतों पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) :—Now-a-days newspapers play an important role. It has great effect in the field of publicity. Our ninety percent people live in villages but newspapers never reach them. In this way they are cut off from the news. So arrangement should be made to make these newspaper available to them through Panchayats, schools, Post offices or Community Centres.

The policy of newspaper is anti-rural, anti-peasantry and anti-weaker section. The correspondents are all anti-rural. They have no link with them. They never think of weaker section of the society. They are all engaged in the activities of New Delhi.

It has been seen that talks regarding rutal activities take place here, it never appears in the newspapers. All the columns are full of unimportant news. I request that they may be published in the newspapers.

I am in favour of freedom of newspapers but when ninety percent of people have no place in it then what is the use of such freedom ? I want that Hon. Minister may advise them to give importance to the weaker section who constitute a considerable majority.

The standard of small newspapers have fallen down considerably. Their aim is only to earn publicity. They publish such news which have no importance to the readers. In this way journalism is going in those hands who have no experience in this field. So it is my request that such newspapers should be banned and licence or registration should be stopped for such people.

Lastly I want to say that newspapers have come in the hands cf capitalists. I am not taking of nationalization but I want that they should give place to weaker section of society in the newspaper. Whatever talks regarding poor people take place here should be published in the newspaper. In this way their independence will not be jeopardized.

Shri Shev Chandra Jha (Madhubani): It is necessary for the development of Press Freedom that all those newspapers whose sales are more than ten thousand should be nationalised. The Government should give subsidy to the papers of those parties who have been recognized by the Constitution. This will help to curb profit motive of the papers and the papers of parties will develop. It has become necessary because Press have become an enterprise, high ideals of the Press does not exist now. This is not only the case with India but the same thing is happening in England and America also. The profit earning Press work on sensationalism because in this way their circulation increases and they get advertisements. Harol Laski had told that the Present Press is the reflection of capitalism in socialism. As long as it is in the hands of capitalists, the position cannot be changed. So the present press of India should be nationalised if we want its freedom.

In the year 1953, when I was a student of California Univercity, I prepared a paper, 'Concept of Planned Press'.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

I stressed for planned Press and Press of the party in that paper. I have submitted a bill on the same principle in this House.

In reply to my question in this House, the Government said that nationalization of major newspaper is not compatible with the freedom of the Press ; nor is it proper remedy for correcting monopolistic trends of the Press. I can say that the Hon-Minister has no knowledge about the freedom of the Press. As the people have now supported the nationalization of Banks so they will one day support the ntionalization of Newspapers.

Today we see that important talks of the House never appear in the newspapers but unimportant sensational happenings are at once published in the papers. The high ideals of the Press is so more in existence. The Press has become a business and a profit-making enterprise. The Press Council has failed in its aim. The body of the Press Council has been proved a totally ineffective body. It has done nothing. I would like to get it dissolved. This bill, which has been moved in this House, will prove totally ineffective in the freedom of the Press. I want that the bill may be withdrawn and all questions relating to this may be considered afresh.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : The independence of newspaper is absolutely necessary. But in the present circumstances of the country, the independence of newspaper has been affected indirectly. It has become the propaganda machinery of the Government. The Government put pressure on the newspaper that, if they go against the Government then nationalization would be thrust upon them. Through newspapers, one is acquainted with the thoughts of great thinkers. But the Government do not give any heed to those newspaper which publish standard news.

The Government give advertisements to those newspapers who support them whereas other papers who go against Government do not get advertisements. The Government should not bring newspaper under its influence in this way. Some newspapers get considerable foreign money also. Papers like 'Patriot' get money from Russia. It is necessary that Government should see that the independence of newspaper is maintained at any cost. The Government should not think of Nationalization of newspapers.

If any paper critisizes the Government and the Government takes vindictive action then there is no meaning of its independence. Such things should not be allowed to happen. They should be free from interference by Government officials. Newspapers should have full right for free expression of their views.

Shri B. P. Mandal (Madhepura): The bill, which has been moved, has little scope. We are waiting for the comprehensive bill of which the Hon. Minister has given an assurance. The standard of newspaper is not the same as was seen during pre-independence period. I can give the example of Bihar. The editor of 'Searchlight' was arrested for his free expression, and he was prosecuted. The late Motilal Nehru had to defend him. Another newspaper, Indian Nation, is of different Type. It always support the ruling Government, Such is the standard of Newspapers. But along with this I think that there are such Journalists who should be encouruged.

The two agencies namely Samachar Bharati and Hindustan Samachar give correct and good news in Indian Languages. I urge the Government that these should be encouraged in every respects. I hope the next bill will be comprehensive so as to give chance to express their views freely.

Shri I. K. Gujral: The Hon. Members have objected the delay in bringing the bill and passing of an ordinance. The reason was that after the receipt of report from a committee of members of Parliament he had to consult the persons conneectd with newspapers. This caused the delay. The term of office of members and chairman of Press Council is going to expire, so we have to bring Ordinance.

श्री एस० कन्डप्पन: मुझे खेद है कि आप विधेयक के रूप में लाने तथा अध्यादेश के लागू करने में भेद नहीं कर सकते। अध्यादेश द्वारा जारी की गई व्यवस्था को यहाँ अनुमोदन के लिए रखना होता है।

श्री ई० कु० गुजराल: मैं कहना चाहता था कि अत्यन्त विवशता के कारण ही हम अध्यादेश लाये। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया गया तथा निश्चय हुआ कि इस विषय पर सम्पादकों तथा पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाये। परामर्श करने में आशा से अधिक समय लगने के कारण हम विधेयक को इस सत्र में नहीं ला सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले सत्र में हम विस्तृत विधेयक रख सकेंगे।

मैं इस विषय में सदस्यों की रुचि एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिए उनको धन्य-वाद देता हूँ। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में व्यक्त विचारों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरा मत है कि इस सम्बन्ध में नीति का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस विधेयक को इसलिए

यहाँ लाये हैं क्योंकि हमने ऐसा करने का वचन दिया हुआ था। समाचार–पत्रों की स्वतन्त्रता को पहले राजा से भय होता था। परन्तु आज लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें, जो संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether Constitution cannot be changed by a legislation ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय सदस्य का विचार ऐसा हो सकता है। परन्तु मेरी सरकार तथा मेरी पार्टी का मत यह रहा है कि प्रेस को अवश्य स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

श्री शिवचन्द्र झा : आप समाचार–पत्रों की स्वतन्त्रता के समर्थक नहीं हैं अपितु पत्रों पर पूंजीपतियों के नियन्त्रण के पक्षपाती हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : हम तो यह मानते हैं कि लोकतन्त्र में पत्रों की स्वतन्त्रता आधारभूत तथा अनिवार्य है।

Shri Shiv Chandra Jha: Study Jefferon, Tompain, Silburn, John Peter and Milton. Study Tilak and Gandhi, also. They all had the same ideas.

श्री इ० कु० गुजराल: श्री झा विद्वान हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिन ग्रन्थों तथा लेखकों का उल्लेख किया है उनका उन्होंने अध्ययन किया होगा।

श्री शिवचन्द्र झा : आप मेरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा में उन्हें अपनी पुस्तकों का प्रचार नहीं करना चाहिए।

श्री इ० कु० गुजराल : परन्तु उन्हें दूसरों के ग्रन्थ भी पढ़ने चाहिए।

मैं समझता हूं कि प्रेस–परिषद ने उपयोगी कार्य किये हैं तथा इस विधेयक के पारित होने पर यह और भी उपयोगी कार्य कर पाएगी।

प्रेस-परिषद् ने 82 शिकायतें निपटाई तथा पत्र-स्वतन्त्रता को चुनौती देने वाले 7 मामलों को निपटाया है जब कि ब्रिटिश प्रेस–परिषद् ने अपने आरम्भिक वर्षों में एक वर्ष में 20 मामले निपटाए थे।

प्रेस की समस्याओं तथा उसकी कमियों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय प्रेस ने अपना आदर्श खो दिया है और इस प्रकार वह अपनी उपलब्धियों में ऊँचा नहीं उठ सकी है। समाचार पत्रों के विकास में एकाधिकार का बाहुल्य एक बड़ी बाधा है। मैं एकाधिकार का विरोध किन्हीं सैद्धान्तिक कारणों से नहीं करता अपितु प्रेस के अपने ही हित में करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि श्री देवगुण ने प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन किया है। मैं समझता हूँ कि यह विचारधारा उनके दल में फैल जायेगी।

श्री हरदयाल देवगुण : हमारी पार्टी आपकी पार्टी से अधिक सामाजिक न्याय के लिए उत्सुक है। यदि राष्ट्रीयकरण से निर्धनों का भला होता है तो यह ठीक है।

श्री इ० कु० गुजराल: मुझे प्रसन्नता है कि श्री देवगुण ने अपने दल को नयी नीति प्रदान की है।

समाचार-पत्रों में सम्पादक की सर्वोच्चता बनाई जानी चाहिए और यह तभी सम्भव है जब मालिकों के अधिकार कम हों। स्वतन्त्रता संघर्ष-काल में प्रेस प्रेरणा का स्रोत रही है क्योंकि सम्पादक को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। अब तकनीकी विकास से आवश्यक हो गया है कि प्रेस बड़े-बड़े हों तथा इसी कारण उन पर बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है जिससे नई समस्याएँ पैदा हो गई हैं। कुछ थोड़े से व्यक्तियों का प्रेस पर आधिपत्य हो गया है। आज सम्पादकों को इसलिए अधिक वेतन दिये जाते हैं कि अपने विचार स्वतन्त्रता से व्यक्त न करें। मैं आशा करता हूं कि सभा की सहायता से मैं ऐसा वातावरण बनाने में समर्थ हूँगा जिससे पत्र की स्वतन्त्रता को सम्पादक की स्वतन्त्रता भी समझा जाये।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : सम्पादक—स्वामी स्वामी-सम्पादक से भिन्न है। मैं सम्पादक-स्वामी के पक्ष में हूँ।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं सर्वथा सम्पादक-स्वामी के पक्ष में हूँ परन्तु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया है। पश्चिमी जर्मनी एवं कुछ योरोपीय देशों में सम्पादकों को अलग करने का अधिकार स्वामियों को नहीं दिया गया। कम-से-कम हमें सम्पादकों की स्वतन्त्रता से अपने विचार व्यक्त करने का आश्वासन देने की स्थिति में होना चाहिए।

छद्म-सम्पादक भी अब प्रेस की स्वतन्त्रता पर संकट बन गये हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका पत्रकारिता से कुछ भी सम्बन्ध नहीं सम्पादक बना दिये गये हैं।

छोटे और मध्यम वर्ग के पत्रों को दृढ़ आधार देने की दिशा में भी सरकार यत्न कर रही है। इस दिशा में हमने अधिक तो नहीं किया परन्तु उन्हें न्यूज-प्रिंट तथा विज्ञापन देने के सम्बन्ध में हमने एक नीति निर्धारित की है। एक समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना की हम चेष्टा कर रहे हैं।

Shri Shiv Chandra Jha: It will be a futile attempt. Favourtism and negotism would prevail in that corporation.

श्री इ० कु० गुजराल: परन्तु मैं समझता हूँ कि छोटे और मध्यम वर्ग के पत्रों के हित में उक्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए। प्रेस परिषद् की सिफारिशों पर ध्यान देते हुए हम आगामी सत्र तक इस निगम की स्थापना के बारे में विधेयक ला पायेंगे।

Shri Randhir Singh: How many villagers would be on the Press Council ? Eighty per cent of the people live in villages.

श्री इ० कु० गुजराल: प्रेस—परिषद कृषि परिषद् नहीं है।

Shri Prem Chand Verma: The policy adopted from small and medium news pap is not being implemented. Licences from the manufacture of machinery etc. are given to newspapers.

श्री इ० कु० गुजराल : यदि माननीय सदस्य स्पष्टतः बताएँ कि कौन-सी नीतियों पर अमल नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ मैं उन्हें सन्तुष्ट कर पाऊँगा ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मेरा एक छोटा समाचार-पत्र है । मैं जानता हूँ कि छोटे पत्रों को विज्ञापन नहीं दिए जाते ।

श्री इ० कु० गुजराल : इस समय मेरे पास आँकड़े नहीं हैं । परन्तु प्रश्नों के उत्तर में मैं पहले बता चुका हूँ कि श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा व्यय किए जाने वाले धन का 60 प्रतिशत छोटे तथा मध्यम श्रेणी के पत्रों को मिलता है ।

सभापति महोदय : विशेष मामलों की सूचना आप मंत्री महोदय को दे सकते हैं ।

श्री इ० कु० गुजराल : दिवाकर समिति की सिफारिशों के अनुसार छोटे एवं मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों के लिए हमारा विचार धीमी गति से समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का है । जो समाचार-पत्र न्यूज एजेंसी की सेवाओं से लाभ लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें इन प्रसारणों से लाभ होगा ।

यह प्रश्न उठाया गया था कि श्रमजीवी पत्रकार कौन हैं और इनके सम्बन्ध में भारतीय समाचार-पत्रों में कार्यरत पत्रकारों की एक प्रामाणिक सूची बनाने का सुझाव भी दिया गया था जो कि सरकार के पास होनी चाहिए । यह सुझाव सरकार के पास विचाराधीन है और निकट भविष्य में इस पर निर्णय हो जाने की आशा है ।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के मिलने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है । सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : छोटे समाचार-पत्रों को यथेष्ट मात्रा में अखबारी कागज मिल रहा है, और सरकार की अखबारी कागज के बारे में जो यह नीति है वह इन छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार-पत्रों के हित के लिए ही है ।

दूसरी समस्या सरकार के सामने इस समय समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, प्रेस परिषद, उसके कार्य आदि से सम्बद्ध है । प्रेस आयोग लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाया गया था और अब समय आ गया है कि इन सब मामलों पर पुनः विचार करने के लिए एक अन्य प्रेस आयोग स्थापित करना चाहिए ।

एकाधिकार की वृद्धि के बारे में जो आँकड़े पेश किए गए हैं वे ठीक ही प्रतीत होते हैं और हमें अब यह देखना है कि इस समस्या पर किस प्रकार से विचार किया जाए । समाचार-पत्रों में एकाधिकार की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए प्रेस आयोग ने कुछ अधिक अधिकार दिये जाने की और अधिक कर्मचारियों की माँग की है और यह बात हमने मान भी ली है जिससे प्रेस आयोग अपना अध्ययन शीघ्र पूरा कर ले और केन्द्रीय सरकार किसी निश्चय पर पहुँच सके । जहाँ तक विदेशी धन का सम्बन्ध है इससे सरकार को स्वयं चिन्ता है । हम यह अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते कि भारतीय समाचार-पत्रों को विदेशी धन मिले । मुझे बताया गया है कि इस

समस्या पर गृह-कार्य मंत्रालय विचार कर रहा है और शीघ्र ही इस समस्या पर वे कोई निर्णय ले लेंगे।

दूतावासों के प्रकाशन बहुत तेजी से प्रकाशित किए जा रहे हैं और इस समय तक उनकी वितरण संख्या 12,71,295 तक पहुँच गई है जो भारतीय समाचार-पत्रों का 20 प्रतिशत है। मैं नहीं समझता कि विदेशी दूतावास इतनी अधिक संख्या में अपनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करें इस सम्बन्ध में मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री को बताने जा रहा हूँ। समाचार पत्रों के वार्षिक प्रतिवेदन के रजिस्टर में एक नया अध्याय खोला गया है जिससे इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कौन सा दूतावास क्या और कितनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं। इस प्रतिवेदन के अनुसार 1968 में अपने देशों का दौत्य कार्य करने वाले 76 दूतावासों ने इस देश में 24 प्रकाशन तथा 103 पत्रिकाएँ प्रकाशित की थीं जिसमें सबसे अधिक योगदान रूस और अमरीका का रहा है जो वास्तव में हमारे हित में नहीं है। इस सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि प्रेस परिषद् देश में समाचार-पत्रों के विकास, उन्नति तथा वृद्धि के लिए बहुत सशक्त साधन बनें।

पृष्ठों के अनुसार मूल्य के मामले को कुछ वर्ष पूर्व उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है और हमें बताया गया है कि इस सम्बन्ध में सम्भवतः संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यदि सदन इस बात का समर्थन करेगा तो सरकार इस मामले को अवश्य ही पुनः प्रस्तुत करेगी। इस समय इस मामले का हम अध्ययन कर रहे हैं।

समाचार-पत्रों को ग्रामीणों तक पहुँचाने का मैं समर्थक हूँ क्योंकि कृषि आन्दोलन के पश्चात् केवल यही महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि हमें गाँवों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो परन्तु गाँवों को भी संसार में हो रही तकनीकी उन्नति की जानकारी मिलने का अवसर देना आवश्यक है। आशा है कि हमारे समाचार-पत्र इस बारे में अब सजग हैं। और यदि उन्हें इस बारे में प्रोत्साहन देने की कोई बात चली तो हम इस बारे में पीछे नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय : इसकी अब चर्चा स्थगित की जाती है और गुरुवार को पुनः आरम्भ होगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: ACTION AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बड़े खेद का विषय है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों में से 1600 कर्मचारियों का अभी तक या तो निलम्बित किया हुआ है अथवा उनको नौकरी से ही निकाला हुआ है। अब उन पर धमकी देने, छल-कौशल तथा अनुशासनहीनता के आरोप लगा रखे हैं। परन्तु कुछ आरोपों को क्षमा कर देने

पर भी उन पर ये आरोप लगाए हुए हैं और उनको नौकरियों पर वापस नहीं लिया गया है। 13 मार्च, 1963 को श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि एक या दो दर्जन कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी सबको नौकरियों पर बहाल कर दिया जायेगा। परन्तु आज चार महीने के पश्चात् भी 1600 कर्मचारियों को अभी भी निलम्बित किया हुआ है। इस सम्बन्ध में गृह–मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे। 3 अप्रैल, 1969 को रेलवे बोर्ड ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए बताया था कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वे ये हैं कि उन्होंने निष्ठावान कर्मचारियों को उकसाने, धमकी देने में सक्रिय भाग लिया है। उन्होंने अश्लील भाषा में नारेबाजी की है, बल प्रयोग करके घरना दिया है, तथा बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में परचियाँ बाँटी हैं। 30 जून, 1969 को गृह-मंत्रालय ने यह स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन दिया था कि इन्होंने सक्रिय रूप में भड़काने की कार्यवाही की है, सभा बुलाई है और भाषण दिए हैं, जलूस और प्रदर्शनों का आयोजन किया है, नारेबाजी की है। इन्हीं आरोपों के अन्तर्गत 1600 कर्मचारियों को अभी तक नौकरियों पर बहाल नहीं किया गया है। और इस प्रकार के विज्ञापन आदि का लाभ उठाकर इन कर्मचारियों के मामलों पर विचार भी नहीं किया गया है। लगभग 4000 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं? इन कर्मचारियों के विरुद्ध अत्यावश्यक सेवाएँ (संधारण) अध्यादेश के अनुच्छेद 5 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 188 तथा 144 लगाए गए हैं। परन्तु इन्होंने देश भर में कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की बल्कि उलटे इन बेचारे कर्मचारियों पर पुलिस के निर्मम प्रहार हुए, इन्हें मारा गया, पीटा गया और जेलों में डाला गया। इन पर पुलिस ने बर्बरता से गोली चलाई। इन कर्मचारियों पर ये जुल्म सारे देश भर में किए गए। ग्यारह महीने बीत गए हैं और सब बातें समाप्त हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि इन सब कर्मचारियों को क्षमा करके नौकरियों पर बहाल कर देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि अस्थाई कर्मचारियों को अपने बचाव का भी अवसर नहीं दिया गया, जब कि संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारियों को अपने बचाव का अवसर दिया जाता है। प्रतिरक्षा विभाग में तो पाँच वर्ष से लगातार कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को एकदम नौकरियों से निकाल दिया गया है और स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है कुछ को धारा 588 और 144 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन कर्मचारियों पर मुकदमे चलाने की आवश्यकता थी उन कर्मचारियों को भी एकदम सीधे नौकरी से निकाल दिया गया है। लगभग 1200 कर्मचारियों को अपने बचाव का बिल्कुल अवसर नहीं दिया है।

अतः माननीय मंत्री श्री शुक्ल जी से मेरा अनुरोध है कि वे इनके मामलों पर विचार करें और इसी समय और यहीं इस सदन को आश्वासन देते हुए घोषणा करें कि इन सब कर्मचारियों को दुबारा नौकरियों पर बहाल कर दिया जाएगा। डाक और तार विभाग में तो सब कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर लिया गया है परन्तु प्रतिरक्षा विभाग में विशेषकर आयुध कारखानों में कर्मचारियों को अभी भी निलम्बित किया हुआ है। यही बड़ी विचित्र विडम्बना है कि एक सरकार के विभिन्न विभागों में सरकार के आदेशों को एक समान रूप में नहीं माना जाता और उनको एक समान रूप में लागू नहीं किया जाता। माननीय मंत्री इस मामले की जाँच करें।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के पश्चात् कर्मचारियों के चार संघों के नेताओं की जो भूख हड़ताल चल रही थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री के 18 अक्तूबर, 1968 को लेटिन अमरीका की यात्रा से वापस लौटने पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश मिल गए हैं उन सब को दुबारा नौकरी पर रखा जायेगा। और वे आदेश वापिस ले लिए जाएंगे। इस निर्णय के आधार पर हमने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया था। 19 सितम्बर और 18 अक्तूबर, 1968 के बीच कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, बहुत-सों को नौकरी से निकाला गया, जेलों में डाला गया और जमानत भी नहीं ली गई। उन पर गोली चलाई गई। ऐसे कठोर वातावरण में स्वाभाविक ही था कि कर्मचारी आन्दोलन करें। अतः इन दौरान घटनाओं के लिए किसी भी कर्मचारी को दण्ड नहीं देना चाहिए।

केरल में 400 व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इनके विरुद्ध मामलों को वापिस लेने के आदेश जारी कर दिए थे, परन्तु केन्द्रीय गृह-मंत्रालय ने इसका विरोध किया है। अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस ले लिया है। परन्तु दिल्ली में अभी तक इन मामलों को वापिस नहीं लिया गया है जब कि दिल्ली प्रशासन यह मामले समाप्त करना चाहता है।

केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अनौपचारिक बैठक बुलाने के ही अनुदेश दिये गए हैं। परन्तु कोई भी सरकारी अधिकारी ये बैठक बुलाने को तैयार नहीं हैं। अनौपचारिक बैठकों के आयोजन के जो अनुदेश श्री चव्हाण जी ने जारी किये थे उनका निम्नतम स्तर के अधिकारियों ने भी पालन नहीं किया है।

सरकार ने वचन दिया था कि संयुक्त सलाहकार योजना को कानूनी रूप देने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा परन्तु सरकार ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। अतः संगठनों को दुबारा मान्यता दी जाए जिससे सद्भावपूर्ण वातावरण पैदा हो जाए और मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे स्थापित हो जाएँ। यदि सरकार ने ऐसा कर दिया तो समस्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सरकार की प्रत्येक प्रगतिशील नीति का साथ देंगे।

कर्मचारी ग्यारह महीने तक परेशान रहे हैं। अब उन्हें नौकरियों पर बहाल कर देना चाहिए तथा अदालती मामलों को भी समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी मामला हिंसा तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही का नहीं है और धमकी तथा उकसाने के कार्य को गम्भीर रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

लगभग एक वर्ष हो गया है जब कि दो लाख पचास हजार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। उनकी कठिनाइयों के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार अनुमान लगा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह समूचे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैं केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सर-

कार की सभी प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करेंगे। प्रधान मंत्री को सभी सरकारी कर्मचारियों को क्षमा देने की घोषणा करनी चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak): The Government should reconsider the cases of the suspended Central Government employees keeping in view the prevalent political atmosphere in the country. They are poor people having large families with school-going children. Suits are pending against them in the Court of law. They are poor persons who cannot bear the burden of litigation.

The Government should not make it a prestige issue. This is not proper to involve them in the cases of violence or intimidation. The cases should be withdrawn and they should be reinstated. Eleven months' suspension should be considered sufficient punishment for these people.

I also want to request the political parties that they should not involve or use the Central Government employees for their own selfish ends. These parties should not play with the lives of the employees.

Our Government has raised a slogan of socialism and have taken some new steps in this direction. Keeping in view all these things I will appeal to the hon. Minister to reinstate all the suspended persons and not to make it a prestige issue.

I will also appeal to the hon. Minister to withdraw the cases which are pending against the police men and reinstate them. These persons are without any job for the last so many years and suffering a lot. They have received sufficient punishment and they should be reinstated in service. With these words I hope that the hon. Minister will consider the cases of all these people sympathetically.

सभापति महोदय : समय के बढ़ाये जाने के बारे में मुझे प्रार्थना प्राप्त हुई है परन्तु सभी जानते हैं कि इस वाद-विवाद को हमें आज ही समाप्त करना है। अत: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे जहाँ तक सम्भव हो थोड़े समय में अपनी बात कह दें क्योंकि अनेक सदस्यों के नाम मेरे पास आये हुए हैं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की माँगे बहुत ही साधारण थीं। ये इस प्रकार हैं, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी, महँगाई भत्ते का वेतन में विलय तथा जीवन निर्वाह में वृद्धि का पूरा मुआवजा दिया जाना। समाजवाद के किसी भी वातावरण में इन माँगों का स्वागत किया जाना चाहिए। इन माँगों का तात्पर्य यह था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी स्वयं को नये आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण का एक अंग समझें।

मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी इस दमन नीति को बन्द करे और इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार करे। यदि माननीय मंत्री कभी इन न्यायालयों में जायें तो उनको पता लगेगा कि ये न्यायालय समाजवादी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को, जिनको हमारे कार्यालयों में इस समय काम करते होना चाहिए था, अपने समय को बेकार बैठ कर तथा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में बर्बाद कर रहे हैं। इस दमनकारी नीति का अन्त

होना चाहिए। सरकार एक ओर तो समाजवाद की बात कहती है और दूसरी ओर अपने कर्मचारियों का दमन कर रही है। अन्य सभ्य देशों की तुलना में हमारा प्रशासन बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री अपने दिमाग से काम लें और नौकरशाही के कहने पर न चलें। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई आधुनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है।

कार्मिक संघों की मान्यता के प्रश्न को अन्य चीजों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन संघों की मान्यता को इस कारण भंग नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार के विचार में इनके पदधारी उचित ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं। कार्मिक संघों की मान्यता को केवल उसी हालत में भंग किया जाना चाहिए जब कि उस पर उसके सदस्यों का विश्वास न रहे। इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार और कर्मचारियों के सम्बन्धों में जो तनाव है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के विरुद्ध जो 'सक्रिय रूप से उकसाने' का जो आरोप है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। कार्मिक संघों के कार्यसंचालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था सम्बन्धी व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं। इस विधेयक को शीघ्र पेश किया जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि जिन लोगों को मँहगाई भत्ते के वेतन में विलय से हानि हुई है उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार किया जायेगा? इस माँग का अर्थ लोगों को हानि पहुँचाना नहीं था।

लगभग 4000 कर्मचारियों को आरोप-पत्र नहीं दिया गया है। इससे सारे प्रशासन की मानहानि हो रही है। लोगों को न्यायालय में केवल परेशान करने के लिए उन पर मुकदमे चलाये गये हैं हालाँकि कोई वास्तविक आरोप उन पर नहीं लगाये गये हैं। अधिक कर्मचारी निर्धन व्यक्ति हैं। उनको पानी तथा बिजली जैसी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और उनको पुनः काम पर लगाया जाये।

दिल्ली के पुलिस सिपाहियों के बारे में श्री रणधीर सिंह ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : सरकार को इस बात पर विचार करना है कि क्या कार्मिक-संघों के अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिये जाने चाहिए अथवा नहीं। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की माँग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

उनकी दूसरी माँग महँगाई—भत्ते को वेतन में मिलाये जाने के बारे में है। इसी माँग के कारण उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। सरकारी कर्मचारी अपने कार्मिक-संघों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार इस समय सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के अधिकारों से इन्कार नहीं कर सकती। सरकार का यह कहना कि हड़ताल न्यायोचित नहीं थी, उचित नहीं है। देश के कुछ भागों में भड़काने वाली कार्यवाही तथा हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन देश में फैले हिंसात्मक वातावरण को देखते हुए इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार को विचार-विमर्श द्वारा

सरकारी कर्मचारियों की न्यायोचित माँगों को पूरा करना चाहिए। ट्रेड यूनियनों में बाहर के व्यक्तियों को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका कार्य स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। उन पर राजनीतिक दबाव भी नहीं डाला जाना चाहिए। ऐसा करने से यूनियनों को मान्यता देने या उनकी मान्यता को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

किसी भी कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने के कारण दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए और उनके अधिकार उनको वापिस दिये जाने चाहिए। कर्मचारियों की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। सरकार को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे वे अपने दायित्व का अनुभव कर सकें। मुझे विश्वास है कि माननीय गृहमंत्री इस मामले में उदार रुख अपनायेंगे और इस मामले की फिर से जाँच करेंगे और कर्मचारियों को उनके अधिकार और विशेषाधिकार फिर से देंगे।

श्री जी० विश्वनाथन (वाँडीवाश) : 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप अत्यावश्यक सेवाएँ संधारण अधिनियम को शीघ्र पारित किया गया है। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार की अनिश्चित निर्णय लेने की नीति का भंडाफोड़ हुआ है। इसके कारण केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध में भी तनाव उत्पन्न हुआ है। सेवा से निकाले गए कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

18 अक्तूबर, 1968 को ही कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के सब नोटिस वापिस लिये जाने चाहिए थे। मार्च, 1969 में श्री शुक्ला ने उल्लेख किया था कि केवल कुछ कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी सब कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापिस ले लिये गये हैं। लेकिन अधिकारीतंत्र ने उक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया है। अतः गृह-मंत्री को सम्बद्ध अधिकारियों से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापिस लेने को कहना चाहिए।

हड़ताल के बारे में कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकारों से विचार नहीं किया गया है। केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के पत्रों का विरोध किया है और तमिलनाडू के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापिस लेने की माँग की है।

सरकार मामलों को वापिस लेने के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं ले रही है?

सरकार को किसी भी मामले पर अन्तिम निर्णय शीघ्र लेना चाहिए। यदि सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध मामले वापिस लेने का निर्णय करती है तो उसको अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जिन ट्रेड यूनियनों की मान्यता को समाप्त किया गया है उन्हें फिर से मान्यता दी जानी चाहिए।

सरकार को अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिए। सरकार को भूलने और क्षमा करने की नीति का पालन करना चाहिए। सरकार को पुरानी बातों को भूल कर नया अध्याय आरम्भ करना चाहिए।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramali): The Government employees are the part and parcel of the Government. It is the duty of the Government to take care of its employees. Similarly it is the duty of its employees to do their duties faithfully. If the Government takes appropriate actions with regard to the difficulties and problems of the Government employees similar sitution may not arise in future.

The Government should provide facilities for its employees so that they may be able to devote their time fully for official work. Government cannot work smoothly if its employees are not satisfied.

The Government should have discussions from time to time with Government employees' Unions and should try to remove their difficulties.

Out of 2,91,000 emptoyees who went on strike, 3528 employees have not been absorbed so far.

The Goverment should consider their cases afresh.

The aim behind the strike was that the employees wanted to get their grievances removed. There was no political issue behind it. It was not their aim to paralyse the Government. I request that the remaining employees who are still out of the job should be called on their duties.

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : हड़ताल के एक वर्ष के बाद भी क्या सरकार यह कहने के लिए तैयार है कि वह कर्मचारियों के विरुद्ध की गई सब कार्यवाही को रद्द कर देगी और उनके विरुद्ध लगाये गये सब आरोपों को वापिस ले लेगी और उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमे समाप्त कर देगी। क्या सरकार उनके हड़ताल से पूर्व के अधिकार देने के लिए तैयार है ?

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकार और अधिकारियों द्वारा कुचला जा रहा है।

सरकार का कथन है कि उसे कर्मचारियों से पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन यह सच नहीं है। मद्रास और सेलम रेलवे डाक-सेवा के कर्मचारियों को मुअतिल नहीं किया गया था। इसका यह अभिप्राय हुआ कि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं थे।

लेकिन इसके तुरन्त बाद ही उन्हें सेवा से मुअतिल कर दिया गया था। कर्मचारियों को छोटी बातों पर मुअत्तिल किया गया है। मद्रास में एक कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने के कारण आरोप-पत्र दिया गया था। जाँच के पश्चात् उसकी तीन वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि रोक दी गई थी। 8 अगस्त को उसी कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया। क्या यह सहानुभूतिपूर्ण रवैया है ?

सरकार कहती है कि हम व्यक्तिगत मामलों की ओर उसका ध्यान दिलायें और जब हम व्यक्तिगत अन्याय सम्बन्धी मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं तो जिन कर्मचारियों के बारे में हम सरकार का ध्यान दिलाते हैं उन कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा धमकी दी जाती है। क्या यह सरकार की प्रतिकार-भावना नहीं है ?

सरकार जब कोई कसौटी निर्धारित करती है और उसकी क्रियान्विति का कार्य अधिकारियों पर छोड़ देती है परन्तु उन अधिकारियों का ट्रेड यूनियनों के प्रति झुकाव नहीं होता। वे

कर्मचारियों से अपने पुराने बदले निकालते हैं । अतः प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है ।

केरल उच्च न्यायालय के कुछ अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपील का निर्णय होने तक उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने अभी तक उन्हें सेवा में नहीं लिया है । उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में 'स्टे आर्डर' दिया था । किन्तु सरकार ने उसका अब तक पालन नहीं किया है। सरकार में बदला लेने की भावना विद्यमान है फिर भी वह संविधान और कानूनों का पालन करने की दुहाई देती है ।

अब 2800 कर्मचारियों को काम पर ले लिया गया है किन्तु फिर भी उनमें से अधिकतर कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है । यद्यपि इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं हैं फिर भी उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सरकार उनके प्रति कौन सी सहानुभूति दिखा रही है ?

राजस्थान तथा अन्य कई सरकारों ने उन पर से मामलों को वापस ले लिया है किन्तु सरकार ने तब उच्च न्यायालय में अपील करने की बात नहीं की। केरल सरकार ने भी इन मामलों को वापिस लिया किन्तु इस बार सरकार अपील कर रही है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार केरल सरकार के साथ भेद-भाव रख रही है तथा यह उनकी राजनीतिक चाल है जिससे केरल के गरीब कर्मचारियों को संकट में डाला जा रहा है ।

सरकार ने कर्मचारियों के बहुमत-प्राप्त कार्मिक संघों से मान्यता छीन कर अल्पमत प्राप्त कार्मिक संघों से बातचीत की है तथा इस समझौते की शर्तों को वह बहुमत-प्राप्त संघों के ऊपर भी थोपना चाहती है । सरकार का यह कदम अनुचित है ।

अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले में पूर्व स्थिति लाई जाय तथा इन कार्यवाहियों को वापस लिया जाय । केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनमें अनुशासन-हीनता फैली हुई है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या काँग्रेस दल में अनुशासन-हीनता नहीं है ? काँग्रेस कार्यकारिणी समिति के संकल्प में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर बहुत से काँग्रेस के सदस्यों ने श्री रेड्डी को अपना मत नहीं दिया । अतः आवश्यकता इस बात की है कि दल में पड़ने वाली पारस्परिक फूट का उचित समाधान किया जाय । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का भी उचित समाधान किया जायेगा ? मैं समझता हूं कि सदन को प्रधान मंत्री महोदया तथा माननीय गृह—कार्य मंत्री के समक्ष यह माँग रखने का पूर्ण अधिकार है कि सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन-हीनता की समस्या को उसी प्रकार से हल करने का प्रयास किया जाय जैसे काँग्रेस दल में फैली अनुशासन-हीनता को हल किये जाने का प्रस्ताव है । अतः मेरी प्रार्थना है कि सरकार फिर से इन सभी कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करे तथा कर्मचारियों को कार्य से हटाये जाने अथवा मुअत्तिल किये जाने के आदेशों को रद्द करे ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): Sir, I feel that no country can prosper unless the citizens of that country are imbibed with the sense of discipline. But this sense of

disciple should come out voluntarily because when it is forced upon them it becomes a tyranny. The Central Government Employees are being charged with the large scale indiscipline amongst them but may I know whether the Government have ever tried to find out the reasons for which they had to violate the ordinance?

There is a proverb, 'justice delayed justice denied'. Actually these employees had been suffering from the justice being delayed. Their demands, their grievances and their ganuine hunger were being overlooked by the Government and that is why they had to launch an agitation. I dare say had the Government approached their problems sympatheticaily thcy would have never resorted to any agitation of this sort. And therefore, it is the Government who are responsible for all what has happened in this regard.

Nobody can deny the fact that the Government servant play a preponderent part in the Government machinery and therefore we will have to create a sense of confidence amongst them. I urge upon the Government that this matter should be considered on the basis of the reasons behind the unrest among the Central Government servants and it should not be taken as a prestige-issue

Now the nember of victimised Government employees has been reduced to 1600 for whom the questions have been put in the House several times. So many other cases have been withdrawn by the Government in this regard and therefore I request that the Government should also consider these cases sympathetically. Let 'bygones be bygones' has been the policy of the Government so far as the cases already settled are concerned. The same policy should here be followed so that all of them may recognise the eympathetic attitude of the Government towards them. At the same time the political parties may also feel that they should not indulge themselves in rousing the people towards a wrong direction. The matter relating to policemen should also be approached in the same way.

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस आधारभूत माँग का सभी दलों की ओर से समर्थन हुआ है। विगत 11 मास से सरकार बदला लेने, मुकदमा चलाने तथा तंग करने की नीति पर चल रही है यद्यपि गृह-कार्य मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिलाया था कि सरकार इस मामले में कोई द्वेष भावना नहीं रखेगी।

सरकार जानबूझ कर इस असहाय वर्ग को दण्डित करना चाहती है, फिर भी वह सदा इस बात की घोषणा करती रहती है कि देश में समाजवाद लाना है।

वास्तव में आज के वाद–विवाद का आशय यह है कि सरकार की नैतिक विचारधारा का पता लगाया जाय। कितने कर्मचारियों को काम पर लेना शेष है आदि प्रश्न तो पूरक प्रश्न हैं।

सरकार स्वयं को समाजवादी सरकर कहती है किन्तु वास्तव में उनका यह दावा झूठा है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया है जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। उन्होंने केवल अपनी सुरक्षा की माँग की थी। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थीं और उन्होंने यह माँग की थी कि या तो मूल्यों में कमी की जाय अथवा उनके मँहगाई भत्ते में भी वृद्धि

की जाय। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। इतना कठोर व्यवहार तो पूंजीवादी देशों में भी अपने कर्मचारियों के साथ नहीं किया जाता। वे देश की भी उनके लिये आवश्यक साधन प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। यह पहला अवसर नहीं है वरन् सरकार ने 9 वर्षों में दूसरी बार इस प्रकार के कदम उठाये हैं। स्वयं पूंजीपति भी जिनको बदनाम किया जाता है, ऐसा अन्याय नहीं कर सकते जैसा यह सरकार कर रही है। मैं श्री विद्याचरण शुक्ल पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ किन्तु चूंकि वह सरकार की ओर से हैं अतः वह इसके लिए उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने ही सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि *1945* से 1968 तक की अवधि में कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हमने भी इसी तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तथा उस समय के वित्त मंत्री महोदय से इस बारे में विचार-विमर्श भी किया था। हमने उनके समक्ष लेखाबद्ध साक्ष्य तथा अन्य आँकड़े प्रस्तुत किए थे तथा उन्हें बताया था कि सरकारी कर्मचारी इन-इन कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई क्रियात्मक उपाय करने की अपेक्षा एक अध्यादेश जारी कर दिया। खेद है हमारे संविधान बनाने वालों के ध्यान में यह नहीं आया कि संविधान में सरकार को अध्यादेश जारी करने के अधिकार की व्यवस्था करने से इतना अनहित भी हो सकता है। मैं चाहूँगा कि श्री विद्याचरण शुक्ल कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए इस माँगपत्र पर विचार करें। यदि वह समाजवाद में पूरा विश्वास रखते हैं तो क्या वह यह समझते हैं कि अध्यादेश जारी कर देने से अथवा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा समाजवाद लाया जा सकेगा? यदि हम सचमुच ही समाजवाद लाना चाहते हैं तो इसके लिए मजूरी पाने वालों को ही संघर्ष करना पड़ेगा।

16 जुलाई, 1960 को कर्मचारियों ने समाजवाद के लिये संघर्ष किया था परन्तु सरकार ने उस समय अध्यादेश जारी कर दिया। 19 सितम्बर 1968 को भी यही हुआ। तो क्या आप यह समझते हैं कि पूंजीपतियों को खुली छूट देकर तथा 34,000 कर्मचारियों को 50 से 70 बार अदालतों के चक्कर कटवाकर ही समाजवाद लाया जा सकता है? इस प्रकार सरकार देश को धोखा नहीं दे सकती है। समाजवाद को चाहने वाला कभी भी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करेगा कि उनके विरुद्ध अवैध तथा संविधान की भावना के विरुद्ध अध्यादेश जारी कर दे। परन्तु सरकार का तो यही रवैया है। सरकार समाजवाद का बारबार नाम ले रही है और उसी के लिये उसके कर्मचारियों को दो बार भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। मगर आज उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई महत्त्व नहीं देता। उनको तो दण्ड दिया जाता है। मैंने यही प्रश्न प्रधान मंत्री के सामने रखा था जो कि समाजवाद का नाम तो लेती हैं परन्तु क्या वह वस्तुतः उसमें विश्वास करती हैं?.....**(व्यवधान)** आज इसी बात की कसौटी होनी है, उसकी सही परीक्षा होनी है। मैंने उन्हें पत्र तो लिखा था परन्तु मुझे अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला। शायद उनके पास समय ही नहीं है। उनको स्मरण कराने के बाद मैं यह शिकायत कर रहा हूँ। यह पहली बार है जबकि ऐसे महत्त्वपूर्ण पत्र की पावती भी नहीं मिली। उस पत्र में मैंने कहा था कि हम इससे सहमत नहीं हैं कि सही ढंग से कार्य कर रहे कार्मिक संघों को प्राप्त

मान्यता इसलिए वापस ले ली जाय क्योंकि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था। इसके बारे में हमने इंगलैण्ड में विलसन सरकार द्वारा ऐसी कार्यवाही को रोकने का उद्धरण भी दिया था।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी कर्मचारी संघ को अच्छा व्यवहार करने के पुरस्कार स्वरूप मान्यता नहीं मिलती है। यह तो उसका मूलभूत अधिकार है।

मैं क्रोधित होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी कार्य का सफल होना कुछ नारों, जलूसों तथा प्रदर्शनों के निकालने पर निर्भर नहीं करता। समाजवाद लाने के लिये हमें कर्मचारियों, मजदूरों तथा किसानों के हितों को समझना तथा पूरा करना होगा। परन्तु सरकार तो समाजवाद का नारा लगाकर लोगों को केवल धोखा दे रही है। मैं तो यह चाहता हूँ कि कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लो, तथा उन्हें काम पर भी वापस लो। उनके संघों को पुनः मान्यता दो। परन्तु यदि आप ऐसा विधेयक पेश करते हैं जिससे हड़ताल करने वालों को आप सता सकें, उनका शोषण कर सकें तो देश के लोग हर इंच पर आपसे संघर्ष करेंगे क्योंकि हड़ताल करने का अधिकार आप द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार नहीं है। हमें आशा है कि आप हमारी बातों पर विचार करेंगे और इस विधेयक को आप वापस ले लेंगे, संघों को मान्यता दे देंगे तथा कर्मचारियों को वापस काम पर ले लेंगे।

Shri George Fernandez (Bombay South): Sir, with reference to the Resolution passed in the Congress Working Committee meeting. my hon. friend Shri Nath Pai, has urged upon settling the case of the Central Govt. employees involved in the strike of 19th September. I also hereby cite that about 1200 Doctors in Bombay went on strike for 18 days and they did not submit to a number of orders issued by the Govt. to cow them down. Ultimately, and only on account of the efforts made by the State Government and the Central Government did the strike come off and all the demands of the Doctors were acceded to; although the harm done to 55 lakh people in Bombay on account of this strike was far more than the harm done by the strike of the Central Government employees last year. None of the Doctors was either suspended nor arrested nor was it refused to have talks with their Union. What was the reason? It was simply because the Doctors form a higher and rich class of our society and Government would always take care of them. One of these striking Doctors was the son of the Governor of Maharashtra, Shri Cherian.

Similarly the pilots and the workers of Air India also went on strike about one and a half year ago. There was no flight for several days and this resulted in a loss of several lakhs of rupees; and the Government held talks with their Union and acceded to their demands. This is also because the pilots also form a rich class of our society and our Prime Minister's son is also a pilot.

But when such things happen with the poor class of Central i.e. Govt. employees like foremen, clerks, temporary and casual labourers etc.the Government comes out with stringent action against them.

For the last several weeks we have been hearing the Prime Minister pleading for the cause of poor people and claiming that she stands by the interest of the common men. But may I know whether those 1900 employees, who have kept aside from their jobs, do also belong to the class of the people for whom the Prime Minister claims to stand by? Are they not poor

or sufferers? Our Government and the hon. Ministers are sympathetic to none but the rich and the corrupt people. They are giving the appointment of Chairman to the son of Shri Shanti Lal Jain who is involved in misappropriting the funds of the employees of Times of India publication and against whom a C.B.I. case is going on in the Court.

There are several more such examples. Shri J. N. Sahni of Delhi Printers, against whom a case is under investigation in a Delhi court, was invited in Rashratpati Bhawan for **At Home By The Rashtrapati.** But you care the least for the honest and poor employees of your own Government. In spite of assurances, even those employees have also not been taken back on work against whom there is no case. Then there has been a discriminatory treatment between the temporary and the permanent employees in this regard. Why so ?

The Government perhaps acts upon a policy of "firmness tempered with sympathy." But we do not want any sympathy. We want our right to strike and to form trade unions. It is our right. This is the basic thing. We, therefore, demand that the Government should immediately declare that all the dismissed employees will be taken back on work, even though if cases are going on in the court against them, accord recognition to the employees' union again and accede to their basic demands in regard to minimum wages, dearness allowance etc. Now this is the right time for you to take a step towards socialism by acceding to the demands of the Government employees.

And finally, I warn the Government to take adequate steps in this regard otherwise we are determined to fight tooth and nail for this cause even outside this House.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि हमें कुल स्थिति को समझकर उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। पहले पहल तो इन माँगों के बारे में सरकार तथा उसके कर्मचारियों के मध्य अधिक मतभेद नहीं था। उन माँगों पर विचार भी किया गया था तथा सरकार की ओर से कई आश्वासन भी दिए गए। केवल एक माँग ऐसी थी जिस पर सरकार सहमत नहीं हुई थी और उस बारे में बात-चीत के लिये सरकार हमेशा तैयार रही थी। परन्तु दुर्भाग्य से सरकारी कर्मचारियों ने बात-चीत करना लाभप्रद नहीं समझा और केवल इस बात को लेकर कि अमुक काम को कैसे कार्यान्वित किया जाय, यह विवाद पैदा हो गया।

अतः यह कहना गलत होगा कि सरकारी कर्मचारियों की माँगों के हम विरुद्ध थे। यह सच्चाई नहीं है।

हमारी सहानुभूति उनकी माँगों के साथ है, हमारा उद्देश्य कर्मचारियों की माँगों में रोड़े अटकाना नहीं है।

माननीय सदस्यों ने जो आरोप तथा आक्षेप लगाये हैं, उनसे मुझे दुःख हुआ है, मैं नहीं जानता कि उनका अभिप्राय क्या है? सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की समस्याओं को सद्भावना और सहयोग से सुलझाया जाये। परन्तु यदि इस प्रकार आरोप लगाये गए तो समस्या जटिल हो जाएगी। मुख्य बात यह है कि माँगों के सम्बन्ध में कर्मचारियों और सरकार के बीच

इस बात का मतभेद है कि इस पर विचार किस प्रकार किया जाये । एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था । हमने इस प्रकार की स्थिति को टालने की बहुत कोशिश की परन्तु वातावरण इस प्रकार का था कि ऐसा हो न सका । एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और कर्मचारियों को तकलीफें उठानी पड़ीं । हम इस प्रकार की स्थिति नहीं चाहते थे । हड़ताल के बाद हमने कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई कार्यवाहियाँ कीं। मैं मानता हूँ कि सरकार की ओर से कुछ गलती हो सकती है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक बड़ी सीमा तक इसके लिए दोषी हैं। यदि वे ऐसा न करते तो आज उन्हें यह कठिनाई न उठानी पड़ती । कर्मचारियों को अपने नेताओं की अधैर्य और अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ा है।

मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ प्रयत्न हमने किया है उससे सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने में मदद मिली। हम शीघ्र ही सम्बन्धित मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं ताकि इस मामले पर पुनर्विचार किया जा सके? हम नहीं चाहते कि कर्मचारियों को निलम्बित रखा जाये। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इनके मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाये।

कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में मैंने पहले कहा है कि एक विधेयक संसद में लाया जा रहा है। इस पर अभी मंत्रिमण्डल को विचार करना है तदुपरान्त इसको संसद् में लाया जायेगा ।

श्री नाथ पाई : क्या आपने इसके लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि यह आवश्यक हुआ तो ऐसा किया जायेगा। मंत्रिमण्डल के इस पर विचार करने के उपरान्त यह प्रवर समिति के पास जायेगा जहाँ कुछ प्रतिनिधि अपने विचार रख सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने इलाहाबाद अथवा मद्रास आदि स्थानों में हुई घटनाओं का हवाला दिया है, मैं चाहता हूँ कि वे मामले मेरे पास लाये जायें ताकि हम उन पर विचार कर सकें।

श्री उमानाथ : यदि हम कर्मचारियों के मामलों को उठाते हैं तो उनके अधिकारी यह आरोप लगाते हैं कि इसमें राजनीति लाई जा रही है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को संसद-सदस्य के पास अपनी शिकायतें लाने के परिणामस्वरूप कुछ भी नहीं कहा जायेगा। माननीय सदस्यों की ओर से यह आरोप लगाना नितान्त अनुचित है कि हम इन मामलों में स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अथवा हम सरकारी सलाहकारों से प्रभावित हैं। इन सभी मामलों पर राजनीतिक स्तर और मंत्रिमण्डल के स्तर पर विचार हो रहा है और ऐसा करते हुए हम विपक्षी सदस्यों की राय भी लेते हैं, उनके विचारों का स्वागत किया जाता है। यह कहना नितान्त अनुचित है कि इस पर निर्णय लेते समय उनके विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

श्री रणधीर सिंह और अन्य सदस्यों ने दिल्ली पुलिस वालों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह सरकारी कर्मचारियों से भिन्न मामला है अतएव इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।

श्री स० कुन्डू : (बालासौर) : सरकार ने जो परिपत्र जारी किया है, उसमें यह कहा गया है कि जो कर्मचारी हिंसा, धमकी और भड़काने के शिकायत के दोषी पाये जायेंगे उनको पकड़ा जायेगा और शेष को काम पर पुनः लिया जायेगा। मंत्री महोदय कृपया इस पर पुर्नविचार करें कि 'शिकायत' के स्थान पर 'हिंसा के दोषी' को रखें, दूसरा मेरा निवेदन है कि 'सक्रिय भड़काने' के शब्द को हटा दिया जाये।

Shri Ramavatar Shastri (Baghpat) :—There are 13 employees of Post and Telegraph office in Bihar who are still under suspension. Out of them the services of two employees have been terminated and the rest are facing trial. The Hon. Minister had stated that all those employees, against whom there are no charges, would be taken back. May I know when these employees will be taken back ?

The employees at Jamshedpur were facing trial under section 4 but now they have been put under section 5. If this is true then what is the justification in it.

[कुछ सदस्य खड़े हुए]

सभापति महोदय :-एक घंटे का वाद-विवाद अब दो घंटे का हो गया है। मैंने सोचा था कि यह सभा की इच्छा है कि हम हत्त्वपूर्ण प्रश्न होने के नाते इसका समय बढ़ाया जाये। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि वे और प्रश्न न पूछें। मेरे विचार में मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इस मामले को विभिन्न मंत्रालयों के पास उठायेंगे।

श्री उमानाथ: मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरान्त पुनः मान्यता दिलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, इस प्रकार से तो इसमें काफी समय लग जायेगा। सरकार क्यों विधेयक के पारित हो जाने तक मान्यता नहीं दे रही है ?

श्री स० मो० बनर्जी: मैं मंत्री महोदय के इस आशय का स्वागत करता हूँ कि मामले पर पुर्नविचार करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि यह शीघ्र किया जाये।

श्री नाथ पाई: मैं भी इसका स्वागत करता हूँ, परन्तु क्या मैं जान सकता हूँ कि कर्मचारियों को परेशान करना बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वे आश्वासन देंगे की अभियोगों के सभी मामलों को वापिस ले लिया जायेगा ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Those employee, who have been let off by the court have not been taken back to service For example, the employees of the workshop of Izratnagar have not been reinstated. May I know whether they would be reinstated ?

Shri Suraj Bhan (Ambala) : May I know whether the Hon. Minister will look into the adverse effects on employees caused by the merger of Dearness allowance ?

Shri Shashi Bhushan (Khargone): May I know whether any time limit will be fixed ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: जहाँ तक मामलों को वापिस लेने का प्रश्न है, इस पर मंत्रियों की बैठक में विचार किया जायेगा। मैं यह कह नहीं सकता कि यह बैठक कब होगी ? यह आवश्यक नहीं है कि मंत्रियों की बैठक बहुत शीघ्र हो और निर्णय पहली ही बैठक में लिया जाये। समूचे पहलुओं पर विचार करने के लिये कई और बैठकों की आवश्यकता है।

श्री कुण्डू ने एक स्पष्टीकरण के बारे में सूचना माँगी है। उस स्पष्टीकरण को वापिस ले लेने से स्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा। इसके बारे में विचार किए बिना उस स्पष्टीकरण को लागू नहीं किया जा सकता है और न उसका अनुकरण करना ही आवश्यक है। यदि उस स्पष्टीकरण का कहीं दुरुपयोग होता है तो हम निश्चय ही उसकी जाँच करेंगे और शिकायतों को दूर करेंगे। अतएव स्पष्टीकरण को वापिस लेने का या नहीं लेने से स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है।

श्री नाथ पाई: आप विधेयक के लिये क्यों रुकना चाहते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल: क्योंकि इस विधेयक का इस प्रश्न पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अतएव विधेयक लाने से पूर्व इस प्रश्न को उठाना संभव नहीं है।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 111 के प्रावधान के अनुसार मुझे बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1969, जो कि राज्य सभा द्वारा 26 अगस्त, 1969 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करने को कहा गया है"।

बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों को प्रत्यायोजन) विधेंयक

BIHAR STATE LAGISLATIVE (DELEGATION OF POWERS) BILL

सचिव : "मैं राज्य सभा द्वारा पारित बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1969 सभा–पटल पर रखता हूँ।"

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 28 अगस्त, 1969 / 6 भाद्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 28, 1969/Bhadra 6, 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और
इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/
अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and
contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]